राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] विधान सभा के दशम् सत्र का अड़तीसवां दिवस [संख्या 22

बुधवार,

दिनांक 21 अप्रेल , 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-02 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, समाज-कल्याण, जन-स्वास्थ्य, गृह, नगर-विकास न्यास, कारागार, उद्योग, स्वायत्त शासन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री रघुनाथ विश्नोई ।

जालोर उच्चतर मध्यमिक पाठशाला का भवन

383. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि जालोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन का हॉल कई वर्ष पहले गिर गया था ? अगर हां तो कब ? इसके गिरने के क्या कारण थे ?

(2) इतने सालों से उपरोक्त हॉल गिरी हुई हालत में अब तक क्यों पड़ा है ? इसकी जिम्मेदारी किसकी है व इस बारे में क्या करने का विचार है ?

(3) अब उपरोक्त पाठशाला भवन का हॉल कब तक दुबारा पूर्ण कर दिया जावेगा?

(4) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष इस हाल के पुन: निर्माण के लिये 60,000 रु० बजट में रखे गये हैं ? यदि हां तो, कब तक खर्च किया जाकर हाल बना लिया जावेगा?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेत सिंह): (1) पाठशाला भवन के हॉल की छत गरडर व बाहर की दीवार 25-5-62 को गिर गई थी । गिरने के कारणों पर जांच प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) भवन का कार्य प्रगति पर है ।

(श्री खेतसिंह)

(3) इस वर्ष पूर्ण होने की पूरी आशा है।

(4) वर्ष 1971-72 में 40,000 रु० का प्रावधान है। इस वर्ष हॉल के पूरा होने की सम्भावना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पिछली साल भी प्रावधान था उसके अनुसार पूरा क्यों नहीं कराया गया ?

श्री खेतसिंह : पिछली साल 60 हजार रुपये सेंक्शन हुए लेकिन सेंक्शन बाद में आई। यह एजूकेशन डिपार्टमेंट से यह प्रावधान आया करते हैं इसलिए चूंकि पैसे बाद में भेजे और फाईनेन्शल ईयर क्लोज हो गया इसलिए गत वर्ष पूरा नहीं हो सका और इस वर्ष निश्चित रूप से करा दिया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 62 से लेकर आज तक 9 साल हो गए और 9 साल में कार्यवाही पूरी नहीं हुई तो कितने साल और लगेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब तो दृढ़ संकल्प है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कमिश्नर के पास है उनको लिखा है और जल्दी ही हो जायेगा

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 384

श्री शंकरलाल जाट।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 385

श्री भगवानदास शास्त्री।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरसिंह रावत।

अरड़का-बबाईचा सड़क पर कार्य

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में अरड़का से बबाईचा सड़क जो अकाल राहत कार्यों में बनी उस संबंध में अरड़का से करीब दो फर्लांग पर करीब 200 कट्टे सीमेंट के पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कितने महीनों से ?

(2) क्या यह सही है कि वर्षा से ये सब कट्टे खराब हो गये हैं।

(3) क्या सरकार ने इसकी जांच की थी कि किस अधिकारी ने वे कट्टे वहां डाले ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेतसिंह) : (1) सीमेंट कट्टे सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन व पथ के नहीं हैं।

(2) विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत में कराया गया लेकिन पी. डब्लू.डी. के मार्फत कराया गया है और उन्होंने ही डाले हैं ये 200 सीमेंट के कट्टे

Page No 3

(श्री शंकरसिंह रावत)

और ये ऐसे के ऐसे ही बारिश में पड़े हैं और इनको दीमक खा गयी बारिश में और लोग देख रहे हैं। चाहे अकाल राहत विभाग के हों या चाहे किसी के भी हों लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। पी. डब्लू. डी. के मार्फत पड़े हैं। यह तो आपसे संबधित हैं ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य को थोड़ा सा भ्रम हो गया है। यह पी.डब्लू.डी. से ताल्लुक नहीं रखता है और न पी. डब्लू. डी.ने डाले हैं। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं और सवाल उनसे पूछें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा यह बिलकुल सही है। ये किसी भी डिपार्टमेंट के हों, लेकिन क्या यह सरकार का फर्ज नहीं है कि 200 कट्टे इस तरह से बरसात में पड़े रहे और सीमेंट लोगों को मिल नहीं पाती है, एक-एक सेर के लिए लोग फिरते हैं और उधर आपने 200 कट्टे सीमेंट के बरबाद करवा दिये।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी तो नाराजगी है कि इस तरह से यह कट्टे खराब नहीं होने चाहिए।

श्री शंकरसिंह रावत : मन्त्री महोदय कहते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के हैं तो क्या आपने जांच की है कि वे इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के हैं ?

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर) : फिर मंत्री महोदय किस मर्ज की दवा हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : वे सीमेन्ट के कट्टे बेचने के लिए छिपाये गये हैं क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री फूलचन्द बाफना।

खीमेल जल-प्रदाय योजना

387. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खीमेल, जिला पाली, तहसील बाली की जल-प्रदाय योजना के लिये कब व कितने रुपयों की स्वीकृति हुई है और खीमेल से किस किस गांव को इस योजना से जल प्रदाय किया जायेगा ?

(2) (क) ग्राम वेनपुरा (तहसील बाली) में कुओं का पानी पीने से प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होते ही पीठ में प्रत्येक मानव के कूबड़ निकल आती है और यह क्यों निकलती है इसकी जांच हेतु स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, जिला पाली वेनपुरा से पानी का नमूना बोतल में ले गये हैं ? यदि हां, तो यह नमूना कब ले गये हैं और उसके विश्लेषण का क्या नतीजा आया है और वेनपुरा निवासियों के इस कष्ट-निवारण हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(ख) क्या वेनपुरा के निवासियों की इस कष्ट स्थिति को मिटाने हेतु खीमेल जल-प्रदाय योजना से वेनपुरा ग्राम को (जो खीमेल से प्राय: दो मील दूर है) जल-प्रदाय किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है व उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (1) दिनांक 31-12-66 को 1,09,400 रुपये की केवल खीमेल ग्राम की।

(2) (क) इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट अभी तक जिला स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त नहीं हुई है जिनसे पुनः सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है। वैसे वेनपुरा गांव को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु एक क्षेत्रीय योजना बनाई जाने के लिए सर्वे की जा रही है।

(ख) जी हां, योजना के लिए सर्वे किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत खीमेल नल कूप से वेनपुरा, देवतरा, अकोदरा, बीरानी, केनपुरा, लापोट को जल देने की योजना है। योजना बनाई जाने के पश्चात ही आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय 12 महीने हो गये हैं जल का नमूना ले जाये हुए तो क्या अभी तक उसका विश्लेषण नहीं हो पाया है ?

श्री भीखाभाई : असल में बात यह है कि यह तो मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट की तरफ से जांच होती है। हमारी तरफ से केमिकल जांच नहीं हो रही है, लेकिन पुनः उनको दोहराया गया है और लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी इसको टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट भेज दी जाये।

श्री फूलचन्द बाफना : आपकी तरफ से कितनी बार याद दिलाया गया है 12 महीने में ?

श्री भीखाभाई : अभी किया गया और पहले भी किया गया है।

श्री फूलचन्द बाफना : कोई तारीख बता सकते हैं कि कौन सी तारीख को पत्र लिखा है ?

श्री भीखाभाई : तारीख तो मालूम नहीं है लेकिन हम भी चिन्ता कर रहे हैं कि इस योजना को जल्दी बनाया जाये। मैंने पहले ही कहा है कि अच्छी रिपोर्ट आ जायेगी और जैसा कि क्षेत्रीय योजना का सर्वे हो चुका है और उसके ऊपर शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री फूलचन्द बाफना : यह बहुत गम्भीर समस्या है कि हर व्यक्ति को वहां के पानी से कूबड़ निकल आती है अगर इस नल योजना को पूरा कर दिया जाय तो कूबड़ होने की बीमारी तो दूर हो जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 388

श्री दौलतराम आगरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण।

जयपुर की कच्ची बस्तियां

389. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में कौन कौन सी कच्ची बस्तियां हैं ? प्रत्येक की आबादी क्या है ?

(2) इन बस्तियों के निवासियों के लिए आवास की क्या व्यवस्था की जा रही

(श्री दौलतराम सारण)

है ? इस संबंध की योजनाओं की कृपया जानकारी देते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन बस्तियों के लिए आवास की समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी। इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है ? इन बस्तियों के लिए भूखण्ड देने की क्या व्यवस्था सोची गई है ? किस आधार पर ?

(4) क्या इन बस्तियों के निवासियों की ओर से राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारियों के पास प्रतिवेदन एवं प्रार्थना-पत्र भी इस सबंध में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किस किस से कब कब ?

(5) क्या घाट गेट बाहर जनता एक्सटेन्शन स्कीम के सम्बन्ध में उस क्षेत्र की कच्ची बस्ता के निवासियों का प्रार्थना-पत्र मिला है ? उस योजना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री खेत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के पोस्टपोनकरने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है। जवाब तो आ गया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं और अगली टर्न पर मैं दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं ? स्थिति क्या हो गयी ?

श्री खेत सिंह : मैं तैयार नहीं हूं। पूरा पढ़ा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड ।

प्रश्न संख्या 390

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह शेखावत ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस पाइंट पर पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिये कि मैं तैयार नहीं हूं और किसी बात पर स्थगित किया जा सकता है। यह तो एस्पर्शन है कि मैं तैयार नहीं हूं।

श्री हरिदेव जोशी : एस्पर्शन नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : इन्होंने सच्ची बात कही है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह आदत न डालें।

श्री अध्यक्ष : आदत से वंचित रहें। आप पूर्वाभ्यास कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह।

नगर विकास न्यास जयपुर का अंकेक्षा प्रतिवेदन

391. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार को नगर विकास न्यास, जयपुर का वर्ष 1969-70 और 1970-71 के हिसाब का अंकेक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तथा इन अंकेक्षा प्रतिवेदनों पर अब तक क्या क्या

Page No 6

(श्री भैरोंसिंह)

कार्यवाही की गई ? कृपया इनका विवरण अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपमंत्री (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन का जवाब आज मेरे पास नहीं है। आप चाहें तो कल दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं फिक्स्ड कर दूंगा बाद में, चलिये स्थगित।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री दौलतराम सारण : इसका भी कल दें देंगे साथ-साथ।

श्री अध्यक्ष : आज तय कर लेंगे। दोनों का साथ ही दे देंगे।

मोहम्मदपुर में सहकारी समिति को एलॉट की गई भूमि

392. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 9-10-68 को हरिजन सहकारी समिति मोहम्मदपुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर को 40 बीघा जमीन सिवाय चक एलॉट करने की आज्ञा जारी की ?

(2) क्या यह सही है कि कलेक्टर अलवर ने सरकार की एलॉट करने की आज्ञा के तहत जमीन पर दखल दिलाने की आज्ञा जारी की ? यदि हां, तो क्या समिति की जमीन पर दखल दिया गया ? यदि नहीं तो अब तक दखल क्यों नहीं दिलाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि एलॉटमेंट की जमीन पर कुछ काश्तकारों ने नाजायज कब्जा एलॉटमेंट की आज्ञा के बाद कर लिया और तहसील से करीब 2 साल पहले दफा 91 कानून मालगुजारी के तहत बेदखली के नोटिस दिये गये ? यदि हां, तो अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(4) क्या सरकार के पास यह शिकायत आई है कि इस हरिजन कोऑपरेटिव को अभी तक दखल नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार अब दखल दिलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 9-10-68 को हरिजन सहकारी समिति, मोहम्मदपुर, को मौजा मौसमपुर उर्फ काकरा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर को 39 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन करने की आज्ञा जारी की थी।

(2) जी हां, यह सही है कि जिलाधीश अलवर ने दिनांक 31-10-68 को उक्त सहकारी समिति को कब्जा देने की आज्ञा जारी की, किन्तु इस आदेश के पूर्व ही इस आवंटित भूमि पर कुछ अन्य कृषकों का नाजायज कब्जा होने के कारण समिति को कब्जा नहीं दिलाया जा सका।

(3) जी नहीं, एलॉटमेंट की भूमि पर कुछ काश्तकारों ने एलॉटमेंट की आज्ञा से पूर्व ही माह सितम्बर, 1968 में नाजायज कब्जा कर लिया था इस बारे में तहसील में

Page No 7

(श्री गंगाराम चौधरी)

2 साल के लिए धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिये जाकर कार्यवाही शुरू की गई। इस मामले में एक अन्तरिम आदेश की अपील अदालत अतिरिक्त जिलाधीश अलवर में चल रही है।

(4) दखल न दिलाये जाने बाबत शिकायत अवश्य है किन्तु जिन्होंने अतिक्रमण किया है उनको नियमानुसार बेदखल कर भूमि खाली होने पर ही कब्जा दिलाया जा सकेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार इस सदन में यह अर्ज कर चुका हूं कि 9-10-68 को हरिजनों की को-ऑपरेटिव को जमीन एलॉट हुए 30 महीने हो गये और यह नाजायज कब्जा गांव वालों ने ऑर्डर सुनते ही कर लिया। यह मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में है इसलिए मुझे मालूम है कि 1968 में कब्जा हुआ है तब से इनको नोटिस दे रखा है और अभी तक दो साल में 17 में से एक आदमी को बेदखल किया है। वह फाइल ए. डी. एम. के यहां पड़ी हुई है तीन महीने से। इस तरह से 16 आदमियों के बेदखल करने में 25 साल लगेंगे। हरिजन को-ऑपरेटिव-की बात है। सरकार को मैंने लेटर लिखा है और कलेक्टर को लिखा है, एस. डी. ओ. को लिखा है तो एस. डी. ओ. ने डेट फिक्स की है तो तहसीलदार ने चालाकी से एक आदमी को बेदखल कर दिया। अगर वाकई में उनको जमीन देना चाहते हैं तो वहां के तहसीलदार और एस.डी.ओ. का ट्रान्सफर कर दें और यह हिदायत कर दें फाइल मंगाकर कि उनको जल्दी से बेदखल किया जाय। लैण्ड गार्ड मूवमेंट में जिन्होंने जमीनें ले ली थीं अपने कब्जे में उनको हजारों को बेदखल किया गया है। सरकार का ऑर्डर होते हुए यह हालत है कि कोई जमीन नहीं है।

श्री गंगाराम : अध्यक्ष महोदय, 109 बीघे के करीब इनको जमीन एलॉट हुई थी उसमें से को-ऑपरेटिव सोसाइटी को 70 बीघे पर कब्जा दे दिया है और 39 बीघे 5 बिस्वे का तनाजा है जो कि इनको बाद में एलॉट हुई थी। उस पर कुछ व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। उनमें से एक व्यक्ति को दखल किया गया था और उसने अपील कर दी तो कागजात वहां पर चले गये। धारा 91 के अन्दर जुडिशियल मेटर्स हो जाते हैं तो राज्य सरकार सम्बन्धित अधिकारियों को इसमें नहीं कह सकती है। इसमें हस्तक्षेप कुछ सीमा तक ही किया जा सकता है। माननीय सदस्य का जैसा कहना है उसके अनुसार राज्य सरकार संबंधित जिलाधीश और तहसीलदार को यह कह देगी कि मामलों को जल्दी निपटाया जाय और कब्जा संबंधित सहकारी समिति को दिलाया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप तहकीकात कर सकते हैं। आपको रिवीजन के पॉवर हैं गवर्नमेंट को। आप तहसीलदार का ट्रान्सफर कर दें, वर्ना फिर उनको जमीन पर दखल नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में सजेस्ट कर दें।

नेक्स्ट, श्री रामप्रसाद बोहरा।

Page No 8

कैदियों की हड़ताल

393. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की सब-जेल में कैदियों ने फरवरी 71 में हड़ताल की थी ? यदि हां, तो क्या जेल इन्चार्ज ने व्यवस्था करके उनकी तकलीफों को दूर किया ?

(2) क्या यह सही है कि जेलर के खिलाफ कम्बलों की खयानत की शिकायत आई० जी० पी० जेल को की गई, और जेलर को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है, और कोटा रहने का आदेश दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश झालावाड़ ने आई० जी० पी० जेल के आदेश की अवहेलना कर जेलर को झालावाड़ ही रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कम्बलों की खयानत की कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों।

(5) क्या यह भी सही है कि जेल का चार्ज मजिस्ट्रेट से लेकर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट झालावाड़ को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जिला झालावाड़ की सब-जेल में कैदियों ने फरवरी, 71 में कोई हड़ताल नहीं की थी इसलिए इस विषय में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री परसराम मंगाराम : सफेद झूठ है।

श्री खेतसिंह : (2) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : (2) का आपने जी नहीं कहा ?

श्री खेतसिंह : "जी हां" आई एम सारी।

श्री विजयसिंह : एल०एल०बी० हैं।

श्री खेतसिंह : एम० ए०।

(3) जी नहीं। महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार सहायक जेलर को कोटा जेल पर भेज दिया गया था।

(4) दिनांक 30-1-71 को सहायक जेलर द्वारा जेल का चार्ज सम्भालते वक्त पूरे जेल स्टोर के सामान में सिर्फ एक कम्बल कम पाया गया जो बाद में तलाश करने पर जेल के ही अन्दर जेल डिस्पेन्सरी में मिल गया।

(5) हां, क्योंकि राज्य के स्थायी आदेशानुसार सब-जेल के इन्चार्ज सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ही होते हैं। प्रथम श्रेणी दण्डनायक नहीं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : यह हड़ताल कब हुई थी ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया कि कोई हड़ताल होना नहीं पाया जाता है फरवरी में।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह हड़ताल कब हुई थी…

Page No 9

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ! अलग से प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : जेल में हड़ताल हुई और जेल के आई० जी० पी० के पास शिकायत की गई तो वहां पर मुआयना किया गया और रिपोर्ट आई० जी० पी० के पास भेज दी। उसके बारे में स्पष्टीकरण दें कि रिपोर्ट में क्या लिखा था ?

श्री खेतसिंह : प्रश्न के खण्ड (1) में पूछा है माननीय सदस्य ने, "क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की सब-जेल में कैदियों ने फरवरी, 71 में हड़ताल की थी।" वह यह पूछते कि सन् 71 के पूरे वर्ष में कभी हड़ताल की थी या हुई थी तो मैं जवाब देता।

श्री विजयसिंह (मकराना) : फरवरी में नहीं हुई और महीने में हुई इसका मन्त्री महोदय ध्यान रखते। यह जरूरी नहीं है माननीय सदस्य के लिए। हो सकता है कि फरवरी में नहीं हुई हो और किसी महीने में हुई हो।

श्री रामप्रसाद बोहरा : प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में आपने "जी हां" कहा बतलाया तो इस जेलर को सस्पेण्ड करने का आर्डर दे दिया गया तो जिलाधीश महोदय ने इसको सस्पेण्ड करने से रोका और कोटा जाने से क्यों रोका ?

श्री खेतसिंह : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार जो आई० जी० प्रिजन्स ने आदेश दिये हैं उसकी पालना हुई है। जहां तक जेलर के खिलाफ कम्बलों का मामला था तो बाद में जांच करने पर कम्बल मिल गया था, लिहाजा इस केस को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। वह मिसप्लेस्ड आर्टिकल था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हड़ताल 71 में किस माह में हुई। झालावाड़ जेल के अन्दर यह हड़ताल जनवरी में हुई या मार्च में ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह इससे सम्बन्धित है। फरवरी में नहीं की गई हो तो जनवरी के अन्त में हुई होगी।

श्री अध्यक्ष : महीना फिक्स कर दिया गया इसलिए अलग से प्रश्न हो गया।

नेक्स्ट।

ऑयल रिफाइनरी

394. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ऑयल रिफाइनरी बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में भी कुछ स्थानों का सर्वे कराया ? यदि हां, तो किन किन स्थानों का ?

(2) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह ऑयल रिफाइनरी राजस्थान में ही बनाने की मांग की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार अपने इस प्रयास में कहां तक सफल हो सकी है ?

उपमन्त्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (1) इसकी कोई जानकारी नहीं है।

Page No 10

(श्री भीमसेन)

(2) जी हां। मामला अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सवाई माधोपुर कस्बे में एक आम मिटिंग में यह ऐलान किया है कि हम इसमें पहल कर रहे हैं और सर्वे हमने करवाया है और इस ढंग से सवाई माधोपुर में रिफाइनरी लगेगी और आपको इसकी जानकारी नहीं है और यह भी पता नहीं है कि राजस्थान स्टेट में कुछ स्थानों का सर्वे कराया गया है या नहीं।

श्री भीमसेन : सर्वे नहीं कराया गया है केन्द्रीय सरकार के रसायन मंत्रालय का एक अध्ययन दल इसके बारे में नियुक्त किया गया था उसकी सिफारिश में सवाई माधोपुर का नाम भी है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इसने कौन कौन से स्थानों का अध्ययन करके कौन से स्थान की सिफारिश की है ?

श्री भीमसेन : आंकड़ों के हिसाब से सवाई माधोपुर भी है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या यह बात सही है कि इस बात की खबर छपी है विभिन्न अखबारों में कि यह आॅयल रिफाइनरी हरियाणा के फरीदाबाद में लगाने का निर्णय ले लिया है और वहां के मुख्य मंत्री ने उसके लिए वहां पर जमीन भी एक्वायर करली है, क्या यह आपके ध्यान में है ?

उद्योग मंत्री : (श्री हरिदेव जोशी) : जहां तक राजस्थान सरकार का सम्बन्ध है इस प्रकार का फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट आॅफ इंडिया ने नहीं लिया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अखबारों में छपा है।

श्री हरिदेव जोशी : अखबारों की खबरों पर मैं यहां असेम्बली में जवाब नहीं दे सकता। जो आॅथेन्टिक न्यूज गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है उसके ऊपर चलता हूं।

बारां–सांगोद सड़क

395. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां-सांगोद मार्ग का कुछ हिस्सा विभाग द्वारा पक्का बनाया गया था ? यदि हां, तो किस वर्ष में और उस पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर आज तक कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ और बनी हुई सड़क का हिस्सा भी खराब हो गया है ? यदि हां, तो इस पूरी सड़क को कब तक डामर रोड बना दिया जायेगा और इस पर कितना रुपया खर्च होगा और टूटी हुई सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

उपमंत्री (श्री खेतसिंह) : माननीय अध्यक्ष, इसका रिप्लाई नहीं आ सका है इसलिए मैं इसका पोस्टपोनमेंट चाहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसका प्रश्न भी ले लूंगा साथ में।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन सार्वजनिक निर्माण विभाग का है मंत्री महोदय कैसे पोस्टपोनमेंट मांग सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ये आफिशियेट कर रहे हैं उनको।

श्री विजयसिंह : अच्छा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अग्रवाल

सर पर मैला उठाने की प्रथा

396. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की कितनी नगर पालिकायें ऐसी हैं जिनमें सिर पर मैला उठाने की प्रथा समाप्त कर दी गई है ?

(2) सिर पर मैला उठाने की प्रथा समाप्त किये जाने की दिशा में सरकार ने क्या योजना बनाई है और यह प्रथा कब तक बिलकुल समाप्त करदी जावेगी ?

(3) गान्धी जन्म शताब्दी वर्ष में कहां कहां इस प्रथा को समाप्त किया गया है ?

राज्य कल्याण मंत्री (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) :

(1) सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के प्रयत्न राज्य में वर्ष 69-70 से किये जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत नगरपालिकाओं को सहायता दी जा रही है अभी पूर्णरूप से तो यह प्रथा किसी नगर पालिका में समाप्त हो गई है, यह कहा नहीं जा सकता पर इस ओर प्रयत्न जारी है।

(2) सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए नगरपालिकाओं को यान्त्रिक अभिकरणों के लिये, सार्वजनिक टट्टियों को फ्लश में परिवर्तित करने के लिए तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को निजी टट्टियों को फ्लश में परिवर्तित करने के लिए अनुदान देने हेतु राशि देने की योजना है। आशा है कि समुचित धनराशि उपलब्ध होने की दशा में कुछ वर्षों में इस प्रथा को समाप्त कर देना सम्भव हो सकेगा।

(3) गान्धी शताब्दी वर्ष में इस कार्य हेतु संलग्न सूची में दर्शायी नगरपालिकाओं को सहायता दी गई। अभी नगरपालिकाओं से रिपोर्ट आना अपेक्षित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस योजना को समाप्त करने की दशा में कितनी धनराशि सरकार उपलब्ध करना चाहती है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऐसा है, गान्धी शताब्दी वर्ष में 1 करोड रुपये का प्रावधान किया गया। 20 लाख रु० डिस्ट्रीब्यूट कर किया गया था। नल बिजली की सुविधा के लिए 50 लाख का प्राविजन था। 30 लाख रुपया नगरपालिकाओं में बांटा गया था। यह किया गया था

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

कि जब तक यह प्रथा समाप्त न हो जाती है तब तक के लिए उनको व्हीलबैरोज वगैरह प्रोवाइड किये गये थे। इसके अलावा जो नान टैक्स पेइंग लोग थे, उनको फ्लश लगाने के लिए 300-250 रुपये का अनुदान रखा गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह था कि इस प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है? आपने कहा है समुचित धनराशि उपलब्ध होने की दशा में कुछ वर्षों में इस प्रथा को समाप्त कर देना सम्भव हो सकेगा। इसकी कोई योजना बनाई है सरकार ने ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऐसा है, वस्तुतः यह अरबन एरिया से समस्या सम्बन्धित है। रूरल एरिया में यह समस्या है नहीं। इसके लिए 3 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार ने 3 करोड़ रुपये की योजना कब बनाई है? क्या यह भारत सरकार ने भेजी है या राजस्थान सरकार ने निर्णय कर लिया है?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: लास्ट ईयर 70-71 में 30 लाख का और प्रावधान रखा गया है। 27 नगरपालिकाओं को धनराशि आवंटित की गई है। टेम्पू वगैरह में कई जगह डिफीकल्टी आ रही है। बाकी धनराशि जैसे जैसे फिजीबुल होगा वैसे वैसे होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है, पहले तो यह बताइये, क्या राज्य सरकार ने सिर पर मैला ढोने को बिल्कुल समाप्त करने के लिए कोई योजना बनाई है ? बनाई है तो कितने रुपयों की बनाई है ? क्या भारत सरकार ने भेजी है ? पहले तो योजना बताइये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने निवेदन किया न कि गांधी शताब्दी वर्ष में जो डिक्लेयर किया गया था उसके अन्तर्गत वह प्रावधान रखा गया था और आवश्यक होगा तो भारत सरकार से सहायता लेने की कोशिश की जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या राजस्थान सरकार यह चैक करके कि राजस्थान में कुल कितने परिवार हैं जो सिर पर मैला ढोते हैं और उस प्रथा को समूल समाप्त करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। इसके लिए कोई फेजड प्रोग्राम बनाया है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : परिवारों का पता नहीं है कि कितने परिवार लगे हुये हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सिर पर मैला ढोने की प्रथा बन्द किस प्रकार करेंगे। जब इनको यही पता नहीं है कि कितने परिवार यह धन्धा करते हैं, कितने पैसों की आवश्यकता होगी ? योजना की क्रियान्विति करने में किन किन चीजों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें राजस्थान में यह निश्चितरूप से मैला ढोना समाप्त करना था।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वह एक रोंग बेसिस पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसमें यह नहीं था कि फलां राज्य में इतने रुपये होंगे। मैंने तो यह कहा है कि सिर पर मैला ढोने के लिए नगरपालिकाओं को...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार से अनुदान मांगा है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वह स्टेज अभी नहीं आई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, 20 वर्ष की आजादी के पश्चात क्या सरकार ने कभी इस बात को सोचा भी है कि एक भी नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर इस कुप्रथा को समूल समाप्त कर दिया जाये ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह प्रथा आमतौर पर अरबन एरिया से सम्बन्धित है। इसके लिए कार्यक्रम बनाकर धनराशि दी गई है। वह काम वहां चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके बारे में आप को।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं बता रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, प्रश्न यह है कि आपने कोई एक भी ऐसा नगर लिया है जहां आपने इस प्रथा को समाप्त कर दिया हो ? नहीं तो नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इस प्रकार व्यवस्था नहीं की है। मैंने सारा ही लिया है। प्रथम वर्ष डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर लिये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार हमेशा एक आदर्श को लेती है। आदर्श नगर बनाती है। आदर्श को लेकर आगे बढ़ती है। मैं तो यह चाहता हूं कि 20 वर्ष की आजादी के पश्चात इस आदर्श को क्रियान्विति देने के लिए, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए क्या सरकार ने एक दो भी म्युनिसिपल एरियाज में, नगरपालिका क्षेत्र को उदाहरण बनाने की चेष्टा की है ? यदि नहीं की है तो क्यों नहीं की है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जिनको लिया गया है, उनमें कार्य प्रारम्भ हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मलकानी कमेटी की रिपोर्ट पर 10 लाख रु० के व्हीलबैरोज खरीदे गये थे जो आज भी बेकार पड़े हैं ? 66-67 में लिये हैं। इस सम्बन्ध में आपने क्या कोई प्रयास नहीं किया है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : व्हीलबैरोज जो खरीदे गये उनसे कोई काम नहीं हुआ है। सड़कें ऊंची नीची होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप बांदीकुई की बात मत करिये। जयपुर में भी 250 व्हीलबैरोज खरीदे गये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं वहां की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन में, व्हीलबैरोज नहीं खरीदे जायें इसका विरोध किया

(श्री भैरोंसिंह)

गया है। लेकिन एक पर्टीक्युलर कम्पनी से आपको खरीदना था। जो 10 लाख रु० के व्हीलबैरोज खरीदे गये वह बेकार पड़े हुये हैं। ये 10 लाख आपने एक्सपेरीमेंट में लगा दिया। अब कौन कौन सी आवश्यकता हो सकती हैं, उनको आपने शार्टआउट किया है? इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट तैयार की है?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मगर व्हील-बैरोज सफल नहीं हुये हैं इसलिए अब व्हीलबैरोज रखने का प्रावधान नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए। स्पष्टीकरण आने दीजिए।

श्री बी० एन० जोशी : इसलिए इस बार कोई व्हीलबरोज नहीं खरीदे गए न व्हीलबरोज के लिए प्रावधान रखा गया। नगरपालिकाओं को यान्त्रिक अभिकरण खरीदने के लिए विचार किया गया। उनको हैंडल करने के लिए हैंड ग्लोव्ज बकेट्स विथ लिड्स, उनके अलावा....

श्री भैरोंसिंह : वह तो पहले भी लिया गया था व्हीलबरोज के साथ।

श्री बी० एन० जोशी : ट्रांसपोर्ट के लिए टेम्पोज फिटेड विथ ड्रम्स के लिए प्रावधान रखा गया है, उनसे कहा गया है कि टेम्पोज खरीदलें। इस बारे में हमने स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है, परमीशन नहीं देते हैं, सिर्फ टेम्पोज फिटेड विथ ड्रम्स ...

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय ने दो तीन बार फरमाया तो पानी की कमी नहीं है जहां नदियां बहती हैं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो कुछ रुपया खर्च किया जा रहा है सारा बरबाद हो रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ है। एक्सपेरीमेंट कराकर देखा है, वह तैयार नहीं है इस काम के लिए। इसका इलाज है कि फ्लश के लेट्रिन्स बनाए जाएं। 50 हजार रुपए वेस्ट कर दिए होंगे। अलवर के लिए जो रुपया दिया गया है, वेस्ट हुआ है, किसी काम में नहीं आया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं एक, क्या आपके मन में कभी यह पैदा हुआ है कि एक आदमी गंदगी करे दूसरा सर पर उठाकर ले जाए, यह मानव जाति पर कलंक है, क्या आपके मन में महसूस हुआ?

दूसरा, अगर यह पैदा हुआ है तो क्या आप महसूस करते हैं कि जब आप समाज-वाद लाने के लिए तत्पर हैं तो एक आदमी सिर पर मैला उठाए, आप लोग बिल्कुल निर्लज्ज होकर एक लाख की मोटर में बैठें?

तीसरी बात, क्या आप महसूस करते हैं कि जब तक मन्त्रिमण्डल के सब सदस्य खुद मैला नहीं उठायेंगे तब तक आपके मन में तड़प इस मामले में नहीं हो सकती? आपने कभी यह सोचा है कि क्योंकि आप समाज कल्याण मन्त्री हैं, इससे बढ़कर शर्म की बात नहीं हो सकती है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब राज्य सरकार यह मान कर चलती है कि इस समस्या का समाधान केवल यह है कि फ्लस के लेट्रिन्स प्रोवाइड किए जाएं और आप

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जानते हैं कि यह समस्या केवल शहरों में विशेषकर है तो शहरों के मकानों में इन्वेस्टमेंट 10-12 हजार के बीच में है इसलिए मकान बनाने वाला 300) का प्रावधान इस फ्लस लेट्रिन के लिए कर सकता है। क्या राज्य सरकार ने कभी भी इस स्तर पर विचार किया है कि जो फ्लश लेट्रिन्स का इस्तेमाल न करके साधारण लेट्रिन्स का इस्तेमाल करे और जो सर पर मैला उठाये वह दोनों अपराध के भागी होंगे, ऐसे कानून बनाने का विचार किया है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो पैसा आप हर साल सिर पर मैला उठाने की प्रथा को दूर करने में खर्च कर रहे हैं बिना योजना के, बिना कार्यक्रम के आधार पर, यह कौनसे कौनसे कार्यक्रम के आधार पर किस तरह से खर्च कर रहे हैं।

दूसरी बात जो आपने कार्यक्रम चालू कर रखा है उस आधार पर सिर पर मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने की स्थिति में हैं ? इस कार्यक्रम के आधार पर जो आपने चालू कर रखा है, उस आधार पर कितने साल में तमाम राजस्थान में सिर पर मैला उठाने की प्रथा को खतम करेंगे ?

श्री रावतराम : यह प्रश्न मानवता का प्रश्न है चाहे औजार भी दें लेकिन क्या सरकार ने विचार किया है कि मैला उठाने को प्रथा को तुरन्त बन्द करने के लिए कोई कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री आलिम अली : मैं मन्त्रिमण्डल से पूछना चाहूंगा कि गरीबों के साथ राज्य सरकार कब तक अन्याय करती रहेगी ?

श्री मदनसिंह : बजट पर इतना भाषण हुआ, सदस्यों के कई प्रश्न आ गए। लेकिन किसी सदस्य ने भी यह प्रश्न नहीं उठाया, यह मानवता का तकाजा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, सभी प्रश्नों का स्पष्टीकरण एक साथ।

श्री बी० एन० जोशी : जैसा कि मेहताजी ने कहा, इस बारे में मैं निवेदन करूं कि इस बारे में दो राय की गुन्जाइश नहीं है कि यह प्रथा एक कलंक है, जितना जल्दी इसको समाप्त किया जाय उतना ही समाज के हित में व राष्ट्र के हित में है। दूसरी बात आपने कहा कि मैं एक लाख की मोटर में बैठता हूं। आप बिल्कुल तसल्ली करें मैं आज तक एक लाख की मोटर में नहीं बैठा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : किसी का घेराव किया आपने कि मत बैठो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : 20 लाख की मोटर में आप 5 बार नहीं बैठे ?

श्री अध्यक्ष : (मन्त्री महोदय से) मोटर की बात आप छोड़ें।

श्री बी० एन० जोशी : एक लाख की मोटर खरीदी भी नहीं जा रही है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न था। मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार ला में पेनल्टी प्रोवाइड करने के लिए कि जो फ्लश लैट्रिन्स नहीं बनवाएगा उसको सजा दे दी जाए, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता

(श्री बी० एन० जोशी)

लेकिन यह जरूर है कि हमने स्वायत्त शासन मंत्रालय से कहा है कि नगरपालिकायें अपने बाइलाज द्वारा मकान बनाने वालों को पाबन्द करें या एडवाइज करें कि किसी भी नए मकान के लिए भविष्य में निर्माण की इजाजत न दी जाए जब तक वे फ्लश की लैट्रिन न बनायें....

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उस कार्यक्रम के आधार पर कब तक यह खत्म करेंगे ?

श्री बी० एन० जोशी : मैं कोई तारीख कायम नहीं कर सकता, लेकिन अवेलेबिलिटी आफ फंड्स, जन सहयोग और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग की उपेक्षा करता हूं...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं प्रश्न नहीं करता केवल....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि 1969-70 में गांधी शताब्दी वर्ष में इस कार्य के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें से आपने केवल इस मद पर जो आपने खर्च किया है कुल मिलाकर 45 लाख मैक्सीमम किया है जैसे आपने सूचना दी है ? यदि हां तो आपने 55 लाख इस मद में से दूसरे मद में क्यों डाइवर्ट किया है ? दूसरी बात, क्या यह सही है कि जयपुर शहर ड्रेनेज स्कीम के लिए प्रथा तब खतम होगी जब फ्लश लैट्रिन्स बनेंगे, वह तभी नहीं हो सकते जब तक गटर लाइन्स नहीं डालेंगे। क्या ड्रेनेज के लिए केन्द्रीय सरकार ने 2 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार को केवल जयपुर शहर के लिए देना स्वीकार किया था ? वह 2 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने नहीं उठाए, वह पैसा लेप्स हो गया, क्योंकि 25 प्रतिशत राज्य सरकार को कन्ट्रीब्यूशन देना था, जिसके लिए राज्य सरकार तैयार नहीं हुई ? तीसरी बात जयपुर में ड्रेनेज और गटर लाइन डालने के लिए एक शिष्ट मंडल दिल्ली गया था, श्री के० के० शाह से मिला था, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मानती नहीं, जयपुर शहर और ड्रेनेज के लिए मैं 5 करोड़ रु० देने को तैयार हूं। क्या राज्य सरकार ने कोई योजना बनाकर भेजी है ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस प्रश्न का जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको न ही समझ रही है, इसलिए समस्या का समाधान मुश्किल हो रहा है वह है, जो लोग मैला उठाने का काम करते उनके रोजगार की दूसरी व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने कभी नहीं सोचा। इसलिए मैला उठाने की प्रथा को छोड़ने में वे लोग असमर्थ हैं ? वे गरीब लोग हैं, कोई दूसरा धन्धा नहीं, राज्य सरकार उनको दूसरा धन्धा देने के लिए कोई योजना नहीं बना सकी है इसलिए यह समस्या मुश्किल हो रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि इस मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने आज तक नगरपालिकाओं से यह जानकारी नहीं

Page No 17

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

प्राप्त की कि अमुक अमुक नगरपालिका क्षेत्र में कितने लैट्रिन्स हैं जिनकों फ्लश लैट्रिन्स में कन्वर्ट करना है सार्वजनिक और व्यक्तिगत-और उन पर कितना रुपया व्यय होगा ? क्या इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि एक करोड़ रुपया जो केवल इसके लिये था, उसे डाईवर्ट करा दिया, यह सही नहीं है। यह हरिजन कल्याण के लिए रखा गया था।

श्री मनोहरसिंह मेहता : फिर इससे बढ़कर और हरिजन कल्याण का कार्य क्या हो सकता था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें फिर आपने क्या कल्याण किया ? क्या शराब बन्दी की ?

श्री मदनसिंह : आप बताइये न। क्या कल्याण कार्य आपने किया ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: हैव पेशन्स टू लिसन।

मेहतरों के मकानों के लिये रखा है 30 लाख। वर्षा आ गई, मकान है नहीं बच्चे औरतें ठिठुरते हैं, बीमार होते हैं तो इस कण्डीशन से उनको निकालने के लिए उनके मकानों के लिए यह रखा गया। 50 लाख रखा नगरपालिकाओं में उनके मकानों आदि के लिये। बाकी रखा गया उनके लिए मोहल्लों में नल, बिजली की व्यवस्था के लिये। यह भी एक बहुत जरूरी काम था जो करने का था। इसके लिए 20 लाख रखा गया। तो इस तरह से एक करोड़ होता है।

जहां तक जयपुर के ड्रेनेज का सवाल है इसके लिए दो करोड़ मन्जूर हुआ और-टाइम पर उसे नहीं लिया इसलिए वह लेप्स हो गया ऐसा कहा गया। पर यह सवाल परटेन करता है लोकल सैल्फ गवर्नमेन्ट विभाग से। मेरे विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है।

जयपुर शहर की गन्दगी को दूर करने के लिये सरकार उत्सुक है। सरकार कोशिश करेगी। पर इसका भी सम्बन्ध सीधा मेरे विभाग से नहीं है।

सारण साहब ने फरमाया रिहैबिलिटेशन का। ठीक है आपका कहना। लाडनूं कस्बे से भी इस तरह की मांग मेरे पास आई थी। हम भी इस काम को चलाना चाहते हैं। पर दूसरा कौनसा ऐसा काम हैं जिसमें इन सब को खपाया जा सके ? लाडनूं के लिये हमने एक क्राफ्ट सेन्टर शुरु किया। कारपेन्टरी का वह काम था। इसमें 25 बच्चों को अनुदान भी दे रहे हैं। छः महीने की ट्रेनिंग भी मिलेगी। एक हजार रुपया औजार वगैरह के लिये मिलेगा।

अब इस सारे काम को राज्य स्तर पर चलाने के लिये हमें एक बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ेगी जिसमें करोड़ों रुपया का खर्चा होगा। जब सरकार इतना धन देने की स्थिति में होगी, तो तेजी के साथ इस काम को भी हाथ में लिया जायेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार यह भी करे कि जितने भी राज्य भर में शौचालय हैं सरकार के अथवा प्राइवेट लोगों के वे सब फ्लश शौचालय में कनवर्ट कर दिये जावें। क्या इस बारे में सरकार ने सोचा है ?

Page No 18

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कोई कहीं मतभेद नहीं है कि पिछड़े वर्ग को खड़ा किया जाय तो उनके कल्याणकारी कार्यों को गति देने के लिये सदन की एक कमेटी बना दी जाय जो यह तै करे और देखे कि मैला ढोने की प्रथा को राज्य में से कितने अरसे में समाप्त किया जा सकता है। इसका एक फेज्ड प्रोग्राम बना लिया जाय और उसकी एक अवधि नियत कर दी जाय कि चार साल में पांच साल में उसे समाप्त कर दिया जावेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस पर अवश्य ध्यान दीजिये। यह सरकार तो यह करने वाली नहीं है इसने 23 साल में भी कुछ नहीं किया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं भी इससे सहमत हूं। इस कुप्रथा को अवश्य ही बन्द किया जाना चाहिये यह हमारे लिये कलंक की बात है सिर पर मैला ढोने की प्रथा।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक। मन्त्री महोदय। इस सुझाव पर आपको क्या कहना है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इस पर गम्भीरता से विचार कर जल्दी निर्णय लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा न करना जैसा आपने पहले लास्ट ईयर डिबेट में कहा था कि हरिजनों के वेलफेयर के लिये हाऊस की एक कमेटी बनाई जावेगी। पर उसे आज दिन तक आपने नहीं बनाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जावेगी, इससे आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं जल्दी से जल्दी कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री इसी सत्र काल में इसको देख लेंगे।

श्री सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।

चौथ का बरवाड़ा पन्वाला सड़क

397. **श्री चुन्नीलाल** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सवाईमाधोपुर के ग्राम चौथ का बरवाड़ा से पन्वाला तक की सड़क की मन्जूरी हुई थी ?

(2) यदि हां, तो उसे अब तक नहीं बनाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग वर्षा के दिनों में एकदम बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो सरकार सड़क को बनाने का कब तक विचार रखती है ?

उप मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, फेमीन में इस रूट पर मजदूर नहीं मिल सके तो मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह छः मील का टुकड़ा है इसे जल्दी से जल्दी चालू करवाया जावे।

(श्री चुन्नीलाल)

बरवाड़ा ऐसा कस्बा है जो एक अच्छी गल्ले की मण्डी है। आसपास के बहुत से किसान लोग अपना अनाज बेचने इस मण्डी में आते हैं।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य के सुझाव से मेरी सहानुभूति है। पर इस प्रकार की सैकड़ों मील सड़क राजस्थान में है। इन सबको एक साथ पूर्ण करना सम्भव नहीं है। इसलिये इसे सूची में नहीं रखा है। लिहाजा फिलहाल कुछ भी कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): सवाई माधोपुर जिले में फेमीन के समय से अधूरी पड़ी सड़कों को पूरा कराने का निर्णय सरकार ने लिया है, क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : जी नहीं।

प्रश्न सं० 398

श्री बालसिंह सोढ़ा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

अजमेरी दरवाजे के बाहर यादगार की इमारत

399. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में अजमेरी दरवाजे बाहर यादगार की इमारत कब और किस प्रयोजन के लिए बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सच है कि इस बिल्डिंग की देखरेख के लिये जयपुर रियासत के जमाने से एक ट्रस्ट बना हुआ था ?

(3) वर्तमान में यह इमारत किस काम में आ रही है ?

उप मन्त्री (श्री खेतसिंह) : यह एडवर्ड मेमोरियल बिल्डिंग के सिलसिले में है। यह ट्रस्ट के मातहत है। सार्वजनिक विभाग से यह सम्बन्ध रखता नहीं है इसलिये इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह बिल्डिंग फिर किसके तहत है ?

श्री खेत सिंह : एक ट्रस्ट के तहत है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ट्रस्ट तो कभी किसी जमाने में था। आज तो सवाल ही नहीं है उसका। यह किसी जमाने में यात्रियों के ठहरने के लिये बनी थी, पर अब तो सरकार के नियन्त्रण में आ गया है।

श्री खेतसिंह : यह मालूम किया जा रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : फिर आपने यह कैसे कह दिया कि ट्रस्ट के मातहत है ?

बस्ती लक्ष्मीनारायणपुरी के निवासी

400. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गलता दरवाजा बाहर लक्ष्मी-नारायण पुरी नाम की कोई बस्ती बसी हुई है ? यदि हां, तो इसमें कितने परिवार निवास करते हैं ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(2) इस बस्ती में राज्य सरकार ने कितने भूखण्ड आवन्टित किए हैं और जन सुविधा हेतु नल बिजली तथा सड़क की क्या व्यवस्था की गई है ?

उप मंत्री (श्री खेतसिंह) :(1) जी हां, नगर विकास न्यास द्वारा उक्त योजना मे किए गए सर्वे के अनुसार 563 परिवार निवास करते हैं।

(2) न्यास द्वारा लक्ष्मीनारायण पुरी योजना में सन् 1966 से 1969 तक 336 भू-खण्डों का आवंटन किया गया है। इस योजना में आंशिक रूप से जल एवं विद्युत व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री खेतसिंह : अब तक कितनी व्यवस्था की है आपने ?

श्री खेत सिंह : 195 हजार का प्रावधान किया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : प्रावधानों से काम नहीं चलता। खर्च कितना किया है आपने, कितनी सड़क बनाई कितना पानी दिया कितनी बिजली दी यह बतावें आप ?

श्री खेतसिंह : बतला रहा हूं। सड़क के लिये 15 हजार गत वर्ष खर्च कर दिया। 140 हजार वर्ग फीट सड़कों का निर्माण हो चुका है। कुछ पर डामर भी डाला जा चुका है। शेष के निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था के लिये इस साल प्रावधान रखा जा रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, इस पर थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से भी सरकार सोचे। इस बस्ती के लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता। 140 हजार के प्रावधान में से 15 हजार खर्चा करने के बाद कहते हैं बहुत कुछ कर दिया।

स्थगित प्रश्न

(18-3-71 व 25-3-71)

खण्डेला कोटड़ी सड़क

29. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खण्डेला से कोटड़ी (जिला सीकर) सड़क बनी उसकी लम्बाई ज्यादा बता कर ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया गया था ? यदि हां, तो वास्तव में कितनी लम्बी सड़क बनी थी व कितनी का पेमेन्ट हुआ व इसकी रिपोर्ट किस अधिकारी ने की ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा जांच करने पर ठेकेदार से रकम काट ली गई है ? यदि हां, तो इसकी जानकारी कैसे हुई व कितनी रकम काटी गई ?

(3) इसमें मौके के किस किस अधिकारी को दोषी पाया गया व किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही आज तक की गई ?

उपमन्त्री (श्री खेतसिंह): (1),(2) एवं (3) इस सड़क के बनने की जांच विभागीय आयुक्त के द्वारा की जा रही है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : यह जांच कब तक पूरी हो जायगी, यह कब से चल रही है ?

श्री खेतसिंह : 29-12-69 को यह सड़क कम्पलीट हुई। 23-6-60 को

(श्री खेतसिंह)

जांच हुई शुरू और उसके बाद इस पर कार्यवाही चल रही है। यह डिपार्टमेंटल कमिश्नर फोर इन्क्वायरीज के पास जांच है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि जल्दी निर्णय करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हरलाल सिंह खर्रा !

श्री हरलालसिंह खर्रा : यह जांच किस आधार पर शुरू की गई ? क्या डिपार्टमेंट ने जांच में पाया कि ज्यादा पेमेन्ट हो गया है ?

श्री खेतसिंह : यह सब जांच का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! सार्वजनिक निर्माण !

स्थगित प्रश्न

(25-3-71)

खण्डेला उदयपुर रोड़ पर व्यय

100. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** : (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खण्डेला-उदयपुर रोड़ पर जो घाट है वह कब बना व उसमें कितना खर्चा आया व उसकी लम्बाई कितनी है ?

(2) क्या सही है कि इस घाट पर हार्ड राक कटिंग रोड़ियों की जगह मिक्स बोरडर रोड़ियां काम में ली गई ? यदि हां, तो इनकी रेट में क्या फर्क है ? यदि नहीं तो हार्ड रोक कटिंग रोडियां कहां से मंगाई गई व तोड़ी कैसे गई ?

(3) क्या यह सही है कि वास्तव में घाट की लम्बाई ज्यादा बता कर पेमेन्ट उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्या जांच की गई है ?

(4) क्या इस सड़क पर बेलास्ट नियमानुसार हुआ है ? यदि हां, तो कितना है ? नाप बताने का कष्ट करें।

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेतसिंह) : (1) खण्डेला-उदयपुर रोड उदयपुर रींगस रोड़ का भाग है, उस पर घाट वर्ष 1962-63 में बनाया गया था, जिसकी लम्बाई 1/2 की. मी. है। घाट का खर्चा अलग से नहीं रखा गया है।

(2, 3 व 4) इस घाट के बनने की जाँच भी विभागीय आयुक्त के द्वारा की जा रही है।

प्रश्न संख्या 164

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री बालसिंह सोढा !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल !

स्थगित प्रश्न

(14-4-71)

राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर की सीमा में आवंटित भूमि

250. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर शहर की 12 मील की परिधि में किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी

Page No 22

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भूमि कब कब और कहां कहां अलॉट राज्य सरकार द्वारा सीधे ही की गई है ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसमें इन व्यक्तियों का पूरा पता प्रार्थना-पत्र देने के समय का दर्ज हो ? इनमें राज्य कर्मचारी कौन कौन हैं और किस पद पर उस समय थे ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): जयपुर शहर की 12 मील की परिधि में जिन व्यक्तियों को राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि आवंटन हुई है उनकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर की 12 मील की परिधि में जो भूमि आवंटित की गई है, वह किन नियमों के अन्तर्गत की गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्थान लैंड रेवेन्यू, एलॉटमेंट आफ लैंड फोर एग्रीकल्चर पर्पजेज रूल्स 1957 एण्ड 1970 ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन नियमों के तहत जो प्रायोरिटी दी गई है, क्या उस प्रायोरिटी के आधार पर इन व्यक्तियों को भूमि दी गई है ? क्या यह व्यक्ति भूमिहीन हैं जो इस सूची में प्रदर्शित किये गये हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : नियमों के अनुसार आवंटन किया गया है । राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रायोरिटी के आधार पर करे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो रूल्स बने हुए हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि लैंड लैस पर्सन्स को भूमि एलॉट की जायगी । आपने कहा कि राज्य सरकार ने रूल्स के प्रावधान के अनुसार एलॉटमेंट किया है, तो जो सूची में नाम अंकित किये हैं, क्या यह सही है कि यह सारे व्यक्ति भूमिहीन हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : आप सूची देखेंगे, इनमें से बहुत से फौजी हैं, और दूसरे····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फौजियों को छोड़ दीजिए ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या जिनको भूमि का एलॉटमेंट किया है उनको खातेदारी अधिकार दे दिया गया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि पन्द्रह सौ बीघा भूमि एलॉट करने की सीमा नियमों में हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार के लिए कोई सीमा नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि नियमों में प्रावधान है कि पन्द्रह सौ बीघा भूमि एलाट की जाय ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सीमा राज्य सरकार के लिए निर्धारित नहीं है ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं नियमों की बात पूछ रहा हूं·······

श्री गंगाराम चौधरी : नियमों में जो सीमा है, यह राज्य सरकार के लिए नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार ने विश्वनाथ वामन काला को जो यह 82 हजार बीघा भूमि एलाट की है, इसका क्या आधार है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह आवंटन नियमों के बनने से पूर्व की गई है। सन् 1957 में रूल्स बने उसके पहले का आवंटन हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आवंटन 1960 का है।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : यह जागीर के उसमें खुद काश्त की वजह से एलाट हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : इनकी जागीर कुछ थी, उसके सिलसिले में खुद काश्त की जमीन जागीर कमिश्नर ने एलाट की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जागीर कमिश्नर ने की है, या गवर्नमेंट ने एलाट की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट की सैंक्शन हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सैंक्शन हुई होगी....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मुआवजे में एलॉट करना और बात है, इंडिपेंडेंटली एलॉट करना और बात है। वह कानून के अन्तर्गत होता है। वह नियमों के अन्तर्गत होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : वही बात है, जागीर के मुआवजे में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सूची में जिनके नाम लिखे हैं, दो और तीन में जो नाम लिखे हैं इन व्यक्तियों को एलाट करने के क्या आधार हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : तहसील सांगानेर में या तहसील....

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मुझे क्या पता है। दो और तीन में जो है।

श्री अध्यक्ष : पी. के. चौधरी, और श्री.......

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ललिताप्रसाद, ललिताप्रसाद पुत्र शम्भू प्रसाद इन बाप बेटे को पन्द्रह-पन्द्रह सौ बीघा भूमि एलॉट की है, यह क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं या फौजी हैं ? इनको किस आधार पर एलॉटमेंट किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : हर एक केस की अलग अलग जानकारी इस वक्त नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर लिस्ट क्यों मांगी है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हर केस की फाईल इस वक्त मौजूद नहीं है।

श्री भैरों सिंह : क्या यह सही है कि राजेन्द्र प्रसाद, ललिता प्रसाद, और कन्हैया लाल जैन– तीनों भाई हैं, यह कन्हैया लाल जैन वही हैं जो साहू जैन के लाइजन ऑफिसर हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि यह कन्हैयालाल जैन सुखाड़िया जी के यहां पर चौबीस घण्टे हाजिरी देते हैं और उनका सामान लाकर देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : 1961 का है यह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1961 का है तो क्या हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : कभी का एलॉटमेंट हो, लेकिन क्या यह सही है कि कन्हैयालाल जैन को जो भूमि दी गई है वह सरकार की जमीन नहीं है, वह उदक की जमीन थी ? जब उसने शिकायत की तो उसका मुंह बन्द करने के लिए एक गोपाललाल शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा, साकिन जयपुर को जमीन एलॉट की गई ? (श्री रामकिशोर व्यास से) सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। किस्सा यह है कि यह दो तीन व्यक्तियों को जमीन एलाट की, यह उदक की जमीन थी और उसको बिना कानून के एलाट कर दिया था। अब तीनों को अलॉटमेंट करने के बाद वह आदमी झगड़ा करता रहा तो उसका मुंह बन्द करने के लिए 1969 में राज्य सरकार ने उसको भी पन्द्रह सौ बीघा जमीन का एलॉटमेंट कर दिया। क्या यह सही है कि जो एलाटमेंट किया, उसके लिए वास्तव में गोपाललाल शर्मा ने कोई आवेदन पत्र दिया था, उसके आधार पर एलॉटमेन्ट किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक अलाटमेन्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं, कौन कौन से आवेदन-पत्र ऐसे हैं जो डाइरेक्ट आपके पास आये हैं और जिनमें न तहसीलदार ने सिफारिश की है और न कलेक्टर ने ?

श्री गंगाराम चौधरी : सभी के बारे में इतनी डिटेल्ड जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जानकारी नहीं है, तो सूची तो अतारांकित प्रश्न पूछने से भी मिल सकती थी। केवल जानकारी लेने का प्रश्न होता और सवालों का जवाब नहीं लेना होता तो अतारांकित प्रश्न पूछा जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने इसे स्टार्ट क्वेश्चन के रूप में स्वीकार किया है, तो इसका मतलब यह है कि जयपुर शहर की बारह मील की परिधि में एलाटमेन्ट के राज्य सरकार के नियम बने हुए हैं, उसके अनुसार एलाटमेंट कमेटी होती, उसके द्वारा एलाटमेन्ट होता है, अगर ग़लत हो तो अपील होती है, अपील दर अपील होती है। उन सब प्राविजन्स को तो अलग कर दिया और डाइरेक्टली सेक्रेटेरियट में बैठ कर एलाटमेन्ट होते हैं। मैंने खासतौर से इसमें पूछा है कि जयपुर शहर की 12 मील की परिधि में कितने अलाटमेन्ट किये हैं ? अब जो एलाटमेन्ट किये हैं तो उन पर सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रत्येक केस की डिटेल कैसे बतायें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल एक, दो तीन चार की बता दें।

श्री भैरोंसिंह : एक के बारे में बता दें, यह श्रीमती मायाराम को एलाटमेन्ट किया

(श्री भैरोंसिह)

है, यह क्या कृषक हैं, क्या कभी इन्होंने खेती की है ? क्या इसलिए अलाटमेन्ट किया है कि इनके पति कलेक्टर हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न । एक एक व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिह : आखिर कुछ जस्टीफिकेशन तो हो । एक तरफ तो आप जमीन लेकर गरीबों को देना चाहते हैं, दूसरी तरफ श्रीमती मायाराम को जमीन दी है, जिनके पति कलेक्टर हैं, और जिन्होंने कभी खेती नहीं की । इस आधार पर जमीन का एलॉटमेन्ट करना कहां तक वाजिब है ?

श्री अध्यक्ष : इसका उपाय क्या किया जाय ? इस वक्त स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसका एक उपाय है····

श्री मदनसिंह : उपाय यह है कि जमीन छीन कर गरीबों को दे दी जाय । जहां प्रिन्सेज की बात आती है और की आती है तो वहां यह कहते हैं कि जमीन छीनकर गरीबों को दे दी जाय, तो जिनका पति कलेक्टर है, जो खेती नहीं करती हैं, उनके पास जमीन है वह जमीन छीन कर गरीबों को बांट देनी चाहिए । यही एक उपाय हो सकता है । नहीं तो मुंह बन्द है तो मुंह बन्द रखिये ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री दुर्गालाल बादहार : इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री ने बताया उसके अनुसार नावाजिब है । अगर नावाजिब है तो इसको कैन्सिल क्यों नहीं करते हैं ? उस वक्त यह एलाटमेन्ट कैसे हो गया ? अगर कोई गैर कानूनी एलाटमेन्ट 1961 में किया गया, जैसा कि राजस्व मंत्री मानते हैं तो मंत्री महोदय इसको कैन्सिल करके उनसे जमीन लेकर कृषकों को एलाट कर दें ।

श्री भैरोंसिह : क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को जमीन का आवंटन कर सकती है जो कांग्रेस के पी. आर. ओ. नहीं हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं और मंत्रियों के चमचे नहीं हैं ? इस प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ कर सरकार अन्य व्यक्तियों को एलॉटमेंट करती है ?

श्री विजयसिंह : नहीं करती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : करती है क्या ? जी हां ।

श्री अध्यक्ष : यह लीडिंग क्वेश्चन है, किस किसको करते हैं । यह लीडिंग क्वेश्चन है ।

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार सब भूमिहीनों को दे सकती है ।

श्री दुर्गालाल बादहार : दे सकती है, यह सरकार कहती है तो किस किस को दी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लाखों लोगों को दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री देवीदत्त गाड़िया : पी०के० चौधरी को जो भूमि आवंटित की गई है, वह किन कानूनों के अन्तर्गत की गई है और क्या वह खुद काश्त करते हैं ?

श्री फूलचन्द बाफना : एक प्रश्न मैं पूछ लूं। साथ साथ जवाब दे दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जयपुर शहर की बारह मील की परिधि में कोई मास्टर प्लान बनाया है, जिससे यह मालूम हो कि सरकार किन किन काश्तकारों की जमीन एक्वायर करना चाहती है और गांव के जो गरीब काश्तकार हैं उनमें जमीन का एलाटमेंट करना चाहती है और लोगों को मुआवजा देना चाहती है? काश्तकार चिल्लाते हैं, हाईकोर्ट में जाकर रिट करते हैं लाल कोठी की स्कीम हो या और कोई स्कीम हो। एक तरफ सरकार एक्वायर करती है और दूसरी तरफ अपनी ओर उनका अलाटमेन्ट कर रही है। जयपुर की

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाजें)

हाउसिंग प्रोब्लेम को सोल्व करना है, मास्टर प्लान बनाना है तो जमीन का अलॉटमेन्ट जो इस प्रकार कर रहे हैं बन्द करें और जितना अलॉटमेन्ट कर दिया गया है उसको कैन्सिल करें और काश्तकारों की जमीन को किसी भी प्रकार से सरकार एक्वायर न करें।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

(शोरगुल)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, ये तो देते ही रहेंगे जमीन।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय कुछ स्पष्टीकरण है ?

श्री फूलचन्द बाफना : एक प्रश्न है। सप्लीमेन्टरी दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्लीज रिज्यूम सीट।

श्री गंगाराम चौधरी : जयपुर नगर का मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने नियमों के अन्तर्गत आवंटन किये हैं। 64 से यह प्रतिबन्ध लगाया था कि दस मील के भीतर सामान्य आवंटन नहीं किये जायेंगे और राज्य सरकार के द्वारा किये जावेंगे। बहुत से आवंटन 64 से पूर्व के हैं और बाद के हैं उनके लिये ऐसी जानकारी दी गयी है कि पट्टे में वह नहीं है। बहुत से फौजी हैं। इसके अतिरिक्त खातेदार हैं...

श्री मनोहरसिंह : इन्दिरा मायाराम कौन सी फौजी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गरीब काश्तकारों की जमीनों को तो आप एक्वायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने सरकारी लीडरों को अलाट कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मिनिस्टरों के दामाद हैं।

श्री अध्यक्ष : फौजी तो फौजी हैं। दामाद हुआ तो क्या हुआ ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : अन्य लोगों को देनी चाहिये जो काश्तकार हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मुझे फौजियों के लिये कोई आपत्ति नहीं है।

Page No 27

श्री मदनसिंह दांता : इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये और कैंसिल होना चाहिये

श्री विजयसिंह : इन्दिरा माया राम कौनसी फौजी है ? खुद काश्त नहीं करती हैं तो किस किस से करवाती हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत ही गम्भीर है। कानून में अलाटमेंट का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। जो अधिकार कानून के द्वारा दिया गया है उसका इन्होंने भयंकर दुरुपयोग किया है। जयपुर शहर की आबादी बढ़ रही है और मास्टर प्लान बन चुका है वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की। अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जमीनों को एक्वायर कर रहा है। काश्तकारों की जमीनों को कौड़ियों में ले रहा है। लोग हाइकोर्ट में रिट में जा रहे हैं और अपने मर्जीदां लोगों को नियमों के खिलाफ, कानून के खिलाफ अलाटमेंट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। इस प्रकार की इस राज्य सरकार की कार्यवाही है। लाखों लोग भूमि हीन हैं, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भूमिहीन हैं, उसके उपरान्त भी यह सरकार कांग्रेस एम० एल० एज० को, मन्त्रियों के रिश्तेदारों को, अपने दामाद और बेटों को, जो कि काश्तकार नहीं हैं, उनको यह सरकार भूमि अलॉट कर रही है। जयपुर शहर तो एक नमूना है। हर नगर और कस्बे में भूमि का अलाटमेंट इसी प्रकार हुआ है इस लिये सरकार की इन गलत नीतियों का विरोध करता हुआ विरोध प्रदर्शन करते हुए भूमि का इन कांग्रेस के नेताओं ने गरीबों को अलॉटमेन्ट करके अपने रिश्तेदारों आदि को किया है और उस अलॉटमेंट को केन्सल किये जाने के सम्बन्ध में आश्वासन न दिये जाने के कारण, मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(जन संघ के सदस्यों सहित बहिर्गमन)

श्री मनोहरसिंह : भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी इसी प्रकार के गलत अलाटमेंट हुए हैं इसलिए उनके विरोध फलस्वरूप मैं भी सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री रामकिशोर व्यास : जो एलोगेशन्स लगाये गये हैं वे सही नहीं हैं। जो अलॉटमेंट किये गये हैं उनका गवर्नमेंट को अधिकार है और रूल्स में प्रोविजन है और उसमें किये जा सकते हैं। बीस आदमी होंगे जो फौजी हैं। यह कहना कि फलां आदमी को दे दिया, एक दो को दे दिया गया यह बात सही है, लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को जमीनें दी जाती हैं या दी गयी हैं जो कि भूमिहीन नहीं हैं और अपने चहेते लोगों को राजस्थान कैनाल में बढिया जमीनें अलाट की गयीं हैं और की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इनके चहेते लोगों को अच्छी जमीनें राजस्थान कनाल में अलाट की हैं और उनको मिली हैं।

Page No 28

श्री अध्यक्ष : भाषण न हो माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने यह कहा कि राज्य सरकार ने अपने अधिकार सीमा में यह किया है। हो सकता है लेकिन राज्य सरकार को अधिकार रखने की भी तमीज होनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत तमीज है।

श्री दौलतराम सारण : अधिकार बरतने की तमीज न होने के कारण ही राज्य सरकार ने जो कभी काश्तकार नहीं रहे, काश्त जिनका पेशा नहीं रहा, काश्त की जमीन देखी नहीं और जो शौक के लिए और अपने सैर सपाटे के लिए या ब्लैक मनी को रिन्यू करने के लिये, वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिये जमीन चाहते हैं ऐसे लोगों को जमीन अलॉट करना यह अधिकार बरतने की तमीज में शामिल नहीं होता है। इसको बड़ी गम्भीरतापूर्वक राज्य सरकार को देखना चाहिये। यदि गलत अलॉटमेन्ट हुए हैं और कानूनी कोई बाधा है तो उसको दूर करके इस मामले को राज्य सरकार को ठीक करना चाहिये। मैं इस मामले को गम्भीरता से लेता हूं और आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि आयन्दा से राज्य सरकार इस प्रकार के गलत अलॉटमेन्ट न करे और जो हुए हैं उनको ठीक करें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम मरावदिया में भूमि पर अतिक्रमण के मामले

384. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि गांव मरावदिया, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ में कुछ अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के नाजायज कब्जे के मुकदमें दर्ज हैं ? यदि हां, तो कब से हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन अतिक्रमणियों के ऊपर जुर्माने भी किये गये हैं ? यदि हां, तो उस भूमि का नियमन क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या उन अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को नाजायज कब्जे शुदा भूमि का नियमन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, गांव मरावदिया तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जन जाति के 9 व्यक्तियों के नाजायज कब्जे के मुकदमें थे, जो सभी निर्णित हो चुके हैं।

(2) जी हां, निर्णित मामलों में से 92।।।)2 भूमि नियमन करने, 39।।।)2 भूमि से बेदखली करने के आदेश दिये गये थे।

(3) इसका उत्तर भाग 2 में दिया जा चुका है।

हरिजनों को गांधी शताब्दी वर्ष में बिजली व पानी की सुविधा

385. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि हरिजनों के लिए गांधी शताब्दी वर्ष में मकान तथा बिजली पानी की सुविधा दिये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो आज तक हरिजन बस्तियों में कौन-कौन सी सुविधा दी गई है ? अलग-अलग स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

जी हां। गान्धी शताब्दी वर्ष तथा 70-71 में बस्तियों में नल व बिजली लगाने के लिये धनराशि स्वीकृत की गई है। जिन बस्तियों के लिये अब तक स्वीकृतियां की गई हैं इसकी वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम वणदार में बेरे से बरामद लाश

388. श्री दौलतराम आगरी (देसूरी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करीब छः माह पूर्व देसूरी तहसील के ग्राम वणदार में एक जागीरदार के बेरे से संदेहात्मक परिस्थितियों में थानाराम नामक मेघवाल लापता हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी लाश एक बेरे से बरामद की गई ?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी डाक्टर से उनके पास पोस्टमार्टम होने के चार, पांच दिन बाद ली गई और तफतीश शुरू होने में लापरवाही व ढील बरती गयी ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय जागीरदारों के भय व आतंक के कारण गवाहान घबराये हुए डर के मारे सही बात बताने की हिम्मत भी नहीं कर सके, और मामले को समय पर न खुलने से समुचित अनुसूचित जाति व जन जाति में भय व असंतोष व्याप्त हो गया है ?

(4) क्या यह सही है कि मृतक थानाराम के भाई ने मंत्री महोदय को सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक आवेदन-पत्र देकर प्रार्थना की थी, कि इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा करवायी जावे, पर आज तक इस तरह की कोई जांच नहीं करवाई गई ?

(5) क्या सरकार उस क्षेत्र के पिछड़ी जाति के लोगों पर हो रहे हमलों की रोकथाम हेतु सक्रिय कदम उठायेगी और इस मामले की पूरी जांच शीघ्र ही करवायेगी ?

नगरपालिकाओं को फ्लश टट्टी के लिये अनुदान

390. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले साल सरकार ने घोषणा की थी कि नगरपालिकाओं में हरिजनों को मैला ढोने की गन्दगी से बचाया जाने के लिये फ्लश टट्टी बनाने के लिये अनुदान देगी ?

Page No 30

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(2) कृपया बतायें कि आज तक कितनी छोटी नगरपालिकाओं को यह अनुदान दिया गया है ?

(3) यदि अभी तक नहीं दिया गया, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक तहारतों को फ्लश तहारतों में परिवर्तन करने के लिये नगरपालिकाओं को अनुदान देने की घोषणा की गयी थी।

(2) आज तक इस कार्य के लिये कुल 87 नगरपालिकाओं को अनुदान दिया गया है उसमें 60 नगरपालिकायें छोटी हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोकरण तहसील के जागीरदारों से भू-राजस्व की वसूली

398 श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिन जागीरदारों ने जागीर मुआवजा नहीं लिया है उनसे भू-राजस्व वसूली 15 वर्ष तक नहीं की जावेगी ? अगर हां, तो पोकरण तहसील के कुछ जागीर गांवों से भू-राजस्व वसूली क्यों की जा रही है जब कि उन्होंने स्पष्ट प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं कि उनका जागीर मुआवजा भू-राजस्व में एडजस्ट कर दिया जावे ?

(2) इस प्रकार के कितने जागीरदार हैं गांववार सूची सदन की मेज पर रखें और भविष्य में कब तक यह एड्जेस्टमेन्ट कर दिया जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(31-3-71 व 14-4-71)

ट्रकों की खरीद

164. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमा सड़क निर्माण विभाग में कितनी ट्रकें खरीदी गई और आज उसमें से कितनी ट्रकें काम में आने योग्य हैं ? खरीद की कुल मूल्य की राशि कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रक ठेकेदारों को किराये पर दी गई थीं ? अगर हां, तो किस किस ठेकेदार से कितना किराया वसूल किया गया ? जिलेवार व ठेकेदारवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ट्रकों की मरम्मत भी कराई गई है ? अगर हां, तो आज तक किस किस डिवीजन में मरम्मत पर कितना खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रकों के कर का भुगतान भी किया गया है ? अगर हां, तो किस ठेकेदार ने कितना कर विभाग के माध्यम से दिया और किस ठेकेदार के लिये विभाग ने कर से छूट चाही ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कारागृह से फरार कैदी

388. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत चार वर्षों में राजस्थान की किस किस स्थान की कारागृह से किस किस वर्ष में कितने कितने कैदी जेल तोड़ कर भाग गए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कारागृह से फरार कैदियों में कितने पकड़े गए और फरार होने के क्या क्या कारण थे और उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में दिनांक 1-1-67 से 31-12-70 तक राजस्थान की कारागृहों एवं उप कारागृहों से जो कैदी जेल तोड़ कर भागे, उनका ब्योरा निम्न भांति है: —

कारागृह का नाम	फरारी दिनांक	फरार होने वाले बन्दियों की संख्या
उप कारागृह, बाड़मेर	15–1–67	1
उप कारागृह, सोजत	10–6–67	2
उप कारागृह, जैसलमेर	10–7–68	1
उप कारागृह, सवाईमाधोपुर	16–9–68	1
उप कारागृह, नीमकाथाना	9–1–69	3
जिला कारागृह, अलवर	3–7–69	1
उप कारागृह, करोली	11–7–69	2
विशेष उप कारागृह भीलवाड़ा	15–8–69	3
उप कारागृह धौलपुर	22–11–69	1
उप कारागृह, मादरा	4–1–70	2
केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	27–1–70	1
जिला कारागृह, कोटा	16–4–70	1
उप कारागृह, झालावाड़	15-5–70	3
उप कारागृह, रायसिंहनगर	16–6–70	2
आदर्श कारागृह, अजमेर	1–11–70	2
आदर्श कारागृह, अजमेर	12-12–70	1
		27

Page No 32

(कारागृह मन्त्री)

(2) कारागृह एवं उप कारागृहों से फरार हुए 27 कैदियों में से 19 कैदी पकड़े गये। बन्दियों के फरार होने का कारण कर्मचारियों की लापरवाही तथा कुछ स्थानों पर उसके साथ जेल भवनों का सुरक्षित न होना है। जो भवन असुरक्षित थे उनको सुरक्षित किये जाने की कार्यवाही की गई और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (सी०सी०ए०) रूल्स, 1958 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

किशन गंज में डकैती

389. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज ग्राम में फरवरी, 1969 में एक तेली परिवार में डकैती हुई थी? यदि हां तो कितना माल इस डकैती में गया?

(2) क्या यह सही है कि इस वारदात में दो बहिने एक स्थान पर मारी गई थीं तथा एक बहिन घायल हुई? पुलिस ने आज तक इस केस के सम्बन्ध में कितने लोग गिरफ्तार किये? क्या इस केस में गया माल बरामद कर लिया गया है?

उत्तर

1. जी हां, इस डकैती में जो 19/20-2-71 को घटित हुई। इसमें कुल 9318) रु० का माल गया था।

2. जी हां, यह सही है। वारदात में तीन औरतों, मु० तीजू फूली व नट तेलन के साथ बदमाशों ने मारपीट की थी। जिसके कारण मुस्मात घूली की मौके पर ही मृत्यु हो गई, मुस्मात तीजू को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर तीन चार घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई तथा मुस्मात नटी की चोटें मामूली होने के कारण उसकी चोटों का इलाज किया जाकर उसे वापस भेजा गया जो अब बिलकुल ठीक है। इस अभियोग के सम्बन्ध में आज तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस केस में बदमाशान द्वारा लूटी गई सम्पत्ति में से 2376) रु० की सम्पत्ति गांव से बाहर छोड़ दी गई थी, जो बरामद हो चुकी है। बाकी माल एवं मुलजिमान की पतारसी के लिये भरसक प्रयत्न जारी है।

कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र में कत्ल के केसेज

390. श्री गंगासहाय (कठूमर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर में गत पांच वर्षों में कितने कत्ल के केसेज हुए हैं?

(2) क्या सभी कातिलों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया है?

(3) क्या अभी गत माह फरवरी, 1971 में जो समूची ग्राम के ब्राह्मण की हत्या रेणी के पास की गई उसके सभी हत्यारे पकड़े जा चुके हैं? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में सरगर्मी से कार्य क्यों नहीं कर रही है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर में गत पांच वर्षों में 14 कत्ल के केसेज हुए हैं।

(गृह मन्त्री)

उत्तर

(2) उपरोक्त 14 मुकद्मात में 67 मुलजिमान को बन्दी बनाया गया जिनमें 65 का चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है या 2 अभियुक्तों के 169 जा० फौ० में रिहा करवाया गया है।

(3) जी हां। फरवरी, 1971 में समूची ग्राम के ब्राह्मण की हत्या रेणी के पास की गई थी जिसमें 6 अभियुक्त मतलूब थे। 5 बन्दी बनाये जा चुके हैं या एक को बन्दी बनाने के पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं।

गोगुन्दा में चोरी का मामला

391. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि 7-9-1970 को श्री मुरीलाल चोरड़िया एडवोकेट निवासी गोगुन्दा (उदयपुर) के यहां रात्रि को, 50,000 रुपये की चोरी हुई थी? यदि हां, तो आज तक कितनी धनराशि वापिस मिली?

(2) क्या यह सही है कि थाना गोगुंदा में प्रात: 5.00 बजे ही इत्तला दी गई? यदि हां, तो आज तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। दिनांक 7/8-9-70 की रात को श्री मुरीलाल चोरड़िया निवासी गोगुंदा के मकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें 34666) रु० का माल चोरी होना बताया गया है। चोरी गये माल व मुलजिमान का अभी तक पता नहीं चला है जिसके लिये भरसक प्रयत्न जारी है। मुकद्मे की तफतीश सी. आई.डी. सी. बी. द्वारा की जा रही है।

(2) जी हां। यह सही है। पुलिस रिकार्ड के आधार पर पाया जाता है कि इस घटना की रिपोर्ट सुबह जल्दी ही थाना गोगुन्दा में की गई थी और मुकामी पुलिस सुबह 6-30 बजे मौके के लिये रवाना हो गई थी।

मुस्तगीस द्वारा बतलाये गये मुस्तवागान के अनुसंधान किया जा रहा है तथा दीगर पतारसी माल मुलजिमान के लिये विशेष मुखबरान तैनात किये हुवे हैं, तफतीश जारी है।

बीकानेर शहर के गन्दे पानी का नाला

392. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के अन्दर गन्दे पानी का खुला नाला है जो बहुत गन्दगी एवं बदबू पैदा करता है? इससे मच्छर मक्खियां खूब पैदा होते हैं जो बीमारियां पैदा करने के कारण भी सदा जन जीवन के लिए खतरा बना रहता है?

(2) यदि हां, तो इस नाले की गन्दगी और बदबू तथा अस्वास्थ्यकर स्थिति से बचाने की क्या योजना है और कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि जूनागढ़ के पास गन्दे पानी का एक तालाब है जो बुरी तरह सड़ता है? क्या इस तालाब के बन्द गन्दे पानी की बदबू एवं गन्दगी जन जीवन के लिए खतरा बनी हुई है?

Page No 34

(श्री दौलतराम सारण)

(4) इस गन्दे पानी की निकासी के लिए क्या कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर शहर के अन्दर खुले पानी का नाला है। खुला होने के कारण बदबू अवश्य आती है। गन्दे पानी के बहाव के लिये एक नाला जसूसर दरवाजे के पास से मोहल्ला गिन्नाणी से होता हुआ सूरसागर तक बनाया गया है। तमाम गन्दा पानी सूरसागर तालाब में इकट्ठा होता रहता है। उक्त तालाब से पानी बाहर दूरस्थित स्वेज फार्म आदि में काम लिये जाने हेतु एक कच्ची नहर खोदी गई है, परन्तु नहर का लेवल सूरसागर तालाब से ऊंचा है इसलिये पानी पम्प द्वारा उठाकर उक्त कच्ची नहर द्वारा निकाला जाता है। नगर परिषद द्वारा तालाब में कीटाणु नाशक व दुर्गन्ध निरोधक औषधियां डाली जाती रहती हैं, ऐसी स्थिति में जन जीवन के लिये खतरा होना नहीं कहा जा सकता है।

(2) नगर परिषद ने कोई योजना नहीं बनाई है।

(3) प्रश्न खण्ड 1 में उत्तर दे दिया गया है।

(4) प्रश्न के खण्ड 2 में उत्तर दे दिया गया है।

खेड़ली मन्डी में सब्जी मन्डी का निर्माण

393. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि खेड़ली मण्डली में सब्जी विक्रेताओं के लिये सब्जी बेचने के लिए कोई निश्चित तथा समुचित स्थान नहीं है? यदि हां तो क्या सरकार नगरपालिका को आदेश देकर एक सब्जी मण्डी का निर्माण कराने की व्यवस्था करेगी?

उत्तर

जी हां।

नगरपालिका क्षेत्र में सब्जी मण्डी स्थापित करने के लिये समुचित स्थान नहीं है। समुचित स्थान मिलने पर ही नगरपालिका द्वारा सब्जी मण्डी का निर्माण करवाया जावेगा।

राजमहल योजना

394. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर में डब्लू. डब्लू. इंजीनियर नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि दूसरे चरण में राजमहल योजना का कार्य प्रारंभ होने वाला है? यदि हां, तो इन्जीनियर के न होने पर पाइप लाइन शहर में कैसे बिछाई जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। सरकारी निर्णयानुसार।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

उत्तर

(2) इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है, क्योंकि राजमहल योजना का कार्य जन स्वास्थ्य के अधीन है। शहर में मेन पाईप लाइन उक्त विभाग द्वारा ही डाली गई है। छोटी लाइनें, सबमेन्स आदि का कार्य नगरपरिषद करती है, जिसके लिये सहायक अभियन्ता नगरपरिषद को पूर्ण तकनीकी ज्ञान व 18 वर्ष का अनुभव है।

कस्बा डीग की जलप्रदाय योजना

395. **श्री मजलिसखां** (कामां) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के कस्बा डीग में जल प्रदाय योजना का कार्य चालू है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है, कि उक्त योजना की टंकी पर काम करता हुआ एक मजदूर गिर कर मर गया था? यदि हां, तो क्या उसके परिवार वालों की कोई सरकार की ओर से सहायता की गई है? यहि हां तो किस रूप में?

(2) यदि यह सही है, कि उक्त योजना के लिये पानी उत्तर प्रदेश की मथुरा तहसील के ग्रामों से लिया जावेगा? यदि हां, तो वह कौन कौन से ग्राम है, और क्या वहां के लोग पानी देने को तैयार हैं? क्या राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पानी लेने देने का प्रश्न तय कर लिया है? यदि हां, तो किस तारीख को?

(3) क्या यह सही है, कि कस्बा कांमा में जल प्रदाय योजना से पीने के पानी की सप्लाई शुरु हो गई है? यदि हां तो क्या यह भी सही है कि अभी कई वार्ड तथा सार्वजनिक स्थान ऐसे हैं, जहां पर पाइप लाइन नहीं डाली गई है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उन स्थानों का सर्वे करा कर वहां पानी सप्लाई करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि कुरहड़ा कस्बे की जल प्रदाय योजना का पैसा जमा किया गया है? यदि हां, तो क्या कारण है, कि आज तक इस योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले की कस्बा डीग जल प्रदाय योजना कार्य चालू है, टंकी के निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा काम में लिये जा रहे मजदूरों में से एक मजदूर गिर कर मर गया था चूंकि यह कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है इसलिए इस विषय में राज्य सरकार द्वारा सहायता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(2) जी नहीं प्रश्न ही नहीं उठता योजना में पानी राजस्थान के ही एक सीमावर्ती गांव से जो योजना स्थल से लगभग 3 मील दूर है लिया जावेगा, जहां पर दो कुओं का निर्माण कार्य भी हो चुका है।

(3) जीं हां, पाइप लाइन स्वीकृत योजनानुसार डाली जा चुकी है। फिर भी एकाध वार्ड तथा कुछ गलियां बाकी हैं जिनके लिए तखमीने तैयार किये जा रहे हैं और वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे कार्यवाही की जावेगी।

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

उत्तर

(4) जी हां, 5000) रु० की धनराशि जमा की गई है। पम्प एवं टैंक योजना तैयार की जा रही है, योजना की स्वीकृति के बाद कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

ग्राम गिगलाना की जलप्रदाय योजना

396. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम गिगलाना, तहसील बहरोड़, जिला अलवर की जल प्रदाय योजना स्वीकृत है और धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हाँ, तो कितनी ?

(2) क्या उक्त जल-प्रदाय योजना का कार्य शुरू होकर वह धनराशि खर्च की जा चुकी है ? यदि नहीं; तो क्या वह कार्य अब भी चल रहा है ? यदि नहीं, तो कब से बन्द है और उसका क्या कारण है एवं अब कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(3) क्या ग्राम कुतीना की जलप्रदाय योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(4) क्या ग्राम कुतीना के जल प्रदाय योजना का कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो कब शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, 72,800) रुपये।

(2) योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 1969-70 से ही निर्माणाधीन है, तथा 70,000) रुपये की धनराशि वित्तीय वर्ष 70-71 तक व्यय की जा चुकी है यह कार्य अभी भी निर्माणाधीन है, तथा वर्ष 1971-72 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(3) जी हां, 70,400) रुपये।

(4) कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

सांचोर जलप्रदाय योजना

397. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर जल प्रदाय योजना अभी तक ग्राम पंचायत सांचोर चला रही है ? क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायत सांचोर ने जल प्रदाय योजना को सरकार के अधीन लेने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे हैं ? अगर हां, तो कब कब ?

(2) जल प्रदाय योजना सांचोर को जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत लेने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) उक्त योजना विभाग के प्रशासन में कब तक ले ली जावेगी।

(4) ग्राम पंचायत क्षेत्र सांचोर में सांचोर की ढाणी एवं अन्य बस्तियों में जल प्रदाय योजना से जनता को पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जी हां। प्रथम बार 27-3-69 को एवं दूसरी बार दिनांक 8 3-71 को।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) विभाग द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सांचोर को लिखा हैं कि वे जिलाधीश से यह प्रमाणित कराकर दे कि विभाग द्वारा योजना बनाने पर घाटे की रकम जमा करायेंगे वरना सरकार योजना बन्द कर सकती हैं।

(3) पंचायत द्वारा प्रश्न 2 के उत्तर के अनुसार आश्वासन देने पर।

(4) सांचोर की ढाणी एवं अन्य बस्तियां उस योजना में शामिल नहीं हैं। अतः इस जल योजना से पानी उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम रामगढ़ का जिओलोजीकल सर्वे

398. श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि तहसील किशनगंज क्षेत्र के ग्राम रामगढ में जिओलोजीकल सर्वे विभाग द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें ताम्बा आदि पाया गया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे क्या क्या कार्यवाही करने वाली हैं?

उत्तर

जिओलोजीकल सर्वे विभाग वालों ने किशनगंज क्षेत्र में कोई सर्वे किया है या नहीं इस विषय में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं क्योंकि उक्त विभाग द्वारा राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट या सूचना नहीं भेजी गई हैं। अतः सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं हैं।

ग्राम मुड़िमर से राजपुर सड़क

399. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में तहसील शाहबाद में मुड़ियर से राजपुर तक कच्ची सड़क हैं?

(2) क्या यह भी सही हैं कि 1 मील का टुकड़ा भी इसमें पक्का बना हुआ है?

(3) यह 1 मील सड़क कब बनाई गई थी इसमें कितनी धनराशि खर्च की गई थी?

(4) क्या यह भी सही है कि यह सड़क डाकू ग्रस्त क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सड़क हैं? यदि हां, तो बाकी सड़क को पक्का कराने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी हां, पर यह सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची में नहीं है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं हैं।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

लवान, बड़ाखेड़ा, माखिदा सड़क

400. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी की तहसील केशवरायपाटन में बून्दी रोड पर से (लबान) सड़क कितनी बननी शेष है?

Page No 38

(श्री नन्दलाल वैरवा)

(2) इस सड़क पर कौन से मील पर किस किस ठेकेदार को ठेका दिया गया व कितने में व कब और कितना कार्य पूरा किया जा चुका हैं ?

(3) क्या लबा से बड़ाखेड़ा व माखिदा सड़क पर मिट्टी का कार्य किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब कौन से ठेकेदार को ठेका दिया था और कितने में ठेका दिया गया था ?

(4) यदि लबान बड़ाखेड़ा, माखिदा सड़क का कार्य अधूरा है तो कब पूरा किया जावेगा ।

उत्तर

(1) 21 मील शेष हैं ।

(2) सूची "ब" प्रस्तुत है ।

(3) मिट्टी का कार्य व 5 मील सडक का ठेका श्री सरदारी लाल को दिया था जो अपूर्ण है ।

(4) यह सड़क केशवराय पाटन लबा का ही अंग हैं उसके लिये 3,00,000 रुपये का प्रावधान वर्ष 1971/72 में किया हैं ।

छापाबड़ोद से इकलेरा सड़क

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद से इकलेरा तक जो पक्की सड़क जाती है उस पर कलमोदिया से 1 या $1\frac{1}{2}$ मील दूरी पर पर्वन नदी पर एक पुल है ?

(2) क्या यह सही है कि ये पुल स्टेट के समय का बना हुआ है और काफी नीचा बना हुआ है जिसकी वजह से बरसात के मौसम में इस सड़क का इस पुल के नीचे होने की वजह से 15-15 दिन ट्रैफिक रुक जाता है ?

(3) क्या सरकार इस पुल को ऊंचा करवाने का इरादा रखती है यदि हां, तो कब तक इस पुल को ऊंचा करवाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों, जब कि हर साल पुल के मरम्मत में ही 2-5 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां किन्तु अर्थाभाव के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है ।

सड़क के किनारे खड़े पेड़ों पर नम्बरिंग

श्री मजलिस खां (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सड़कों के किनारों पर जो पेड़ लगे हुये हैं उन पर विभाग की ओर से नम्बरिंग किया जाता है ? यदि हां, तो कामां-पहाड़ी, कामा डीग, डीग नगर, नगर पहाड़ी रोड्स के पेड़ों का नम्बरिंग कब किया गया ? उक्त सड़कों पर कुल कितने पेड़ों की संख्या बनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग की ओर से सड़कों के किनारों पर प्रत्येक

(श्री मजलिस खां)

वर्ष नये पेड़ लगाकर विभागीय वन महोत्सव अभियान चलाया जाता है ? यदि हां, तो डीग-कामां, कामां-पहाड़ी, पहाड़ी-बीवां, कामां-जुरहड़ा, कामां-कोही सड़कों पर किस किस वर्ष में कितने कितने किस प्रकार के पेड़ लगाये गये ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह सही है कि पहाड़ी नगर रोड़ पर ग्राम बरखेड़ा और गोपालगढ़, गोपालगढ़ और नकटपुर, नकटपुर और खेड़ला के बीच जो खुर्रे बने हुये हैं वर्षाकाल में इन खुर्रों से इतना पानी बहता है कि पैदल तथा ट्रेफिक बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त खुर्रों पर पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1970/71 की गणना के अनुसार चारों सड़कों पर कुल 3,219 वृक्ष हैं।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां। यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं हैं।

बानगंगा तथा रमेश स्वामी नहर पर पुल का निर्माण

403. श्री रामकिशन (बैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही हैं कि खेड़ली-हिन्डौन सड़क पर ग्राम हिंगोटा (तहसील बैर) तथा ग्राम सलेमपुर (तहसील बैर) बानगंगा तथा रमेश स्वामी नहर पर नहीं होने के कारण आवागमन अब रुक जाता है ? अगर हां, तो क्या सरकार इन पुलों का निर्माण कराने का इरादा रखती है ? इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

उत्तर

अत्यधिक वर्षा में यातायात को कठिनाई स्वाभाविक हैं। इन पुल निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं हैं।

बिरमसर डूंगरी पर टैंक निर्माण कार्य

404. श्री लाभचन्द बैद : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

रतनगढ़ तहसील स्थित बिरमसर डूंगरी पर बनने वाले टैंकों के कार्य किस स्थिति में है ? और यह कार्य कब तक समाप्त होगा ?

उत्तर

बिरमसर डूंगरी पर कुल 15 टैंक बन रहे हैं जिनमें 9 का कार्य पूर्ण हो चुका है, एवं 6 टैंकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है वर्ष 1971-72 में पूर्ण होने की आशा है।

ग्राम मंडा सूरेरा से हुडील लालास सड़क पर डामर कार्य

405. श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़)। क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ क्षेत्र के ग्राम मंडा सुरेरा से हुडील लालास तक डामर डालने के आदेश दिये गये थे ? अगर हां, तो कब ?

(श्री मदनसिंह)

(2) सड़क पर डामर कब तक डाल दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि दांतारामगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुली से लेकर दांता तक डामर डालने के आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो कब और सड़क पर डामर कब तक डाल दी जावेगी ? नहीं तो क्यों ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम दांता की एप्रोच रोड़ बनाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो यह सड़क कहां से कहां तक बननी थी। और कब तक तैयार होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) डामर कराने की अभी योजना नहीं है।

(3) रामगढ़ रेतवाल रोड के $3\frac{1}{2}$ कि. मी. से 8 कि. मी. का ठेका वर्ष 69/70 में दिया गया है। सम्पूर्ण सड़क पर डामर एक साथ कराना सम्भव नहीं है।

(4) विचाराधीन है।

किशनगढ़ (अलवर) इस्माइलपुर सड़क निर्माण कार्य

406. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि किशनगढ़ (अलवर) से इस्माइलपुर की सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ हुआ और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है तथा इसके पूर्ण निर्माण पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

उत्तर

किशनगढ़ से इस्माइलपुर नामक सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है खेरथल से इस्माइलपुर तक की स्वीकृत है जिसका कार्य दिनांक 22-9-70 को शुरू हुआ था। मार्च 71 तक 56,847 रुपया व्यय हो चुका है। एवं पूर्ण निर्माण पर 1.75 लाख रुपये की लागत का अनुमान है।

पाली घाट पर पुल

407. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर श्योपुरी रोड़ नेशनल हाईवे में तहसील खण्डार के ग्राम पाली पर चम्बल नदी बीच में पड़ती है ?

(2) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की राज्य सरकारें इस नदी पर पाली घाट पर पुल बनाना चाहती हैं ?

(3) यदि हां, तो इस योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है। तथा यह कार्य अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया और अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं। सर्वे तथा एस्टीमेट तैयार किये जा रहे हैं।

सिकराय जाने वाली सड़क

408. श्री किशन लाल वर्मा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मानपुर थाने से तहसील हैड-क्वार्टर सिकराय तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जावेगी ?

(2) पांचोली गांव के पास बरसात के दिनों में छोंई (नदी) का पानी आने से जो रास्ता बन्द हो जाता है उसका उपाय निकालने के लिए क्या सरकार यहां पुल बनाने की योजना रखती है ?

(3) इस सड़क के टुकड़े पर कितने पुल बनाने की सरकार की योजना हैं। बरसात के दिनों में छोंई (नदी) के पानी से इस सड़क की हालत जो खराब हो जाती है उसको ठीक करने के लिए सड़क की ऊंचाई बढाने का क्या सरकार कोई इरादा रखती है ?

(4) क्या सरकार के पास इस सड़क की मरम्मत कराने को या फिर से बनाने की कोई योजना है। यदि है, तो कब से बनने की है ?

उत्तर

(1) सड़क को चौड़ा कराने की अभी कोई योजना नहीं हैं।

(2) जी हां।

(3) पुल निर्माण एवं सड़क की ऊंचाई बढ़ाने की अभी कोई योजना नहीं हैं।

(4) मरम्मत प्रति वर्ष उपलब्ध धनराशि अनुसार की जाती है।

जोजावर-कांवली सड़क

409. श्रीमती लक्ष्मीकुमार चूण्डावत (भीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि जोजावर कांवली रोड़ पूरी होने से सीधी जोधपुर भीलवाड़ा रूट खुल जाता हैं ?

(2) इस सड़क को प्लान में किस साल ली गई थी और काम किस साल में शुरू हुआ ?

(3) अब कितने लम्बे टुकड़े का काम बाकी रहा हैं ?

(4) यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी।

(स्थगित किया गया)

मोराझड़ी ग्राम के पास पुलिया का निर्माण

410. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की करेंगे:-

(1) क्या यह सही हैं कि मोराझड़ी ग्राम के पास राहत कार्यों में 69 में पुलिया का निर्माण हुआ ?

(2) क्या यह भी सही हैं कि उस पुलिया में वर्षा का पानी नहीं निकलने से पुलिया से आगे की भूमि कटकर यातायात ठप्प हो गया है ?

(श्री शंकरसिंह रावत)

(3) क्या उस पुलिया को 70 में पूर्ण करने की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो पूर्ण क्यों नहीं की गई ?

(4) क्या सरकार उस यातायात की सुविधा हेतु पुलिया के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मंशा रखती है ?

(5) यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

बारां नगर की सड़कों की मरम्मत

411. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर में अस्पताल व मण्डी में जाने वाली सड़क की हालत बड़ी खराब है तथा स्थान स्थान पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत पर कितना रुपया व्यय होगा और कब तक ठीक हो जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क पर भारी ट्रैफिक होने के कारण यातायात अवरुद्ध रहता है और उसके कारण इस सड़क को चौड़ा किया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

(4) क्या यह सही है कि इस सड़क पर श्री दल्लाजी खत्री की बगीची के पास सड़क नीची होने के कारण पानी का खालसा पड़ता है ? जिसके कारण यातायात में बाधाएं पड़ती हैं ? यदि हां, तो इस पर पुलिया बनाए जाने पर कितना रुपया खर्च होगा ?

(5) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी की यह प्रमुख सड़क होने के कारण इस सड़क को चौड़ा व रपटों पर पुलिया बनाने हेतु चम्बल मण्डी कमेटी द्वारा भी कुछ धनराशि दिए जाने की स्वीकृति हुई है ?

(स्थगित किया गया)

झालावाड़ जिले में सड़क निर्माण कार्य

412. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में सड़क निर्माण के लिए और मरम्मत के लिये कौन कौन सी योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार झालावाड़ जिले की ए. बी. क्लासों के रूटों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य करने का विचार रखती है ? यदि हां तो ये कौन कौन सी सड़कें हैं ?

(3) झालावाड़ के भवानीमण्डी से डग तक की सड़क में कितने में डामर है ? व कितने में मिट्टी है, व कितनी कच्ची सड़क है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस सड़क पर कार्य करवाने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक ?

Page No 43

(श्री लक्ष्मण तानोवाल)

(5) झालावाड़ में सड़क निर्माण में वर्ष 67-68 व 68-69 तथा 69-70 में कुल कितने मील सड़क निर्माण का कार्य हुआ ? प्रत्येक तहसील में निम्न विवरण बताने का कष्ट करें :—

क्रम सं., तहसील का नाम, सड़क का नाम, लम्बाई एवं लागत खर्च

उत्तर

(1) वर्ष 1971/72 में विचाराधीन कार्यों की सूची (ख) प्रस्तुत है ।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग में ए० व बी० रूट का वर्गीकरण नहीं है ।

(3) 33 मील डामर व 32 मील गिट्टी रोड़ है ।

(4) 71/72 में मील 42 से 46, 61, 62, 63 तथा 64 पर मरम्मत विचाराधीन है ।

(5) सूची (अ) प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

चावली गांव तक सड़क

413. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झालरापाटन-उज्जैन मार्ग पर चावली नदी के पुल के पास चावली गांव तक कोई सड़क का निर्माण किया जा रहा है ?

(2) उक्त नव निर्मित सड़क की लम्बाई कितनी है एवं उस पर कितनी राशि व्यय होगी ?

(3) उक्त ग्राम चावली की कितनी जन संख्या है ?

(4) क्या उक्त निर्माण कार्य के लिये पी. डब्ल्यू. डी. बजट में कोई प्रावधान था ?

(स्थगित किया गया)

लाडनूं स्टेशन से राहुगेट तक सड़क निर्माण कार्य

414. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि स्टेशन लाडनूं से राहुगेट लाडनूं सड़क का निर्माण करवाने की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कब और कितने रुपये की स्वीकृति दी गई और उसमें क्या क्या कार्यवाही होना शामिल है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सड़क के निर्माण का कार्य चालू भी हुआ था ? यदि हां, तो कब और कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

अलवर जिले में कर्मचारियों को आवंटित भूमि

415. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर जिले में राज्य कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के कितने सदस्यों को

Page No 44

(श्री गंगा सहाय)

कितनी कितनी कृषि भूमि अलाॅट की गई है ? क्या कर्मचारियों ने नियमानुसार सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

अलवर जिले में जिन राज्य कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों को भूमि आवंटित की गई व स्वीकृति प्राप्त की गई उसकी सूची संलग्न है ।

तहसील तिजारा, थानागाजी व किशनगढ़ में कोई भूमि आवंटन करना नहीं पाया जाता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हिन्डोली के बीड़ का आवंटन

416. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि दिनांक 14-2-71 को श्री ओंकार रेगर निवासी हिन्डोली के एक प्रार्थना-पत्र हिन्डोली के बीड़ को आवंटन के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को दिया था ? यदि हां, तो मुख्य मन्त्री ने इस पर क्या आदेश दिया और इस बीड़ का उन्हें कब तक आवंटन कर दिया जायगा ?

उत्तर

जी यह सत्य नहीं है कि दिनांक 14-2-71 को मुख्य मन्त्री महोदय को श्री ओंकार रेगर निवासी हिन्डोली ने इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र दिया हो ।

तहसील किशनगंज, शाहबाद एवं अटरू में ट्रेसपासर्स के मामले

417. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील किशनगंज, शाहबाद, अटरू में किसानों पर ट्रेसपासर्स के कितने मुकदमें चल रहे हैं ?

(2) इनमें जंगलात के कितने हैं और चरागाह के कितने हैं व बंजड़ भूमि के कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त गरीब लोगों के जमीन के कब्जों को रेगुलराइज करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों के मामले रेगुलराइज किये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) इस जिले की तहसील किशनगंज, शाहबाद एवं अटरू में किसानों पर अतिक्रमण के क्रमशः 409, 1626 व 1047 मुकदमें चल रहे हैं ।

(2) उपरोक्त तहसीलों में विचाराधीन अतिक्रमण के मामलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है : —

नाम तहसील	विचाराधीन मुकदमों की संख्या			
	वन भूमि	चरागाह	बंजड़	योग
1--किशनगंज	34	43	332	409
2-शाहबाद	17	137	972	1126
3-अटरू	4	119	922	1047

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां, तहसील शाहबाद, किशनगंज एवं अटरू में अब तक क्रमशः 1281, 2372 एवं 1394 अनधिकृत आधिपत्य के मामलों का नियमन किया गया है।

ग्राम ढाढासनी में भूमि का अलाटमेंट

418. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डाढासनी (मेड़ता) में गत वर्ष श्री पूनाराम, श्री रतनाराम, श्री राम, बना राम, रामचन्दर आदि लोगों को खसरा नम्बर 126 में जमीन अलोट की गई ?

(2) क्या यह सही है कि अलाटमेंट के समय सरपंच एस० डी० एम० एवं पटवारी और गांव के अन्य लोग मौजूद थे ?

(3) क्या यह सही है कि एलाटमेंट के बाद श्री घीसा एवं हुकमा ने इस सारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया एवं जिनको जमीन एलाट की गई उनको कब्जा नहीं दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी यह सही नहीं है।

अकाल के कारण स्थगित वसूली

419. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गत वर्षों के भीषण अकाल के कारण पश्चिमी राजस्थान के जिले की जनता से हर प्रकार की वसूली स्थगित कर दी गई थी और अब अगर इस वर्ष वसूली करना आरम्भ किया गया तो आर्थिक क्षमता नहीं होने के कारण लोगों से वसूली होना सम्भव नहीं है? यदि हां, तो ऐसी हालत में राज्य सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है।

उत्तर

राज्य सरकार सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वसूली की उदार प्रक्रिया आदेश संख्या एफ. 7 (86)/राज. (ग)/67 दिनांक 18-1-71 के द्वारा निर्धारित की है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

भू-अभिलेख कर्मचारियों का फिक्सेशन

420. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला नागौर व चूरू के भू-अभिलेख कर्मचारियों के फिक्सेशन बाकी हैं यदि हां, तो कितनों का, किन किन का, कब से और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन जिन कर्मचारियों का फिक्सेशन बकाया है वह कब तक पूर्ण हो जायेगा।

(3) फिक्सेशन की कार्यवाही में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(4) फिक्सेशन में विलम्ब क्यों हुआ और किस अधिकारी की गल्ती से ऐसा हुआ।

उत्तर

(1) जिला नागौर और चूरू में जिन भू-अभिलेख कर्मचारियों के फिक्सेशन बाकी हैं उनकी सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बकाया फिक्सेशन मामलों को निपटाये जाने की कार्यवाही यथा शीघ्र कर दी जावेगी।

(3) फिक्सेशन सम्बन्धी नियमों में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है।

(4) अधिकतर फिक्सेशन में विलम्ब होने का कारण विभागीय जांच का निर्णय समय पर नहीं होने एवं सर्विस रेकार्ड की पूर्ति अन्य विभागों से कराई जाने से है।

फिक्सेशन केसों में किसी अधिकारी की गलती होना नहीं पाया जाता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

राजस्व न्यायालयों में निपटाये जाने वाले मामलों में विलम्ब

421. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्व न्यायालयों द्वारा निपटाये जाने वाले मामलों में काफी देरी लगती है ? यदि हां, तो उप खण्ड अधिकारी डीडवाना के कार्यालय में कौन कौन से मामले विचाराधीन हैं तथा उनके दायर होने की तारीखें क्या हैं तथा इतने समय तक बिना निर्णय रहने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार ने कोई अवधि निर्धारित कर रखी है कि राजस्व न्यायालयों द्वारा अमुक प्रकार के मामले अमुक समय में तय किये जावेंगे ? यदि हां, तो किस किस प्रकार के मामलों में क्या क्या अवधि निर्धारित कर रखी है ? और उनका पालन कहां तक हुआ ?

(3) भविष्य में ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(24-3-71, 31-3-71 व 14-4-71)

डाक बंगलों एवं रेस्ट हाउसों का निर्माण

79. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्ष 1969-70 में विभाग द्वारा कोई नये डाक बंगले या रेस्ट हाउस बनाये गए हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(2) क्या यह सही है कि "कोट ग्राम के बांध" पर विभाग द्वारा कोई नया डाक बंगला बनाया गया है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई है ?

Page No 47

(श्री दिग्विजयसिंह)

(3) क्या यह सही है कि इस भवन के निर्माण में किसी सेठ ने या किसी संस्था ने पैसे दिए हैं ? यदि हां, तो उनके द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई और उसका क्या नाम है ?

(4) इस भवन के निर्माण करने का क्या कारण है क्या यह राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है ?

(5) क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण करने से पूर्व दूसरी 'साइट' देखी गई थी और उस डूंगरी पर सड़क बनाई गई थी ? यदि हां, तो इस कार्य पर कितना खर्च हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर इस भवन का निर्माण किया गया है वहां पर एक "शिवालय" पहिले से ही बना हुआ है ?

(7) क्या यह सही है कि इसके वहां निर्माण पर वहां के लोगों ने ऐतराज किए थे ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने ध्यान क्यों नहीं दिया ?

(8) क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिंचाई विभाग के अधीन है ?

(9) क्या यह सही है कि इस डाक बंगले के निर्माण पर करीब 50,000 रुपये खर्च हुए ?

(10) क्या यह सही है कि इसके निर्माण हेतु मुख्य मंत्री ने विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान की थी ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(31-3-71 व 14-4-71)

वृद्धावस्था पेंशन

152. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वृद्धावस्था पेन्शन नियम, 1964 के अन्तर्गत प्रति वर्ष राज्य भर में कुल कितने व्यक्तियों को कितनी धन राशि सहायता के रूप में दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जयपुर जिले में जिन लोगों को यह पेन्शन दी जा रही हैं उनके नाम व पते सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. राज्य भर में वृद्धावस्था पेन्शन नियम, 1964 के अन्तर्गत व्यक्तियों को दी गई पेन्शन की जिलेवार सूचना संलग्न है।

2. सूचना संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(14-4-71)

कोटा स्टेट की पुलियाएं

261. **श्री जुझार सिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व कोटा स्टेट के समय की कितनी ऐसी पुलियायें हैं जो सड़क से अलहदा बनी हुई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री जुझारसिंह)

(2) कोटा स्टेट के समय बनाई गई इन पुलियाओं की अनुमानित लागत कितनी है और इन्हें सुरक्षित रखने की दृष्टि से विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या "बालाजी की थाक" नामक कालिसिन्ध पर बनी पुलिया की हालत बहुत खराब हो चुकी है व उसकी मरम्मत होना आवश्यक है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करा देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) अनुमानित लागत सूची (अ) में अंकित है। उपलब्ध धनराशि अनुसार वर्ष 1968/69 में मरम्मत कराई गई है।

(3) जी हां। पुलिया इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है, अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(14-4-71)

नगरपालिका डीग द्वारा भूमि का बेचान

248. **श्री मेघराज (चूरू):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1968-69 में नगरपालिका डीग की नजूल की भूमि बेचने के फलस्वरूप कुल कितनी आय प्राप्त हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका के रेकार्ड के अनुसार कई जमीनों को नीलाम करने की कार्यवाही बाद की तारीखों में है जबकि उन जमीनों का मूल्य नगरपालिका पहले ही ले चुकी थी ?

(3) यदि हां, तो इस नगरपालिका में हुए ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ?

(4) इन मामलों में नीलामी की कार्यवाही बाद की तारीखों में बताने और नीलामी से पहले ही जमीन का मूल्य ले लेने का क्या औचित्य था ?

(5) उक्त नगरपालिका की रसीद नं॰ 26/74 दिनांक 7-9-68 से कितनी राशि प्राप्त हुई थी ? रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) कृपया यह बतायें कि उक्त रसीद में प्राप्त राशि किस जमीन के बेचने के फलस्वरूप तथा किस व्यक्ति से प्राप्त हुई थी ? जमीन के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) कृपया यह भी बतायें कि किस अधिकारी के आदेशों से उपरोक्त राशि नगरपालिका में जमा की गई थी ? उन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) उपरोक्त जमीन को नीलाम करने का प्रयत्न किस अधिकारी द्वारा और किन किन तारीखों में किया गया था ?

(9) क्या यह सही है कि विवादास्पद जमीन की नीलाम संबंधी कार्यवाही बाद की तारीखों में है और जमीन का मूल्य उससे बहुत पहले ही नगरपालिका ने प्राप्त कर लिया था ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(श्री मेघराज)

(10) क्या यह सही है कि आडिट के समय संबंधित फाइलें लोकल फण्ड आडिट के ऑडिटरों के मांगने पर भी उपलब्ध नहीं की गई थीं ?

(11) क्या यह सही है कि इस जमीन का तथा कथित नीलामी नोटिस सार्वजनिक अवकाश के दिन निकाला गया था ? यदि हां, तो उन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें। जिनके अन्तर्गत उस दिन कार्यालय खुलवाया गया था ? साथ ही निलामी नोटिस की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(12) क्या यह सही है कि उपरोक्त जमीन को नीलाम करने की कार्यवाही वस्तुत: कभी नहीं की गई थी जिसकी शिकायतें वहां के निवासियों ने सरकार को की है ?

(13) क्या यह आरोप सही है कि नीलामी नोटिस और फर्द नीलामी पर स्वयं नगरपालिका कर्मचारियों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे ?

(14) इस जमीन के मामले में प्रारंभ से अन्त तक किस किस कर्मचारी द्वारा क्या क्या अनियमिततायें की गई थीं और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

1. 24,771,-63 पैसे की।

2. प्रश्न स्पष्ट नहीं है। किन-किन जमीनों के मामलों में सूचनाएं चाही गई हैं, बतलाया जावे जिससे कि संबंधित रेकार्ड देखा जाकर सूचनाएँ दी जा सकें।

3. एक मामले में शिकायत प्राप्त हुई हैं।

4. प्रश्न के खण्ड 2 में स्थिति बतलाई गई है।

5. 312 रुपये। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

6. यह राशि श्री ब्रजभूषण पुत्र श्री मोहनस्वरूप मोनी वार्ड नं० 11 से 80 "गुणा 35" फु० भूमि की कीमत स्वरूप प्राप्त हुई थी। विभाग में प्राप्त नक्शों के आधार पर बनाई जाकर प्रतिलिपि प्रेषित है।

7. प्रशासक व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के आदेशों से। प्रतिलिपि सदन को मेज पर रखदी गई है।

8. प्रशासक व अधिशासी अधिकारी व नीलाम लिपिक द्वारा 14-4-69 से 18-4-69 तक बोली बुलवाया जाना प्रतीत होता है।

9. जी हां। भूमि की कीमत चार आना प्रति वर्गगज से दिनांक 7-9-68 को जमा करवा ली गई थी भूमि बेचान के अनुमोदन के लिए जब पत्रावली जिलाधीश को प्रस्तुत की गई तब उन्होंने भूमि को नीलाम द्वारा बेचे जाने के आदेश दिनांक 19-3-69 को लिये। तदनुसार बेचान की पुनः कार्यवाही नीलाम द्वारा की गई।

10. जी नहीं।

11. जी हां। कार्यालय खुलवाने के आदेश नहीं हैं। नीलामी नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

12. जी नहीं।

(स्वायत्त शासन)

उत्तर

13. जी हां।

14. जांच करवाई जा रही है। मामला राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में विचाराधीन है निर्णयानुसार की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने रबी की फसल पर इस वर्ष जिन सरकारी कर्मचारियों को अनाज खरीदने हेतु अग्रिम राशि दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं, उनमें अस्थायी व वर्कचार्ज कर्मचारियों व मजदूरों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री विजयसिंह, श्री लादूराम व श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम खोटोली तहसील जैतारण जिला पाली में थानेदार जैतारण व सी. ओ. द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ 307 दफा का झूंठा मुकदमा बनाया जाकर निरपराध व्यक्तियों को पकड़ा जा रहा है।

(2) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री विजयसिंह, श्री बालसिंह सोढा, श्री पृथ्वीसिंह, श्री लादूराम सुलाणियां व डूंगाराम राजोरिया सदस्य, विधान सभा ने दी है, जिसमे ग्राम सेवरिया तहसील जेतारण, जिला पाली, में दिनांक 17·3·71 को थानेदार द्वारा होली के आपसी छुट-पुट झगड़े को डकैती का मामला दर्ज कर कुछ व्यक्तियों को तंग किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है तथा इनको पुलिस विभाग की मांग पर विचार करते समय कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जा सकता है। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त कुछ पेन्डिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(1) अजमेर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल स्थिति के संबंध में श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। यह हड़ताल समाप्त हो गई है।

(2) खारची तहसील (पाली) के गांव बाली में अचानक आग भड़कने से सम्पति

(श्री अध्यक्ष)

एवं फसल को क्षति पहुंचने के संबंध में श्री पृथ्वीसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) ग्राम मिरला पीरान तहसील श्री माधोपुर के 30 कृषकों द्वारा एस्टीमेट का 75 प्रतिशत ऋण के रूप में जमा कराने पर भी विद्युत मण्डल द्वारा कनेक्शन न दिये जाने के संबंध में श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव। इसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठाना उपयुक्त होगा।

उपरोक्त मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इनको प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

बीकानेर तथा चूरू जिले में चेचक के प्रकोप पर चिकित्सा मंत्रीजी का वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): अध्यक्ष महोदय, सर्व श्री दौलतराम सारण व श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा चूरू जिले में चेचक के प्रकोप व चिकित्सा व्यवस्था की कमी के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, उसके बारे में मैं निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के बारे में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है, उसके बारे में भी एक वक्तव्य दूंगा।

चूरू जिले में माह अक्टूबर 70 से माह मार्च 71 तक वहां के चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र के कुल ग्यारह गांवों में 89 माता के रोगी ग्रसित हुए हैं और ग्यारह की मृत्यु हुई। रोग की सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्वास्थ्य स्तर से तुरन्त कार्यकर्ता पहुच गये तथा पूर्ण रोकथाम के साधन जुटा दिये गये व बीमारी पर काबू पाने की कार्यवाही की गई व की जा रही है।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संस्था के दो चिकित्सक वहीं के कार्य को देखकर भी आये हैं। क्षेत्र के सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारी तथा सरदारशहर के चिकित्सक इत्यादि भी उनसे मिले व व्याप्त बीमारी से अवगत करवाया। सरदारशहर क्षेत्र में एक ढाणी डालचन्द, सुजाराम.... में भी गये ....

श्री दौलतराम सारण: क्या कहा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: डालचन्द सूजाराम......

श्री दौलतराम सारण: ऐसी तो कोई ढाणी नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इसको और कन्फर्म कर लिया जायगा। टेलिफोन पर सुनने में गलती हो सकती है।

"वहां चार चेचक के रोगी पाये गये और वहां पर बीमारी पर काबू पा लिया गया है और चेचक के टीके लगाने पर अधिक बल दिया गया। इन ग्याराह ग्रामों में से जिनका विवरण नीचे दिया है और बीमारी की सूचना किसी अन्य ग्राम से प्राप्त नहीं हुई है। नीचे दिये गये ग्रामों में उपयुक्त

Page No 52

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

साधन जुटाये गये हैं और सब जगह चेचक के टीके लगाने के कार्य को और अधिक ध्यान दिया गया है। ग्रामानुसार ग्रसित ब्योरा निम्न प्रकार है।]

क्र.सं.	प्रा.स्वा.केन्द्र	ग्राम	ग्रसित	मृत्यु	टीका कार्य प्राइमरी	पुनः	कुल
1	सांसू	डेडरवा	5	1	151	355	506
		राजगढ़	32	7	1047	3333	4380
		रामपुराबेरी	2	—	82	345	427
		सिद्धमुख	6	1	122	419	532
2.	रतननगर	कुनसीसर	7	—	81	122	203
		चूरू शहर	8	1	128	150	278
3.	सरदारशहर	सरदारशहर	5	—	584	534	1118
		रामसरिया	12	1	34	196	230
		नवासर	17	10			
4.	सहावा	खाखियाकावास	4	रिपोर्ट अपेक्षित है क्योंकि रोग माह अप्रैल में ही हुआ है।			
		पुनरास	2	रिपोर्ट अपेक्षित है			
		तारानगर	6	रिपोर्ट अपेक्षित है।			
		योग	96	21	2229	5445	7674

हाल ही में इस जिले में चार कार्यकर्ताओं की एक एक महामारी नियन्त्रण टोली का भी चयन किया गया है जो सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त रोकथाम के लिए प्रस्थान करेगी, तुरन्त सूचना को प्राप्त करने के साधन जुटाये जा रहे हैं तथा रोग आगे फैलने के पहिले ही उस पर नियन्त्रण पाया जा सके। माह अक्टूबर 70 से माह फरवरी 71 तक उक्त जिले में टीका कार्य निम्नलिखित है :—

माह		प्राईमरी	रिवैक्सीनेशन	कुल
अक्टूबर	70	1046	1362	2408
नवम्बर	70	5744	7259	13003
दिसम्बर	70	3648	4278	7926
जनवरी	71	7721	14288	22009
फरवरी	71	3946	8397	12343
योग		22105	35584	57689

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

चेचक के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारशहर के कुछ ग्रामों में खांसी बुखार इत्यादि के रोगी होने की सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारशहर में प्राप्त हुई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारशहर के चिकित्सा अधिकारी खुद वहां 12 ग्रामों में भ्रमण करने गये और उन्होंने वहां पर इन्फ्लूजा के रोगी देखे, जिसके लिए समुचित उपचार की व्यवस्था की गई। यह बताना आवश्यक है कि इन्फ्लूंजा के केस में साधारण तौर पर ए. पी. सी. से ही फायदा हो जाता है। चिकित्सा अधिकारी की सूचना के अनुसार हाल ही में वहां कोई मृत्यु इन्फ्लूंजा से नहीं हुई है। चिकित्सा अधिकारी दिनांक 8-4-1971 को उस क्षेत्र में गये थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी चूरू ने सदस्यों एवं प्रधान पंचायत समिति सरदारशहर को दी थी। डा. पन्नीकर, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वयं 17 अप्रेल 1971 को सरदारशहर के ग्रामों में गई हुई हैं और उनकी वापस आने पर सूचना मिलते ही विस्तृत जानकारी और दी जा सकेगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भी तार द्वारा आदेश दे दिये गये हैं कि वे भी उन क्षेत्रों में जाकर उपचार में योगदान देंगे।

डा० पन्नीकर, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, दिनांक 18-4-71 को सरदारशहर गई और उन्होंने सरदारशहर पंचायत समिति के प्रधान श्री हजारीमल सोर के साथ भालेरी, मीरवार और नेनासर ग्रामों का भ्रमण किया। इन ग्रामों में इन्फ्लूंजा के कैसेज मिले जिसके उपचार के लिए कार्यवाही कर दी गई है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी चूरू को निर्देश दिये गये हैं कि वह और उनके कार्यकर्ता उस क्षेत्र में जाकर औषधियों के वितरण का प्रबन्ध करें। इसी भ्रमण में बैनासर ग्राम में चेचक के प्रकोप की सूचना मिली और जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी सरदारशहर क्षेत्र में पहुंच गये हैं और रोकथाम की कार्यवाही शुरू कर दी है।

सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर, भी 18-4-71 को जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ एवं प्रधान पंचायत समिति सरदारशहर से सम्पर्क स्थापित कर वार्तालाप किया। इससे पहिले ग्राम जैतसर, तोलासर, रामासर और रेतूसर में भी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक केन्द्र सरदारशहर डा० दास गुप्ता ने 23-3-71 और 21-3-71 को भ्रमण किया और कुछ फ्लू के कैसेज होने के अलावा 15 कैसेज चेचक के पाये गये उनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी थी। चिकित्सा अधिकारी (परिवार नियोजन) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरदारशहर ने भी पूलासर, उदासर, करलारासर, कालासर और कामेसर ग्रामों का भ्रमण किया और दवाइयां वितरण की। यह सूचना टेलीफोन पर सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर, द्वारा दी गई और बातचीत पर यह पता लगा कि ग्रामों में फ्लू का प्रकोप बहुत तेज नहीं है पर कुछ मीजल्स के कैसेज अवश्य हुए हैं।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, और चिकित्सा अधिकारी, प्रा० स्वा० के०, को निर्देश दिये

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

गये हैं कि वे कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर उचित दवाइयां वितरण करने का प्रबन्ध करें।

ऊपर दी हुईं सूचनाओं से जाहिर होता है कि यह संभव है कि कुछ मृत्यु खास कर छोटे बच्चों में मीजल्स के कारण हुई है। जिसमें खांसी और बुखार मुख्य रूप से होता है क्योंकि मीजल्स से बचाने के लिए कोई दवाई नहीं दी जा सकती केवल रोगी को इलाज के लिए जब काम्पलीकेशन हो जावे जैसे ब्रोन्को निमोनियां हो जावे, तो दवाई देना आवश्यक हो जाता है।

बीकानेर

बीकानेर जिले में माह अक्टूबर 70 से माह मार्च 71 तक वहां केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ग्राम बकरासर, लालेरा और मोटालाई में कुल तीन ही रोगी चेचक से ग्रस्त हुये हैं।

बीमारी की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालू तथा जिला स्तर एवं क्षेत्रीय सहायक निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं, बीकानेर, के स्तर से तुरन्त कार्यकर्ता पहुंच गये तथा पूर्ण रोकथाम के साधन जुटा दिये गये व बीमारी पर काबू पा लिया गया।

ग्रामानुसार ग्रसित वैक्सीनेशन कार्य निम्नलिखित है:—

क्र.सं.	प्रा०स्वा० केन्द्र	ग्राम	ग्रसित	मृत्यु	बिमार होने की तिथि	टीका कार्य प्रा०	टीका कार्य रा०	कुल
1	कालू	बकरासर	1	—	26-10-70	16	51	67
	कालू	लालेरा	1	—	15-12-70	126	194	320
	कालू	मोटोलाई	1	—	18- 1-71	73	183	256

इसके उपरान्त चेचक प्रकोप की सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर, को प्राप्त नहीं हुई है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संस्था के दो चिकित्सक वहां के लालेरा ग्राम में 20-3-71 को कार्य देख कर आये हैं तथा वहां के सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारी—सहायक संचालक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालू के चिकित्सक भी उनके साथ में थे और व्याप्त बीमारी पर काबू पाने के कार्य को सन्तोषजनक पाया गया।

माह अक्टूबर 70 से माह फरवरी 71 तक उक्त जिले में टीका कार्य निम्नलिखित है:—

माह	प्राईमरी	पुनः	कुल
अक्टूबर 70	2389	3007	5396
नवम्बर 70	3643	3103	6746
दिसम्बर 70	2873	2940	5813
जनवरी 71	2476	3736	6212
फरवरी 71	3245	6711	9956
	14626	19497	34123

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हाल ही में जिले में 4 कार्यकर्ताओं की एक एक महामारी नियन्त्रण टोलियों का ही चयन किया गया है जो सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त रोकथाम के लिये प्रस्थान करेंगी। तुरन्त सूचना को प्राप्त करने के साधन जुटाये जा रहे हैं ताकि रोग फैलने से पहले ही उस पर नियन्त्रण पाया जा सके।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने यह नहीं बताया कि बुखार जिसको आपने इन्फ्लूएंजा कहा है और खांसी से कितने पीड़ित हैं। ये जो आपने एक तारीख से 12 तारीख तक छुट्टियां हुई थी तो मैंने, अध्यक्ष महोदय, सुबह से रात के 10 बजे तक चूरू जिले का दौरा किया और उस दौरे के अन्दर मैं चार दिन सरदारशहर तहसील में, चार दिन डूंगरगढ तहसील में, सुजानगढ तहसील में सब जगह गांव गांव में गया हूं और वहां के लोगों को इकट्ठा करके जानकारी प्राप्त की है। चेचक के सम्बन्ध में सूचना करीब करीब ठीक है। मैनासर की जो बात कही है वह भी ठीक है लेकिन तीन चार जगह केसेज ज्यादा हैं। एक ग्राम है, अध्यक्ष महोदय, रामसीसर जिस दिन मैं वहां दौरे पर गया था तो उस दिन उस गांव में 400 रोगी पीड़ित थे और उनको भयंकर बुखार आता है। इस बुखार में आदमी को होश नहीं रहता है। पता नहीं 105-106 डिग्री बुखार होता है। बहुत तेजी से बुखार होता है। आदमी के उठने की स्थिति नहीं होती है। खांसी रामसीसर गांव में बहुत तेज है। मेरे दौरे से पहले इस गांव में एक आदमी मर चुका था। बच्चे से लेकर बूढे तक बुखार आ रहा है। कई परिवार के परिवार पीड़ित हैं। दीराजसर, रोलासर, तोलासर, मनापुरसर गांव हैं उन गांवों में भयंकर हालत है। कई बच्चे मर चुके हैं और अधिकांश परिवार बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। मैंने मालूम किया रोलासर तोलासर में एक डाक्टर आया था लेकिन थोड़ी देर ही रुका और चला गया। रामसीसर में भी यही स्थिति थी एक बार गया और कुछ गोलियां बांटकर आ गया। फिर दुबारा जाकर नहीं सम्भाला किसी ने दुबारा जाकर देखा भी नहीं। गोलियां भी पूरी वितरित नहीं की। वहां प्राइवेट डाक्टर जाता है वह 6 मील दूर से आता है। गांव वाले उस डाक्टर को ले जाते हैं। रोलासर, तोलासर से वह प्राइवेट डाक्टर 6–7 मील दूर पड़ता है। ये गांव वाले प्राइवेट डाक्टर के पास दवा लेने जाते थे, उनको पैसे भी देते थे और लाना होता था तो फीस भी देते थे। इतना खर्च उठाकर वे अपना इलाज करवा रहे हैं। सरकारी चिकित्सा वाहन है वह बहुत कम गांवों में जाता है। शहर से ही उसको फुर्सत नहीं मिलती है। शहरों में ही जब उनको अच्छी आमदनी हो जाती है तो शहर से बाहर गांवों में क्यों जायं? शहर के बाहर जाते हैं तो उनको फीस भी नहीं मिलती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह बुखार भयंकर रूप से जिले में फैला हुआ है। सुजानगढ तहसील में गया, डूंगरगढ तहसील में गया वहां भी बुखार का प्रकोप भयंकर है तारानगर में भी बुखार का प्रकोप है चूरू के लोगों से जब मैं उधर से गया तो मिला वहां भी भयंकर प्रकोप हैं। इस प्रकार पूरे जिले में भयंकर बुखार है। पता नहीं किस टाइप का बुखार है। इस बुखार के आने के

(श्री दौलतराम सारण)

बाद कई दिन तक चलता है। कम से कम एक सप्ताह तक चलता है। रोगी अशक्त हो जाता है। उठने बैठने की हिम्मत नहीं रहती है। बुखार इतना तेज होता है कि आदमी अपना होश भूल जाता है। यदि साधारण स्थिति होती तो मैं यहां स्थगन प्रस्ताव द्वारा सदन का समय नहीं लेता लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसीलिये स्थगन प्रस्ताव रखा है कि गांवों में बुखार का प्रकोप व्यापक रूप से फैला हुआ है। हजारों लोग इस बुखार से पीड़ित हैं। खासतौर से कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करवायेंगे तो कई लोगों के मरने की आशंका है। मेरा इतना ही स्थगन प्रस्ताव है।

श्री रावत राम (छापर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है और जो वहां का डाक्टर है उनको महीने में 15 दिन गांवों में नाइट हाल्ट करना कम्पलसरी है-एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या यह सही है कि सरदारशहर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में और उनको जो वाहन भी मिला हुआ है इस पिछले अक्टूबर से गांव में डाक्टर ने कितनी हाल्ट की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (स्वास्थ्य मंत्री) : जहां तक सरदारशहर के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर का सम्बन्ध है, मैंने भी परिस्थितियों का अध्ययन किया है। आज ही सूचना प्राप्त हुई है। वहां पर 20 बैड का अस्पताल है। एक डाक्टर है, और उसके साथ फेमिली प्लानिंग का डाक्टर हैं। उन्हें 20 बैड के अस्पताल को छोड़कर जाने में दिक्कत होती है। अगर माननीय सदस्य महसूस करें सरदारशहर अस्पताल है वहां पर ही प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कायम किया जाना चाहिये तो पंचायत समिति····

श्री दौलतराम सारण : पंचायत समिति ने प्रस्ताव भेज रखा है और रुपये भी भेज रखे हैं माननीय गृहमंत्री जी जो उस समय चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने ऐसी अनुमति नहीं दी थी। आज भी पंचायत समिति तैयार है। हम कन्ट्रीब्यूशन कराने को तैयार है और प्रस्ताव पंचायत समिति से भिजवाने को तैयार है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो इनफ्लूएंजा की स्थिति बताई है मुझे जो टेलीफोन से सूचना मिली है। अभी एक डाक्टर को भेजा है 17 को वह वापिस अपने हेडक्वार्टर पर नहीं आया है, लेकिन यह सूचना कई गांवों में ठीक है। इनफ्लूएंजा के लिये एक टीम बना दी है वह गांवों का दौरा करेगी। असिसटेन्ट डाइरेक्टर और डी० एस० ओ० को उनकी मदद के लिये लगा दिया है बीकानेर और चूरू जिले में चार चार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम बना दी है यह बात जो सरदारशहर की है मैं महसूस करता हूं। 10 हजार का जो जमा होता है वह सब सेन्टर के जमा होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कायम किया गया था तो पंचायत समिति ने पहले सरदारशहर में ही हो उसके लिये पेश किया था····

श्री दौलतराम सारण : नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी ऐसी जानकारी है। यह मैं फाइल मंगाकर और देख लूंगा।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है। दो बार प्रस्ताव पेश किया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी ऐसी मान्यता है सरदारशहर से बदल कर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर दूसरी जगह करना चाहिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बीकानेर जिले के बारे में स्टेटमेन्ट दिया है उसमें कुछ कमियां हैं। सरपंच और लोगों ने खारखोर से नोखा तहसील के विकास अधिकारी को शिकायत भेजी है और मेरे पास भी उसकी कापी भेजी है और कोलायत तहसील में भी चेचक फैली हुई है और उन्होंने मुझे भी इत्तला दी है लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि नोखा तहसील में दस सरपंचों ने शिकायत भेजी है और विकास अधिकारी को जो पत्र लिखा है उसकी कापी मुझे भी दी है और इसके अलावा दूसरी बीमारी है ओरी। ये चेचक और ओरी दोनों एक सी ही बीमारी हैं चेचक थोड़ी भयंकर है और ओरी उससे थोड़ी नर्म बीमारी है। मैं 5 तारीख को तहसील नोखा गया हूं और वहां पर यह बीमारी फैल रही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा चाहूंगा कि उसकी तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये नहीं तो यह बीमारी ऐसी है कि फैल जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपको भेजी है उसकी सूचना आपको भी भेज दें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सेग्रीगेशन के लिए और छूआछूत करने के लिए आदेश दे दिये गए हैं और इसके लिए उनको समझाया गया है।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के समय जैतारण क्षेत्र में मार-पीट एवं गोली चलने की घटना की ओर श्री शंकरलाल (जैतारण), सदस्य, विधान सभा, गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रूल 131 के (4) में दिया हुआ है कि कोई भी मोशन हो तो वह रिसेन्ट आकरेन्स का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह लोक सभा के मध्यावधि चुनाव ?

श्री विजयसिंह : उनको तो समाप्त हुए काफी समय हो गया और जो सत्र चला गया है उसमें आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत फ्लेक्सीबल है।

श्री शंकरलाल : मैं इनके प्रश्न का जवाब दूं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो ध्यान आकर्षण कीजिए।

हां, आरम्भ करें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जैतारण क्षेत्र में लोकसभा के मध्यावधि चुनावों के फलस्वरूप लज्जाजनक घटनायें हुईं जिससे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले माननीय सदस्य चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों, अगर वह उन पर विचार और चिन्तन करें तो मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के लिए एक बड़ी अशोभनीय और लज्जाजनक बात रही है....

श्री भैरोंसिंह : ध्यान आकर्षण कर दें। गवर्नमेन्ट का वक्तव्य हो जाये और फिर पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण हो, भाषण नहीं। जो आपने दिया है उसी को पढ़ कर ध्यान आकर्षण हो जाता है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जैतारण, जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र में आता है और वहां से मध्यावधि चुनावों के अन्दर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जोधपुर की राजमाता खड़ी हुई थी....

श्री भैरोंसिंह : पहले एक बार स्टेटमेंट तो हो जाये।

श्री शंकरलाल : मैंने प्रारम्भ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : पहले थोड़ा सा कुछ कहा जाता है और बाड़ी में जो आपने दिया है उसी पर बोल लिया जाता है।

श्री शंकरलाल : उसी पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री शंकरलाल : दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा था तो उसी तरह से कह रहा हूं।

तो अध्यक्ष महोदय, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जोधपुर की राजमाता इन लोकसभा के मध्यावधि चुनावों में खड़ी हुई थी जिनको कि चौगुटे का समर्थन था और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो इस चुनाव के फलस्वरूप एक तो जोधपुर की राजमाता विजयी हुई दूसरी तरफ जैतारण क्षेत्र में राजमाता हार गई और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए इस मिश्रित हार-जीत की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामन्तवादियों ने जो मार-पीट और गोलियाँ चलाने की हरकतें की हैं उसकी तरफ मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री विजयसिंह : सामन्तवाद को डेफीनेशन क्या है मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं ? सामन्तवादी कौन होते हैं, सामन्तवादी क्या होता है इसके बारे में पहले माननीय सदस्य स्पष्टीकरण दे दें।

श्री अध्यक्ष : इन्टरप्ट मत कीजिए।

श्री विजयसिंह : जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं यह तो मालूम होना चाहिए पहले कम से कम ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, गांव सेवरिया के अन्दर तारीख 13-3-71 को 8 बजे श्री रणवीरसिंह, श्री हनुमानसिंह, श्री मदनसिंह, श्री कुशालसिंह, श्री परबतसिंह, श्री भंवरसिंह, श्री सवलसिंह, श्री जीवनसिंह, श्री भगवानसिंह, श्री अजीतसिंह आदि दस आदमियों ने शंकरसिंह और उसके भाई ओंकारसिंह दोनों के ऊपर लाठियों से कातिलाना हमला किया और हमला करके उनको गम्भीर चोटें पहुंचाई जिससे कि ग्रिवीयस हर्ट आई और मारपीट करके ओंकारसिंह का जो चून्दड़ी का साफा था उसको भी जबरदस्ती छीन लिया और इस घटना की रिपोर्ट को, जब शंकरसिंह और ओंकारसिंह उठकर शफाखाने में गये घायल अवस्था में क्योंकि पुष्कर शफाखाना नजदीक पड़ता है और वे वहां भर्ती हुए।

(श्री शंकरलाल)

पुलिस थाना आनन्दपुर–कालू लगता है और वहां 394 और 395 में मुकदमा दर्ज हुआ जबकि मुकदमा 307 में दर्ज होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, उनका सर्टिफिकेट देखा जाये तो आपको मालूम होगा कि ओंकारसिंह के पांच चोटें लगीं जिनमें दो चोटें संगीन हैं और शंकरसिंह के 6 चोटें बताई गई हैं, जिनमें एक चोट ग्रिवीयस है। दोनों के हाथों की हड्डियां टूट गयी और श्री शंकरसिंह के सिर में भी चोट आई। इनका पुलिस ने 307 का मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब वे शफाखाने से छूटकर आये तो उनको मालूम हुआ कि उनका मुकदमा तफतीश के लिए पाली के सर्किल आफिसर के पास भेजा गया है जबकि पाली के सर्किल ऑफिसर का यह जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। उन्होंने इस बात के लिए मालूम किया कि किस प्रकार से पाली के सर्किल आफिसर को यह मुकदमा तफतीश के लिए दिया गया तो मालूम हुआ कि स्वतन्त्र पार्टी के जैतारण में वकील श्री भैरूंसिह जी के भाई श्री सी० डी० देवल, जो जोधपुर में आर० टी० ओ० हैं, उनसे जोधपुर डी. आइ. जी. को कहलवाकर तफतीश उनके मर्जी के के ऑफिसर पाली के सर्किल आफिसर को दिलवा दी है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस चर्चा से मुस्तगीस श्री शंकरसिंह ने पाली सी. ओ. के तफतीश कराने से इन्कार कर दिया और तफतीश थाने से अथवा किसी अन्य आफिसर से कराने को अपील की जिस पर गृह मन्त्री जी द्वारा तफतीश सी० ओ० जैतारण से कराने का आदेश हुआ, लेकिन उस घटना का आज तक कुछ नहीं हुआ। इस सिलसिले में कह रहे थे कि डकैती का मुकदमा बनाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी आदमी का साफा या पगड़ी उतार ली जाती है और वह भी चुनड़ी का साफा हो तो उस साफे की कितनी इज्जत होती है गांवों में। अब तो कोई साफा या पगड़ी पहनते नहीं हैं इसलिए पता नहीं कि गांवों में इसकी कितनी इज्जत है तो गांवों के अन्दर पगड़ी उतारने की कितनी दर्दनाक घटना होती है, उसे हमें समझना चाहिए....

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको यह मालूम होना चाहिए कि ...

श्री शंकरलाल : इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यही नहीं जब माननीय सदस्य ने साफे की बात कही थी तो पाली जिले के किसी गांव का नाम नहीं लिया मैंने समझा कि यह कनवा गांव का होगा।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री विजयसिंह : ऐसा तो चैनारामजी करते हैं, वे किसी को चुनड़ी का साफा नहीं पहनने देते हैं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, चुनड़ी के साफे की क्या इज्जत होती है यह तो आप दाता ठाकुर साहब मदनसिंह जी से पूछें वे आज आये नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं गांव लोटोती के अन्दर स्थानीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री नारायणसिंह के साथ भूतपूर्व जागीरदार के पुत्र श्री बलवीरसिंह ने पोलिंग के दिन 4–3–71 को झगड़ा किया व 10–3–71 को कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री नथमल के मकान पर हमला किया और 12–3–71

(श्री शंकरलाल)

को श्री नारायणसिंह के पुत्र श्री भीखसिंह पर हमला किया व 27-3-71 को श्री नारायणसिंह के पुत्र श्री गणपतसिंह पर श्री बलवीरसिंह ने गोली चलाई वह गोली फायर करने से क्योंकि वह ऊपर बैठा हुआ था और नीचे से गोली चलाई, इसलिए गोली बच गयी और गोली के निशानात मौजूद हैं। मुकदमा 307 का पुलिस थाना जैतारण में दर्ज हुआ और गांव वाले आतंक के मारे गांव छोड़कर भागने लगे। बलवीरसिंह के पिताजी स्वयं गांव छोड़कर गये और कहा जाता है कि यह मुकदमा झूठा है और गलत है जबकि उनके भाई स्वयं वहां से चले गये। गांव के लोगों में आतंक हो गया और टेम्पोरेरी गार्ड का इन्तजाम किया गया है। आज उनसे पूछा जाये और इसलिए पूछा जाये कि वे कांग्रेस के समर्थक हैं, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लाटौती के अन्दर गोलियां चलीं, वह भी राजपूत थे और जो सामन्तवादी राजपूत हैं, वे उन कामन राजपूतों को कहते हैं कि तुमने कांग्रेस का साथ क्यों दिया। जो ठेकेदारी लेकर चलते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कामन राजपूत को डराया जाता है। आप जिस तरह से कामन राजपूतों को दबाना चाहते हैं वह दब नहीं सकते··

श्री विजयसिंह : बांसवाड़े में क्या हुआ ?

श्री शंकरलाल : कामन राजपूत गरीब आदमी हैं।

अध्यक्ष महोदय, गांव सेवरिया का मैं आप से निवेदन कर रहा था कि वहां पर एक लुहार, जो कि कांग्रेस का पोलिंग एजेन्ट था, जिसका नाम सोहनलाल लुहार था, उसको कांग्रेस का पोलिंग एजेन्ट बनाया गया था। इसलिए उसको 9-3-71 को बस्तीलाल की दुकान पर रात के पौने नौ बजे हनुमानसिंह ने लातों से मारा पीटा और जूते की नोक से उसकी आंख के नीचे चोट आई है और खून निकला है। जब वह लुहार नीचे पड़ गया तो उसका बाप आया तो उसको भी मारा-पीटा गया और कहा कि कांग्रेस का एजेन्ट बना है, इसलिए सजा मिलनी चाहिए इसको मालूम होना चाहिए कि राजमाता जीत गई है। उसकी प्रक्रिया के स्वरूप सोहनलाल जो कि बैकवर्ड जाति का आदमी था उसको मारा पीटा गया।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, गांव राजडण्ड, तहसील जैतारण के अन्दर जस्साराम सुनार था। वह कांग्रेस का एजेन्ट था। उसको शम्भूसिंहजी ने मारा-पीटा और चूंकि वह स्वर्णकार था और पिछड़ी जाति का आदमी था तो उस पर दबाव डालकर, उसको दबाकर राजीनामा अदालत में पेश करवाया।

अध्यक्ष महोदय, गांव आनन्दपुर-कालू जो कि जैतारण तहसील के अन्दर है, वहां पर एक नेमीचन्द को, जो कि कांग्रेस का समर्थक था, जोरसिंह निवासी कालू और मूलसिंह निवासी गांव बस्सी और जोरसिंह के भाइयों ने मिलकर 10-3-71 को दुकान पर चढ़कर मारा-पीटा। नेमीचन्द गिर गया और मारने के बाद उसको डराया और धमकाया कि अगर पुलिस में रिपोर्ट की और हमारी शिकायत की तो घर को लूट लिया जायगा। उसने रिपोर्ट

Page No 61

(श्री शंकरलाल)

नहीं की। जब एस० पी० आये दूसरे गांव से और उन्होंने पूछा तो मालूम हुआ। उन्होंने पूछा कि घर के अन्दर चोट खाये हुए क्यों पड़े हो तो उसने सारी बात बताई इतना आतंक इन सामन्तवादियों ने फैला रखा है और जगह जगह पर लोगों को मारा पीटा है।

श्री विजयसिंह : नागौर के बारे में भी कह दो।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, बड़े कला के अन्दर वहां पर मिश्रीलाल नाम का नाई था तो उसके घर पर दौलत-सिंह ने हमला किया और घर में वह नाई और उसकी मां थी, तो उसने चौधरी के यहां शरण ली। चौधरी ने कहा कि नाई नहीं आया है। वे उसके पीछे दौड़े और वह चौधरी के मकान में घुस गया वर्ना वे उसको जान से मार देते। उसकी रिपोर्ट हुई, अध्यक्ष महोदय, और बाद में राजीनामा हुआ ऐसा मालूम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, छोटी-मोटी घटनाओं में राजीनामा हुआ, लेकिन जो गोली चली और सेवरिया में हाथ तोड़ा गया और पुलिस की तरफ से, अध्यक्ष महोदय, अच्छी तरह से तफतीश भी नहीं की जा रही है। इसलिए गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। गांव मूबलिया, तहसील जैतारण में वहां के सरपंच खेतसिंह ने वहां के आलादीन मोयला के साथ मार-पीट की और उसका हाथ तोड़ दिया। वह इसलिए कि वह कांग्रेस का प्रचार करता था।

इसी तरह से गांव रावड़ियावास में पटवारी चिमनाराम को जो कि शेड्यूल्ड कास्ट का था इसलिए पीटा गया कि वह उनके कहने के अनुसार काम नहीं करता था। उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी गई और वह अभी तक जोधपुर अस्पताल में पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया।

श्री शंकरलाल : इन घटनाओं के सम्बन्ध में किसी भी जगह किसी का चालान नहीं हुआ पुलिस की तरफ से। क्यों नहीं हुआ? उनके लिए राज्य सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी की तफतीश न हो और अदालत में सारे मामले वे बिगाड़ना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी विचार धारा रखने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती अपने विचार लोगों के अन्दर ठूंसना चाहते हैं लाठियों और गोलियों के बल पर और उनकी राजनैतिक भावनाओं को बदलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण के बाद माननीय सदस्य ने कह दिया तो हमें भी कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रोसीजर में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसीजर में यही होता है कि मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैंने यह अनुभव किया है ध्यानाकर्षण पर रेग्युलर डिबेट होती है और हरएक माननीय सदस्य को अपने अपने

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यह इस सदन की परम्परा रही है चाहे नियमों के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का कुछ भी अर्थ हो। इसके बावजूद भी ऐसी परम्परा इस सदन में रही है। तो हम लोग तो इधर बैठने वाले हैं वे भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं परम्परा के अनुसार। नियमों के अन्तर्गत चाहे जो कुछ भी व्यवस्था अगर आपके द्वारा दी जायगी तो उसका तो मैं विरोध नहीं कर सकता, लेकिन विनम्र शब्दों में ध्यानाकर्षण पर अर्ज करना चाहूंगा कि इस सदन में यह परम्परा है उसके अनुसार अगर सरकार का जवाब भी हो जाय उसके बाद भी हम लोगों को दो-दो शब्द बोलने का अधिकार आपने दिया है। यह मेरा आप से निवेदन है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : किस बारे में बोलना चाहते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में फैक्ट्स आते हैं। किसी तरह का कोई मामला आता है और उसको चैलेन्ज किया जाय तो परम्परा किस बात की ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर 3-3 घन्टों तक बहस हुई है सदन के अन्दर। या तो आप यह निर्णय लेलें कि प्रस्ताव पर जो माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण करें वे 5-10 मिनिट बोलकर बैठ जायं और सरकार का उत्तर हो जाय और उसके बाद जो कुछ प्रश्न करना हो प्रश्न कर लें और इस तरह से वह 40-50 मिनिट में समाप्त हो जाय। मगर 3-3 घन्टों तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस सदन के अन्दर बहस करने की परम्परा है तो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कौन सी बिजली पड़ गई कि इसको तुरन्त समाप्त कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो बिजली नहीं पड़ी क्योंकि इस प्रश्न पर व्यवस्था देना अवशेष है। मूवर ने मूव कर दिया और उसके बाद माननीय मंत्रीजी का स्टेटमेंट और उसके बाद नियमों के अन्तर्गत इल्यूसिडेटिंग इन्फर्मेशन जो भी माननीय सदस्य चाहें, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मुद्दों एवं गृहमंत्रीजी के स्टेटमेंट के संदर्भ में। लेकिन यह तो नियमों का प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न जैसा कि माननीय नेता ने कहा कि बहुत समय तक डिबेट इस पर होती रही है

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हर सेशन के अन्दर होती है।

श्री अध्यक्ष : डिबेट होने के प्रश्न को हम इस सदन में अपवादस्वरूप लेने जा रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता है। यह रूल्स के अन्दर ले लिया गया है। समय थोड़ा-बहुत दे दिया जाता है लेकिन उस पर डिबेट नहीं की जा सकती है। इस संदर्भ में जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहें वे प्रश्न रख दें। प्रश्न लेन्दी भी हो सकता है और प्रश्न का उत्तर भी लेंदी हो सकता है और 3-4 से ज्यादा प्रश्न हो सकते है, लेकिन नियमों के अन्तर्गत ही चलना उचित होगा इसलिए मैं माननीय सदस्यों को प्रश्नों के आधार पर.........

श्री दौलतराम सारण : पहले स्टेटमेंट हो जाय।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र आर्य के खड़े होने पर) स्टेटमेंट के बाद।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, पहले।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं बोल रहा हूं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

यह मैंने इसलिये कहा है कि नियमों के अन्तर्गत भी यही है। ध्यानाकर्षण के बाद में आपने एक स्थिति की व्याख्या कर ली और उसके बाद में राज्य सरकार की ओर से उत्तर हो। दूसरी स्थिति आपके सामने आयेगी तभी प्रश्न उचित होता है उसके पहले नहीं। इसलिए मैं गृहमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उत्तर दें।

श्री विजयसिंह : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल इसलिए और इस वजह से लाया गया है कि वे किसी प्रकार से गृहमंत्रीजी को प्रेस करें कि वे चाहे जैसा करें इस वजह से लाया गया है कि गृहमंत्रीजी को अपने हिसाब से चलने के लिए प्रेस करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके मत की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह भी एक प्रश्न आपके पास है। इसको आप पूछ सकते हैं; उस वक्त इसलिए वक्तव्य दें।

श्री विजयसिंह : कांग्रेस अध्यक्ष ने चार्ज लगाया है कि गृहमंत्रीजी सामन्तवादियों से संबंधित हैं······

राज्यमंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने मध्यावधि चुनावों के समय और चुनावों के नतोजे निकलने के बाद जैतारण क्षेत्र में इस सम्बन्ध में जो घटनाएं हुई हैं उन पर यहां चर्चा करके गृह विभाग का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कुछ घटनाओं को यहां पर विश्लेषण भी किया है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन की जानकारी देना चाहूंगा कि 6 घटनाएं इस क्षेत्र में मध्यावधि चुनाव का नतीजा निकलने के बाद पुलिस के अन्दर दर्ज की गई हैं, और उन पर इस समय पर पुलिस ने तत्काल ऐक्शन लेकर उन पर नियमानुसार कार्यवाही की है। जो मुकद्दमें अदालत में जाने के काबिल थे उनको अदालत में भेजा गया है और जिन पर तफतीश करना है उनकी तफतीश जारी है और वहां पर अभी चल रहे हैं।

उन घटनाओं का ब्यौरा मैं यहां पर दे रहा हूं:—

(1) ग्राम बड़ेकलां में होली के त्यौहार के दो तीन दिन बाद रात्रि के 8 बजे श्री भंवरलाल पुत्र मिश्रीलाल नाई निवासी बड़ेकलां, श्री दौलतसिंह, रघुनाथसिंह व परसराम निवासी बड़ेकलां जान से मारने की धमकी दी और झगड़ा किया। इस झगड़े का कारण श्री भंवरलाल द्वारा चुनाव में कांग्रेस में प्रचार करना बताया गया। इस मामले में धारा 107, 117 (3) जा० फौ० की कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई है। यह मामला अदालत में विचाराधीन है।

(2) दूसरी घटना राजाखण्ड ग्राम में होली के बाद सीताराम पुत्र पन्नालाल सुनार को सर्वश्री शम्भूसिंह राजपूत व उसके लड़के द्वारा मारपीट करने की घटित हुई है। इस घटना का कारण भी कांग्रेस का चुनाव में प्रचार करना बताया गया। इसको कार्यवाही भी 107, 117 (3) जा०फौ० में की गई।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(3) दिनांक 12-3-71 को श्री चिम्मनलाल पुत्र मगाजी मेघवाल पटवारी राबड़ियावास के साथ दौलतसिंह राजपूत द्वारा मारपीट करने की घटित हुई है। जिसका कारण यह था कि पटवारी ने सीलिंग के कागजात दौलतसिंह के विरुद्ध तैयार किये थे। इस घटना का अपराध धारा 333/353 भा० द० सं० इल्जाम नं० 12 पर थाना कालू में दर्ज हुआ है। अनुसंधान जारी है।

(4) यह घटना दि० 13-3-71 को श्री शंकरसिंह राजपूत व उसके भाई के साथ ग्राम सेबरियावास में घटित हुई है जिसमें शंकरसिंह व उसके भाई को कांग्रेस का प्रचार करने के कारण सर्वश्री रणवीरसिंह, हनुमानसिंह, मदनसिंह, कुशलसिंह, परबतसिंह, भंवरसिंह, सांवलसिंह, शीशराम, कानसिंह, विजयसिंह, भगवानसिंह और अजयसिंह द्वारा मारपीट किया गया है। इस घटना का अपराध भी धारा 147/149/379/325 भा०द०सं० में कायम किया गया है। अनुसंधान जारी है। घटना के बाद से अपराधी फरार हो गये हैं। इसके लिए आई. जी. पी. और एस. पी. को कह दिया गया है कि पूरा ख्याल रखा जाये।

(5) दि० 10-3-71 की रात को 11 बजे नेमीचन्द महाजन निवासी आनन्दपुर को जब वह बाजार में जा रहा था श्री जोगसिंह, रूपसिंह, मागसिंह निवासी आनन्दपुर ने आपसी रंजिश के कारण मारपीट की जिसकी कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो गई है।

(6) दि० 27-3-71 को मौजा लाटोदी में गणपतसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत के साथ पुराने रंजिश के कारण श्री बलवीर सिंह राजपूत लाटोदी ने झगड़ा किया। इस घटना का अपराध थाना जैतारण जेरदफा 307 भा० द० सं० में कायम किया गया है और तफतीश जारी है।

उपरोक्त घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें ग्राम राबडियावास, आनन्दपुर और लाटोदी की घटनाओं का चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह घटनाएं केवल आपसी रंजिश के कारण हुई हैं। ग्राम बड़ेकलां, राजाहण्ड और सिवड़िया की घटनाओं की प्रारम्भ रिपोर्ट में चुनाव प्रचार के कारण बताते हुए मारपीट होना दर्ज कराया गया है। इन कुल घटनाओं के सम्बन्ध में समय पर ही पुलिस जैतारण और कालू द्वारा समुचित कार्यवाही अमल में लाई गई है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं। कोई किसी प्रकार का आतंक इस समय वहां पर नहीं है। शान्ति और व्यवस्था हाथ में है। किसी प्रकार की अव्यवस्था वहां पर नहीं बताई गई हैं। जहां तक यह बताया गया है कि पुलिस किसी पार्टी का पक्ष कर रही है, यह निराधार है। पुलिस जो कानून है उसके अनुसार काम कर रही है। पुलिस सतर्क है। पुलिस पूरा ध्यान रखे हुये है कि वहां शान्ति और व्यवस्था कायम रखे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : आज तक आपने वहां पर किसी को गिरफ्तार भी किया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुल्जिम फरार हैं। सदन में प्रश्न लाया गया है, उसके अनुसार कार्यवाही की गई है।

Page No 65

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय…

(श्री शंकरलाल और श्री विजयसिंह के साथ साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

…गनपतसिंह क्या उनका लड़का नहीं है ?

श्री विजयसिंह : (अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा यह होगा कि शंकरलालजी की असलियत सामने आजाये कि वह क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे पास है, उनको बुलाकर यह पूछा जाये। यह कहा जा रहा है कि चुनाव के कारण यह झगड़ा हुआ यह साफ हो जाये।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय…

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों ने यह देखा है, उनको हाउस में बुलाकर देखिये तो पता लगेगा कि यह किस प्रकार का झगड़ा है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह खेत का झगड़ा है ?

श्री भैरोंसिंह : आप को पता तो है नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पता तो लगे।

श्री भैरोंसिंह : आपस की रंजिश है।

श्री विजयसिंह : Who keeps back the truth from the motives of repediency is either Coward or Criminal or both.

श्री अध्यक्ष : आप किसके लिये कह रहे हैं ?

श्री विजयसिंह : श्री शंकरलाल जी के लिये। मैं अध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने सरासर असत्य बात कही है। श्री गनपतसिंह के बारे में जो कहा है मैं उनको हाउस में प्रोड्यूस कर सकता हूं…

श्री शंकरलाल : आप को पता हो वह बताओ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या छोटो खाटू…

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस समय चेनाराम ने गरीबों को मारा था तब कहां थी आपकी निष्पक्षता ?

(श्री गाड़िया और श्री शंकरलाल के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय चेनाराम ने कपड़े उतार उतार कर नंगा करके लोगों को मारा है। उस समय कहां गये थे माननीय सदस्य ?

(भारी शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय…

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित न हो।

× × ×

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 66

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब से चुनाव हुआ है, राजपूत और जाटों को लेकर एक भयंकर प्रश्न पैदा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

श्री मदनसिंह : यह सब जातिवाद को लेकर हो रहा है।

श्री शंकरलाल : मेरे क्षेत्र में जाट और राजपूत का कोई सवाल नहीं हैं।

श्री मदनसिंह : राजपूत और जाटों को लेकर है।

(भारी शोरगुल और व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित न हो।

× × ×

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्वाइण्ट ऑफ आर्डर है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं यह व्यवस्था चाहता हूं, चाहे कोई इधर से हो चाहे उधर से हो। जो जैतारण से आनेवाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, उसमें किसी हरिजन की पिटाई के लिए कहा है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, दोनों ही साइड से हरिजनों को मारा गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : दोनों ही तरफ से हरिजनों को पीटा गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के माध्यम से पूछ लीजिए उनको माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य एक वकील रहे हैं। उन्होंने यह धन्धा बना रखा हैं। जिन गणपतसिंह के बारे में बताया है, मैं उनको चेम्बर में उपस्थित कर सकता हूं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय ··

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित न हो।

× × ×

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : बस श्री भैरोंसिंह ··

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य जो जैतारण से आये हैं, उन्होंने जिस प्रकार से ध्यान आकर्षण किया हैं, उससे ऐसा लगा है····

1.00 म. प.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जैसे बहुत ही बड़ी अव्यवस्था है। लेकिन जिस प्रकार का उत्तर राज्य सरकार

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह)

की ओर से दिया गया है कि किस प्रकार केवल 6 रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई है। उन 6 मामलों में केवल 3 मामले हैं जिनके अन्दर तूल यह दी गई है कि चुनाव के कारण यह हुआ है। जबकि आपसी रंजिश के कारण उन पर हमला किया गया है। बाकी 3 मामले हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो छोटे राजपूतों की वकालत की है और उनको सामन्तों से बाहर निकाला है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। जबकि कोई राजपूत यदि विरोधी दल में होगा तो वह सामन्त कहलायेगा और यदि कांग्रेस में राजा महाराजा भी होंगे तो वह प्रगतिशील होंगे। चाहे उनके पास लाखों रुपये की सम्पत्ति हो, तो भी प्रगतिशील होंगे और अगर विरोधी दल के अन्दर यदि कोई गरीब राजपूत है तो वह सामन्तशाही का प्रतीक है, वह प्रतिक्रियावादी है। इस प्रकार की स्थिति इस सदन में माननीय सदस्यों ने बना रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मामलों के विषय में शंकरलाल जी का कहना मान लिया जाय तो इस सम्बन्ध में केवल एक निवेदन मेरा यह है कि मैंने इन केसेज के बारे में मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और माननीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था और उस पत्र के माध्यम से केवल एक दर्ख्वास्त की थी कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन सारे मामलों की जांच कराई जाय और उस जांच की रिपोर्ट से, कौन गलत है, कौन सही है उसका निराकरण किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह बात हो कि शंकरलाल जी एक आदमी का साफा उतारने के मामले को लेकर उसे डकैती का केस बनाना चाहें ......

श्री शंकरलाल : साफा उतारने की ही बात नहीं है, उस आदमी के छःछः सीरिअस इन्जरी आई हैं, छः छः चोटें गम्भीर आई हैं। वैसे चूंदड़ी के साफे की कितनी कीमत है, यह माननीय सदस्य न मानें, लेकिन साफे को उतारने की बात है, उस साफे की कीमत दांता साहब बता सकते हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : यह सही है कि चूंदड़ी के साफे की कीमत है। साफे की कीमत है इसलिए ही डीडवाना में एक सांसी ने चूंदड़ी का साफा पहन लिया तो चेनाराम ने उसकी मूछें पकड़ कर उखाड़ लीं। मैं यह नहीं कहता हूं ....

श्री **शंकरलाल** : चेनाराम की कहानी में तो बहुत सारी बातें आती हैं। आप विषयान्तर क्यों हो रहे हैं। आप अच्छे विधायक हैं तो इस बात पर ही बोलें, दूसरी बात क्यों करते हैं।

श्री विजय सिंह : आप प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो अदालत पड़ी है, यहां क्यों कह रहे हैं।

श्री शंकरलाल : आपको बता रहे हैं

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप भी राजपूतों की वकालत कर रहे हैं। बात वही की वही है

श्री **भैरोंसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, गोली चलाने का प्रश्न हो, उस पर कार्यवाही करें उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। किसी ने

(श्री भैरोंसिंह)

किसी के साथ मारपीट की हो, हाथ तोड़े हों, पैर तोड़े हों—तो आप जो भी कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं वह करें, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। किसी ने किसी के हाथ तोड़े हों, पैर तोड़े हों—तो उसकी पैरवी करने के लिए न मैं खड़ा हुआ हूं और न होऊंगा। लेकिन मैं इतना निश्चित-तौर पर कह सकता हूं, हाथ पांव तोड़ने की आड़ में आपसी रंजिश के कारण, राजनैतिक कारण से 395 का मुकदमा किसी पर बनाने की विधायक चेष्टा करें-यह तो आपत्तिजनक है।

श्री शंकरलाल : यह तो इन्होंने स्वयं अपने पत्र में कहा है कि वह कांग्रेसी कार्य-कर्त्ता हैं, यह इन्होंने स्वयं कहा है। क्या वह वाजिब है? आपने गृह मंत्रीजी को जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि वह कांग्रेसी कार्य-कर्त्ता है। आपने खुद राजनीति से जोड़ा है। आपने जो पत्र गृह मंत्रीजी को लिखा है, आप बतलायें कि उसमें आपने राजनीति से जोड़ा है या नहीं?

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल मैंने जो गृह मंत्रीजी को पत्र लिखा, वह पत्र आपके पास पहुंच गया-इस बात की मुझे खुशी है। आप मुख्य मंत्रीजी से मिल आये, इस बात की मुझे खुशी है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस मामले को छोटी खाट् की तरह सदन में उठाओ-यह मुझे जानकारी है।

श्री शंकरलाल : यह बात गलत है। यह बिल्कुल गलत है।

(शोरगुल--अश्रव्य)

मुख्य मंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मामले को साइड ट्रैक करने की, हाउस में एक तरह की हवा बनाने की कोशिश करते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह अपने आपको बचाने के लिए सारा काम किया जा रहा है, यह सारा प्रदर्शन किया जा रहा है........

(शोरगुल--अश्रव्य)

अपना बचाव करने के लिए मुख्य मंत्रीजी के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, गृह मंत्री के ऊपर हाथ डाल रहे हैं इस प्रकार की बात करके, जो अपराधी हैं, उसको सेव करने की कोशिश की जा रही है......

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस तरह की बात करके अपराधियों का हौसला बुलन्द करते हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था, वह बहुत दिन पहले दिया था। उसके बाद में आपने पत्र लिखा है मुख्य मंत्रीजी को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने बहुत पहले रख दिया था कोई सुखाड़िया साहब ने नहीं कहा कि छोटी खाट् की तरह उठाओ। यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यह हमेशा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने जो प्रस्ताव दिया है, उसकी तारीख आप देख लीजिये। आप बिलकुल गलत बात कहते है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो सच्ची बात कहने का ठेका लेकर आये हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अपराधी को आपने अपने पास छिपा रखा है और यहां पर इस तरह की बात कहते हैं....

(शोरगुल-अश्रव्य)

अपराधी इनके पास बैठा है, और राजनैतिक कारणों से उनकी मदद कर रहे हैं।

श्री विजय सिंह : यह झूठ है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह राजनैतिक कारणों से कर रहे हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

आप स्वयं इस प्रकार की गलत कार्यवाही करेंगे तो आपको स्वयं मालूम हो जायगा कि इस तरह के गलत कारनामों का क्या नतीजा होता है।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : आये दिन गुण्डों को अपने साथ रखते हो, हिस्ट्रीशीटर्स को अपने साथ रखते हो....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिन अपराधियों ने भयंकर आतंक मचा रखा है, उन अपराधियों को यह छिपा रहे हैं।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप न्याय की बात करते हैं लेकिन आपका धन्धा यही है कि आप सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की हत्या करवायें....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप असेम्बली में इस प्रकार की बातें कहें, इससे साफ मालूम पड़ता है....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : हाउस के माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो लक्ष्मीलाल व्यास हैं, उन्होंने चुनाव के बाद में जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं के साथ अन्याय किया है। वह गिरधारीलाल व्यास के....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को इतना जरूर निवेदन करूंगा कि शायद वह देखेंगे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 31 मार्च को पेश किया गया है, और आपकी चिट्ठी, आप स्वयं जानते हैं, किस तारीख को लिखी गई है। आपकी चिट्ठी की वजह से मैं इनसे कहता कि यह प्रस्ताव यहां पर रखिये। माननीय सदस्य स्वयं मानेंगे कि यह बात मेल नहीं खाती है।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं, यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री से कभी अपेक्षा नहीं करता था, मैंने जो चिट्ठी लिखी है वह शंकरलालजी को पढ़ा दें।

श्री शंकरलाल : आपने स्वयं ने कहा था....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कोई चिट्ठी नहीं पढ़वाई !

श्री देवीदत्त गाड़िया : झूंठ बोलते हैं।

श्री शंकरलाल : आप इस हाउस की प्रासीडिंग्स को मंगा कर देख लें। आपने स्वयं ने कहा था कि गृह मन्त्रीजी को चिट्ठी लिखी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन मैं बोला था, उस दिन मैंने चिट्ठी नहीं लिखी थी। इसलिए चिट्ठी लिखने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री शंकरलाल : आपने कहा है, चिट्ठी लिखी है और गृह मन्त्रीजी ने कहा है, मेरे पास चिट्ठी आ गई है। आप उस दिन की हाउस की प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गिरधारी लालजी व्यास इसलिए नाराज हैं···

श्री शंकरलाल : आप नहीं मानते कि चिट्ठी लिखी ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : रोजाना लिखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : गिरधारीलालजी इस लिए नाराज हैं कि पुलिस ऑफिसर, मिस्टर त्यागी, जो पहले गुलाबपुरा में थे, और जिन्होंने, लोग कहते हैं, अन्याय किया, उनको वहां जैतारण में पहुंचा दिया और वह ज्यादती कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है। गलत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सही है···

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : अपराधियों को आपने शरण दी है, इस बात को छिपाने के लिए कह रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जनसंघ के जो कार्यकर्त्ता हैं, उनके साथ अन्याय किया है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : कारनामे प्रकट होंगे इस प्रकार से····

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : और लोगों के साथ अन्याय किया है उसके अन्दर इनका हाथ····

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : और फिर कहते हैं राजनीति है। राजनीति आपकी तरफ से है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री गिरधारीलालजी ने जो अपराधियों को सजा की बात कही है, अपराधियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भावना थी कि जनता के साथ किसी प्रकार अन्याय न हो तो छोटी खाटू पर एक शब्द भी सहानुभूति का वह बोलते लेकिन वहां तो ये बिलकुल चुप रहे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप अगर मुझे ले जाते तो बोलता। जो गये वो बोले। आपने स्वयं ने वहां देखा है, आपने स्वयं ने कहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी आंख के सामने तो यह छोटी खाटू की घटना आई लेकिन हर जगह यह ये किस्से होते हैं पर आपकी नजर में नहीं आते।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये कांड तो गुलाबपुरा में होते हैं और...

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : श्री गिरधारी लाल व्यास के भाई श्री लक्ष्मीनारायण ने चोरियां करवाई हैं, डकैतियां करवाई हैं...

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री दौलतराम सारण :

श्री यशवंतसिंह नाहर : पाइंट ऑफ ऑर्डर। पाइंट ऑफ ऑर्डर पर भी शांत नहीं होते? यह तो सबसे बड़ी बन्दूक है जो सबको शांत कर देगी। मेरा निवेदन है कि सदन में तूफान मचा था...

श्री विजयसिंह : ये बन्दूक चला रहे हैं।

श्री यशवंतसिंह नाहर : बिल्कुल। मेरा निवेदन है कि हमारे रूल्स का वायोलेशन हो रहा है। एक आदमी बोले तो हम भी सुन सकें जवाब देने का अधिकार होगा। सुनाई नहीं हो पाएगी तो क्या जवाब मिलेगा? इसलिए निवेदन है कि सदन में कोई बोले तो एक एक करके बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, विचारणीय प्रश्न हमारे लिए यह है कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसमें कुछ घटनाओं का विवरण किया गया है। उत्तेजना का कारण इसलिए बना कि उनका सम्बन्ध मध्यावधि चुनावों के साथ जोड़ा गया। दूसरे पक्ष को ऐतराज है कि मध्यावधि चुनावों के साथ इन घटनाओं का सम्बन्ध नहीं है। इसलिए यह उत्तेजना पैदा हुई। मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों से आपके मार्फत कि व्यक्तिगत घटनाओं को राजनैतिक रूप न दें। अगर राजनैतिक रूप व्यक्तिगत घटनाओं को देंगे तो उसके परिणाम भी गंभीर होंगे और अपराधी राजनैतिक शरण लेने की चेष्टा करेगा। न्याय, कानून और व्यवस्था सब अस्तव्यस्त हो जायेंगे। यह प्रवृत्ति बिल्कुल खतरनाक है, चाहे हमारी ओर से हो चाहे दूसरे पक्ष से हो। इसलिए दोनों ओर से ऐसी व्यक्तिगत रंजिश की वजह से होने वाली वारदातों और घटनाओं को हम राजनैतिक रूप देने के लोभ का सम्वरण करें। इससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह ऐसे लोग इस्तेमाल करने की चेष्टा करते हैं....

श्री रामचन्द्र आर्य : कानून और व्यवस्था इस राज्य में कहां है। गंगानगर जिले में....

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : कहां कानून और व्यवस्था का सवाल है। गंगानगर में....

(शोरगुल)

आप क्या प्रबन्ध करने के लिए खड़े हैं? इस राज्य में कोई कानून व व्यवस्था नहीं है। कानून व व्यवस्था को ताक पर रख दिया....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। उसको छिपाने के लिए....

श्री जगन्नाथ पटेल : बी०के०डी० में फूट पड़ गई।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये गांधी टोपी वाले समझते होंगे कि कानून व व्यवस्था है।

श्री दौलतराम सारण : मैं कानून व व्यवस्था की वकालत करने नहीं खड़ा हुआ हूं, न राज्य सरकार का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। हमें हर जगह अकल गिरवी रख कर बात नहीं करनी चाहिए, कहीं कहीं सेन्स को अपने पास रख कर बात करनी चाहिए। आखिर हम एक एक लाख जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। जनता हमसे खासतौर से चरित्र की और न्याय की अपेक्षा करती है। अगर उस न्याय से हम नीचे गिरेंगे तो उसके परिणाम समाज को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए माननीय सदस्यों को अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऐसे मसलों को, आरोपों और प्रत्यारोपों का हर घटना का उसको आधार न बनायें।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि जो मुकद्मे 107 व 117 में चल रहे थे उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर किसी ने ज्यादती की है और आइन्दा ज्यादती करने का अन्देशा होगा तो जमानती चलका हो जायगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इस प्रश्न पर माननीय शंकरलालजी को शिकायत नहीं होगी कि वे मामले अदालत में चलें। एक मामले में कोशिश करने के बावजूद राजीनामा हो गया तो मैं समझता हूं कि वैसे तो अच्छा हुआ, शंकरलालजी इससे नाराज हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तीसरी बात मैं मुकद्मों के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता। जहां तक गोली चलाने की घटना है स्वयं गनपतसिंह जिसने रिपोर्ट की है, वह दो तीन दिन से जयपुर में है। मैंने उनसे पूछा कि किस प्रकार से घटना है। उसने बताया कि बरसों से रंजिश चलती आ रही है, न चुनाव का मामला है, न कोई और। चुनाव तो अब हुए हैं लेकिन कई दिनों की रंजिश है। उसमें जब कोई मौका आता है आपसमें गाली गलोज होती रहती है। जिस दिन की घटना है उस घटना को लेकर आपने कहा कि उसको मारने के लिए गोली चलाई। वह स्वयं स्वीकार नहीं करता कि उसने मारने के लिए गोली चलाई लेकिन जब थाने में रिपोर्ट करने गया तो मुन्शी ने कहा कि जब तक इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं करायेंगे तब तक मामला जबरदस्त नहीं बनेगा उन लोगों को नसीहत नहीं मिलेगी। उसने उस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, केस बनाया गया, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। सवाल खड़ा हुआ कि जो इन्वेस्टीगेटिंग आॅफिसर है या इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी सी० ओ० है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है, वह जानबूझ कर लोगों को तंग करता है, उनकी रैप्यूटेशन भी ऐसी

(श्री भैरोंसिंह)

है। गिरधारीलालजी अच्छी तरह से जानते हैं, वह मेरी बात की ताईद करते हैं····

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह अच्छा आफीसर है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा। उस पत्र के द्वारा एक बात मैंने उनको दर्शाई कि ऐसी शिकायतें आने के बाद उस सी० ओ० से इन्वेस्टीगेशन लेकर पाली के सी० ओ० को दी गई। वह इन्वेस्टीगेशन मैंने नहीं की, वह इन्वेस्टीगेशन गिरधारीलालजी या शंकरलालजी ने नहीं की लेकिन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टीगेशन सी० ओ० पाली को दी। हो सकता है कि डी०आई०जी० ने आर्डर किया हो, गृहमन्त्री ने आर्डर किया हो कि इन्वेस्टीगेशन में इन लोगों का विश्वास नहीं है इस कारण से सी०ओ० पाली को भेजी जाए।

श्री शंकरलाल : सी०ओ० जेतारण का इन्वेस्टीगेशन से ताल्लुक नहीं था···

श्री गिरधारीलाल व्यास : पाली को भी आपने दिलवाई होगी।

श्री शंकरलाल : अपराधियों ने कहा है कि इनका जुरिस्डिक्शन नहीं है हमने तफतीश सी०ओ० पाली को दिलवा दी है। मैंने विवरण दिया है, गांव में जाकर कहा है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है हम और मारेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मुझे घटना की जानकारी उस समय तक नहीं थी कि इस प्रकार की घटना हुई है और सी०ओ० पाली को तफतीश दी गई है लेकिन सी०ओ० पाली ने वापस सी० ओ० जेतारण को दी तब लोगों ने बताया कि सी०ओ० जेतारण परेशान होकर सी० ओ० पाली को देना चाहता है। आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप स्वीकार करेंगे यदि किसी पुलिस अधिकारी के प्रति, किसी इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है तो इस प्रकार के आवेदनपत्र लोगों की तरफ से दिए जाते हैं और सी० आई० डी० क्राइम को कई इन्वेस्टीगेशन्स दिए गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुल्जिमान का विश्वास है या लोगों का ?

श्री भैरोंसिंह : बेलाराम का केस आपने जालौर थाने को इन्वेस्टीगेशन के लिए दिलवाया ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : लोगों का क्या ताल्लुक है ?

श्री भैरोंसिंह : उस केस में विश्नोईजी ने अविश्वास प्रकट किया ···

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप भी करें।

श्री भैरोंसिंह : जेतारण का मामला तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है और विरोधी दल सर्टीफिकेट दे रहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, केवल दरख्वास्त इतनी थी कि जिस सी०ओ० के प्रति शिकायतें भी हैं जो जाति के आधार पर नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से आपस में लड़ने के लिए, उसमें फंसाने के आदी हैं···

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जाति का आधार कैसे है, दोनों तरफ से राजपूत हैं। पता ही नहीं आपको फैक्ट्स का।

श्री भैरोंसिंह : जितना आपको पता है उससे ज्यादा मुझे है।

श्री भैरोंसिंह : अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता...

श्री शंकरलाल : सी० ओ० पाली को तफतीश के लिये कह रहे हैं वह नहीं हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भैरोंसिंह : संक्षेप में ही कहूंगा। किस प्रकार प्रेसर टेक्टिस्ट और मेकेनिज्म काम में आये। पाली के सी. ओ. को तफतीश के लिए दिया था उसको जैतारण के सी. ओ. को दे दिया। गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सी. ओ. पाली को किसके हुक्म से दिया था और कौन से कारण पैदा हो गये थे कि उनसे वापिस ले लिया गया। मैं घटनाओं के विवाद में नहीं जाना चाहता। किसने मारा या गोली चलाई मैं नहीं कहना चाहता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिये चाहे वह कोई भी हो या किसी राजनैतिक दल का हो और किसी जाति का हो। जैसा दौलतरामजी ने कहा छोटे मोटे झगड़े राजनैतिक दृष्टि से जोड़ कर चलेंगे एक पक्ष आपके पास जावेगा तो दूसरी पक्ष हमारे पास आवेगा। आपको पुलिस में विश्वास नहीं है, हमारा भी उस सी. ओ. में विश्वास नहीं है जिसमें आपका विश्वास है। इसलिए इस सारी की जानकारी करने के लिए, ऐसे निष्पक्ष आफिसर को जांच की कार्यवाही दे दी जाय ताकि हमें और शंकरलालजी को विश्वास हो जायगा। गोली की बात सही हो तो उसको सजा दी जाय, हाथ पांव तोड़ने की बात सही हो उसको सजा दी जाय और जो चोरी की तो उसको सजा दी जाय, लेकिन सही इन्वेस्टिगेशन हो उसके लिये गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन्डिपेन्डेन्ट आफिसर को सी. आई. डी. क्राइम को इसको दे दिया जाय जो जांच करके रिपोर्ट करे तो सबको संतोष हो जावेगा और किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं यह चाहता हूं कि इसकी इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी होनी चाहिये सी. आई. डी. क्राइम में जाने से डिले हो जावेगा। लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं होने से इन्वेस्टिगेशन में डिले होती है और सही इन्वेस्टिगेशन उसके द्वारा नहीं होता है। इसलिये पाली के डी. वाई. एस. पी. को दे देना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : सारी कार्यवाही आप करवा कर आये थे कि डी. वाई. एस. पी. पाली को दे दिया जाय और शंकरलालजी भी यही चाहते हैं। आप करवा कर यह सारी कार्यवाही आये हो।

श्री शंकरलाल : बिलकुल गलत।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकारी जवाब का प्रश्न है मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। हमारा यह राज्य है यह गणराज्य है। यह सोवेरिन इन्डिपेन्डेन्ट रि-पब्लिक है। इस गणराज्य के अन्दर सिद्धान्ततः कोई सामन्तवाद नहीं रहता है। अगर सामन्तवाद जैसी चीज राज्य के अन्दर है तो वह

(महारावल लक्ष्मणसिंह)

गणराज्य नहीं है। अगर गणराज्य है तो सामंतवाद उसके अन्दर नहीं रह सकता। यह मैं मान सकता हूं और प्रकृति के नियम के अन्तर्गत भी यह एक स्वाभाविक बात है कि कोई भी सामान्य सदस्य अपने विरोधी भावना को सन्तुष्ट करने के लिए सामन्त–वादी तत्वों का अगर जिक्र करे तो वे कर सकते हैं लेकिन सामन्तवाद जैसी चीज का जिक्र गणतन्त्र के अन्दर करना अवास्तविक है यह मैं समझता हूं।

हमारी गणतन्त्रीय व्यवस्था के अन्दर चुनाव पद्धति भी, न्यायपालिका भी और कार्यपालिका भी है उसके अन्तर्गत सब व्यवस्था है। जहां तक मारा मारी का प्रश्न है मैं उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। कोई व्यक्ति विशेष का तबादला किया जाय या न किया जाय इस सम्बन्ध में मुझे विशेष जानकारी नहीं है किन्तु इतना निवेदन अव–श्य करूंगा कि सरकार के द्वारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिये और न्याय मिलना चाहिये।

पहले भी निवेदन किया था कि गत मध्यावधि चुनावों के दौरान अगर छोटी खाटू में ज्यादतियां हुई हैं और दूसरी जगह हुई हैं तो विरोधी दल के द्वारा भी ज्यादती होना असंभव नहीं है। राजमाता जोधपुर का प्रश्न है जीत और हार का प्रश्न है, चुनावों में दो चार दस दाव लगते हैं, एक ही जीतता है सर्व तो जीत नहीं सकता है, इसमें विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि जैतारण से माननीय सदस्य आये हैं और यह कह रहे हैं कि वहां भी अनियमितताएं हुई है तो राज–माता जोधपुर की जीपों और ट्रैक्टरों को पीपाड़ में जला भी दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : वे बोलेंगे नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बोलेंगे या नहीं यह मुझे आपत्ति नहीं। चुनाव मे होना है असंभव बात नहीं है।

श्री शंकरलाल : सही घटना हुई हैं तो उल्लेख कीजिये। लेकिन ये जो घटनायें हुई हैं वे लज्जाजनक हैं और उनके लिये क्या कहना है। जो खराब हैं तो हम भी खराब ही कहेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : जिन्दा जलाना क्या लज्जाजनक नहीं है। आपको तो अपने मतलब की बातें दिखती हैं।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : ट्रैक्टर जलाया है तो कानून के हाथ लम्बे हैं और कानून की दृष्टि से व्यवस्था होगी वह की जावेगी लेकिन माननीय सदस्य जो जैतारण से आये हैं वे शायद सामन्तवाद की तरफ विशेष प्रेम रखते हैं और इन्होंने जिस प्रकार की भावनायें व्यक्त की हैं उनको अधिकार है व्यक्त करने का लेकिन जो चीज बीस बाइस वर्ष से इस देश में मिट चुकी है, जागीरें रियासत समाप्त हो चुकी हैं और जो कुछ अवशेष बचे हुए हैं वे भी समाप्त हो जायं तब भी सामन्तवाद का आरोप लगाया जाय तो मैं उसका स्वागत करता हूं वरना मैं समझता हूं यह निराधार और निर्मूल आरोप हैं और हमारे गणतन्त्र के अन्दर इस प्रकार के आरोप लगाना, मेरे ख्याल में, कोई बुद्धिमत्ता के दायरे में नहीं जा सकता है। इतना ही निवेदन करना है। जैसा सम्माननीय सदस्य दौलतरामजी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ने कहा आरोप और प्रत्यारोप इस सदन में एक हद तक लगाये जायं तो बुरा नहीं मानता लेकिन रोजमर्रा इस बात को लेकर घन्टों व्यतीत करें तो मेरे ख्याल से सदन का समय व्यर्थ में गंवाया जाय यह उचित नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : पार्टियों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है इसलिये बोल रहे हैं।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : यह सदन उपयुक्त प्लेटफार्म नहीं है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया उसकी निष्पक्ष जांच व्यवस्था हो शीघ्रातिशीघ्र की जाय।

श्री विजयसिंह : जब बच्चा डरता नहीं है तो उसको कहा जाता है कि हाबू खा जायगा विरोधी पक्ष का सवाल है तो विरोधी पक्ष का हाबू इनके दिमाग में बह गया है। गृह मंत्रीजी जवाब देने वाले हैं इसलिये उनसे निवेदन करूंगा कि सब के लिये यह ठीक होगा कि निष्पक्ष जांच के लिये सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच को जांच के लिये दे दिया जाय। वरना इस प्रकार कहकर पुलिस के अधिकारियों को दबाना चाहते हैं, उन पर दबाव डालना चाहते हैं। आई. जी. पी. तक को कठपुतली बनाना चाहते हैं। छोटे अफसरों को और अपने क्षेत्र के अफसर की जांच के जरिये दबाना चाहते हैं। इसलिये निष्पक्ष जांच के लिये सी. आई. डी. क्राइम ब्रांच का दिया जाय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : शंकरसिंह और गोकुलसिंह पर हमला करके मारपीट हुई। मुल्जिमान फरार है। तो उनको 87 और 88 की प्रोसिडिंग जारी की या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से माननीय राज्यमन्त्रीजी ने जो जवाब दिया मेरे ख्याल से उससे सन्तोष होना चाहिये।

ये साधारण सी घटनाएं है। रोज इस तरह के झगड़े हो जाते हैं। सरकार की तरफ से जवाब में यह कहा गया है कि कुछ मुकदमों की प्राथमिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनावों की वजह से झगड़े हुए। हो सकता है बाद में यह गलत भी साबित हो। पर इब्तदाई रिपोर्ट में यह बात आई है। इससे सन्तोष नहीं है इसलिये तफतीश मुकम्मिल होने का इन्तजार करना जरूरी है।

रहा सवाल इस बात का जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पहले तफतीश किसी और के पास थी, फिर दूसरे को क्यों ट्रान्सफर कर दी।

आप खुद इस बात को जानते हैं कि शिकायत आती है तफतीश करने वाले की, तो उसका इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो इसका इन्तजाम करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। इसलिये एक के पास से दूसरे को देते हैं। जहां तक सी. ओ. पाली को देने का सवाल है वहां डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर अफसर को एप्रोच किया गया और शायद इसलिये उन्होंने ऐसा आर्डर दिया। पर यह बड़ी बात है कि एक सर्किल का अफसर मौजूद हो, तब दूसरे सर्किल वाले को दिया जावे। हो सकता है सी. ओ. पाली इण्डिपेन्डेन्ट हो सकता है। पर आम तौर पर लोगों के अन्दर यह बात मस्तबा हो जाती है कि आखिर एक परटीकुलर इण्डिविजुअल को पसन्द क्यों किया गया। इसलिये शिकायत हुई थी, यह बात सही है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसका इन्वेस्टिगेशन एस. आई. कालू कर रहा था। जेतारण के सी. ओ. के पास यह तफतीश नहीं थी। तो आर्डिनरिली तो जिस सर्किल का जो है उसके पास तफतीश जानी चाहिये। पर इस बात पर भी शिकायत की गई कि सी. ओ. जेतारण के पास भी नहीं रहनी चाहिये तो सभी जानते हैं कि पाली के एस. पी. भण्डारी हैं। बिल्कुल निष्पक्ष। ऐसे आदमी हैं जिनके लिये आज दिन तक किसी ने उनके लिये नहीं कहा कि ये इण्डिपेन्डेन्ट नहीं है। उनके पास आर्डर भेजा है। वे अपनी जिम्मेदारी से अपनी निगरानी में तफतीश करावगें।

It will be his personal responsibility that the investigation is absolutely impartial. यह आर्डर लेकर दिया है।

अब विक्टिमाइजेशन करना किसी को यह हमारी नीयत नहीं है। एस. पी. की हैसियत का आदमी और फिर उसमें भी जिसकी रेपुटेशन और भी ऊंची हो उसके इन्वेस्टिगेशन की बात पर ऐतराज करना इसके लिये कोई ग्राउण्ड नहीं है। वह बिलकुल इण्डिपेन्डेन्ट आदमी हैं, किसी पार्टी पोलिटिक्स में नहीं हैं। वे इण्डिपेन्डेन्टली इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन करावेंगे। इसमें विश्वास रखना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब साफ जाहिर है कि भंडारी के सिवाय और बाकी के सभी अफसर पार्टी पॉलिटिक्स में हैं और इण्डिपेन्डेन्ट नहीं हैं। पार्शलिटी करते हैं। यह आपका अनाउन्समेन्ट हो गया ? यह सबसे बड़ा आक्षेप आपका इस सारे एस. पी. के कैडर पर है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो कम्पेरीजन करके कुछ नहीं कहा।

अनुदानों की मांगें 1971-72-प्रस्तुतीकरण

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय की 77,81,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पून्जी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,985,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 24 श्रम मन्त्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : यह तो 23 है साहब।

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के संबंध में 31 मार्च, 1972 तक समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 91,72,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

अनुदानों की मांगों व कटौती प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी । मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके ।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायं वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें । किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे ।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जावेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा । जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके विशेष आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जायें ऐसा मेरा निवेदन है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेष आग्रह क्या है ? यह तो पहले भी था ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सब का जवाब मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर इसको दुरुस्त किये देता हूं ।

समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उस पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्य को लिखित उत्तर मिल जावे ऐसा मेरा निवेदन है ।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 2 घण्टे का समय दिया जावेगा जिसमें मन्त्रियों द्वारा उत्तर देने का समय भी सम्मिलित होगा ।

स्वतन्त्र पार्टी को 40 मिनिट,

जनसंघ को 35 मिनिट

भारतीय क्रान्तिदल को 25 मिनिट

व अन्य दलों आदि को 10 मिनिट से 20 मिनिट का समय दिया जावेगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग संख्या वास्तव में 24 ही है। इसमें गलत टाइप हो गया है।

मांग संख्या 22, 24 व 39 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 22

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

1. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिला पिछड़ा घोषित होते हुए भी इसमें उद्योग को प्रोत्साहित करने में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन)।

2. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार द्वारा राजस्थान में सर्वे न कराए जाने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

3. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान खादी ग्रामोद्योग के गठन सम्बन्धी नीति का अनुमोदन)।

4. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बे में पीतल के बर्तन का काम पुराना होने हुए भी इस उद्योग को प्रोत्साहित न करने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

5. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बे में बुनकर होते हुए भी उनको प्रोत्साहित न किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

6. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नियुक्ति के लिए निम्नतम योग्यता वाले बेरोजगारों की लिस्ट में उच्चतम योग्यता वाले बेरोजगारों के, नियोजन विभाग, सवाई माधोपुर, द्वारा नियुक्तिकर्त्ता द्वारा मांगी गई लिस्ट में नाम दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में गत वर्षों में रिक्त स्थानों पर अधिकांश अभीष्ट निम्नतम योग्यता वाले प्रत्याशियों के चयन में उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर, के श्रमिकों को श्रम कल्याण सम्बन्धी सुविधाएं, जैसे बोनस, न मिलने पर चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत योग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को जिले के

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

विभिन्न विभागों के रिक्तस्थान पूर्ति में प्राथमिकता न दी जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

10. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी के अनुपात में रोजगार के लिए कोई योजना न बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

11. श्री शंकरलाल (जैतारण): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की प्रणाली में सुधार के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन)।

12. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले को औद्योगिक दृष्टि से 16 जिलों की योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत योग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के गैर योजना के अन्तर्गत फालतू खर्चे को रोकने व कमी करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

14. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन कार्यालयों की उपयोगिता के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

15. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत (भीम) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (उद्योगों के विकास में उत्पन्न बाधायें दूर करने में सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन)।

16. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के तालेड़ा, नैनवां, पाटन, लाखेरी, हिन्डौली व अन्य उचित स्थानों पर कुटीर तथा लघु उद्योग स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में लघु उद्योगों को प्राथमिकता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

(श्री नन्दलाल बैरवा)

एवं उसका इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास करने के सम्बन्ध में पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

20. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में खटकाड में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना न किये जाने से बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री में ठेकेदारी प्रथा से वहां के मजदूर दुःखी हो रहे हैं, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन समितियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के साथ पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

25. **श्री गंगा सहाय** (कठूमर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लैदर ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट जयपुर में चमड़ा खरीद में धांधली पर चर्चा के लिये)।

26. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल जयपुर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय प्रचलित उद्योगों के विकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निराशा फैल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योग के विकास के लिए दुर्बल तबके को उचित आर्थिक सहायता न देने से उनकी कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में गत बीस वर्षों में किसी भी बड़े उद्योग के लिए लाइसेन्स नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के इस विषयक पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

राज्य में उद्योगों औद्योगिकरण का विकास नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिए)।

30. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों को उचित प्रोत्साहन के अभाव में बेरोजगारी बढ़ रही है एवं समृद्धि क्षीण होती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

31. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं कस्बे को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है एवं वहां कोई उद्योग नहीं खोला गया है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 24

32. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले के एम्पलाइमेन्ट एक्सेचेन्ज ऑफिस में उम्मीदवारों के नाम sponser करने में होने वाली धांधली पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

33. श्री फूलचद बाफणा (सुमेरपुर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर तथा ग्रामोद्योगों पर जितना ध्यान देना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

34 श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विस्तार में राजकीय ढिलाई के कारण उद्योग अवरुद्ध हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

35. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38- श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान नियोजन प्रणाली संतोषजनक न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

36. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में औद्योगिक विकास व्यवस्थित ढंग से न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

37. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों सम्बन्धी अस्पष्ट तथा गलत नीति के कारण ग्रामोद्योग चौपट हो गये हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

38. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38- श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

में से 100 रुपया कम दिया जाय (श्रम करने वालों की आर्थिक और शारीरिक व नैतिक स्थिति खराब के कारण बहुत खराब हो गई है, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 39

39. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य द्वारा चलने वाले उद्योगों में भारी अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय(सहकारी स्पिनिंग मिल के निर्माण से सब कतवारिये व बुनकर बेकार होंगे और सहकारिता के विपरीत होगा, इस सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन।

41. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96– औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (भीलवाड़ा, उदयपुर लाइन पर रोडवेज की गाड़ियें चलाने, किराये में कमी करने और व्यवस्था सुधारने तथा भीलवाड़ा अजमेर पर चार गाड़ियें और तुरन्त लगाने एवं जयपुर अजमेर का किराया 5) रु० करने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 22

42. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक में चमड़े का कारखाना, बार बार घोषणा करने के बाद भी चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35– उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में छोटे कुटीर उद्योगों पर सरकार का ध्यान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

44. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38- श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय नियोजन कार्यालयों द्वारा नौकरी दिलाने हेतु भेजी जाने वाली सूचियों में भेदभाव व लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

45. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या 22,मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक खास में चर्म उद्योग स्थापित करने में विलम्ब होने पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक में उद्योगों को प्रोत्साहन न दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

47. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़े उद्योगों खास, जो प्राइवेट

Page No 84

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कम्पनीज चलाती हैं, में विभाग का कोई खास नियन्त्रण न होने व प्रबन्धकों में भागीदार नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

48. मांग सं० 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग लगाने वालों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले के गांवों में छोटे उद्योगों की स्थापना नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कर दिया जाय (कस्बा लाडनुं में पत्थर का जो उद्योग है उसकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (जिला नागौर और चूरू में स्थानीय ऊन को काम में लेने के लिए उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (लाडनूं, जिला नागौर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना करने की स्कीम को समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के सामान को जिला अधिकारियों द्वारा बेचने में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (झोटवाड़ा, जयपुर में लगे उद्योगों को दिये गये कच्चे माल के उपयोग के बारे में जानकारी नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग मे से 100 रु० कम कर दिया जाय (झोटवाड़ा, जयपुर में उद्योगों के लिए दिये गये भू-खण्डों पर उद्योग स्थापित नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

56. मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग मे से 100 रु० कम कर दिया जाय (उद्योगों सम्बन्धी ऋण देने में सरकार द्वारा दी गई गारन्टी की राशि वसूल न होने पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उद्योगों को देने के लिए आये हुये कच्चे माल के वितरण में किये जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण औद्योगीकरण योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय शहरी क्षेत्रों में ऋण व सहायता देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

मांग संख्या 39

59. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियमों के विपरीत 99 वर्ष की लीज पर ताल छापर, जिला चूरू में नमक बनाने के प्लाट एलॉट करने पर, एवं उनमें कार्यारंभ करने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक समिति पर्वतसर को दिये गये अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित ऊनी मिल, लाडनूं व चूरू में स्थानीय ऊन काम में नहीं लेने एवं (अधिकारियों की लापरवाही के कारण हो रहे घाटे पर चर्चा के लिये)।

62. मांग सख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योग निगम द्वारा स्पिनिंग एवं विविंग मिल लाडनूं व चूरू में खरीदी गई मशीनरी सही ढंग की न होने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (सड़क परिवहन निगम द्वारा जयपुर, बीकानेर मार्ग का राष्ट्रीयकरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क परिवहन निगम द्वारा कर्मचारियों के प्रमोशन में की जा रही अनियमितताओं व पक्ष-पात पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों की लापरवाही से हो रहे घाटे पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

66. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री व अन्य फैक्ट्रियों में मजदूरों के प्रोवीडेन्ट फन्ड के धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

67. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38, श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स व कारखानों के मालिकों द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु जन-कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मांग संख्या 39

68. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (गंगानगर शुगर मिल्स लि० व एडवर्ड मिल्स, ब्यावर आदि कारखानों में भारी घोंटाले व गबन तथा भ्रष्टाचारी व मजदूर दमनकारी नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या 22

69. श्री रामसिंह कुद्दी (जायल) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (साल्टपीटर व सोडियम सल्फेट के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन)।

70. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार की कुटीर उद्योगों के बारे में उदासीन व असफल नीति का अनुमोदन)।

71. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (औद्योगिक शिक्षा में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन)।

72. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में 23300 रु० कम कर दिये जायें (साल्टपीटर उद्योग की असफलता के कारण मितव्ययता की आवश्यकता विषयक)।

73. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की चमड़ा उद्योग व मृत–पशुओं की हड्डियों से चलने वाले उद्योगों के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योगों के सम्बन्ध मे साहित्य उपलब्ध कराने में सरकार की अवहेलना व असफलता पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशल शिल्पकारों को नकद पुरस्कार देना बन्द करने के बारे में चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग हेतु प्रशिक्षण पाने वालों को छात्रवृत्तियों में दी जाने वाली राशि में भारी कमी करने के बारे चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मूल्य अभिमान योजना के अन्तर्गत हानियों की प्रति पूर्ति पर खर्च नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर व चूरू

Page No 87

(श्री रामसिंह कुड़ी)

जिले के ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत गलत व्यक्तियों को कर्जा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

79. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू एवं नागौर ग्रामीण औद्योगिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोमन फैसेलिटी सेन्टर चालू करने हेतु योजना तक नहीं बनाने से एवं नागौर नगर में हीट ट्रीटमेन्ट एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सेन्टर बिना सूटेबिलिटी का ध्यान रखे बनाने एवं धन का अपव्यय करने के कारणों पर चर्चा के लिये) ।

80. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (चूरु और नागौर में ग्राम औद्योगिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रेनिंग सेन्टर बंद करने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

81. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (चूरू ग्रामीण औद्योगिकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत चूरु शहर में ऊन रंगने, छांटने एवं सुधारने का केन्द्र गलत तौर से चालू करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

82. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाथकर्घा निरीक्षकों के बारह पद समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (आयुक्त, राजकीय उपक्रम एवं उप-आयुक्त के पद समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये) ।

84. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (उद्योग निरीक्षक, पर्यवेक्षक व निरीक्षकों के ग्यारह स्थान समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये) ।

85. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-संचालकों एवं सहायक संचालकों के दसों पद समाप्त किये जाने बाबत चर्चा के लिये) ।

86. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों से बेकारी निवारण हो सकती है एवं सरकारी आय में वृद्धि हो सकती है, इस पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हस्तशिल्प कार्यक्रमों को पुनर्गठन किये जाने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाथकर्घा कार्यक्रम में सरकारी व्यय में कटौती कर पुनर्गठन करने पर चर्चा के लिये) ।

89. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (गांवों में औद्योगिक

(श्री रामसिंह कुड़ी)

प्रशिक्षण हेतु लोगों में रुचि पैदा करने में विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 24

90. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 39 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य के समस्त श्रमिक पेशा लोगों को सहायता एवं संरक्षण देने के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति का अनुमोदन) ।

91. मांग 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम कर दिया जाय (श्रमिकों को उद्योग में शनः शनैः मालिकाना हक देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

92. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण अन स्किल्ड श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

93. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाये (टेक्निकल शिक्षण की सुविधा विस्तृत एवं सुलभ करने के पर चर्चा के लिये) ।

94. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य के समस्त श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होने के बारे में चर्चा के लिये) ।

95. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (श्रमिकों के फायदे की योजनाओं को तुरन्त कार्यान्वित करवाने पर चर्चा के लिये) ।

96. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करने सम्बन्धी योजना पर चर्चा के लिये) ।

97. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायं (श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण कार्यों पर ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

98. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या में कमी करने पर चर्चा के लिये) ।

99. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग के अधिकारियों का समुचित प्रशिक्षण नहीं होने एवं कार्य-प्रणाली की अनभिज्ञता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

100. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेबर कमिश्नर की पोस्ट अपग्रेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

101. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No 89

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(नियोजन कार्यालयों से बेरोजगारों को सही मदद न मिलने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 39

102. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सहकारी उपभोक्ता भंडारों को स्वावलम्बी बनाने में सरकार की नीति का अनुमोदन) ।

103. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज० सड़क परिवहन निगम द्वारा मिश्रित तरीके से बसें नहीं चला कर अकेले निगम की ही बसें ऐसे रूट्स पर चलाने सम्बन्धी नीति का अनुमोदन) ।

104. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा लोहा आदि के परमिट जारी करने सम्बन्धी नीति का अनुमोदन ।

105. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन के संचालक मंडल के पुनः गठन करने से होने वाली मितव्ययिता सम्बन्धी) ।

106. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उपक्रमों के एडमिनिस्टेट्रिव डिपार्टमेंट बार बार बदल कर उनमें अव्यवस्था राज्य सरकार स्वयं फैला रही है, उस पर चर्चा के लिये) ।

107. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं में लगाये जा रहे सरकारी धन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

108. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट होटल निगम समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

109. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम के कार्य कलापों में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

110. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों एवं तहसील मुख्यालयों तक राज्य भंडार निगम की सुविधायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

111. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर

(श्री रामसिंह कुड़ी)

पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी अधिकारी सहकारी उपभोक्ता भंडारों में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं, उसे रोका जाने के उपायों पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नमक स्त्रोतों पर हुये घोटालों की जांच नहीं कराई गई, इस पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नमक स्त्रोतों का विकास कार्य-क्रम सही ढंग से व राज्य की आय के लाभप्रद हो, इसके बारे में चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार में हुए घोटालों की जांच को दबा देने बाबत चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शूगर मिल्स लि० में घाटे के कारणों की जांच नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट होटल निगम में हुए घाटे की स्थिति एवं घोटालों के बारे में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर, बीकानेर नागौर, डीडवाना बस रूट्स लाभप्रद रूट होते हुये भी राजस्थान परिवहन द्वारा नहीं लेने के बारे में चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सड़क परिवहन निगम में घाटे की स्थिति पैदा करने वाले घोटालों की जांच व ऑडिट सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान लघु उद्योग निगम के विरुद्ध लोहे की चद्दरें एवं अन्य धातुओं का कच्चा माल वितरण करने में भारी शिकायतों एवं घोटालों पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान वाणिज्यिक एवं औद्योगिक कार्यों में हो रहे गबन व घोटालों पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

121. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेयर हाउस, उदयपुर में से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डियन उदयपुर को प्लेज किया माल चोरी होजाने के काण्ड की चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 22

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) :

122. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (करौली में अच्छी मात्रा में सीमेन्ट होते हुए भी वहां सीमेन्ट कारखाना नहीं लगाने सम्बन्धी नीति का अनुमोदन) ।

123. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (छोटे 2 उद्योगों को बैंक राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी लोन देने में सरकार की उदासीन नीति का अनुमोदन) ।

124. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति हिंडौन के द्वारा चलाये गये चर्म उद्योग घोटालों के सम्बन्ध में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

125. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगो के नाम पर सरकार द्वारा बड़ी २ जमीनें अलोटमेन्ट करके जनता को धोखा दिया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये) ।

126. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में चल रहे बड़े २ उद्योगों में बकाया वसूली करने में सरकार की ढिलाई के बारे में चर्चा के लिये)

127. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे २ उद्योगों को बढ़ावा देने व उनकी परेशानियों खतम करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

128. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये) ।

129. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35– उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय सरकार ने उद्योग खोलने में पक्षपात को बढ़ावा दिया है, यह असफल चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 24

130. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एम्प-लायमेंन्ट आफिसों में चल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)

(श्री श्रवणलाल)

मांग संख्या 39

131. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं विकास आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग को घटा कर 100 रुपया कर दिया जाय (शूगर मिल्स लगाने एवं उनके विकास में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन)

132. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर शूगर मिल्स द्वारा उत्पादित चीनी के वितरण में की गई ढिलाई के कारण हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत 100 रुपया कम कर दिया जाय सरकार द्वारा गंगानगर शूगर मिल्स लि० में लगाई गई पूंजी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

134. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ का औद्योगिक विकास करने हेतु केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत शीघ्र लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में उद्योगों की स्थापना जैसे तांबे व सीमेंट के कारखाने प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

136. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में नियोजन एवं श्रम विभाग द्वारा की जा रही धांधली एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 39

137. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूञ्जी की लागत के अन्तर्गत के मांग में से 100 रुपया कमा कर दिया जाय (झालावाड़ जिले का औद्योगिक एव आर्थिक विकास आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

138. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के समुचित सुविधायें दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

139. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कच्चे माल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये।

Page No 93

(श्री पृथ्वी सिंह)

140. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योग स्थापित करने वालों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये)।

141. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में उद्योग लगाने में सरकार की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में किसी भी प्रकार का बड़ा उद्योग नहीं होने से बेरोजगारों को रोजगार के लिये बाहर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

143. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा उद्योगों के खोलने में पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने तथा कुशलगढ़ में कोई उद्योग न खोलने पर चर्चा के लिये)।

144. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उद्योग न लगाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

145. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा राज्य के औद्योगीकरण की ओर उदासीनता के बारे में नीति का अनुमोदन)।

146. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में शूगर फैक्ट्री न खोलने की सरकार की अदूरदर्शिता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

147. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन की संशोधित दरों की घोषणा न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की मजदूर विरोधी नीति के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर):

149. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (लघु एवम् कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार की उपेक्षायुक्त नीति का अनुमोदन)।

150. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर

(श्रीभैरोंसिंह)

1 रुपया कर दिया जाय) पंचभद्रा एवम् डीडवाना में नमक उद्योग के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति का अनुमोदन) ।

151. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत, मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 24

152. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर रुपया कर दिया जाय (बेकारी की समस्या के समाधान में सरकार की असफल नीति का अनुमोदन) ।

मांग संख्या 39

153. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में दी गई प्रतिभूतियों पर कर न लेने के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

154. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय । (राजकीय वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक कार्यों हेतु विनियोजित पूंजी पर कम लाभांश प्राप्त होने की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 22

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

155. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (औद्योगीकरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति वर्तमान असफल नीति का अनुमोदन) ।

156. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर शहर एवं जिले के उद्योग क्षेत्र (इंडस्ट्रियल एरिया) की असंतोषजनक स्थिति पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के औद्योगीकरण की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

158. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत योग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय । (कुटीर उद्योगों को पनपाने व संरक्षण देने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

159. मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग को दी जाने वाली अर्थ सहायता की उपयोगिता पर चर्चा के लिए) ।

160. योग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर में औद्योगिक विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए ।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

161. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत योग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा उद्योग ऐसे ढंग से चलाये जाने चाहिएं जिससे बेकारी की समस्या हल हो सके इसके बारे में चर्चा के लिये) ।

162. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

163. मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 35 उद्योग को अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में खत्रियों की रंगाई-छपाई का धंधा प्राय: नष्ट हो रहा -हैं, विभाग द्वारा उनके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

164. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बाड़मेर जिले के क बाथनू वास, भीयड़ा, सींदाणी, रायसर कुआ (रावतसर) में ऊन कताई एवं बुनाई केन्द्र न खोले जाने से जनता में विशेषतौर पर मेघवालों में असंतोष फैल जाने के कारण स्थिति पर चर्चा के लिये ।

165. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में ऊन की बहुतायत होते हुए भी वहां राजकीय ऊन मील स्थापित करने में राज्य सरकार की उदासीनता बरतने के बारे में चर्चा के लिये) ।

166. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

167. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर के रंगाई छपाई उद्योग के बारे में उद्योग विभाग द्वारा उदासीनता की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

168. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में स्कूटर फैक्ट्री स्थापित किये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

169. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर के शिल्पकारों को उचित सहायता देने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

170. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में सीमेंट फैक्ट्री खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

171. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री पी० के० चौधरी)

रुपया कम कर दिया जाय (सांभर में साल्ट वेस्ड इंडस्ट्रीज की स्थापना पर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 39

172. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांभर तहसील में एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन के माध्यम से योजना चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 22

173. **श्री केसरी सिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में उद्योगों के अभाव से जनता में भुखमरी, बेरोजगारी व असंतोष बढ़ता जा रहा हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

174. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जावे (बूंदी से पांच मील की दूरी पर सीमेंट फैक्ट्री का ये ऐलान करने के बावजूद, फैक्ट्री अब तक नहीं लगाने पर चर्चा के लिये) ।

175. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना के उद्योगों की तरक्की के लिए प्रावधान न होने पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 24

176. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेकारी की समस्या का समाधान न होने और वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जारही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 39

177. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना के उद्योगों से फायदा उठाने के लिए सम्पूर्ण खनिजों व कम्पनियों को बिजली, पानी व सड़क की सुविधायें देने से सरकार को अत्यधिक एवं शीघ्र लाभ मिल पायेंगे, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 22

178. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में ऊन उद्योग विकास के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

179. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में औद्योगिक दृष्टि से जिले के सर्वेक्षण को आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

180. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

में कुटीर उद्योग के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)

181. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में लगे उद्योगों का माल सप्लाई करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)

182. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीनमाल में चर्म उत्पादन उद्योग एवं बोनसील का उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 24

183. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38- श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज दफ्तर खोलने की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये) ।

184. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार दिलाने की सरकार की त्रुटिपूर्ण योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 39

185. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी समितियों में विनियोजन करने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 22

186. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में उद्योगों की कमी है, इस पर चर्चा के लिए) ।

186A. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा दौसा में उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

187. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में और उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

188. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में उद्योगों की कमी पर चर्चा के लिये) ।

189. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र के लघु उद्योगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

190. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में लघु उद्योग स्थापित करने बाबत चर्चा के लिये) ।

Page No 98

(श्री देवीलाल बुरासिया)

मांग संख्या 24

191. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दुकानदारों एवं कारखानों वालों द्वारा श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्सपेक्टरों द्वारा समय पर मजदूरों का फैसला नहीं देने से श्रमिकों के हकों की अवहेलना होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

193. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योगों के अंतर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जसलमेर जिले में खाद उद्योग की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

194. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में चलने वाले लघु एवं कुटीर उद्योगों को तकनीकी, आर्थिक और मार्केटिंग सहयोग देने में उपेक्षा करने और असफल रहने और नये उद्योगों को प्रोत्साहन न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में हाथकर्घा उद्योग के विकास हेतु नये उन्नत कर्घे देने, नये इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने तकनीकी आर्थिक एवं मार्केटिंग आदि के सम्बन्ध में उद्योग विभाग की घोर उपेक्षा और असफलता पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में कोई बड़ा उद्योग न खोलने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में ऊन, चमड़ा, हड्डी, जिप्सम, नमक, तिल, रेशेदार घास, सिणियां, खींप, आक आदि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की स्थापना में असफल रहने और इस सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण रुख रखने के बारे में चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू और नागौर जिलों में ग्राम औद्योगीकरण कार्यक्रम की विभागीय उपेक्षा, असहयोग, अकर्मण्यता के कारण असफलता पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चुरू जिले में पावर लूम्स की कोई योजना नहीं है तथा उसकी उपेक्षा करने के सम्बन्ध म चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100

(श्री दौलतराम सारण)

रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में चलने वाले खादी एवं ग्रामोद्योगों की दयनीय स्थिति और खादी बोर्ड का उनके प्रति उदासीन रवैया तथा खादी एवं ग्रामोद्योगों का नये क्षेत्रों में विस्तार करने में असफलता एवं उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

201. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अशिक्षित एवं शिक्षित बेरोजगारों की वास्तविक संख्या की जानकारी न होना और उनको रोजगार देने में असफलता एवं उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

202. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग संस्थान में भारी घोटालों पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35– उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले का औद्योगीकरण नहीं करने से काश्तकारों को कच्चा माल सस्ते भाव पर बाहर भेजना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ में खाद का कारखाना नहीं लगाने से काश्तकारों को भारी नुकसान हो रहा हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35– उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होटल उद्योग को भारी मात्रा में कर्जा दिया गया इस पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35– उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में कपड़ा मिल लगाने के लिये कर्जा दिया गया, लेकिन उसका आज तक उपयोग नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35– उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेतड़ी तांबा प्रोजेक्ट राजस्थानी मजदूरों के साथ भेदभाव के कारण स्थायी नियुक्ति नहीं दी जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35– उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (गंगानगर जिले में सहकारी क्षेत्र में शुगर मिल लगाने में सरकार की ढिलमिल नीति से काश्तकारों को भारी नुकशान हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

209. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38– श्रम और नियोजन के अन्तर्गत में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगारी दूर करने में राज्य सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 100

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मांग संख्या 39

210. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पून्जी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर में शुगर मिल दूसरी लगाने के लिये राज्य सरकार कुछ नहीं करती है, इस पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पून्जी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय वाणिज्यिक एवं औद्योगिक कार्यों से विनियोजन ठीक प्रकार से करने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़):

212. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये उद्योग लगाने में राज्य की असफल नीति पर चर्चा के लिये)।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा) :

213. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर में लघु उद्योग को अधिक बढ़ावा देकर मजदूरों की बेकारी कम करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर डिवीजन में औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 24

215. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में नियोजन कार्यालय बेरोजगारों को सही ढंग से मजदूरी दिलाने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 22

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) :

216. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35- उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़े हुए क्षेत्र तहसील सिकराय में कोई छोटे उद्योग धन्धे न खोले जाने से उन्नत स्थिति पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की राज–धानी जयपुर में बड़ा उद्योग न स्थापित किए जाने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35– के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय(उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में जयपुर जिले की उपेक्षा किऐ जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

219. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर की

(श्री हंसराज आर्य)

शुगर मिल में बड़ी भारी मनमानी तथा भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकार उसे रोकने में तथा जांच करने में आज तक असफल रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

अनुदान की मांग 1971-72 पर विचार एवं उन पर मतदान

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 35, उद्योग और मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन पर कटौती के प्रस्ताव दिये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान में औद्योगिक विकास का प्रश्न है आजादी को आज लगभग 25 वर्ष हो गये लेकिन फिर भी राजस्थान के बड़े उद्योगों की दृष्टि से और छोटे उद्योगों की दृष्टि से सरकार ने पूरी स्टेट में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है और सर्वेक्षण करा कर सरकार ने क्या उद्योगों की संभावनाएं हैं, कितने आरटीजन हैं इसके बारे में कोई एक पुस्तिका भी प्रकाशित नहीं की है। इस ओर राज्य सरकार का आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ है और यही कारण है कि हमारे यहां का औद्योगिक विकास बड़े स्तर पर भी और छोटे स्तर पर भी एक हाच पाच के रूप में असंगति के रूप में पनप रहा है उद्योगों में रुचि करने वाला व्यक्ति यह पता नहीं लगा सकता अथवा उसे यह महसूस नहीं हो सकता कि कहां क्या उद्योग लग सकता है और कि कर्तव्यमूढ़ की तरफ इधर उधर ताकता रहता है कि हम इस राजस्थान में कौनसा उद्योग कहां लगा सकते हैं । इसके लिये वहां तो निगाह रखे, वही स्वयं उसकी तलाश करे और स्वयं ही विभाग से मांग करे कि फलां स्थान पर फलां उद्योग को वह लगाना चाहता है और यह उसकी मर्जी के ऊपर है कि वह उसमें रुचि लेकर कहां कौनसा उद्योग लगाना चाहिये लगावें किन्तु विभाग को इसकी कोई चिन्ता नहीं है जबकि औद्योगिक दृष्टि से हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है और इसलिये, यह जरूरी है कि इसका सर्वेक्षण कराकर ऐसे व्यक्तियों में उद्योग लगाने के लिये अभिरुचि पैदा करनी चाहिये और उनको गाइडेन्स देनी चाहिये । परन्तु विभाग की ओर से आज तक नहीं हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले की करीब लगभग 12 लाख की आबादी है। 12 लाख की आबादी का यह जिला है मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार की निगाह कभी भी इस ओर नहीं गई कि आखिर इस बड़े जिले में खासतौर से इस सवाई माधोपुर कस्बे में जहां कि मीटर गेज और ब्रॉड गेज, दोनों ही रेलवे लाइन हैं और जो इसका जंक्शन है और जहां पर पानी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है, जहां पर बिजली का ग्रीड सब स्टेशन है और बिजली भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है आखिर ऐसे स्थान पर कोई न कोई उद्योग किस प्रकार के लगाये जा सकते हैं जिससे कि औद्योगिकरण वहां प्रोत्साहित हो। और साथ ही साथ बेरोजगारी और श्रम नियोजन जैसी विभीषक समस्या जो इस राज्य में व्याप्त है वह भी वहां कुछ सीमा तक हल हो सके। केवल आजादी के पहले, स्टेट के टाइम पर वहां एक उद्योग लगा है और वह है सीमेन्ट उद्योग इस सीमेन्ट उद्योग को साहू जैन ने

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

वहां लगाया है। इसके पश्चात् हमें बराबर यह कहा जाता रहा है कि वहां एक वेगन फैक्टरी का कारखाना लगाया जा रहा है। यह कारखाना वहां पर खुलने वाला है। यह भी सुनने में आया था कि इस जिले का औद्योगिक विकास अध्ययन करने के लिये केन्द्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है और उसने केन्द्र सरकार को सिफारिस भी की है। यह नहीं बल्कि नगरपालिका के चुनावों में मुख्य मंत्री महोदय ने पूरे जोर शब्दों में इस बात की भी घोषणा की थी कि एक आइल रिफाइनरी का कारखाना राजस्थान मे खुलेगा और राजस्थान में अगर लगा तो वह सवाई माधोपुर में लगाया जायेगा लेकिन एक दो महीनों के बाद अखबारों में पढ़ा कि वह कारखाना केन्द्र सरकार ने फरीदाबाद में लगाना स्वीकार कर लिया है और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कन्ट्राडिक्शन या स्पष्टीकरण हमारी राज्य सरकार की तरफ से नहीं किया गया है और न इस बात की कोई चर्चा ही की गई है। यह भी नहीं बतलाया गया है कि राज्य सरकार इस बारे में क्या प्रयास कर रही है और वह किस सीमा तक अपने प्रयासों में सफल हो सकी है। इतना बड़ा आइल रिफाइनरी का कारखाना राजस्थान में लगाने को बात हो और उस पर हमारी राज्य सरकार चुप है। सवाई माधोपुर में रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की सीमा पर वह पड़ता है और दूसरे स्थानों के मुकाबले में हमारे सवाई माधोपुर जिले की स्थिति बेहतर है केन्द्र सरकार ने सवाई माधोपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया है और उसके अन्दर जो योजना है—यह योजना कि 50 लाख तक के छोटे छोटे उद्योग वहां पर लगाये जा सकते हैं और कोई ये उद्योग लगाना मन्जूर करेगा तो सरकार द्वारा उनकी विशेष सहायता की जायेगी लेकिन अभी तक योजना के दो साल बीत चुके हैं और तीसरा साल भी समाप्त होने जा रहा है परन्तु इस स्कीम के तहत कोई उद्योग वहां पर नहीं लगाया गया है। या तो यह हो सकता है कि राज्य सरकार ने इस ओर किसी को आकर्षित कर उद्योग लगाने का प्रयास नहीं किया है, उनको प्रापर गाइडेन्स नहीं दी गई है। दरअसल, इसी प्रकार वित्त मंत्री महोदय, ने अपने बजट भाषण में और माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह घोषित किया था कि गंगापुर में एक वनस्पति का कारखाना लगाया जायेगा। लेकिन वहां यह वनस्पति का कारखाना भी कब लगेगा ? इसकी कोई शुरूआत अभी नहीं हुई है। इसकी आज तक कोई प्रगति नहीं है। इस बारे में हमारी राज्य सरकार मौन है और उसकी ओर से कोई प्रोत्साहन किसी दिशा में नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योगों की भी यही स्थिति है। सवाई माधोपुर में पीतल के बरतन बनाने के छोटे छोटे कारखाने हैं और लगभग वहां पर सौ परिवार ऐसे हैं जो केवल यही काम करते हैं, वे पीतल के बरतन बनाने में लगे हुए हैं परन्तु सरकार की ओर से उनको भी किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, खराद का काम भी वहां बढ़िया होता है। लकड़ी की चीजें भिन्न भिन्न प्रकार की वहां पर बनती हैं। मंत्री महोदय का जब कभी सवाई माधोपुर से गुजरना हुआ होगा तो उनका सम्बन्ध

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

इनको देखने से पड़ा होगा। ठेलों पर खराद से बने हुए, लकड़ी के बने हुए विभिन्न प्रकार के खिलौने बेचे जाते हैं। सवाई माधोपुर एक कस्बा है और वहां के आरटीजन्स के द्वारा ये बनाये जाते हैं। यह भी एक छोटा उद्योग हैं और वहां पर पूरी अच्छी तरह से पनप सकता है।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर के आस-पास के गांवों में बुनकरों की संख्या काफी है और इन गांवों के अन्दर इन बुनकरों के द्वारा जो रेजी बनाई जाती है वह काफी मशहूर है व सवाई माधोपुर से 14 मील के अन्तर पर ये गांव हैं, वहां के दो गांव अधिक मशहूर हैं और उनके द्वारा बनी हुई यह खादी दूर दूर तक कोटा, भरतपुर और जयपुर तक जाती है। उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर के आसपास जो बुनकरों की घनी बस्ती है, उसमें सरकार की ओर से प्रयास किये जाने चाहिये। इनमें करीबन 25 प्रतिशत पापुलेशन शिड्यूल्ड कास्ट की है और उसमें 15% या 20% बुनकर हैं लेकिन वे अपना काम जिस तरह आज से 25 वर्ष पहले करते थे, उसी प्रकार से आज करते आ रहे हैं। यह उनकी स्थिति है। इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न संस्थाएं काम भी कर रही हैं और वे अच्छी सफलता से काम कर सकती हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से जो विभिन्न खादी की संस्थाएं खादी का उत्पादन करती हैं उससे भी बढ़िया खादी का उत्पादन ये लोग स्वयं कर सकते हैं लेकिन वे इस खादी संस्था का सदस्य न बन कर खुद ही अपनी बस्तियों में अपने ही यहां पर, स्वयं अपने ही घरों में इसको बुनना चाहते हैं और बुनते चले आ रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस उद्योग को निश्चिततौर पर प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर में लगभग 12 लाख की आबादी में से 50 प्रतिशत शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के हैं। आधी आबादी है जो अनुसूचित जाति और जन जाति की है। इसलिये वहां पर बेरोजगारी ज्यादा है और उसमें श्रमिकों की संख्या भी अधिक होना स्वाभाविक है। सवाई माधोपुर हैडक्वार्टर पर केवल एक उद्योग है और उसमें भी एक हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलता है लेकिन इसके अलावा जहां तक दूसरे गांवों का प्रश्न है, उनके पास बहुत ही सीमित साधन है, सीमित जोत है और सीमित जोत होने के कारण उनके परिवार में मजदूरी की बहुत आवश्यकता है। परिवार के व्यक्ति उस सीमित जोत में नहीं खप सकते हैं और इसलिये वे पूरी तरह खेती में नहीं खप सकते। वे इस तरह बेरोजगार रहते हैं और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये निश्चित रूप से यह आवश्यक है कि वहां पर किसी न किसी प्रकार से उद्योग की स्थापना की जाये।

आपके शिक्षित बेरोजगारों का जो प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारों का प्रगति विवरण में 68 से लेकर 71 तक के जो विवरण दिये गये हैं उनका मैंने अध्ययन किया है। राजस्थान में 67-68 में आपके पंजीयन विभाग में 1 लाख 53 हजार 756 लोगों ने पंजीकरण कराया वहां 68-69 में

Page No 104

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

1 लाख 68 हजार 825 लोगों ने और 69-70 में 1 लाख 58 हजार 712 व्यक्तियों मेंसे आपने काम पर केवल लगाये 67-68 में 22 हजार चार सौ 71, 68-69 में 23 हजार 35 और 69-70 में लगाये 17 हजार 451 कहने का मतलब है कि आज ये जो 69-70 का आखिरी वर्ष है उस समय पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या आपके विभाग के अनुसार 81 हजार 134 आती है और इस 81 हजार 134 की संख्या में केवल पंजीकृत संख्या है। अर्द्ध बेरोजगार लोग अथवा खेतिहर बेरोजगार लोग वे कभी पंजीकृत नहीं करवाते हैं इसलिये मैं यह मानता हूं पंजीकृत बेरोजगारों के अलावा कई गुणी बेरोजगारों की संख्या है जो काम कर सकते हैं शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सवाई माधोपुर में बड़ी विडम्बना है और यह विडम्बना सन् 67 के बाद पैदा हुई है। वहां पर जो वेकेन्सी का नोटिफिकेशन होती हैं वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन एल. डी. सी. की पोस्ट के लिये मैट्रिक होती है। शिक्षित पंजीकृत संख्या जो सवाई माधोपुर की है वह लगभग पांच हजार से उपर है। इसमें मैं यह मानता हूं लगभग चार हजार बीलो मैट्रिक हैं होंगे। अब जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के लिये प्रेसक्राइब की जाती है उसमें वे लोग नियोजन कार्यालय के मारफत इन्टरव्यू के लिये जाते हैं लेकिन ज्यादती होती क्या है- मेरे ख्याल से गत वर्ष से अब तक इस डेढ़ दो वर्ष के कार्यकाल में 200 रिक्त स्थान भरे गये हैं। उनमें से उपाध्यक्ष महोदय मुश्किल से 100 व्यक्ति सवाई माधोपुर के लिये गये हैं और जिलों के या तो बूंदी के, कोटा के, बांसवाड़ा के, जयपुर के अथवा अजमेर के लिये गये हैं। जो नियोजन के आंकड़े और बेरोजगारी के आंकड़े हैं वहां पर उनकी जिलेवार संख्या को देखते हुये ऐसा आभास होता है कि राज्य सरकार के पास विकास के मामले में और औद्योगीकरण के मामले में पूर्वी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हैं। हमारे नियोजन के मामले में भी सरकार का यही प्रयास रहता है। उन जिलों में जहां इनका दल जीतकर नहीं आया है बेरोजगारों को रोजगार न दिया जाय यही इनका मकसद रहता है। इसलिये 69-70 के अन्त में शिक्षित बेरोजगार अजमेर में 10 हजार 497, जयपुर में 13 हजार 465 भरतपुर में 41 हजार 332 है। बेरोजगारी की अधिक संख्या हैं वह उन जिलों में मिलेगी जहां सत्ताधारी दल जीत कर नहीं आया है। मैंने बार बार नियोजन कार्यालय से और जो एम्पलायर हैं उनसे भी निवेदन किया आखिर आप यह बताये मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के लिये मेट्रिक की तो उन पोस्टों पर बी० ए० और एम० ए० क्यों लेते हैं चाहे वे बाहर के जिलों के हों। आखिर मिनिमम क्वालिफिकेशन होल्डर है उनको आप कौनसी जगह देंगे।

अगर आप यह चाहते हैं कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कम की जाय तो राज्य सरकार को यह पॉलिसी निर्धारित करनी पड़ेगी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को हो, अगर क्वालिफाइड है उनके मुकाबले उनकी जगह बहुत ऊंची योग्यता वाले व्यक्ति को नहीं लिया जाना चाहिये। जैसे मेट्रिक मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो मेट्रिक को ही ले, बी.ए. और एम. ए. को नहीं लें—यह कहकर कि व्यक्ति हायर क्वालिफिकेशन रखता है, गलत होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

वाला व्यक्ति यह समझता है कि मैं एल. डी. सी. की पोस्ट पर तो चला ही जाऊंगा और इस प्रकार अगर आप उस पद के लिये भी हायर क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को रख लेते हैं तो वह बेकार कहां जायगा। हायर क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति तो फिर भी अन्य जगहों के लिये जा सकता है। एक व्यक्ति मिनिमम पोस्ट पाने के लिये ही हायर क्वालिफिकेशन नहीं करता है। इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय वह 8-10 हजार इन्टरव्यू के लिये भी जाता है उसका खर्चा होता है और वह बड़ा डिसहार्टन होता है और उसे इस बात का दुःख होता है कि मैं हायर क्वालिफिकेशन के खातिर रह गया और वह भी उन डिस्ट्रिक्ट के नहीं लिये गये बाहर के डिस्ट्रिक्टों के लिये गये हैं। उनके साथ नेचुरल जस्टिस नहीं होता है। अगर मान भी लिया कि हायर क्वालिफिकेशन का व्यक्ति लेना है तो उस डिस्ट्रिक्ट के ही व्यक्ति को लिया जाना चाहिए। मानलें, अगर उस क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड वाला व्यक्ति उस जिले में नहीं तो फिर बाहर के जिले के व्यक्ति को लिया जाना चाहिये और तभी जाकर दूसरे नियोजन के कार्यालय से नाम मांगे जाने चाहिये अन्यथा दूसरे जिलों से कभी नाम नहीं मांगने चाहिये। इस डेढ़ दो वर्ष में जो इन्टरव्यू लिये गये हैं उसमें केवल सवाई माधोपुर से मांगे गये हों ऐसी बात नहीं है बल्कि दुसरे जिलों को भी लिख कर नाम मंगाये गये हैं। सैंकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों शिक्षित बेरोजगार इस जिले में पड़े हुए हैं। उन्हें प्रत्याशी के रूप में बुलाया गया और साक्षात्कार किया गया किन्तु 50 परसेन्ट ही-- आधे ही लिये गये। इससे वहां असन्तोष होता है। युवा वर्ग में और बेरोजगारों में।

श्रम नीति के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपने दल का करीब आधा समय ले लिया है......

श्री हरिबल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं एक बात ...

श्री उपाध्यक्ष : आपको छूट है लेकिन दूसरे माननीय सदस्यों को ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सीमेन्ट फैक्टरी में जब कभी लेबर दुखी होगी तब होगी तब ही उनको स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ती है तब आपकी श्रम नीति लेबर की कहां चली जाती है, तब आपके समाजवाद की नीति कहां चली जाती है ? अभी जो 68-69 में जो हड़ताल हुई थी उसमें स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया था। आज एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है—300 मजदूरों को तीन साल पहले निकाल दिया। जैसा मैंने एक प्रश्न सदन में भी पूछा था। असिसटेन्ट कमिश्नर जो भरतपुर से आये थे, उन्होंने 300 मजदूरों के साथ अन्याय किया उनको पकड़ कर बाहर निकाल दिया और जब उन्होंने अन्दर घुसना चाहा तो लॉ एन्ड आर्डर की बात का बहाना बनाकर उनको पीटा गया, ठोका गया और फिर प्रशासन हीनता की बात कह कर स्ट्राइक में जाने पर दूसरे या तीसरे दिन सस्पेन्ड कर दिया गया। 300 आदमियों को डिसमिस किया जाय इसी प्रकार

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

न मालूम कितने ही डिसमिस किये गये हैं। बोनस और दूसरे सवालात को लेकर मैं यह मानकर चलता हूं कि मालिक और मजदूर के संघर्ष को लेकर और उनके उचित मुद्दों को लेकर नियमानुसार नोटिस देने पर भी जब मालिक नहीं माने तो उनके बेचारों के लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अन्तिम रास्ता स्ट्राइक का अख्तियार करे। लेकिन ऐसे समय पर हमेशा आपने लेबर डिपार्टमेन्ट की, पुलिस डिपार्टमेन्ट की या चाहे किसी और डिपार्टमेन्ट की तरफदारी मालिक की जो आपकी कामधेनु है उसकी तरफदारी की हैं और खुल्लम-खुल्ला मजदूरों के साथ पक्षपात किया है इसलिये वहां का श्रमिक दुखी है और बरबाद है।

...... और मैं मंत्री महोदय, से यह चाहूंगा कि इस विषय में जल्दी से जल्दी जो श्रमिक वहां से अकारण निकाल दिये गये बदले कि भावना से उन सब को काम पर लगाया जाये। इसलिये इन्हीं कुछ बातों पर मैंने चर्चा की है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय, इनका उचित उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्षः श्री देवेन्द्रकुमार मीणा।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 22 और 24 उद्योग और श्रम के बारे में दो कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से देश में एक किसान की जरूरत है उसी तरह से देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजदूरों की भी जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिविजन ऐसा एरिया है जो कि पहाड़ी एरिया है और वहां पर अधिकतर आदिवासी लोग रहते है जिनके पास खेती के जरिये बहुत कम हैं और वे लोग अपनी मजदूरी पर निर्भर रहकर अपने बालबच्चों का निर्वाह करते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन में मजदूरों की कमी नहीं है और वहां पर कई तरह के उद्योग खनिज विभाग के हैं। उन पहाड़ों के अन्दर देश की इतनी सम्पदा पड़ी हुई है जो कि अच्छी ढंग से यदि काम किया जाये तो उदयपुर डिविजन का आदिवासी भूखों और बेरोजगार नहीं रह सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन में जावर माइन्स ऐसी माइन्स हैं कि जहां कई तरह के मजदूर अभी भी लगे हुए हैं और निर्वाह कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वहां के लोगों को मजदूरी नहीं मिलती। जावर माइन्स में लोग आते हैं तो वहां के आदिवासियों को नहीं लेकर बाहर के मजदूरों को उसमें लिया जाता है। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों की आर्थिक हालत को सुधारना है और उनकी भुखमरी को दूर करना है और सच्ची मेहनत करने वाले और पहाड़ी ऐरिया के रहने वाले लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उनको वहां पर मजदूरी दिलाई जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ उनके सामने कई तरह की दिक्कतें आती है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि एम्प्लॉयमेन्ट ऑफिस में जाकर उनको कार्ड निकलवाना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पचास-पचास और साठ-साठ मील से आदिवासी लोग उदयपुर या डूंगरपुर जाते हैं। उनके पास पैसे तो होते नहीं है और बड़ी मुश्किल से जाकर बेकारी को दूर करने हेतु वहां जाते

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

हैं तो भी उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है और वह बेकार रह जाते हैं...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय शायद माननीय सदस्य को मालुम नहीं है कि आदिवासियों के लिए जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : सुना नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आदिवासियों और हरिजनों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह और भी दिक्कत का विषय हो जाता है रजिस्ट्रेशन नहीं कराना।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : बिना रजिस्ट्रेशन के वहां कोई भी आदिवासी और हरिजन भर्ती नहीं किया जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आदिवासियों को बिना रजिस्ट्रेशन के कहीं भी मजदूरी नहीं दी जाती है यह आप कृपा करके जानकारी करें। जो मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं जावर माइन्स के आसपास देवपुरा और उससे लगाकर अरावली पहाड़ के इलाके में लोग मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी हालत सुधारने के लिए जो कि बहुत मेहनती हैं उनको जावर माइन्स में काम दिया जाये। हायर सेकेन्डरी और मिडिल पढ़े हुए विद्यार्थी, नौजवान बच्चे दर दर मारे मारे फिर रहे हैं और यदि उनको मजदूरी नहीं दी जायेगी तो उनकी हालत खराब होगी।

साथ ही मैं उद्योग मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो खुद वहां के रहने वाले हैं और दूसरे लोग कहते हैं कि उदयपुर में सब तरह के कारखाने खोले गये हैं-मैं इसको बिलकुल गलत मानता हूं आपको ज्यादा पैसा उस एरिया में लगाना है क्योंकि वह पहले ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है दूसरे इलाके से। मैं तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लोग जो कच्चा चमड़ा इकट्ठा करते हैं और बुनकर का काम करते थे तो सभी का काम ठप्प हो गया है और वह लोग बेकार बैठे हुए हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि लघु उद्योग वहां पर लगाये जायें और जहां लकड़ी ज्यादा है वहां पर लकड़ी के कारखाने लगाये जायें और उससे आसपास के लोगों को रोजगार दिया जाये तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों को उद्योगों में लगायेंगे तो हमारे उधर की बेकारी दूर हो सकती है। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं उनके सम्बन्ध में सबसे पहले मैं हमारे देश की ओर हमारे सरकार की जो उद्योग धंधों की नीति है उसके कारण जो हमारे देश में बेकारी, गरीबी और गरीब और अमीर का फर्क बढ़ गया है उसके संबंध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे देश में इस बात की बड़ी चर्चा है कि हमारी बेकारी और गरीबी दूर होनी चाहिए और पिछले चुनाव में सरकार ने और खासतौर से कांग्रेस ने और कांग्रेस दल ने इसी बात का प्रचार

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करके देश में वोट लेने का प्रयास किया और यह बात सच है कि देश की बेकारी और गरीबी दूर होनी चाहिए और यह हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाई है कि हम किस दिशा में गलती कर रहे हैं कि जिसके कारण से देश में गरीबी मौजूद है, बेकारी बढ़ रही है और गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता जा रहा है। मैं उस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और ••

··· राजस्थान सरकार के जरिये भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सही रास्ते पर उद्योग और धन्धों को हमारे देश में चलायेंगे तो देश में बेकारी और गरीबी दूर हो सकती है और अमीरी और गरीबी का फर्क मिट सकता है-जिसको कि हम समाजवाद में लाना चाहते हैं।

मैं, उपाध्यक्षजी, जो बात अब कहूंगा वह शायद नई बात मालूम होगी और मैं समझता हूं कि कांग्रेस में बैठने वाले कई माननीय सदस्य इसको दकियानूसी बात कह कर टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे मौजूद राष्ट्रपति जो है उन्होंने राय दी है वह मैं सदन में निवेदन करूंगा। उन्होंने यह कहा है दो रोज पहले कि अनएम्प्लायमेंट हमारे देश का ग्रेटेस्ट प्रोब्लम है और उसको "Remunerative and productive employment which could be generated by developing a technology which promoted a high degree of self-employment". हमारे देश में रेम्युनिरेटिव एम्प्लायमेन्ट होना चाहिये और उसको हमें डेवलप करना चाहिए जिससे एम्प्लायमेन्ट हरेक आदमी को मिल सके। उन्होंने एक नारा दिया हुआ है उसको फिर रिपीट किया है "Every home should be a factory and every acre pasture. This is the answer to the great problem of un-employment". तो मैंने इसलिए इस बात को कोट किया है कि जो मौजूदा राष्ट्रपति है उनके विचार सही है। हमारा हरेक घर फैक्ट्री होना चाहिए और हरेक आदमी को रिम्युनिरेटिव एम्प्लायमेन्ट मिलना चाहिए। ठीक बात है कि आपने फैज प्रोग्राम चालू किये हैं। उसका मालूम नहीं है कि परमानेन्ट नेचर के काम क्या होंगे।

एक दूसरी बात गांधीजी ने कही थी वह मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। गांधीजी ने यह कहा था कि हमारा स्वराज्य आ जाने के बाद हमें क्या करना होगा तो उस सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। उसमें उनकी ग्राम स्वराज्य की कल्पना है।

2.11 म.प.

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

उन्होंने कहा कि अपनी नितान्त आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर न हों। जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे कि अनाज है, कपड़ा है, इनके लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस आर्थिक बेसिक को लेकर ही ग्राम सुधार की चर्चा की थी। उसी बात को लेकर आज हमारे राष्ट्रपतिजी कह रहे हैं। अब मैं

Page No 109

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आपको. एक मिसाल देकर यह निवेदन करूंगा कि हमें हमारी बेकारी को दूर करने के लिए हर घर को फैक्ट्री बनाना चाहिये। इसको कैसे कर सकते हैं ? सभापतिजी, हरेक घर फैक्ट्री बने जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा तो वह तभी हो सकता है कि हम ऐसी चीजें पैदा करें जिनकी कि हमें आवश्यकता है, जो हमारे काम में आ सके और जो गांव में बिक सके।

यह हर आदमी जानता है कि सबसे पहली आवश्यकता अन्न की है। उसके बाद में कपड़ा मुख्य है। मैं एक मिशाल देकर अर्ज करूंगा कि अलवर जिले की आबादी है वह पहले 12 लाख थी, और विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है इससे पहले हरेक आदमी पर जो कपड़े का खर्च आता था वह 24 रुपये प्रति व्यक्ति हर साल तक खर्च होता था। इस वक्त एक्सपर्ट्स की राय में करीब 30 रु० हर साल हर आदमी पर कपड़े का खर्चा होता है। इतना कपड़ा खर्च होता है। 12 लाख की आबादी अलवर जिले की है और प्रति व्यक्ति पर 30 रुपये साल में खर्च होता है कपड़े पर तो 360 लाख का कपड़ा अलवर जिले में कन्ज्यूम करते हैं। राजस्थान का हिसाब लगाया जाय तो ढ़ाई करोड़ राजस्थान में आदमी है तो उस हिसाब से 75 करोड़ का कपड़ा हर साल राजस्थान में कन्ज्यूम होता है। अलवर जिले में कपड़ा प्रोड्यूस करने का कोई इन्तजाम नहीं है, न फैक्ट्री है और न कोई और उपाय है। हमारे गांवों और घरों से निकल कर 360 लाख रुपया हर साल बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में अहमदाबाद, कलकत्ता और बम्बई में जाता है। इसलिए गांधीजी ने यह कहा कि हमारी नितान्त आवश्यकताएं हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटिज की चीजें हैं उन्हें हमें गांवों में ही प्रोड्यूस करना चाहिए और घरों में प्रोड्यूस करना चाहिये। हमारे राष्ट्रपतिजी गिरीजी भी इस बात को कहते हैं। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। सड़क बनवाने का काम चालू करें तो कितनी सड़कें बनवायेंगे। अभी तक पता नहीं है कि कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ है। आप परमेनेन्ट काम देना चाहते हैं तो उस आदमी की जो आवश्यकता की चीजें हैं उसके मुताबिक उन चीजों को प्रोड्यूस करेंगे तो उनका कन्जम्पशन हो जायगा, वर्ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको पैदा कर दिया और उनका कन्जम्पशन न हो तो वह फेल हो जायगी। 360 लाख रुपये का कपड़े का हिसाब यह होता है कि इसका 30 पर्सेंट तो रूई पर जाता है और 55 पर्सेंट कताई और बुनाई पर जाता है और 15 पर्सेन्ट खर्चा एस्टेब्लिशमेन्ट पर जाता है। खादी कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनसे मैंने इसको वेरीफाई किया है। इस तरह से एक करोड़ रुपये की रूई, दो करोड़ रुपया कताई-बुनाई में और 60 लाख रुपया उसकी व्यवस्था के लिये है इस तरह से अलवर जिले में ही 360 लाख का कपड़ा बनाया जाय तो 60 लाख रुपयों का काम हमारे आदमियों को मिलता है। इसके साथ, चेयरमैन महोदय, एक दिन में एक लाख रुपये का कपड़ा होता है। 360 लाख रुपये का कपड़ा एक साल का होता है तो एक दिन का कपड़ा अलवर जिले के लिए एक लाख का कन्जूम होता है। आपके फेज प्रोग्राम के हिसाब से भी लिया जाय तो 3 हजार आदमियों को पर डे काम मिल सकता है अलवर जिले में। जो 60 लाख रुपयों का हिसाब है उसमें 3 हजार आदमी पांच रुपये

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रोज के हिसाब से इस व्यवस्था के अन्दर काम कर सकते हैं। यह एक बात है कि इससे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिनके अन्दर रुपया कन्सेन्ट्रेट हो रहा है वह रुपया आसानी से डिस्ट्रिब्यूट हो सकता है। आप चाहे हैण्डलूम से काम लें चाहे अम्बर चरखे से काम लें। हर गांव को फैक्ट्री बनाने के लिए, गरीबी और अमीरी के फर्क को दूर करने के लिए और उपाय काम में लायें जैसे कि गुड़ बनाने की बात है, चीनी की बात है, तेल के बड़े बड़े कारखाने हैं, लेकिन मैंने एक चीज की मिसाल दी है। 360 लाख रुपये का नुकसान एक जिले में हर साल होता है। हर जिले में हम यह कर सकते हैं, लेकिन सरकार की निष्ठा होनी चाहिए। यह हमारे उद्योग-धन्धों पर निर्भर करता है।

चेयरमैन महोदय, एक बात मैं ध्यान में लाता हूं कि भारत सरकार ने खादी कमिशन एपांइट कर रखा है और खादी कमीशन में 5 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार का लगा हुआ है। इसी बात के लिए खादी कमीशन में काम होता है और बहुत सा रुपया खर्च करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप खादी प्रोड्यूस करें आप हैण्डलूम पर कपड़ा बनाइये आप पंचायत समितियों पर जोर दें कि पंचायत समिति अपने इलाके में अपने कपड़े की व्यवस्था करें। खादी कमीशन से और ज्यादा पैसा लें। बहुत से लोग इस काम में मदद देने को तैयार हैं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण नहीं है इस ओर बहुत से आदमी इस बात की खिलाफत करेंगे उसमें यह बात होगी कि टेरेलीन का कपड़ा नहीं ने । ेर दूसरे रंग बिरंगे कपड़े नहीं बन पायेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे भी बना सकते हैं। अगर आपको बेकारी को दूर करना है और समाजवाद लाना है सच्चे मायने में तो इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं। सरकार इस बात पर विचार करे तो सरकार के सामने मैं बता सकता हूं कि इसको केरीआउट करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए।

मैं समझता हूं कि हमारी जो ग्रामोद्योग की बात थी उसको नहीं करने से उसका क्या परिणाम हुआ है कि हमारे यहां पर बेकारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है और गरीबी और अमीरी का फर्क बढ़ गया है। यहां पर कहा गया है कि पहले बिरला के पास 39 करोड़ की फैक्ट्रिज थीं और अब 390 करोड़ की हो गई हैं तो इसका मूल कारण यह है कि बड़ी 2 फैक्ट्रियां बढ़ी हैं और उनमें जो मजदूर काम करते हैं उनका शोषण होता है और वहां पर अनेक समस्या डेवलप होती है। हमारे ग्रामोद्योग खत्म हो गये। मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि बहुत से लोग इसको कहेंगे कि दकियानूसी बात करता हूं। गांधीजी ने यह बात कही है वह बिल्कुल फैक्ट बात कही है। आप हिसाब लगाकर देखें कि राजस्थान की ढ़ाई करोड़ की जनता है उसके लिए 75 रुपये के कपड़े की हर साल जरूरत रहती है। इस 20 साल में अलवर जिले में 72 करोड़ रुपये का कपड़ा कन्ज्यूम हुआ तो यह रुपया कहां से आया और कहां गया ?

इस बात का हिसाब आप लगायेंगे तो पता लगेगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आपने जो वूल इण्डस्ट्री

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

के लिए कहा है उससे भी समस्या दूर नहीं हो सकती है। जिन चीजों को हम डेली यूज करते हैं, उन के लिए हम घरों में फैक्टरी लगायें। घरों में नहीं करेंगे तो बेकारी दूर नहीं होगी। ये बातें हमारे दिमाग में थी वह हमने कह दी हैं। हमने एक्सपर्ट्स से बात की है, तब यह रखा है। आपको जो क्रेश प्रोग्राम है उससे 3 हजार से ज्यादा हर जिले में काम दिला सकते हैं। आप इस पर विचार कर सकते हैं। माननीय सदस्यों से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि वे विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का भला होगा और राजस्थान के लोगों को रोजगार मिल सकता है। गरीबी और अमीरी का फर्क दूर हो सकता है।

हमने गान्धीजी के हवाले से बात की है। बहुत से लोग कहते है कि गान्धी जी की बात करते हैं। बड़े बड़े इस काम में लगे हुये हैं। लेकिन यह टैम्परेरी बात है। अकाल में सड़कें बनती हैं वह अलग बात है। परमानेण्ट काम इसके लिए करना है, अलग से विचार करना होगा। इसके लिए सेकड़ों आदमी काम कर सकते हैं। बहुत सी चीजे हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं। जैसे लोहा है, गुड़ है, चीनी हैं। ये बाहर से आते हैं। हमारे यहां जो गरीब आदमी घरों में काम करते थे वह आज बड़ी बड़ी फैक्टरियों से आने लगा है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक बात मैं और कह दूं। अलवर में जो एरिया बना हुआ है। सरकार और भी एरिया करना चाहती है। उसकी बहुत ही अव्यवस्था है। सरकार उसकी व्यवस्था करें। यह मेरा निवेदन है। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने विचार रखे हैं सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री सभापति : प्रो० केदार।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): सभापतिजी, यह जो मिक्स्ड इकानामी है अब जब मिक्स्ड इकानामी, समाजवादी व्यवस्था की तरफ आते हैं तो वहां पर इंडिस्ट्रीयल रिलेशन्स का क्या नया पैटर्न हो, कौनसा दृष्टिकोण परस्पेक्टिव हो यह बहुत बड़ा सवाल है। काम में बढ़ोत्तरी हुई है इन्फलेशन भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, आज से पहले हमेशा हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार घाटे का बजट पेश करती रही हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है, काम में बढ़ोतरी हुई भी है इनफ्लेशन भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है डिस्पेरिटी का सवाल भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसी हालत में जो लेबर लॉज है, उनमें हमेशा सभापतिजी, जो स्टेटस को है, उस स्टेटस को मेन्टेन करने की बात होती है। इसके साथ ही हम देख रहे है कि मजदूरों की अपनी इंटेलीजेंस के जरिये, अपनी ताकत के जरिये, अपनी एकता के जरिये, अपनी पालिटिकल बिगनिंग के जरिये लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज इस बात को कह रहे हैं, जबकि आज से पहले तेइस साल में लेबर के प्रश्न पैदा हुए, मिनिमम वेजेज की बात आई, यूनियन को मान्यता देने का सवाल सामने आया, कान्ट्रैक्ट लेबर का सवाल आया, नये ट्रिब्यूनल का स्ट्रेक्चर क्या हो, इंडस्ट्रियल कोर्ट का स्ट्रेक्चर क्या हो, लेबर लाज में क्या तब्दीली आये तो हमेशा केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने यही जवाब दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार करने के लिए लेबर कमीशन

(श्री केदारनाथ)

नियुक्त कर दिया है, उसकी रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट आने के बाद फैसला कर देंगे अब उसकी रिपोर्ट आ गई है। तीन साल तक उस कमीशन की बैठक हुई और अब पिछली अगस्त में उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसने अपनी रिपोर्ट में रिकमन्डेशन काफी की हैं, लेकिन भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने उसके बारे में क्या फैसला किया--यह तो श्रम मंत्रीजी अपने जवाब में बतायेंगे। लेकिन जो कुछ मुद्दे थे, उनमें से आज भी हमारे यहां यह सवाल उठता है कि जो मजदूरों की रियल वेज है, वह पहले से कम हुई है या नहीं प्लानिंग कमीशन ने इस सवाल को स्टडी किया है, और सभापतिजी, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि रियल वेजेज में कमी हुई है। आज हिन्दुस्तान में यह बात चल रही है कि लेबर की काफी इन्कम बढ़ गई है, लेबर का काफी स्टेन्डर्ड ऊंचा हो गया है। यह बात गलत है, इसलिए कि जो रियल वेजेज हैं वह पहले से कम हुई हैं। इसके सम्बन्ध में जो प्लानिंग कमीशन की स्टडी रिपोर्ट है, उसका आपके सामने हवाला देना चाहता हूं।

"In 1965 the industrial worker at the lowest level was earning hardly a real wage corresponding to that of the year 1952."

जो सन् 1952 में लोवेस्ट लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर रियल वेजेज के रूप में प्राप्त करता था, वह 1965 में प्राप्त नहीं करता है। इसके बाद की स्थिति को स्टडी हो रही है, इसकी रिपोर्ट अभी हमारे सामने नहीं है। सभापतिजी, आज कहा जाता है कि डिस्पेरिटी के युग में, जब हम मिक्सड इकानामी के डाइरेक्शन को बदलने जा रहे हैं, यह कहा जाता है, मजदूरों के अन्दर अनरेस्ट नहीं हो, इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट में मजदूरों में अनरेस्ट नहीं हो, इसलिए कि देश की इकानामी का डाइरेक्शन बदलने जा रहे हैं, हमने मजदूरों की नई वेजेज, नीड बेस्ड वेजेज तय कर दी है। हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो लेबर कान्फ्रेन्स 15वीं लेबर कान्फ्रेन्स 1957 में हुई, उसमें स्टेण्डर्ड वेजेज तय कर दी, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज तय कर दीं। लेकिन लेबर कमीशन इस बात पर विचार करके इसका हल नहीं निकाल पाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज कितनी है और कितनी मिलती हैं, यह एवरेज जो है, इसके सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का हवाला आपके सामने पेश करता हूं :

"The average annual earning of a worker is Rs. 1,829; the average national domestic product for a worker is Rs. 4,876."

तीन हजार का फर्क है, जो मजदूर तीन हजार रुपया कमा कर देता है, एवरेज इण्डस्ट्रियल वर्कर चाहे कोई ट्रेड में है, चाहे इण्डस्ट्री में हो, चाहे उद्योग कारखाने में है, किसी भी हैसियत में काम करता हो, अगर उसकी मेहनत और कमाई में इतना मार्जिन रख कर चलते हैं, तो क्या मजदूरों को आज की इकानामी में ऐसे प्राइवशन के बाद नीड बेस्ड रियल वेजेज दे दी है? आज

(श्री केदारनाथ)

दलील पेश की जाय, और सारे देश को हालत पेश की जाय, तो यह प्रश्न राजस्थान का ही नहीं है, यह आल इण्डिया का सवाल है– लेकिन कमीशन इस सवाल पर साइलेन्ट रह गया है और कहा है वक्त आने दो, तब इण्डस्ट्रियल लेबर की नीड बेस्ड रियल वेजेज का मसला तय किया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब तक यह मसला तय नहीं होता है, जब तक इस मसले को हिन्दुस्तान की सरकार तय नहीं करती है कि फलां साल तक, फलां तारीख तक हम सारे देश में, नेशनल मिनिमम वेजेज का स्टेण्डर्ड तय कर देंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और लेबर अनरेस्ट रहेगा। चाहे खेत में लेबर काम करे, चाहे कारखानों में काम करे, चाहें दुकानों में काम करे, चाहे सड़कों पर काम करें, चाहे घर पर काम करें– जब तक मदूजरों के दिमाग में यह बात नहीं आती है कि इस साल तक इतना मेरी मेहनत का मुआवजा मिलेगा और इसके बाद मुझे वेजेज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक, मैं सोचता हूं, आप इण्डस्ट्रियल लेबर के अनरेस्ट को दूर कर नहीं पायेंगे। सभापतिजी, एक सवाल और था, जिसका मसला तय नहीं हुआ है। आज यूनियन बढ़ती जा रही हैं, और कारखानों में यूनियन्स की आपसी राइवलरी बढ़ती जा रही है। कई बार जो स्टडी करते हैं इस मसले को आज की इण्डस्ट्रियल लेबर कन्डीशन्स में तो उनको उदासीनता होती है। आज इण्डस्ट्रियल लेबर के रिलेशन बिगड़ रहे हैं, मगर किसी कानून के तहत आज तक राज्य सरकार ने कुछ किया, केन्द्रीय सरकार ने कुछ किया, श्रम मन्त्रालय क्या कर रहा है। इसलिए जब तक यूनियन की मान्यता के सवाल के बारे में उसूली तौर पर तय नहीं करते हैं, जब तक यह मालूम नहीं पड़ता है कि कौनसी यूनियन मेजोरिटी यूनियन है, किसके हाथ में पावर है लेबर की नुमाइन्दगी करने का, जब तक आप मान्यता के सम्बन्ध में कोई क्राइटेरिया इन्ट्रोड्यूज नहीं करते हैं तब तक इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स का सवाल तय नहीं हो सकता है। अभी फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा, रोडवेज, सुगर फैक्ट्री में और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दो दो डाइरेक्ट का चुनाव सीक्रेट बैलट से होगा। यह अच्छी बात है। लेकिन यह मजदूरों के बीच में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पैदा करना है कि इन इन इण्डस्ट्री में, इन इन के बोर्ड के डाइरेक्टर का चुनाव सीक्रेट बैलट से करेंगे, और बाकी की जितनी इण्डस्ट्री है, उनमें जहां तक यूनियन को मान्यता देने का सवाल है, उसके लिए यह न करें। तो मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सभापतिजी, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि अभी लेबर कमीशन इस बारे में फैसला नहीं कर पाया है। अभी भी कहा है, वेरीफिकेशन आफ मेम्बर्स से हो सकता है, किसी हालत में सीक्रेट बैलट से मान्यता दे दें। राज्य सरकार इसकी शुरूआत करना चाहती है, लेकिन जब तक यह चीज तय न कर दी जाय कि मजदूरों की नुमाइन्दगी कौन करेगा, कौन यूनियन करेगी तब तक यह मसला हल नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि मजदूरों की नुमाइन्दगी कौन करे– इसका तरीका वही हो, जिस तरह से हम विधायक बन कर आते हैं, और जिस तरह से लोक सभा के सदस्य बन कर आते

(श्री केदारनाथ)

हैं। यह मसला बुनियादी है, जब तक कारखानों में यह तय नहीं करते हैं, जब तक मजदूरों की यूनियन के विषय में यह तय नहीं होता है तब तक झगड़ा होता है, मैनेजमेन्ट कहीं पर समझौता करता है तो मजदूर मानते नहीं हैं, उसके कारण से हड़ताल होती है, आपस में झगड़े होते हैं, पुलिस चली जाती है, फायरिंग हो जाती है और इस तरह से कई मर जाते हैं। कौन समझता है इस बात को। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हालत ऐसी बन गई है, आप चाहते हैं कि मिक्स्ड इकानामी के डाइरेक्शन को बदलें, तो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन को बदलना पड़ेगा। इण्डस्ट्रियल रिलेशन को बदलने के लिए जो मान्यता का सवाल है, इसको स्टेट लेवल पर तय कर दें यह तय करदें कि यूनियन को मान्यता सीक्रेट बैलट से देंगे, तो मैं सोचता हूं कि लेबर के बहुत कम डिस्प्यूट सामने आयेंगे, बहुत कम कैसेज रेफरेन्स करने पड़ेंगे, लेबर स्ट्राइक बहुत कम करनी पड़ेगी। और जितनी आपकी आज मशीनरी है, जिसका आप उस पर इन्वेस्टमेन्ट करते हैं, जितनी पुलिस को आप डेप्लोय कर रहे हैं, इस बात के लिए, मजदूरों के अनरेस्ट को मिटाने के लिए, हड़ताल को तोड़ने के लिए, रेफरेन्स करवाने के लिए-यह सारा खर्चा बन्द हो जायगा। मैं सोचता हूं कि मजदूरों की आज गिनती बढ़ती जा रही है। मजदूर कुछ पीरियेड में तीन पर्सेन्ट हो गये हैं और ज्यों ज्यों इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट होगा, यह गिनती बढ़ेगी और केवल इंडस्ट्रियल लेबर में ही नहीं, खेतों में मजदूर बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आप प्रिन्सिपल तय कर देंगे, आप मिनिमम वेजेज तय कर देंगे, आप पैटर्न एक तय कर देंगे तो चाहे मजदूर आर्गेनाइज्ड हो या मजदूर अनआर्गेनाइज्ड हों-उनको यह मानना पड़ेगा। तीसरी बात, सभापति जी, हमने हमेशा कहा कि जो लॉज हैं आपके पुराने वह लॉज आज तक स्टेट्स को मेन्टेन करते हैं, उनके कारण से मजदूरों में क्लेश होता है, मजदूरों से कन्फ्रन्टेशन होता है। जो नई कन्डीशन्स हैं, उनके मुकाबले में कानून पुराने हैं तो मजदूरों से कन्फ्रन्टेशन पैदा होता है। जब यह बात आये कि पुराने कानून को लागू करें, पुरानी मशीनरी से लागू करें, पुलिस की मार्फत लागू करें- तो यह चीज ठीक नहीं बैठती है। यह लेबर अनरेस्ट का तीसरा कारण है। जो वेज बोर्ड बनते हैं, उनकी रिकमन्डेशन कहीं लागू हुई, कहीं नहीं हुई। आखिर होती क्यों नहीं है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार मानलें कि जो वेज बोर्ड केन्द्रीय सरकार बनाती है, वह जो रिपोर्ट देती है तो उस रिपोर्ट को मान कर एक स्टेटुअरी रूप दे दे तो यह झगड़ा समाप्त हो जाय। उसूलन तौर पर, सभापतिजी, यह ठीक है कि लेबर आज मजबूत हो, और जो लेबर बार्गेनिंग की पावर है, पालिटिकल बार्गेनिंग की पावर है, उसके बावजूद वह नहीं चाहते है कि वेज बोर्ड की मार्फत हर बात का फैसला हो। वह चाहते हैं कि यूनियन की मान्यता का फैसला कर दें, तो यूनियन और मैनेजमेंट एक टेबल पर बैठ कर मजदूरों की मांगों को तय करें। इसलिए आप यह स्प्रिट पैदा करें लेबर में। कानून के मार्फत वेज बोर्ड की मार्फत मांगों के बारे में फैसला करवाने में बाधा पड़ती है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सुधरें, और लेबर की बार्गेनिंग पावर है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है, फाईटिंग पावर है, यह पावर बढ़े तो यह पावर

(श्री केदारनाथ)

तब बढ़ेंगी, जब आप एक नया कानून बना देंगे। मैं सोचता हूं कि राज्य सरकार को इसके बारे में शुरुआत करनी चाहिए। सभापति जी, एक बात और है, कान्ट्रेक्ट लेबर का सवाल हमारे सामने आया। राजस्थान कैनाल है, पी० डब्ल्यू० डी० है, कितने ही डिपार्टमेन्ट सरकार के हैं, जो पन्द्रह बीस साल से काम कर रहे हैं। वैसे मैंने सुना है, इस बारे में राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है और उस फैसले की आज घोषणा होगी। पालियामेन्ट में बिल पेश हो गया, पास हो गया, एक्ट बन गया 1957 में-कान्ट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड अबॉलिशन एक्ट। उसके बाद इतना बड़ा एक्सप्लोइ-टेशन, इतना बड़ा अन्याय कभी सहन नहीं किया जा सकता। ठेकेदारों की मार्फत कान्ट्रेक्ट लेबर, ठेके के लेबर के साथ क्या क्या ज्यादति होती है- यह सब जानते हैं। इसका इलाज हो, यह प्रथा समाप्त हो, चाहे फेज प्रोग्राम से हो या उसूली तौर पर यह समाप्त कर दी जाय। मैं समझता हूं, इससे लेबर के अन्दर एक नई जिन्दगी पैदा होगी और लेबर में फर्क नहीं रहेगा। किसी का दो साल पहले अपाइन्टमेंट हो गया, दस साल पहले अपाइन्टमेंट हो गया, लेकिन आज भी वह टेम्प्रेरी, केजुअल लेबर माना जाता है। एक नहीं, आप कोई भी इन्डस्ट्री को देख लें, सभापतिजी, आपको कई इन्डस्ट्री को देखने का मौका मिला हो, प्राइवेट इन्डस्ट्री को देखने का लेबर कन्डीशन्स को देखने का मौका मिला होगा, वहां लेबर की हालत खराब है। आप एक तरफ तो समाजवाद की बात कहें, दूसरी तरफ यह कहें कि पूंजी को लेबर के साथ जोड़ दिया जाय, प्राडक्टिविटी को लेबर के साथ जोड़ दिया जाय और इक्विल पे फार इक्वल वर्क का जो उसूली सवाल है, यह बात कहने को कहते हैं, आप उसको अमल में करते नहीं हैं- यह बात चारों तरफ देखने से मालूम पड़ती है। इसलिए आप नार्म्स तय कर दें, कान्ट्रेक्ट लेबर, केजुअल लेबर समाप्त हो। यह एक उसूल बनाया जाय। बनाने की पावर्स आपके पास हैं, इससे लेबर के दिमाग में एक स्थाईत्व आयेगा, उसमें वर्क करने का इन्सेन्टिव पैदा होगा और यह लेबर कन्डीशन्स और इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स को सुधारने में भी इम्पार्टेन्ट पार्ट प्ले करेगा। इतनी ही बात नहीं है, हमने लेबर के मसलों के अन्दर देखा है कि जब भी स्ट्राइक का नोटिस दिया जाता है, तो क्या होता है, सभापति जी, पुलिस सबसे पहले गेट पर आ जाती है। तीस दिन में रेफरेन्स के बाद एक्शन हो- उसका मौका नहीं मिलता है। अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो किसी भी सवाल को लेकर लेबर ने ज्योंहि नोटिस दिया, ज्योंही डिमाण्ड दी, वह डिमाण्ड जो दूसरे मजदूरों के लिए मान ली गई है, राजस्थान में ही नहीं, देश के अन्दर, उसको मेन्टेन करने के लिए, एवार्ड को लागू करने के लिए, वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए, उस फैसले को लागू करवाने के लिए जो फैसला ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स में हुआ है, तो पुलिस आ जाती है गेट पर और पुलिस के लिए धारा 107 के अन्तर्गत कार्य वाही करना और गिरफ्तारी करना मामूली चीज हो गई है। कोई भी यूनियन मजबूत हो, उसकी मांग गौण रह जाती है और पालिटिकल बार्गेनिंग की पावर है वह इस पर डाइवर्ट की जाती है, विशेष तौर से केस को उलझाने के लिए, मैनेजमेन्ट को लेबर की मांग न मानने के लिए प्रोत्साहित करने

(श्री केदारनाथ)

के लिए इश्यूज बदल लेने की कार्यवाही होती है और इससे उनकी अटेन्शन को डाइवर्ट कर दिया जाता है। यह शर्म का सवाल है, यह अच्छा नहीं है। चुनाव से पहले, सभापति जी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, के लेबर जो इंटक से संबंधित है, उसकी हड़ताल को देखने का मौका मिला। दो बार पहले रेड फ्लेग की यूनियन ने हड़ताल की थी तो उसके अन्दर आफिसियल्स ने साथ दिया। अगर कोई कर्मचारी हड़ताल कर दें असेंसियल सर्विसेज में, तो आर्डिनेन्स आ जाता हैं, हड़ताल को बान कर देते हैं, गिरफ्तारी शुरू हो जाती है, रेल्वे में यह हुआ, पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ में यह हुआ, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में यह हुआ। कहीं भी हड़ताल की कि आर्डिनेन्स आया, असेंसियल सर्विस डिक्लेयर कर दिया और गिरफ्तारी कर ली। लेकिन उस वक्त टोप से लेकर डाउन तक के आफिसियल कहते, हड़ताल में शामिल हों, आपकी मांग स्वीकार कर ली जायगी। कोई आर्डिनेन्स नहीं देखा, उस वक्त कोई गिरफ्तारी नहीं सुनी और हड़ताल के दिनों में पैसा तक दिया गया। एक बात की खुशी है मुझे कि विक्टीमाईजेशन नहीं किया लेकिन जब दूसरी यूनियन हड़ताल करें तो यही रवैया रखते हैं और रखें तो ठीक है। अगर इंटक हड़ताल करे तो और मक्सद, रोडवेज में हड़ताल करें तो और मक्सद। तो यह भेदभाव की नीति आपमें होती है तो लोगों में असन्तोष होना स्वाभाविक है।

कोटा में 20 प्रतिशत से ज्यादा बोनस मिले, इस बात पर एजीटेशन चल रहा है कि कानून को अमेंड करें। मुनाफा ज्यादा है, मजदूर यूनियन मैनेजमेंट के साथ बैठ कर बात करती है। वह मुनाफे का हिस्सा लेना चाहते हैं तो क्या गलत बात है? वहां पर पुलिस पहुंची फायरिंग करने, गिरफ्तारियां करने, सारी की सारी हालात ऐसी पैदा कर दी हैं तो वह अगर हालात विद्युत मण्डल के मजदूरों की होती तो मालूम पड़ता कि मजदूरों की नीति में क्या भेदभाव है। आज सारे देश में हमारे यहां इस बात पर काफी स्टेट्स में इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में मजदूरों का कितना शेयर रहा है, यह हमारे सामने है। आज सारे के सारे इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स के तौर तरीके बदले जायं।

कुछ मल्टीप्लिसिटी आफ यूनियन और यूनियन्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में फैसले हुए हैं, इन्टर यूनियन राइवलरी के बारे में, अगर आप यूनियन्स के फैसले कर दो और उसके बाद कानून में तबदीली लायें, जिनका बहुमत हो जिनके पास कम से कम दो हजार या दस हजार मेम्बरशिप हो, उनको ही यूनियन बनाने का अधिकार मिले, उनके तौर तरीकों में सुधार हो तो जो मल्टीप्लिसिटी आफ यूनियन्स बढ़ रही है जिसका मैनेजमेन्ट्स को फायदा मिल रहा है, वह लोग जो मैनेजमेन्ट के नाम से कमाते हैं, उनको फायदा मिल रहा है, वह बातें कम होंगी। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में टर्न ले, एकानामिक सेक्टर में टर्न ले तो आपको यह बात जरूर करनी पड़ेगी।

दुकानों के कर्मचारियों का सवाल आता है, खेत के मजदूरों का सवाल पैदा होता है कि तहसीलदार फैसला करेगा। दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों

(श्री केदारनाथ)

को मजदूर की तारीफ में लें, खेत में काम करने वाले लोगों को मजदूर की तारीफ में लें, मिनीमम वेजेज एक्ट उन पर लागू हैं, लेकिन सारी चीजें आपके मारफत आयें। जो पावर्स आपको नहीं हैं, आपको मिलनी चाहिए, रिकवरी कहां करे, प्रोसीक्यूशन कहां करे, मजदूर के बस की बात नहीं है। बंगाल, केरल और बिहार में फैसले हुए। उन्होंने फैसला कर दिया कि पेन्शन की स्कीम जो इन्डस्ट्रियल वर्कमैन हैं, जो प्रोविडेन्ट स्कीम के तहत आते हैं उनको कम से कम 40) और 150) ज्यादा से ज्यादा फैमिली पेन्शन हो, यह स्कीम लागू कर दी। यह फैसला कर दिया कि जो मजदूर सस्पेंड किया जाए, सस्पेन्शन के पीरियड में उसको कुछ पैसा मिले ताकि उसको केस रेजिस्ट करने की पावर हो, लड़ने की पावर हो, अदालतों में जायं लंबा समय है, इसलिए ये पावर्स आनी चाहिए। यह भी करना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बदलेंगे, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या संशोधन लायेंगे, नीड बेस्ड मिनीमम वेजेज में क्या नीति है। यूनियन्स की मान्यता की आपने शुरूआत कर दी, इन्डस्ट्रीज को अधिकार है डाइरेक्ट चुनाव से कराने का। उसके नियम अगर आप 1972 के बाद बनायें तो मतलब नहीं। रूल्स बनाकर चुनाव की तारीखें तय करें ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए। तीन इन्डस्ट्रीज में लागू हो गया और सारी इन्डस्ट्रीज में लागू होती तो अच्छा होगा।

अब मैं गंगानगर पर आता हूं। आप इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के जरिए से इन्डस्ट्रियलाइजेशन करें। छोटे धन्धे अगर उसके साथ नहीं हैं चलते हैं तो लोगों ने या सरकार ने जो इन्वेस्टमेन्ट किया है उसके रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे क्योंकि खेत के मजदूर को कम काम मिलता है। 365 दिनों में से 112 दिन उसको काम मिलता है। बाकी दिनों का इस्तेमाल कैसे करें? प्लानिंग की फंडामेन्टल फिलासाफी यह होती है कि कितना इन्वेस्टमेन्ट किया जाय, कहां किया जाये। यह पैसे की बात नहीं, लेबर को इस्तेमाल करने की प्लानिंग की बात है। तो लोगों का दिमाग नहीं बिगड़े, लोग बेचैन न हों, तो जहां इन्टेन्सिव कल्टीवेशन हो जहां शेयर क्राप्स की गिनती बढ़ती हो, वहां लाजिमी तौर से कॉटेज इन्डस्ट्रीज बढ़ें।

गंगानगर को एक इन्डस्ट्रियल एस्टेट दिया है। सब स्थान भर गये, एलॉकेशन हो गया। आसपास की जमीन एक्वायर करें, नये कारखाने खोलें, उद्योग धंधों के लिये जमीन दें। पिछले 5-7 साल में राज्य सरकार इसको करने में असमर्थ हुई है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय, मेरी अपनी सीमायें रखते हुए एक कटौती प्रस्ताव जो मैंने रखा है उस पर बोलना पसंद करूंगा। मैं सत्ताधारी दल की तरफ बैठा हुआ हूं। कहीं भी रूल्स में प्रोवीजन नहीं है कि कट मोशन्स पर हम उनका विरोध कर सकें। दुर्भाग्य यह है कि मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं कि उन सारी पोलिसीज को डिसएप्रूव करता हूं जो राज्य सरकार चलाती है। इसके सिवाय कट मोशन्स देते तो विधान सभा के सचिव महोदय उनको काट कर फैंक देते और बोलने का अवसर नहीं आता। तो एक कटौती प्रस्ताव डिसएप्रूवल का है। दूसरा है इकानामी कट का। मेरे खयाल से 5 वर्ष में

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मेरे जीवन में और इससे पहले इस विधान सभा के 20 वर्ष के इतिहास में मैंने कभी आज तक नहीं सुना कि इस विधान सभा में इतने दिन तक बहस चली इकानामी कट पर और एक रुपया भी कट नहीं किया गया होगा क्योंकि जो राज चला रहे हैं अपने ढंग से बजट का बंटवारा करते हैं और हमारे पास में न साधन है न साहित्य है न आधार है जिसके द्वारा हम कह सकें कि इकानामी कट की जाय, रुपया किसमें खर्च किया जाय, वह बहुत बड़ा प्रश्न है। जो कुछ सरकार के द्वारा हमें साहित्य उपलब्ध है, उस उपलब्ध साहित्य पर बोलना पसंद करते हैं तो शायद गल्ती करेंगे।

तीसरा प्रश्न आता है ग्रीवेन्सेज का ग्रीवेन्सेज के लिए इन तीन डिपार्टमेन्ट्स से मेरा परिचय, राजकीय उपक्रमों से मेरा परिचय केवल इस सीमा तक अपने आप को मानता हूं कि मैंने जो जन लेखा समिति की रिपोर्ट, विभाग का प्रतिवेदन या उपक्रम समिति के प्रतिवेदन और एस्टीमेट्स कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर लिया है और उनको देख कर मैं सदन में आपका समय नहीं लेना चाहूंगा, फिर उन पर बात करूंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें नुकसान हुआ है। प्राइवेट अंडरटेकिंग्स मुनाफा कमा रही हैं। उपक्रम समिति की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद कहीं निर्णय पर नहीं पहुंचा। ये हमारी पब्लिक अंडरट‍्किंग्स हैं उन्होंने कोई मुनाफा कमाया, मुझे नहीं मिला। ढूंढते-ढूंढते एक कहानी याद आई उसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कील का चोर। मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में कहीं न कहीं अटका हुआ है राजा को शिकायत हुई कि चोरी की करोड़ों रुपए खा गये। उन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति को जांच के लिए नियुक्त किया। सारे एसीसटेन्ट इंजीनीयर्स, चीफ इंजीनीयर्स सारे स्टाफ के पास यह खबर पहुंची कि वह ऐसा आदमी है जिसकी 4 आंखें हैं जो चोर को देख कर ही चोरी पकड़ लेता है। घबरा गये। राजा ने आदेश दिया कि आज रात को 40 लाख सीमेन्ट बैग्स खरीदी जाये, दो घंटे के बाद इनका डिस्पोजल बता दो। डिस्पोजल बता दो इसका जो पैसा बचा राजा साहब ने रखा एसिस्टेन्ट इंजीनीयर को बिठाया गया। दूसरे दिन दूसरा माल जायगा। रास्ते में वहां पर एक चौकीदार था, वह लकड़ी से बकरी को बांधता था। उसकी औरत उसको रोज तंग करती थी। लकड़ी से क्यों बांधते हो। भाखरा नांगलपर लोहा पड़ा है एक कील उठा लाओ। वह वहां से उठा लाया पीछे से कमिश्नर की जीप दौड़ती हुई आई और उसको पकड़ लिया। 500 रुपये जुर्माना और छः महीने की उसको सजा हुई। सैंकड़ों रुपया खा गये सो तो उनका कुछ नहीं। एक कील की चोरी की इसलिये उसको पकड़ लिया और इन्जीनीयर साहब का इतना प्रचार हुआ कि वे इतने ईमानदार हैं कि एक कील चुराने वाले को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिला हो न तो मैं कहता हूं और न ही ऐसा बताना चाहता हूं। एस्टीमेट कमेटी, राजकीय उपक्रम समिति, जनलेखा समिति और आडिटरिपोर्ट्स सब आपके सामने है। उनके आधार पर कहीं हम कल्पना करेंगे। राजस्थान की ऑडिट रिपोर्ट को हम देखते

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि पचास हजार ओब्जेकशन्स जिनमें से 30.35 हजार ओब्जेकशन्स तीन साल से पड़े हुए हैं। कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री सभापति : यह भी कहानी में शामिल है या नहीं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं नहीं जानता सही क्या है क्या नहीं किन्तु यह निर्णय करने का अवसर है। कहीं न कहीं तो निर्णय करने का आधार बनायें। कहां बैठे हैं ? तो शायद अंधेरे में अब तक बैठे हैं। सरकार कहीं भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। आडिटर के सम्बन्ध में कहना है। पहले ही सदन में कह दिया था। बहुत रिलेवेन्ट है और एक लाइन में ही कह दूंगा। एक अकाउन्टेन्ट साहब बैंक में गये। बीस हजार रुपये उठा लाये। दस हजार ही लाना था। दस हजार रुपया वापिस ईमानदारी से बैंक में दे दिया। एक्जीक्युटिव अधिकारियों ने कहा कि ऐसा ईमानदार एकाउन्टेन्ट जिन्दगी में भी नहीं देखा और नहीं देख सकेंगे। लेकिन आडिटर इतना बड़ा है कि वह कहता है कि ऐसे व्यक्ति को तो नौकरी से ही बरखास्त कर ही जाना चाहिये। दस हजार की जगह बीस हजार उठा लाया। इस प्रकार की चीजें हैं। यह मैं सदन और समिति को सौंपना चाहता हूं। उपक्रम समिति के चेयरमेन विरोधी दल के नेता महोदय हैं।

(2.55 म० प०)

(श्रीपूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दौलतराम सारण : यह हम स्पष्ट सुनना चाहेंगे कि निर्णय हम पर छोड़ा है इस लिये आप क्या कह रहे हैं यह सुनना चाहेंगे। माननीय सदस्य ने कुछ कहानियां बताईं, आडिट के सम्बन्ध में, उपक्रम समिति के सम्बन्ध में बताया, रहस्य समझने में हम असमर्थ हैं क्योंकि उन्होंने निर्णय हम पर छोड़ा है। आप भी शामिल हैं। चेयरमैन उपक्रम समिति के अपोजिशन के नेता हैं। जनलेखा और प्राक्कलन के तो उधर के ही हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तीसरी कहानी आपको संतुष्ट कर देगी। एक केरड़ी 'मर गयी। बछड़ी। किसने मारी केरड़ी ? तो कंवर साहब ने कहा कि मैंने मारी।

श्री दौलतराम सारण : क्यों समय खराब करते हैं सदन में।

श्री भैरोंसिंह : एक मिनिट।

श्री मदन सिंह दांता : वेग स्टेटमेन्ट।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : यह बात सदन में दोहराना चाहता हूं कि जो कुछ हम सदन के प्लेटफार्म पर भाषण देते हैं वेग नहीं उनमें वेटेज होता है। न तो लिट्रेचर है और न ही सामान है। कहीं सजेशन हम नहीं दे सकते। यह मखौल है। बहुत बड़ा मखौल है जिसको हम खींचे चले जा रहे हैं। आप भी सदन में बीस वर्ष से बिराज रहे हैं। पावरफुल स्पीच आप देते हैं क्या आप एक भी पैसा बजट में से कम करा पाये ?

श्री भैरोंसिंह : जिस दिन बजट में से एक रुपया कम हो जावेगा आप वाले सब इधर आ जायेंगे। इधर वाले सब उधर चले जायेंगे।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आपको सोचना है। यह बड़ी बात है। वास्तव में जो रूल्स असेम्बली और राज्य सरकार सही निर्णय लेने में बाधक हो तो सही निर्णय लेने के लिये उनको बदलना पड़ेगा। मैं गुमराह करूं यह मेरा मतलब नहीं है। इसलिये मैंने विस्फोटक बातें कही हैं।

स्टील प्लान्ट की कहानी है। दुर्गापुर स्टील प्लान्ट में मैं गया। मुझे कहा गया कि सौ अधिकारी इस प्रकार बैठे हैं कि जिनके पास अखबार पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। यह कहां तक सच है मुझे नहीं मालूम लेकिन लोगों ने मुझे इस प्रकार की इत्तला दी है। इसका मतलब यह है कि हमारा चरित्र इतना गिर गया है। पब्लिक अन्डर टेकिंग्स का रुपया सार्वजनिक रुपया है। वहां हो अंधेरा है तो हमारे पब्लिक अन्डर टेकिंग्स में कहीं ऐसा नहीं मिला कि चार अफसर काम कर रहे हैं, मुझे बताया नहीं गया......

श्री भैरों सिंह : आपने पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : एक एक रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। साथ लेकर आया हूं। इसको छोड़ दीजिए। एक बात और कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : सारी कमेटियों की रिपोर्ट को पढ़ लें, जनलेखा समिति की प्राक्कलन समिति की उपक्रम समिति की रिपोर्ट्स को, उनके आधार पर सरकार को आप चला दें तो इस सरकार की काफी शक्ल सुधर जाय। यही निवेदन करना है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मैंने यह सब पढ़ने के बाद जो चीज आपके सामने रख रहा हूं, वह कैसी है यह निर्णय करने का आपको अवसर है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा मुद्दा सदन में आया है। नियमों की एक प्रक्रिया द्वारा सदन में कट मोशन रक्खे जाते हैं किन्तु एक रुपया कभी कम नहीं हुआ। तो इसके स्थान पर कैसी प्रक्रिया होनी चाहिये क्या प्रोसीजर होना चाहिये, यह बताइये न।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : अगर आप इजाजत दें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका तरीका भी है, रेडी एन्सर भी है। चार दिन डिबेट में लग गये। पर मुझे समय नहीं मिला। चार दिन बाद नम्बर आया। 13 दिन डिबेट में इसमें लगेंगे, चार दिन अनुदानों की मांगों पर और दो दिन एप्रोप्रियेशन बिल पर। अब मैं पूछता हूं इन 19 दिनों में एक रुपये का भी हमने भला किया ?

श्री शंकरलाल : आप तो एक रुपये वाली बात बताइये न।

श्री भैरोंसिंह : एक रुपया का नहीं, चार करोड़ रुपये का भला किया है हमने सरकार ने चार करोड़ रुपये के टैक्स अभी तक वसूल नहीं किये हैं। कल हमारे यहां बोलने पर सरकार ने आदेश दिये हैं वसूल किये जावें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इतनी छोटी बात के लिये ? इसका भी उत्तर है मेरे पास।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां राजस्थान में 87 प्रतिशत पापूलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। इसके मुकाबले में टोटल लेबर को जो हमने एम्पलोयमेंट दिया है वह कुल 4111 लाख है। इससे ऊपर नहीं है। जिसमें सरकारी लेबर प्राइवेट और सेन्ट्रल कारखानों में लगी लेबर प्राइवेट कारखानों में लगी लेबर सब तरह की लेबर शामिल हैं। तो इन कारखानों में तो आप 2½ करोड़ की कुल आबादी में से केवल 5 लाख की एम्पलोयमेंन्ट दे पाये हैं। यह पोजीशन है। तो इसमें भी अधिक लोगों को एम्पलोयमेंट देने के लिये आपको प्रयत्न करना है।

आज चारों तरफ से एक तूफान आ रहा है कि भूमि का अलाटमेंट करिये। बेचते चले जाइये इसको 150 लाख हैक्टर मिलियन भूमि उस वक्त ईरिगेटेड होगी कि जब सारे पोटेन्शियेलिटी के साधनों को काम में ले लेंगे। आज नहीं है वह भी। यह भी डिटेण्डेण्ट रहेगी नेचर पर। ऊपर से बरसात पड़ी तो दशा सुधरी, नहीं तो बिगड़ी।

आज आप करोड़ों रुपया बिजली पर खर्च कर रहे हैं। पर इसका टेरिफ आफ रेट देखिये। एक किसान ने कुट्टी की मशीन लगाई और उस पर बिजली का कनेक्शन लिया। अब एक पांच हजार रुपया खर्च करके कुए पर मोटर भी लगा ली। तो इस पर चार्जेज डबल हो गये। क्या हमारी इकोनोमी आने वाली है, कौन तूफान आ रहा है। किसान की आप को चिन्ता नहीं तो इण्डस्ट्री का एग्रीकल्चर के साथ हारमोनी नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता।

हम मध्यावधि चुनावों के बाद आज 71 में बैठे हैं। हमें निश्चय करना होगा कि आफ्टर आल आप राजस्थान का क्या नक्शा तैयार करना चाहते हैं? कितनी इण्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी को डवलप करना चाहते हैं।

विभागों की रिपोर्टों को पढ़ने के बाद उदयपुर की राक फॉस्फेट और झुंझनूं जिले की पैरासाइट, हिन्दी नाम तो मुझे नहीं मालूम, कहा गया कि इनकी पोटेन्शियेलिटी बहुत बढ़ गई। कितने वर्षों में यह पोटेन्शियेलिटी डवलप होगी।

सन् 34 से भीलवाड़ा जिले में माइका निकाल रहे हैं। आज तक एक को छोड़ कर कोई इण्डस्ट्री वहां नहीं पनप सकी। एक प्राईवेट सेक्टर में पनपी है वह है माइका इन्सलोटिंग ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज की।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कहां पर ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : भीलवाड़े में।

एक माननीय सदस्य : वह भी फेल होने की अवस्था में है।

श्री दौलतराम सारण : पंडितजी इसलिये भीलवाड़ा छोड़ गये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : 36 साल के अरसे में एक इण्डस्ट्री लगी और इसमें भी 9 आदमी काम कर रहे हैं आपको मालूम है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं निवेदन करूं कि 40से50 के बीच में 30हजार लेबर इसमें लगी हुई थी पर आज सारे राजस्थान में

Page No 122

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

कुल मिलाकर केवल 25 हजार से ऊपर नहीं होगी। तो वह माइका कहां चली गई? भारत में माईका में राजस्थान सैकण्ड नम्बर पर आता है यह 95 प्रतिशत माइका एक्सचेन्ज कमाती है। वह इण्डस्ट्री कहां गई?

एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज का कानून पढ़ने को मिला। अहा, आश्चर्य हुआ। दिल्ली का पास हुआ यह कानून? किसी ने सोचा भी नहीं इस पर आज तक? इसके लिये राजस्थान सरकार का भी सरकूलर है कि इस विभाग को पूछे वगैर कोई दूसरा विभाग किसी को एम्पलोय नहीं कर सकता? अगर करता है तो उसकी तनखा रोक दी जाती है। मुझे समझ में नहीं आया यह क्या चीज है? नौकरी देना राजस्थान सरकार का काम है। इसको क्या अधिकार है तनखा रुकवा देने का। यह अनफोंचुनेट है।

इण्डिविजुअल किसी का मामला नहीं था। शिक्षा विभाग में तूफान आया। सबकी तनखा बन्द। ट्रेजरी आफीसर ने कहा बन्द। क्या कानून है यह समझ में नहीं आता। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश का भला करना है, इस प्रदेश का भला करना है, तो हमें चाहिये कि हम सारे पुराने ऐसे कानूनों को खत्म करें जिससे हमारा समाजवादी जनतन्त्र समाप्त हो रहा है।

नया यह रास्ता अपनावें जिससे शोषण की प्रवृत्ति खत्म हो, उद्योगों के द्वारा एम्पलोयमेन्ट मिले। लेबर की हालत सुधरे।

माइनिंग विभाग से मुझे कहना है। कहा गया कि 5 दर्खास्तें पंजीबद्ध हुईं। कितनी? वह तो सैकड़ों की संख्या में है। तीसरी रिपोर्ट पढ़ने पर सुधार लेंगे।

आपने कहा कि बंगला में विद्रोह पैदा हो रहा है। वहां के उद्योगपति राजस्थान में आना चाहते हैं। इससे पहले राजस्थान के रहने वाले राजस्थान में आना पसन्द नहीं करते थे और जगह भी विद्रोह होगा और वहां के राजस्थानी भी राजस्थान में फेंक दिये जावेंगे। तो इसके लिये आपको नये रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। उनको सुविधाएं देनी पड़ेगीं। तब राजस्थान आगे बढ़ेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उन नये रास्तों का सुझाव तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम और उद्योग विभाग के सम्बन्ध में मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने जो अभी थोड़े समय पहले ही अपना भाषण समाप्त कर बैठे हैं उस भाषण के दौरान में यह बात कर रहे थे इस प्रकार का यह जो प्रोफार्मा है जिसको भर कर हम यहां पर भेजते हैं कि इसमें एक रुपया कम कर दिया जाये, यह परिपाटी जब से यह सदन बना है तब से ही चली आ रही है लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नियम बना हुआ है, इन नियमों के तहत जो भी इस प्रकार का कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है, उसमें अलग अलग समस्याओं को लेकर वहां की समस्याओं को समाधान करने के लिए वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको सरकार की निगाह में लाया जाये, उसको सरकार के सामने रखा जाये। जो अनियमितताएं वहां

(श्री श्रवणलाल)

पर बरती गई हैं उनको रखने के लिए यह कटमोशन रखे जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि यहां पर कोई प्रजातन्त्र नहीं है, यह तो खाली एक ढकोसला है। ऐसा उनको महसूस हो रहा था। उनकी बातों से, भाषण से इस प्रकार की जानकारी मिलती है। यहां पर जितने सदस्य बैठे हैं, वे ऐसा ही महसूस कर रहे थे और विरोधी पक्ष के सदस्य भी यह मानते हैं हमारे मन्त्रियों द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, जिस किसी कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखा जाता है, उस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर जो सुझाव दिये जाते हैं, उसकी सरकार के द्वारा पालना नहीं होती है। जो कोई अनियमितता होती है उस पर सरकार कमेटी का गठन करती है और उस पर कमेटी को जो रिपोर्ट होती है उस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार यहां सदन में प्रस्तुत करती है, उस पर सदन सुझाव भी देता है। हमारी सरकार ने इतना अर्सा हो गया एक भी कमेटी की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कटमोशन के द्वारा यहां जो सुझाव दिये जाते हैं, उनके द्वारा जो शंकाएं, समस्यायें यहां रखी जाती हैं, उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योगों का सवाल है, सरकार उद्योगों के बारे में एक लम्बे अर्से से इस प्रकार के आश्वासन पर आश्वासन देती चली जा रही है कि हम अमुक जगह सीमेंट फैक्ट्री को खोलेंगे, यहां पर ट्रैक्टर का कारखाना लगेगा, यहां पर छोटी कार का कारखाना खोलेंगे, इस प्रकार के झूठे आश्वासन देकर यह सरकार वोट प्राप्त करने के लिए जनता को गुमराह करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी जब सवाई माधोपुर पधार रहे थे तो वहां उद्योग खोलने के बारे में कहा था। सवाई माधोपुर में एक ही बड़ा उद्योग है और वह है जयपुर उद्योग के नाम से। इसके सम्बन्ध में बकाया की पूछिये कितनी बकाया है राज्य सरकार की? करोड़ों रुपया राज्य सरकार का इस पर बकाया है चाहे वह रायल्टी के नाम का हो, चाहे कर्ज के नाम का हो, चाहे दूसरे सम्बन्ध का हो। राज्य सरकार यह बकाया इससे वसूल करने के लिये तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, जब भी चुनाव होता है, जिस समय कोई चुनाव होने वाले होते हैं, इस उद्योग को सरकार के मंत्रियों को, उनकी पार्टी को चन्दा मिल जाता है। दस लाख, बीस लाख तक का चन्दा इस उद्योग से मिलता है और इस तरह यह उद्योग जनता के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय कर रहा है। सुखाड़िया साहब जब जिले के दौरे पर जाते हैं, तो जनता को यह कहा जाता है कि करौली के अन्दर एक सीमेन्ट फैक्ट्री खोली जा रही है। करौली क्षेत्र का जो सर्वे कराया गया है, उसमें लाइम स्टोन आज जो फैक्ट्री चल रही है उससे ज्यादा परसेन्टेज का करौली का पत्थर है। इसकी एक्सपर्ट ने भी जांच की है और जांच के बाद यह पाया गया है कि यहां पर सीमेन्ट अच्छी मात्रा में निकल सकती है, बन सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे कि इस प्रकार का मेटेरियल पाये जाने के बावजूद भी वहां सरकार द्वारा कोई सीमेन्ट का कारखाना नहीं खोला जा रहा है। कोई उद्योग सरकार वहां लगाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि जयपुर उद्योगों ने एक प्रकार की मोनोपोली

(श्री श्रवणलाल)

इस जिले में बना रखी है और इस तरह से सवाई माधोपुर जिले के अन्दर वह स्वय एक तानाशाह बन कर बैठा है। दूसरी कोई इन्डस्ट्रीज लग गई, दूसरी सीमेन्ट की फैक्ट्री लग गई तो उसकी मोनोपोली खतम हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना कच्चा माल उपलब्ध होते हुए भी कोई कारखाना नहीं लगाया जाता है। मुख्य मत्रीजी चुनावों के दौरान में वहां पर जाते हैं और सीमेन्ट फैक्ट्री के खोलने की घोषणा वहां पर कर आते हैं। हमारा जिला बैकवर्ड एरिया है। मजदूर इधर से उधर जाते हैं। रोटी रोजी से परेशान हैं उनके लिए यह एक चिन्ता का विषय बन गया है। अगर आप कारखाना लगा देते हैं तो उनके लिए यह एक अच्छा साधन बन जायेगा।

इसके साथ साथ छोटे उद्योगों का भी यही सवाल आता है। चाहे खादी ग्रामोद्योग हो, चाहे चर्म उद्योग हो, चाहे लकड़ी का उद्योग हो। हमारे जिले का काफी महत्वपूर्ण स्थान होने के नाते उपाध्यक्ष महोदय, वहां लकड़ी के सामान के बढ़िया से बढ़िया खिलौने बनते हैं। वे काफी सुन्दर होते हैं लेकिन इस उद्योग को पनपाने के लिये हमारी राज्य सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया है, किसी प्रकार की मदद राज्य सरकार की ओर से इन उद्योगों को नहीं मिल रही है। हमारे यहां कोई चुनाव होता है इस प्रकार का नारा दिया जाता है, गरीबी-अमीरी की खाई को खत्म करेंगे, इन्दिराजी के हाथ को मजबूत करो, जमीन नहीं है तो जमीन मिलेगी और किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। आज हमको देखने को क्या मिल रहा है। बैंकों का नेशनलाइजेशन आपने किया ? कितनों को आपने लोन दिया है ? कितने छोटे उद्योगों को लोन दिया है ? कितने रिक्शा वालों को दिया गया है। जो छोटे छोटे मोची हैं, जूता बना कर अपनी रोजी को चलाते हैं, क्या उनको आपने लोन दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे इनमें से 5% को भी लोन उपलब्ध नहीं कराया गया है। सबसे बड़ा लाभ मिला है पूंजीपतियों को, बड़े उद्योग वालों को चाहे उनको ट्रेक्टर खरीदने के लिये लोन मिला हो, मशीनरी खरीदने के लिए लोन दिया गया—इनके सिवाय किसी छोटे उद्योगों वालों को भी लोन दिया गया है ? किसी छोटे व्यापारी को आज तक लोन नहीं दिया गया है ? छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में हमारी सरकार की नीति यह रही है कि इन उद्योगों को पनपाया जाये। राज्य सरकार छोटे उद्योगों को ज्यादा मान्यता देगी, उनको पनपाने की कोशिश करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों को किस प्रकार पनपाया है, उनके प्रति इसका क्या रुख है उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, खादी भन्डारों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। आज करोड़ों रुपया इस उद्योग पर खर्च किया जा रहा है। हजारों रुपया कमीशन के रूप में, अनुदान के रूप में सरकार देती है। इनकी जो दुकानें हैं उन पर लिखा होता है हाथ कता, हाथ का बना हुआ शुद्ध कपड़ा—इस शुद्ध कपड़े की जगह और कई दूसरी चीजें भी वहां पर बिकती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है वे स्वदेशी है। एक मिसाल मैं बताता हूं जो कपड़ा इन भन्डारों द्वारा बेचा जाता है उसमें 75 प्रतिशत मिल का सूत मिला होता है

(श्री श्रवणलाल)

और नाम उसका हाथ कता बना कपड़ा। हाथ से वस्त्र तैयार किया जाता है और उसमें होता है 75 प्रतिशत मिल का सूत। यह कपड़ा बेचते हैं खादी के भन्डार। कताई और बुनाई की रिबेट इसमें रहती है और इस तरह ये लोग करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या सभी खादी भन्डार ऐसा करते हैं। क्या आपकी दृष्टि में, आपकी जानकारी में सभी भन्डार ऐसे हैं ?

श्री श्रवणलाल : एक नहीं अनेक मिसालें दे सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : एक दो मिसालें बताइये।

श्री श्रवणलाल: करौली में एक संस्था है और जिसका केस हाईकोर्ट तक चला है और वहां यह साबित हुआ है उसके माल में 75 प्रतिशत सूत मिल का है और यह संस्था आज भी चल रही है और आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें 75 प्रतिशत मिल का सूत काम में आ रहा है, 75 प्रतिशत मिल का सूत मिलाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : यह करौली की संस्था है और इसके पदाधिकारी खादी बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत सचिव थे, उनके द्वारा यह हुआ है·····

श्री शिवचरणसिंह (उपमंत्री) : अब तो वे आपके साथी हैं।

श्री भैरोंसिंह : टर्म एक्सपायर हो गई है।

श्री श्रवणलाल : मैं यह कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार यह जो हाथ कता बना कपड़ा है उसमें इस प्रकार से 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत मिल का सूत मिलाकर अपने आपको, ये पहने वालों को धोखा देकर उसकी कीमत दुगनी तिगुनी कीमत लगाकर किया जाय, यह अच्छा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा जहां तक श्रम का सवाल है वहां पर आज मजदूरों की इस प्रकार की बेरोजगारी के कारण इस प्रकार की हालत हो रही है बहुत ही दयनीय स्थिति है। जहां तक एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज का सवाल है। यह एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज का कानून इस प्रकार का निकला कोई भी भरती एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के थ्रू नहीं की जायगी उसका वेतन रोक दिया जायगा···

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपका कट मोशन का नम्बर कौनसा है ?

श्री भैरोंसिंह : 18।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था इस बात के लिये गवर्नमेंट के आदेश इस प्रकार के हुये विभागों के अन्दर बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के भरती नहीं की जाय उसके बावजूद भी कई नियुक्तियाँ बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के कर ली जाती है। और जब नियुक्ति करने के बाद एक्सचेन्ज को मालूम पड़ा कि यह नियुक्ति बिना हमारे थ्रू हुई है। इसलिये उन्होंने···

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कट मोशन का नम्बर 18 तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : 18 पेज पर देखें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 18 पेज तो इसमें है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपके पास पूरे कागज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : 27।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था उन्होंने इस प्रकार का सरक्यूलर निकाल कर कि अगर किसी भी व्यक्ति को बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के भरती में लिया गया तो उसके लिये प्रावधान रखा कि उनको वेतन नहीं मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कट मोशन को बिना देखें ही मंत्री महोदय आ जाते हैं। एक माननीय सदस्य ने कट मोशन दिया है और आप दिन भर घर पर रमी खेलते रहें तो यह अच्छा नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने देख लिया है।

श्री श्रवणलाल : इस प्रकार मेरे से पूर्व वक्ता नाहर साहब ने बतलाया गवर्नमेंट ने सरक्यूलर निकालकर वेतन बन्द किया है। माननीय सदस्य ने कहा उसके विपरीत यानि एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज ने फर्जी कार्यवाही कर के बिना एक्सचेन्ज के भरती की जाती है उसका जरूर वेतन रुकना चाहिये। आज उपाध्यक्ष महोदय, आपके एक्सचेन्ज से पूछा नहीं जाता है। आज हरएक विभाग में धान्धली चल रही है पूरे डिपार्टमेंट्स के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रत्येक के नाम लेने को तैयार हूं आज किसी मिनिस्टर का साला है, आज किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार है उसको नौकरी मे लगाना है तो उसको सीधी नियुक्ति दे देंगे, लीव की वेकेन्सी में नियुक्ति दिलवा देंगे, किसी को छुट्टी दिलवा कर उसके स्थान पर नियुक्ति दिलवा देंगे और फिर दूसरे दफ्तर में उसका ट्रान्सफर करवा देंगे। वह एप्लीकेशन दूसरे डिपार्टमेंट के लिये भेज देगा इससे गवर्नमेंट के सरक्यूलर का झगड़ा खत्म हो जाता है और एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज का सारा जो झगड़ा बीच में आता है, वह समाप्त हो जाता हैं और उसको पे मिलना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार जिनका थ्रू एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के अपाइन्टमेंट नहीं हुआ है उन सब को 67 से लेकर अब तक जो सीधी कार्यवाही की गई हैं, वह किसी के थ्रू नहीं की गई है और जो गलत की गई है बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के की गई है या डिपार्टमेंट से चेन्ज करके की गई है उन सबको रिवर्ट करना चाहिये।

आज शिड्यूल्ड कास्ट के लिये आपने 28 परसेन्ट का कोटा तो कहने के लिये, अभी हमारे मंत्री महोदय इस समय यहां नहीं है, वे हर प्रकार की डींग मारते हैं कि इस कार्य को देखने के लिये एक कमेटी बनाई जा रही है जो प्रत्येक विभाग के मामलों को परसन्टेज के हिसाब से, चाहे वह छात्रवृत्ति का हो और चाहे वह लोन का मामला हो उसको देखेगी कि उचित प्रतिनिधित्व मिला या नहीं। जितनी अनियमिततायें शिड्यूल्ड कास्ट के लिये होती है उन सबको वह कमेटी देखेगी और वह कमेटी सदन के माननीय सदस्यों की बनाई जा रही है जिस प्रकार पब्लिक अन्डर टेकिंग की कमेटी है उसी प्रकार यह भी शिड्यूल्ड कास्ट के हितों की देखरेख करेगी और डिपार्टमेंट्स और विभागों को

(श्री श्रवण लाल)

अपना सुझाव देगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय होता क्या है—आज वह कमेटी केवल कागजों में है या मंत्री महोदय के बस्ते में है। एक साल पूरा हो गया और आज वह कमेटी किसी प्रकार तैयार नहीं हुई क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट की कमेटी है, पिछड़ी जाती की कमेटी है, हरिजनों के उत्थान के लिये कमेटी है, उनके अच्छे हितों के सुझाव की कमेटी है। आज मान लीजिये यही कमेटी किसी शिड्यूल्ड कास्ट के सम्बन्ध में न बनकर दूसरे लोगों के लिये बनती तो वह उपाध्यक्षजी जल्दी फार्म हो जाती और उसके लिये जल्दी परमिशन मिल जाती। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर इमीजियेटली परमिशन दे देते और कह दिया जाता लॉ मिनिस्टर की राय ले ली जाय और जल्दी ही फार्म कर दी जाय। लेकिन उपाध्यक्षजी यह शिड्यूल्ड कास्ट की कमेटी है। उस पर बिचार नहीं किया गया कोई सुझाव नहीं दिया गया।

इस प्रकार 28 परसेन्ट का जो मामला है उसको समाप्त करने के लिये अगर आज मान लीजिये एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से लिस्ट मांगते हैं तो उनके स्थान पर शिडयूल्ड कास्ट के लोगों को करना पड़ता है। उनको एक डिपार्टमेंट से हटा कर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर कर दिया फिर किसी तीसरे डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर कर दिया तो उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार की सीधी भरती जितनी की गई है उन सबको रोका जाय और उनको रिवर्ट किया जाय और रिवर्ट करने के बाद एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के थ्रू उनके नियमों के तहत एम्पलायमेंट दिया जाना चाहिये और जहां जहां इस प्रकार की नियुक्ति की है उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का जो हक है बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के लिया जाना चाहिये न कि सवर्णों को। उपाध्यक्ष महोदय इसी के साथ......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ साथ यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो सरकार में अनियमितता होती है उनकी तरफ मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये जो गलत परम्परा और गलत कार्यवाही हो रही है उनकी तरफ ध्यान दें और उनको रोका जाय। दूसरा सवाल जहां श्रमिकों का मामला है वहां हड़ताल के रूप में, चाहे उद्योग के रूप में वहां पर जो बोनस का मामला रहता है, बोनस के मामले को और दूसरे मामलों को—सीमेन्ट फैक्टरी में भी इन्टक यूनियन थी उनके द्वारा जो मामले चलाये गये और उसके बीच में मंत्री महोदय भी पड़े। उनकी मांगों के बारे में जो आश्वासन दिये गये, कुछ तो जरूर उसी समय पूरे कर दिये गये लेकिन बाकी की जो मांगे थी उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है और उस आश्वासन को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह कहूंगा जो आश्वासन देकर आये हैं जिस प्रकार हड़ताल को समाप्त कराकर आश्वासन दिया है उनकी पूरी मांगों को पूरा करिये इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 22 और मांग संख्या 28 में उद्योग और श्रम के सम्बन्ध में कटौती

(श्री नन्दलाल बैरवा)

प्रस्ताव पेश किये हैं। सबसे पहले मैं उद्योग के मामले में निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने बजट भाषण में राजस्थान के 16 जिलों को उद्योगों के लिये घोषित किया है लेकिन दुर्भाग्य है कि कोटा डिविजन में बूंदी जिले की 16 जिलों से उपेक्षा की गई है क्योंकि कोटा में बूंदी जिला ऐसा है जहां पर काफी बेरोजगारी है.....

श्री भैरोंसिंह : हम से बुलवाते।

श्री नन्दलाल बैरवा : बेरोजगारी की बात को लेकर वहां पर किसी प्रकार के उद्योग धन्धे जबसे राजस्थान बना है तबसे नहीं खोले गये हैं। इसी विषय को लेकर आज से 4 साल पहले बूंदी से सात मील की दूरी पर कटखड़ के अन्दर सीमेन्ट फैक्टरी लगाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव था लेकिन उसको यह कहकर टाल दिया गया कि यहां सीमेन्ट फैक्टरी को लगाने के लिये जो सुविधा रेलवे लाइन के होने की है वे वहां नहीं हैं और इसलिए यह फैक्टरी वहां नहीं खोली जा सकती। आज इस बात के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि और रेलवे लाइन के नहीं होने की वजह से सीमेन्ट फैक्टरी नहीं लगाई जा सकती है तो इसके अलावा और कई उद्योग धंधे बूंदी जिले में चलाये जा सकते हैं और रेलवे लाइन के लिए भी राजस्थान सरकार को भारत सरकार को लिखना चाहिए कि कोटा से बूंदी और बूंदी से चित्तौड़ रेलवे लाईन डाली जा सकती है। यह काफी बैकवर्ड इलाका है और इस इलाके में आदिवासी और हरिजन लोगों की संख्या ज्यादा है। साथ ही साथ जहां तक रेलवे लाईन का सवाल है दिल्ली और बम्बई रेलवे लाईन बूंदी जिले से निकली हुई और उस इलाके में भी छोटे छोटे उद्योग धन्धे चलाये जाने चाहिये जबकि बूंदी जिले को औद्योगिक जिलों में नहीं लिया गया है और इस बात की हमें उम्मीद भी नहीं है। साथ ही साथ वित्त मंत्रीजी ने यह भी बताया था कि अभी दो जिलों की सिफारिश करना बाकी है तो मैं उद्योग मंत्रीजी उपाध्यक्ष महोदय आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि दो जिलों की सिफारिश भेजना बाकी है उनमें बूंदी की सिफारिश करके भेजें ताकि वहां की बेरोजगारी समाप्त हो सके।

दूसरी बात यह है कि बूंदी जिले में 4 तहसीलें हैं उनमें पाटन और तालेड़ा तहसील में चम्बल नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है लेकिन नंमण तहसील ऐसी है कि जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। वहां लोग केवल खेती पर ही निर्भर करते हैं। 8 महीने लोग बेरोजगार रहते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है वह काफी गरीब हैं और वे 8 महीने उस इलाके से महाराष्ट्र और गुजरात में लकड़ियां काटकर कोयला बनाने का काम करते हैं और वे केवल बरसात के दिनों में ही यहां आते हैं। हजारों आदमी इस तरह से बाहर रहते हैं। इसलिए वहां जो बेकारी है सरकार की ओर से धंधे वहां नहीं खुलेंगे तब तक बेकारी नहीं मिटेगी। हर वर्ष वे लोग जाते हैं और उस इलाके में 8 महीने काम करके 4 महीने बरसात के दिनों में यहां रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय को लेकर स्वयं राज्य सरकार इस मामले की जांच कराये कि गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे इलाकों में हजारों की तादाद में लोग जाते हैं और अपना गुजरबसर करते हैं।

Page No 129

(श्री नन्दलाल बैरवा)

साथ ही साथ में जो चार तहसीलें पाटन, तालेड़ा, हिण्डोली और नैनवां हैं जहां बिजली का साधन है लेकिन वहां पर राज्य सरकार की ओर से छोटे उद्योग धंधे अभी तक नहीं चलाये जा रहे हैं। अगर उस जिले को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है तो उस इलाके में छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाये जा सकते हैं। इसके अलावा नैनवा में बुनकरों का काम काफी जोरों से चलता है अगर उनके काम को प्राथमिकता दी जाये तो वहां भी कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी प्रकार इस इलाके में जहां बिजली पहुंची हुई है वहां उद्योग धंधे खोले जायें और जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाई जानी चाहिए जिससे कि वहां के इलाके के लोगों की बेरोजगारी समाप्त हो सके।

इसी संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां उद्योग धंधे खोले जाते हैं वहां पर उन उद्योगों में वहीं के इलाके के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी जिले में केशोरायपाटन में चीनी मिल की स्थापना सहकारिता के आधार पर की गयी है लेकिन वहां पर सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है वह यह है कि वहां के रहने वालों को बड़ी कठिनाइयां हैं क्योंकि आज हमारे यहां इन जिलों में आई० टी० आई० पास करके और मेहनत करके जिन्होंने ट्रेनिंग पाई है उनको आज वहीं नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिलती है और वहां पर महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है इसलिए राज्य सरकार को इस प्रकार का पाबन्द लगाना चाहिए कि पहले मौका वहां के जिले के और उस तहसील के रहने वाले लोगों को दिया जाना चाहिये। साथ ही साथ पचास वर्ष पूर्व से बूंदी जिले में लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री है। वहीं पर कई हजार मजदूर परमानेन्टली काम करते हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज सीमेंट फैक्टरी के अन्दर हजारों की तादाद में लोगों को ठेके पर काम कराया जाता है क्योंकि फैक्टरी के अन्दर ठेके से काम कराने का प्रावधान फैक्टरी एक्ट में नहीं है लेकिन मशीनों के साफ करना आदि आदि के काम ठेके पर दिया जाता है। इसलिए राज्य सरकार को इस बात के लिए पाबन्द करना चाहिए कि जहां भी 24 घंटे काम चलता हो और जहां परमानेन्ट लेबर हो उसमें काम करने के लिए काम ठेके पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसी का कारण है कि दूसरा सीमेंट वेज बोर्ड लागू होगया। एक परमानेन्ट मजदूर को मजदूरी 8 रुपये तक दी जाती है। कम्पनी में काम करने वाला मजदूर मजदूरी के 8 रुपये ले, इलाज की सुविधा भी उसको मिले, मकान की सुविधा भी मिले, प्रोवीडेन्ट फण्ड की भी सुविधा मिले, उसको बोनस भी मिले—यह सारी सुविधायें उसको मिलती हैं लेकिन जो ठेके पर काम करता है उस मजदूर को ठेकेदार मुश्किल से 3 रुपये देता है। एक व्यक्ति जो कि कारखाने में परमानेन्टली काम करता है उसको तो 8 रुपये मिलते हैं और सारी सुविधायें मिलती हैं और एक ठेकेदार के पास मजदूर काम करता है तो उसको 3 रुपये मिलेंगे। इस बात के लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मतभेद नहीं चल सकता। आज हम समाजवाद की ओर चलना चाहते हैं तो दो मजदूर जो उसी कारखाने में काम

(श्री नन्दलाल बैरवा)

करते हैं उनमें से एक तो 8 रुपये मिले और दूसरे को 3 रुपये मिलें यह सारी बातें नहीं चल सकतीं। इसलिए इसके ऊपर कार्यवाही करके पाबन्द किया जाना चाहिए।

दूसरी बात जिन मजदूरों का प्रावीडेण्ट फण्ड कट चुका है वह उनको मिलने में काफी कठिनाईयां होती हैं। साथ ही साथ कारखानों में काम करने वाले और होटलों में काम करने वाले और जो अन्य स्थानों पर काम करते हैं उनके लिए श्रम नीतियों के आधार पर कानून बनाये हैं लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं वे रात दिन 24 घन्टे अनाज पैदा करते हैं उसके लिए आज दिन तक राज्य सरकार ने किसी प्रकार का वेतन निर्धारित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो खेतों में रात दिन 24 घंटे मजदूरी करते हैं उनके लिए भी किसी प्रकार का वेतन निर्धारित करके उसको उसी के अनुसार वेतन दिलाया जाना चाहिए। जो होटल में काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी एक दिन के लिए छुट्टी दिलाई जानी चाहिए। खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको भी एक दिन की छुट्टी देने का प्रावधान नहीं रखा गया है इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन निर्धारित करें और साथ-साथ कितने घन्टे काम करना चाहिए इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वे ही लोग मजदूरी करते हैं जिनके पास खेत नहीं हैं, जो गरीब है, जिनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है और उनके पास में और किसी प्रकार के साधन नहीं है। एक बार किसी के यहां मजदूरी पर चढ़ गया तो उसकी पीढ़ियां मजदूरी करती रहेंगी। बूंदी जिले में अभी एक केस मौजूद है कि कोई आदमी अपनी मरजी से काम करना नहीं चाहता है लेकिन उसके ऊपर उस आदमी के सैकड़ों रुपये बकाया हैं और वह आदमी दुबारा उसके यहां काम करने नहीं जाना चाहता है तो उसको मारने पीटने के लिए वे लोग आमादा हैं। तो राज्य सरकार को चाहिए कि उनके लिए काम का समय निर्धारित करे और उनकी मजदूरी तय करें। इनके लिए भी एक नियम बनाना चाहिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जहां 28 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन रखा है नौकरियों में और वे यह सकते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बिना नियोजन के ही मिले नौकरी तो मेरा निवेदन यह है कि जिसका एम्प्लायमेंट में नाम नहीं होगा तो उसको कैसे सरकार कहेगी कि फलां जगह खाली है, तुम वहां पर जाओ। तो यह नियम लागू होना चाहिए और एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का नाम होना चाहिए ताकि उनका नाम लेकर नौकरियां दिलाने में उनको प्राथमिकता मिल सके। कहने को तो वे कहते हैं कि हमों हरिजनों को इतना लाभ दे दिया है, इतने स्थान दे दिये हैं, लेकिन नौकरियों में उनको उतनी प्राथमिकता नहीं मिल रही है जितनी कि मिलनी चाहिए। इन सारी बातों पर जो कि मैंने रखी हैं राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण हालोदिया।

Page No 131

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग एवं अन्य विभागों पर कटमोशन्स के माध्यम से जो आज बहस हो रही है उसमें मैं राज्य सरकार को मेरे कटमोशन्स के माध्यम से कुछ मुद्दे निवेदन कर देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय टोंक में चमड़े के कारखाने को लेकर इस हाउस में कई बार डिसकशन हुआ है। हर बजट भाषण पर इस पर मेरी ओर से सरकार से मांग की गई है। हर चुनाव के टाइम पर चाहे वह म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे विधान सभा का चुनाव हो, चाहे लोक सभा का चुनाव हो सरकार की ओर से, सरकार चलाने वाली पार्टी की ओर से मेरा मतलब है, कांग्रेस की ओर से, माननीय मन्त्री जी व गृह मन्त्री जी बारबार जब भी चुनाव के दौरान टोंक जाते हैं तो वे यही घोषणा करते हैं कि टोंक में चमड़े का कारखाना जल्दी से जल्दी खोल रहे हैं। कई बार अखबारों में मैंने पढा है कि टोंक में चमड़े का कारखाना जल्दी से जल्दी खुल रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मन्त्री जी और उपमन्त्री जी को इस बात के बारे में मिला तो उन्होंने भी मुझे यह आश्वासन दिया बार बार कि टोंक में शीघ्र ही चमड़े का कारखाना खुल रहा है। हम किसी बाहर की कम्पनी से समझौता कर रहें हैं, बात कर रहे हैं, पैक्ट कर रहे हैं और कभी कहते हैं कि पैक्ट हो गया है और कभी कहते हैं कि हो रहा हैं कभी कहते हैं कि कागज चल रहे हैं, कभी कहते हैं उस कम्पनी को छोड़कर दूसरी कम्पनी से बात कर रहे हैं। उद्योग मन्त्रीजी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आखिर उनका इरादा टोंक में चमड़े का कारखाना लगाने का इरादा है कि नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी: है।

श्री जयनारायण सालोदिया: यदि है तो उसका क्या स्वरूप होगा, कितना उत्पादन होगा, कौन सी जमीन उन्होंने एक्वायर की है, कितना लेबर उसमें लगेगा, राज्य का कितना रुपया उसमें खर्च होगा। ये सारी बाते है जो कि जानकारी तलब है।

श्री गोकुल चन्द जाटव: बजट भाषण में कहा गया है कि मशीनें लग चुकी हैं वह गलत है ?

श्री जयनारायण सालोदिया: मशीने वहां तो लगी नहीं है। मशीनें तो क्या वहां तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं लगा है।

श्री उपाध्यक्ष: बोर्ड लगा हो कि यहां बनने को है।

श्री जयनारायण सालोदिया: बोर्डों में तो प्रगति की है। बोर्ड तो वहां पर वर्षों से लगा हुआ है और ऐसी मेन जगह लगा हुआ है जहां कि सड़क का मोड़ हैं। इनके लगाये हुए बोर्ड को देखते हैं और पढ़ते है और चारों तरफ देखते हैं तो कारखाने का नाम नजर नहीं आता है और पेड़ और जंगल के सिवाय और कोई बात नहीं हैं मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि चुनाव के टाइम पर बोर्ड जाकर लगा दिया और लोगों ने समझा कि काम शुरू होने वाला है। एक चुंगी की कोटड़ी जैसी 5 बाई 5 की छोटी सी कोटड़ी बना दी सिर्फ लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। चुनाव का टाइम होता हैं एक ट्रक नल का लेजाकर पटक दिया मोहल्ले में और चुनाव के बाद सारे नल

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उठाकर ले जाते हैं। यह सरकार चुनावों में खाली धोखा देना चाहती है। इससे वह जनता में विश्वास खो रही है।

माननीय उपाध्यक्षजी, टोंक की अजीब बात है। जब भी चुनाव होते हैं तो नया नारा सरकार की तरफ से दिया जाता हैं। पहले चुनाव हुए तो जगजीवनराम जी पधारे जो कि उस वक्त रेलमन्त्री थे तो उन्होंने कहा कि टोंक में रेल आ रही है आप वोट दें कांग्रेस को। बाद में चुनाव हुए तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि टोंक को इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर रहे हैं जिनमें कारखाने लगेंगे जिससे बेकार लोगों को रोजगार मिलेगा इसलिए कांग्रेस को वोट देना चाहिये। तीसरी बार सुखाड़िया जी और दामोदर जी गये तो उन्होंने कहा कि चमड़े का कारखाना लगायेंगे तो उससे हरिजनों की हालत में तब्दीली हो जायगी, लेकिन आज तक 3-4 चुनावों में सिवाय जनता के साथ धोखेबाजी करके वोट हथियाने के और वोट जबरदस्ती खोसने के अलावा और कोई काम नहीं किया है'''

श्री मदन सिंह : अच्छा है 72 में हार जाये।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि यदि सरकार की मन्शा टोंक में कारखाना लगाने की है तो लगाये। यह सरकार की वचनबद्धता का नमूना है। मेरी इस कारखाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं समझता हूं कि इस कारखाने के लगाने के बाद भी 100-50 आदमियों को काम में लगाया जा सकेगा इससे ज्यादा और कोई हरिजनों की हालत में तब्दीली होगी यह बात मैं नहीं कह सकता। टोंक ऐसा इलाका है, जो कि गरीब इलाका है, जहां पर बेरोजगारी है, लोगों में परेशानी है। उस परेशानी को दूर करने के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए आप को टोंक में किसी बड़े पैमाने पर कोई अच्छा कारखाना स्थापित करना चाहिए जिसमें कि कम पैसा खर्च हो और लेबर ज्यादा काम में आये। इस तरह के कारखाने स्थापित करते हैं तो टोंक की जनता को मदद मिल सकती है। पैसा इसमें ज्यादा लगेगा और आदमी कम खपेंगे। इसलिए इस कारखाने से कोई टोंक में परिवर्तन आने वाला हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन न हो उससे कुछ हो तो अच्छा है। इसलिए मैं दुबारा निवेदन करूंगा कि टोंक में बिजली है, पानी है, बनास नदी है, जमीन है और कच्चा माल उपलब्ध है जिस तरह के भी कारखाने लगाने चाहें उसके लिए आपको वहां पर टोंक की बेरोजगारी का ध्यान में रखते हुये इस प्रकार का बड़ा कारखाना या कोई गृह उद्योग स्थापित करना चाहिए। जिससे वहां की गरीब जनता को दो जून रोटी खाने के लिए उपलब्ध हो सके। माननीय उपाध्यक्ष जी टोंक में चमड़े का कारखाना या ऊन का काम, लकड़ी का काम, और गृह उद्योग के काम, मिट्टी के काम अच्छे चल सकते हैं। अगर इस सरकार की मशां गरीबी खत्म करने की है तो इसको कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए। जिससे की लोगो की गरीबी खत्म हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूगा, खादी के बारे मे भी निवेदन करूगा। खादी में मेरी आस्था है लेकिन खादी का रूप जिस तरह से धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, उस से खादी जैसी पवित्र चीज भी बदनाम हो

(श्री जयनारायण सालोदिया)

रही है। खादी गांधी जी की पवित्र विचार-धारा के साथ थी लेकिन आज खादी को भी राजनीति में फंसाकर बरबाद कर दिया है। अब दिनोदिन खादी की आस्था कम होती जा रही है। लोग खादी वाले को चोर और गुण्डा समझते हैं। खादी धारी आदमी किसी दफ्तर में चला जाये तो पहले जहां उसको नेता समझ कर आदर करते थे। आज बस में बैठो, रेल में बैठो, कहीं भी जाओ जो खादी धारी होगा उस पर लोग ताने कसेंगे। यह चोर है, बदमाश है। इसका कारण यह है कि इसको राजनीति में ले लिया है। यह बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम था। उसको हमने राजनीति में लाकर इस तरह से हालत खराब की है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां खादी के कार्य-कर्त्ता हैं, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी चुनाव होता है तो दामोदर जी के इशारे पर वह सारे के सारे चुनाव में उनको मदद करते हैं। उनके लिए काम करते हैं। वह सब तनुखाह वाले आदमी हैं। सरकार को तरफ से उनको पैसा मिलता है। जो एक सरकारी संस्था के अन्दर कार्यकर्त्ता है। आम जनता यह समझती है कि खादी कांग्रेसियों की वेशभूषा है। आम जनता यह समझती है कि खादी का मतलब है, कांग्रेसी। कांग्रेस को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लेबर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति की अजीबोगरीब हालत है। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है। कुछ लोग पढ़ लिख कर तैयार हुये हैं। वह इस आकांक्षा के साथ है कि कभी हमारी जिन्दगी में फर्क आयेगा। लेकिन आजादी पर कुछ लोग कब्जा करके बैठ गये हैं। स्वर्ग से उत्तर कर आजादी खजूर में अटक गई है। कुछ लोग कुर्सी पर कब्जा किये बैठे हैं। वह उतरना नहीं चाहते हैं। किसी आदमी को मौका मिले। जो इसके लिए लालायित है। जो इस पर बैठकर कुछ करना चाहता है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के पढ़े लिखे लोगों की क्या हालत है। आज उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। नौकरियों का तरीका यह है कि सारी नौकरियां मंत्रियों की जेब में है। मंत्री लोग हरिजनों से दूर हैं। हरिजन मंत्रियों के पास कैसे पहुंचें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, नौकरियां सारी मन्त्रियों की जेब में हैं। ऐसी स्थिति में जहां मन्त्री मोनोपाली करके बैठे हैं। जहां मन्त्रियों के टेलीफोन के बिना चपरासियों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इन बेचारे गरीब हरिजनों को कहां नौकरी का सहारा मिल सकता है। कहने को कहते है कि हमने 28% कोटा रिजर्व कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं जब मुख्यमन्त्री महोदय ने यहां घोषणा की है, तब से एक भी विभाग इस प्रकार का है जहां 28% छोड़कर 10% भी नौकरियां दी हों। तब मैं मान सकता हूं कि रिजर्वेशन की घोषणा सही है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय समाप्त हुआ। सवा 4 बजे गवर्नमेंट का रिप्लाई होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हुकुम मानता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक नौकरियों का प्रश्न है मैं सरकार

(श्री जयनारायण सालीदिया)

से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको नौकरियों की जरूत है, जो वाकई नौकरी के लिए लालायित हैं। आप लोगों को उनको सर्विस देने में प्राथमिकता देनी चाहिए। उनकी स्थिति को देखते हुये। उनकी परेशानी को देखते हुये। आप को उनके बारे में विचार करना चाहिए। पार्टी के सम्बन्ध से ऊपर उठाकर आप को उनके बारे में विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सवा 4 बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जायगा। इसलिए जो माननीय सदस्य बोलेंगे वह यही सोचकर बोलेंगे। श्री गंगासहाय

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया था ...

श्री उपाध्यक्ष : क्या किया जाये। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में अधिक समय ले लेते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो उपाध्यक्ष महोदय, यह उसीकी सजा है।

श्री उपाध्यक्ष : सजा तो किसी को नहीं होती है। बस समय कम हो जाता है।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश की जनता ज्यादातर गांवों में रहती है, और गांवों में यह भी मान कर चला जाय, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, जो कि सदियों से उपेक्षित, प्रताड़ित और शोषित रहे हैं, वह वहां निवास करते हैं। उनका जो एक मात्र उद्योग था, कुटीर उद्योग था, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया है। इस कारण से राजस्थान में जो खटीक, चमार और रेगर हैं, इन जातियों के लोग दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, चंडीगढ़ आदि स्थानों पर, बड़े स्थानों पर चले गये हैं और वहां वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की जिन्दगी बिता रहे हैं। यह राजस्थान सरकार खुद खादी ग्रामोद्योग चलाती है, उसमें बड़ा घोटाला है, परन्तु उन लोगों को बसाने के लिए उनको उद्योग धन्धे खोलने के लिए कोई सहायता नहीं करती, कोई कार्य नहीं करती। आज राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार हैं, उसके साथ ही अशिक्षित भी हैं। शिक्षित लोग धीरे धीरे गांवों को छोड़ कर शहरों में चले आ रहे हैं। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। यह काम, जब आप शिक्षा पद्धति नहीं बदलेंगे तब तक पूरा नहीं होगा। आज की शिक्षा केवल दिल दिमाग को शिक्षा देती है, हाथ को बेकार छोड़ देती है। कहावत है, हाथ पैरों में, अंगुलियों में धन है, धन हाथ का मैल है। मैं समझता हूं कि यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के चौबीस वर्ष के बाद भी सरकार हाथ को जगह नहीं दे पाई है। जब तक सरकार उद्योग धन्धे नहीं खोलेगी, हाथ को ट्रेनिंग नहीं देगी, केवल दिल और दिमाग को शिक्षित करेगी तब तक बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती है। इसलिए कितनी ही बड़ी योजनायें आप बना लें, कितना ही देश में खर्च कर लें, आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारा देश ग्राम प्रधान है, सत्तर पिचहत्तर प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, इसलिए आपको कुटीर और उद्योग धन्धों को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बढ़ायेंगे, गांव गांव में उद्योग धन्धे नहीं

Page No 135

(श्री गंगासहाय)

खोलेंगे तब तक बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को आत्म निर्भर नहीं बना सकते हैं, स्वावलम्बी नहीं बना सकते हैं, तब तक आप दूसरे देशों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहेंगे, और भीख मांगते रहेंगे और आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे—यह आपको स्मरण रहना चाहिए कि आप इससे देश की रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। मैंने अपने एक मित्र से पता लगाया था, कलकत्ता, बंगाल में क्यों नक्सलवादी पनप रहे हैं। वहां वह पनप रहे हैं, इसका एक मात्र कारण है कि पन्द्रह से पैंतीस वर्ष के युवक बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। इसलिए जब तक आप उनको रोजगार नहीं देंगे, तो यह प्रवृत्ति, जो आज बंगाल में है, सारे देश के गांव गांव में फैल सकती है और देश को बरबाद कर सकती है, देश को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। मेरा निवेदन है कि गांधीजी के बताये रास्ते पर ग्रामीण उद्योग धन्धों को बढ़ा कर आप लोगों को आत्म निर्भर बनायें। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप रूस में जायें, अमेरिका में जायें, इंग्लेण्ड में जायें, जापान में जायें, जर्मनी में जायें वहां भी बड़े बड़े उद्योग धन्धों के साथ में छोटे छोटे उद्योग धन्धे हैं और एक दूसरे के प्रतिस्पर्द्धी न होकर एक दूसरे के पूरक। एक दूसरे के ऊपर हावी न होकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस रूप से जब तक आप शिक्षा अर्न व्हाइल यू वर्क के सिद्धान्त पर नहीं देंगे, उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि देश की बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी। आप जमीन की बात करते हैं, वह जमीन भी सारी बांट देंगे, तब भी, मैं समझता हूं, बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी। इसलिए जो कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। आज किसान छः महिने बेकार रहता है, उसके लिए कोई उद्योग धन्धा नहीं है। जब तक आप उस को उद्योग धन्धा नहीं देंगे, धन्धा नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि किसानों में असन्तोष फलेगा और वह शहरों में आयेंगे। मैं देखता यह हूं कि शहरों में आकर लोग अपनी जिन्दगी बरबाद करते हैं। इसका दोष किस पर है? मैं कहूंगा कि सरकार पर है। आजादी के पहले यह कांग्रेस कहा करती थी कि हम देश की शिक्षा पद्धति को बदलेंगे लेकिन आज तक नहीं बदल पाये हैं। मैं समझता हूं कि जब तक आप इसको नहीं बदलेंगे, आपसे बेरोजगारी, बेकारी और भूखमरी नहीं मिटेगी। जब तक लोग श्रम की महत्ता को नहीं समझेंगे, उसके मूल्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप निश्चित मान कर चलें कि देश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, उदासीनता बढ़ेगी और देश के अन्दर अराजकता फैलेगी। इसका परिणाम यह होगा कि देश की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ेगी और देश कहीं गुलाम न बन जाय। मेरा निवेदन है कि आप कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग जगह जगह स्थापित कर के उनको फैलायें, उनको प्रधानता दें, और जो आदमी शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको आप गांवों में बसायें। उनको गांवों में सुख सुविधा, बिजली पानी की जब तक नहीं देंगे, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है। वह भी जरूरी है, वह बढ़ायें और उसके साथ साथ उद्योग धन्धे बढ़ायें, अन्यथा गांव के लोग और दिमाग जो देश को उन्नत कर सकते हैं, वह शहरों में आयेंगे और बेरोजगार रहेंगे और असंतोष फैलायेंगे।

(श्री गंगासहाय)

इससे देश की समस्या उलझेगी, सुलझेगी नहीं, इससे समस्या बढ़ेगी। यही निवेदन करते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता। पांच मिनिट का समय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के पहले गांधीजी ने जो बताया था, जो उन्होंने विचार किया था कि देश की औद्योगिक उन्नति कैसे हो, तो उन्होंने 20-9-35 को कहा था :

"हिन्दुस्तान के सात लाख गांवों में फैले हुए ग्रामवासी रूपी करोड़ों जीवित यंत्रों के विरूद्ध इन जड़ यन्त्रों को प्रतिद्वन्द्विता में नहीं लाना चाहिए।"

लेकिन उस बूढ़े की हमने सुनी नहीं। उन्होंने यह कहा :

"ग्रामोद्योगों की योजना के पीछे मेरी कल्पना यह है कि हमें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकतायें गांवों की बनी चीजों से ही पूरी करें।"

लेकिन हमने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और इस धुन में कि हमें इस भारत को इंग्लैंड और अमेरिका बनाना है, बड़े बड़े यन्त्र लगाने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ, जो कपड़ा मिल लगाई है, उससे उनके आस पास रहने वाली कतवारियां, बुनकर, पींजने वाले, लोढ़ने वाले बेकार हुए। आपने डालडा की फैक्ट्री लगाई, उससे जो पहले छोटी छोटी घानियां चलती थीं, जो घर घर में घी बिलौने का काम होता था और गऊ पालन होता था वह बन्द हुआ। इससे आपने जो देश में सम्पदा थी, उसको मशीन की होड़ में बरबाद कर दिया। आज इससे कई लोगों को अपना खून बेच कर गुजारा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब घर में कोई बिमार होता है, तो बड़ी मुश्किल से लोग खून देते हैं, वैसे परिवार के लोग तो देते ही हैं, निकट के रिश्तेदार भी देते हैं, लेकिन इन बेकारों को तो पेट भरने के लिये खून देना होता है, और उनको दूसरों के लिए खून देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आज जो रिक्शा चलाते हैं, यह घृणित काम है। यहां पर तो साइकल रिक्शा चलाते हैं, लेकिन यहां से भी घृणित काम कलकत्ता का है, जहां आदमी हाथों से रिक्शा को खींचता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस होड़ को आप बन्द कीजिये और पूर्व के ग्रामोद्योग को औद्योगिक धंधों को आप जीवित करिये। मैं नहीं कहता कि आप सब के सब ग्रामोद्योग चलायें। लेकिन जो गांव की आवश्यकता है, अन्न और वस्त्र की, वह गांवों में ही पूरी हो सके-इसके लिए प्रयत्न करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे, तो वैसे जहां आदमी कम हैं वहां पर आप मशीन लगायें तो मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन जहां आदमी ज्यादा हैं, वह बेकार पड़े रहते हैं, करोड़ों की संख्या में, उनकी ओर आप कृपा करके ध्यान दीजिए। तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यन्त्र दो तरह के होते हैं– एक तारक, दूसरा मारक। आपकी यह मशीन रूपी मिल रूपी यंत्र है, वह मारक है, और दूसरे ग्रामोद्योग हैं यह तारक हैं। उनमें जो जो भी खराबियां हों उनको आप ठीक करवायें, उनको ठीक तरह से ज्यादा ज्यादा बढ़ायें क्योंकि उनसे कम से कम मेहनत से ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सकता है। वही देश में

Page No 137

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

सुधार लायेगा। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि आपने अपनी ओर से जो उद्योग चलायें हैं, उसमें जहां तक लोगों की बदनीयति है वह अखरती है। मेरा निवेदन है कि जो लोग बदनीयत हैं, उन लोगों को आप दण्ड दें। ठीक है, नया उद्योग आप चलायें लेकिन उसमें लाभ होना चाहिये। आपको यह अनुभव होना चाहिये कि व्यक्तिगत उद्योग के मुकाबले में जो राजकीय उद्योग चलते हैं, वे सब फायदे में चलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मैं दो तीन मिनट ही लूंगा।

रोडवेज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें शक नहीं है कि प्राइवेट गाड़ियों में भेड़ बकरी की तरह लोगों को भर कर ले जाते थे, आज रोडवेज से फायदा पहुंचा है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि आप भीलवाड़ा से अजमेर गाड़ियां चलाते हैं, मैं उसके लिए तो बधाई देता हूं, कि आखिर आपने शुरू तो की, लेकिन वहां से 5-10 रुपया लेते हैं, जबकि 82 मील है, अजमेर से जयपुर जाना पड़ता है तो छः रुपये लेते हैं। यह काफी ज्यादा है, रेल के किराये से भी ज्यादा है। यह व्यापारिक दृष्टि से भी ज्यादा है। इसलिए कृपा करके इसको कम करिये।

मजदूरों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, बिजोलिया खान आप चलाते हैं वहां बीस हजार मजदूर काम करते हैं। वह कड़ी मेहनत करते हैं, दिन भर में सात आठ रुपया कमा लेते हैं। लेकिन जैसे ही दिन अस्त हुआ, वह आधे से ज्यादा की तो शराब पी जाते हैं ये खोटे रास्ते पर चलते हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि मजदूरों के परिवार भूखे मर रहे हैं। आप मजदूरों के बालकों की तरफ ध्यान दें। वह दिन भर की थकान को कैसे दूर करते हैं। आमोद प्रमोद के केन्द्र कैसे खुल सकें इस ओर ध्यान दें नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब बेकारी बढ़ेगी। आप कल कारखानों को अंधाधुन्ध इंगलैण्ड और अमेरिका बनाने की धुन में मत खोलिए। गांधीजी पागल नहीं थे जिन्होंने चरखा चलाया। इंगलैण्ड में राऊण्ड टेबल कान्फरेन्स 2 बजे रात को खतम होने के बाद भी चरखा चलाया। उनको तो अपने लिए थोड़े से कपड़े की जरूरत थी। लेकिन यह बताना था कि मेरा भारत गांवों का देश है। एक समय था जब गांवों से बनकर चीजें शहरों में जाती थी। आज कच्चा माल शहर से आता है और पक्का बनकर फिर जाता है। इसलिए जिस दिन आपके ध्यान में यह बात आएगी तब कल्याण होगा। शराब से भी मजदूरों का नुकशान होता है। जिस दिन भी आपके और इन्दराजी के ध्यान में यह बात आएगी तब समाजवाद ला सकेंगे नहीं तो सर्वनाश तेजी से आ रहा है। अन्धाधुन्ध होड़ मत करें। इसलिए संक्षेप में मैंने निवेदन किया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचंद्र आर्य। 5 मिनट का समय।

श्री रामचंद्र आर्य (नोहर) : मेरे 8 कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं पहला प्रस्ताव तो खादी ग्रामोद्योग के संबंध में है। इसको मैं छोड़ देता हूं क्योंकि यह तो हारे हुए कांग्रेसियों के खाने के लिए खानाघर है

(श्री रामचन्द्र आर्य)

क्योंकि उसमें वह आदमी विश्राम करते हैं जिनको कांग्रेस वालों ने सत्ता के नजदीक नहीं आने दिया और धंधा खुलवा दिया उसमें जो कुछ खाना पीना हो सकता है वह करते हैं। इसमें बड़ा घोटाला है लेकिन जांच नहीं हो सकती क्योंकि इसमें सत्ताधारी दल का हाथ है, प्राईवेट संस्था होती तो जांच होती।

एक प्रस्ताव है गंगानगर जिले में औद्योगीकरण के बारे में। गंगानगर जैसे जिले में जहां कच्चा माल पैदा होता है उस जिले में खास फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई। कच्चा माल है बाहर जाता है, इससे काश्तकारों को माल का पूरा पैसा नहीं मिलता और राज्य सरकार को भी उससे पूरा लाभ नहीं मिलता है। गंगानगर में कपड़े की मिल खुलनी चाहिए और गन्ने की फैक्ट्री और खुलनी चाहिए क्योंकि जिले में गंगासिंह जी के जमाने में जो शुगर फैक्ट्री लगी हुई थी, वही चल रही है। आज गंगानगर की जमीन में गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी गन्ने की फैक्ट्री सिर्फ एक है। इसलिए लोग ज्यादा गन्ना काश्त नहीं करते हैं। तो पूरी तरह से फायदा नहीं मिलता है। तो गंगानगर में हर तहसील में जहां पूरा पानी है शुगर फैक्ट्री खोलनी चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में हर मंडी में फैक्ट्रीयां हैं इसलिए ज्यादा चीनी और गुड़ पैदा होता है। गंगानगर यू० पी० से कम नहीं है। वहां गन्ने और कपास के लिए बहुत अच्छी जमीन पड़ी है। इसलिए गंगानगर में शुगर फैक्ट्री और लगाई जाए ताकि काश्तकारों को लाभ हो और सरकार को आमदनी हो।

नोहर में कपड़े के मिल की स्कीम थी और उस मिल लगाने वाले व्यापारी को पैसा भी दिया गया और उस पैसा का पता नहीं। वह व्यापारी तो मर चुका है लेकिन आज तक न मिल लगने का कार्यक्रम है, कितना पैसा दिया गया और कब वसूल हुआ, उसके लिए मैंने प्रश्न किए लेकिन उत्तर नहीं मिलता, इसकी जानकारी दी जाए।

खेतड़ी तांबा खान में मजदूर काम करते हैं। उनके लिए शिकायतें होती

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति पदासीन)

(4.15. म. प.)

हैं कि वहां मजदूरों को प्राथमिकता नहीं दी जाती और लगाते भी हैं तो उनको जल्दी हटा देते हैं। गत वर्ष विधान सभा में मैंने मंत्री महोदय से सवाल किया था, उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि यह भारत सरकार से संबंधित है। लेकिन जो राजस्थान के निवासी हैं उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसकी गहराई में जाना चाहिए। वाकई बाहर के जो इंजिनीयर्स और अधिकारी हैं, वे अपने आदमियों को प्राथमिकता देते हैं और राजस्थान के मजदूरों को नहीं देते हैं और टैम्परेरी तौर पर काम करवाते हैं।

बेरोजगारी के बारे में भी मेरा प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने भारत सरकार का नाम लेकर 50 करोड़ की योजना बनाई है। इससे तो कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। गांवों में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं जैसे ईंट के भट्टे, उनको विभाग की ओर से परेशान करते हैं, वह स्वतंत्र नहीं हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है तो छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले जो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं उनको लाइसेंस की परेशानी में नहीं डालना चाहिए। राजस्थान कैनाल में आज भी अनेक ईंटों के भट्टे हैं, नीलाम कर रहे है और कुर्क किया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है ....

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): कालोनाइजेशन का लाइसेंस है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ईंट के जो भट्टे लगते हैं वह कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उद्योग विभाग को लेने चाहिए और फ्री काम करने का मौका मिलना चाहिए। वैसे तो लाइसेंस वगैरह की उन लोगों को दिक्कत है, लाइसेंस मुश्किल से मिलता है, बीकानेर उनको जाना पड़ता है.......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरे प्रस्ताव और भी हैं। मै समय का पाबंद हूं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं जबान का पक्का हूं, जबान कर लेता हूं तो फिर बदलने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं निवेदन करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद, 5 मिनट।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर): सभापति महोदय, वैसे तो राज्य सरकार ने औद्योगिकरण पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, ऐसा मालूम पड़ता है जिस तरह से सिंचाई पर 300 करोड़ खर्च किए हैं,....

श्री रामचंद्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सवा चार बजे जवाब होगा। इसलिए मैं बैठ गया। मेरे प्रस्ताव और हैं और आप आगे समय दे रहे हैं तो फिर मैं अपने शेष प्रस्तावों पर बोल दूं। अब तो सवा चार बजे से ऊपर होगा। मेरे प्रस्ताव ...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपको दुःख हुआ क्या ?

श्री रामचन्द्र आर्य : दुःख नहीं है। मैं अपने दो तीन प्रस्तावों के बारे में नहीं बोल सका, समय बढ़ा लिया जाए ताकि मैं 10 मिनट में बोल दूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बिराजिए। उद्योगों पर अगर पूरा ध्यान दिया जाता तो आज इतनी बेरोजगारी नहीं होती। खरीद कर खाने वाले लोग लाखों की तादाद में बेकार हैं और उद्योग पर जो कुल धन दिया गया, वह घाटे का सौदा नहीं है। उद्योगों से बराबर सरकार को रिटर्न मिलता है, करोड़ों की तादाद में कमाई है और जहां ऊन की मिल लगाई गई है, सरकार नुकसान में नहीं है। लेकिन उसको ठीक से और कुछ पैसा खर्च करके चलाया जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता हैं। वैसे काम चाहिए ये जिनसे लोगों को ज्यादा लाभ मिले। सिंचाई में 300 करोड़ खर्च कर सकते हैं तो 100-150 करोड़ 50-60 लाख आदमियों के लिए खर्च करने चाहिए, वह नहीं हुआ। इसकी वजह से हम हर जगह देखते हैं कि लोग सरकार से नाराज हैं कहते हैं रोजगार नहीं मिलता है और 5-5 साल से एम्पलाइमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाते पर भी बेकार फिरते रहते हैं।

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

मैं बीकानेर के लिए निवेदन करूं कि चुरू जिले में एक स्पिनिंग प्लांट है। वहां गलीचों का काम सरकार खोलती और इस ओर प्रोत्साहन देती। ऊन जितनी भी होती है या तो कच्ची या सूत बाहर जाता है। वहां पर लोग इसलिए काम में नहीं ला सकते। या तो भेड़ों के बाल काटकर भेजते हैं या सूत भेजते हैं। चार वर्ष पहले पांच हजार स्पिन्डल लगाने की बात थी वहां 1500 ही लगाये हैं। पांच हजार स्पिन्डल की दृष्टि से ही खर्चा सब हुआ मिल वगैरह पर। वहां लगाते तो मजदूरों को अधिक काम मिलता। लेकिन और कहीं लगाने की बात सोच रहे हैं।

हजारों लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं उसी प्रकार के उद्योग वहां पर भी लगाये जाते तो लोगों को धन्धा मिलता। हाथ करघा उद्योग है और भी कई प्रकार के हैं। पावर लूम नहीं। दूसरे हिन्दुस्तान में 90 प्रतिशत लोग काम करते हैं इन पर आप, कहते हैं कि पावर लूम मिलता नहीं। फिर किस लिये हुकूमत चलाने के लिये है। मनोहरसिंहजी कहेंगे कि गांधीवाद की बात क्यों कर रहे हैं। मजदूरों को काम मिले उसके लिये कह रहा हूं।

मेरा एक निवेदन यह था कि हमारे पास जिप्सम है। जिप्सम या तो जिप्सम कम्पनी को दे दिया गया है या ठेका है। सरकार का इसमें हिस्सा है। जब ये दोनों ही नहीं थे तो हजारों लोग जिप्सम पैदा करते थे और आज हजारों लोग बेकार हो गये। इस प्रकार जो कुटीर उद्योगों में काम करते थे वे मुसीबत में पड़ गये हैं। इतनी खपत नहीं है सरकार के सिवाय कोई ले सके वहां पर। सरकार सिन्दरी फैक्टरी को दे देती है। हमारी तो स्थिति सुधरे नहीं और कारखाना दूसरी जगह लगे यहां नहीं, उसको यहां से कच्चा माल जाय। जो मजदूर इससे पेट भरते थे वे आज बेकार हो गये हैं।

(घन्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। समय समाप्त हुआ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक बात और कहना चाहता हूं। समय तो बहुत दिनों बाद समाप्त होगा। चिन्ता मत करिये। अभी नहीं होगा।

इर्रीगेशन विभाग पर जहां बहुत अधिक खर्च होता है वहां 60-65 लाख पर आ गये हैं। 25 परसेन्ट रह गया है। यही एक ऐसा विभाग है जहां बोल नहीं सकते। इर्रीगेशन, रेवेन्यू से ज्यादा बढ़ा है। उद्योगों का काम मजदूरों के साथ पड़ता है। उनको सरकार तंग करती जा रही है। जो हाथ से मेहनत करके उद्योग चलाते थे, जिनके पास जमीन नहीं, पैसा नहीं और आज उनके पास उद्योग चलाने के लिये कुछ भी पैसा नहीं, जब उनका पेट भर सकेगा जब कि आप उन पर ध्यान देंगे।

मजदूरों के लिये निवेदन करना था...

श्री सभापति : जी नहीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक मिनट।

श्री सभापति । एक मिनट आपका बहुत लम्बा चलता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मजदूरों का मामला है, कहने दीजिये ।

श्री सभापति : समय नहीं है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मजदूरों के लिये इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके मिनिमम वेजेज वापिस रिवाइज करिये । आप अपने मजदूरों को 145 रुपया देते हैं और प्राइवेट पार्टीज पर 2½ पर उनको छोड़ रखा है ।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

उद्योग मन्त्री जी

श्री किशनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मेरा नाम नहीं आया । मैंने नाम दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका नाम मुख्य सचेतक ने नहीं भेजा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : भेजा है ।

श्री सभापति : माननीय किशनलाल जी, आपका नाम था लेकिन आप सदन में उस समय नहीं थे ।

श्री किशनलाल वर्मा : मुझे बुलाया नहीं गया ।

श्री सभापति : (मुख्य सचेतक से) बुलाया जा सकता था ।

श्री किशनलाल : समय बढ़ाया जाय ।

श्री सभापति : समय नहीं बढ़ाया जावेगा । माननीय सदस्यों का एक प्रोग्राम है ।

श्री मदनसिंह : वह प्रोग्राम तो खाने का है । मजदूर पीछे रहेंगे । पहले वह क्यों? उधर के हरिजन बन्धु चाहेंगे समय तो उनको टाइम नहीं मिलेगा । हरिजन बंधुओं को समय बढ़ाना चाहिये । पंडितों को तो टाइम मिल जाता है । किसानों को टाइम मिल जाता है ।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ।

श्री मदनसिंह दांता : फूट डालने की कृपा न करें ।

एक माननीय सदस्य : आप जैसे कभी सफल नहीं होंगे इसमें ।

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने कट मोशन्स के जरिये कई बहुमूल्य सुझाव दिये । लगभग 135 कट मोशन्स इन्डस्ट्रीज के बारे में और 42 दूसरे विषयों के बारे में हैं । जो माननीय सदस्य बोले हैं और जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं मैं उन सबके लिये अपनी बात को संक्षेप में पूरा करने की कोशिश करूंगा ।

सभापति महोदय, उद्योगों को, अगर हम लें तो, तीन हिस्सों में बांट सकते हैं । खादी और ग्रामोद्योग, मिडीयम स्केल इन्डस्ट्री और लार्ज स्केल इन्डस्ट्री । मिडीयम स्केल और स्माल स्केल के बीच में दस लाख तक की लागत की इन्डस्ट्री स्माल स्केल में आती है । इन सब में एक चीज को स्पष्ट रूप से समझना है और वह यह है कि राजकीय उपक्रम सरकारी पूंजी से चलाये जाते हैं उनके सिवाय विभाग का और सरकार का

(श्री हरिदेव जोशी)

काम है जो एन्टीप्रिनियोर्स हैं, उपक्रम लगाने वाले हैं, उनको सहयोग करने का है। इस दृष्टि से माननीय सदस्यों ने अपने इलाकों में कहीं 2 भी उद्योग लगाने की बात की अथवा वे चाहते हैं कि कोई कुटीर उद्योग लगे, छोटे तथा बड़े उद्योग लगे तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे मन में लार्ज स्केल इन्डस्ट्री हो और कुटीर उद्योग न हो इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। न ही यह स्थिति है कि कोई लार्ज स्केल इन्डस्ट्री और स्माल स्केल इन्डस्ट्री के बीच में कोई कम्पीटिशन है और कम्पीटिशन में कुटीर उद्योग की उपेक्षा की जा रही है और बड़े उद्योगों का पक्ष लिया जा रहा है। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने जो इन्डस्ट्रियल पोलिसी डिक्लेयर की है उससे परे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी उद्योग यदि स्माल स्केल इन्डस्ट्री के क्षेत्र में आना चाहता है और यदि लार्ज स्केल में लाइसेन्स की कोई मांग की गई है तो हमारी प्रीफरेन्स स्माल स्केल के लिये होगा। अब भारत सरकार की नई नीति के अनुसार जो छोटे उद्योग हैं उनके लिये कोई लाइसेन्स नहीं है। मैं आफ हैण्ड तो कह नहीं सकता, माननीय सदस्य ने अभी ईन्टों के भट्टे के लिये कहा कि उनके लिये लाइसेन्स लेना पड़ता है, यह कहां का है, मुझे मालूम नहीं। कोलोनाइजेशन के क्षेत्र में कोई ऐसी चीज हो तो मुझे मालूम नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ईन्टों के भट्टे हैं पलावा लगाते हैं कुम्हार को तो इसकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। आप इसे उद्योगों की श्रेणी में ले लें।

श्री हरिदेव जोशी : हमने तो उद्योगों की श्रेणी में लिया है।

अभी पिछले वर्ष खादी उद्योग में हाथ से काम करने वाले लोगों का यह काम है उसके साथ भट्टों (किल्न) को हमने ग्रामोद्योग में लेकर अभी तक ईन्टों के भट्टों के लिये और चूने के भट्टों के लिये, जो असिस्टेन्स नहीं मिलती थी, वह अब दी जा रही है और इस प्रकार की सुविधा को कई जगह लोगों ने अवेल भी किया है।

ग्रामोद्योगों को प्राथमिकता देने की बात कही गई तो प्राथमिकता नहीं देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। हम निरन्तर प्राथमिकता देते रहे हैं। पर एक चीज ध्यान देने की है। सरकार किसी भी ग्रामोद्योग में स्वयं काम नहीं करती। वह केवल असिस्टेन्स देती है। कई खादी संस्थाएं हैं, पावर लूम वाले हैं और दूसरे-दूसरे लोग हैं। उनको असिस्टेन्स देने का एक पैटर्न है, एक स्थिति है उसके मुताबिक उसे उस असिस्टेन्स को लेना होगा। जिस क्षेत्र में इस प्रकार के काम करने वाले हैं, वे सुविधाएं प्राप्त करते भी हैं।

जहां तक खादी और ग्रामोद्योग की बात है, माननीय सदस्यों को शायद बहुत ज्यादा मालूम न हो, किन्तु बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर वगैरह से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि इन पिछले चार पाँच वर्षों में ऊनी, खादी के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास हुआ है और यह ऊनी, खादी आज तक राजस्थान के इतिहास में इतनी नहीं बनी जितनी इन वर्षों में बनी है। उस ऊन, खादी की खपत को ध्यान में रख कर इस पर रिबेट दिया गया। कमीशन भी दिया गया और काफी खपाया भी गया तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन वर्षों में राजस्थान सरकार ने प्रयत्न किया है कि

Page No 143

(श्री हरिदेव जोशी)

हाथ के आधार पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको सुविधाएं दी जावें और मैं तो यह पसन्द करूंगा कि माननीय सदस्य इसमें एक्टिव इन्टरेस्ट लें। जहां-जहां लोगों ने इन्टरेस्ट लिया है वहां-वहां विकास हुआ है और जहां इन्टरेस्ट ही नहीं लिया, वहां नहीं हुआ।

मैं माननीय सदस्यों की इस राय से सहमत हूं कि राजस्थान में, हमारे देश का बहुत बड़ा प्रतिशत ऊन पैदा होती है पर उसका कटिंग प्रोसेसिंग राजस्थान में नहीं हो पा रहा है। इसके लिये सर्विस सेन्टर कायम करने की जरूरत है। पर यहां पर भी निवेदन करूंगा कि अगर हम लोग समझते हैं कि केवल राज्य सरकार इस काम को अपने ऊपर लेकर उद्योग चालू करे तो यह संभव नहीं होगा राज्य सरकार के लिये।

जैसे लाडनूं और चूरू की मिलों का प्रश्न है इनके लिये हमारे दिमाग में कल्पना थी कि वर्स्टेड ऊन बनने के बाद वहां का धागा वहीं काम में लिया जावेगा और कुछ न कुछ ऊनी होजियरी का काम राजस्थान में शुरू होगा। आज जो भी आता है, सुझाव देता है और मैं फिर आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का धागा राजस्थान में ही काम आना चाहिये। राजस्थान का धागा आज पानीपत जाता है लुधियाना जाता है और दूसरी-दूसरी जगह जाता है और वहां पर प्रोसेस्ड होकर फिर वापिस राजस्थान में ही होजियरी के रूप में आता है तो हमारा यह कहना है कि क्यों नहीं राजस्थान के एन्टरप्रेन्योर इस क्षेत्र में लगने वाली लागत का 70 से 80 पर्सेन्ट इन्वेस्टमेन्ट में लोन देने को तैयार हैं। राजस्थान सरकार और भी असिस्टेन्स देने की आवश्यकता होगी तो वह देगी।

पर एक चीज है, चाहे वह खादी के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामोद्योग के क्षेत्र में हो चाहे लघु उद्योगों के क्षेत्र में हो, एन्टरप्रेन्योर को आगे आना चाहिये चाहे फिर वे सोसायटी के रूप में हों, चाहे एसोसियेशन के रूप में हों फर्म के रूप में हो या इण्डिविजुअल के रूप में भी हों। पैटर्न आफ आवर असिस्टेन्स के अनुसार हर तरह की मदद दी जावेगी।

मैं, दूसरी चीज और निवेदन करना चाहता था। वह यह है। इन वर्षों में राजस्थान के औद्योगीकरण को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की ओर जो भी हम सुविधाएं दे सकते थे, हमने देने की कोशिश की है।

माननीय सदस्यों को यह भी मालूम है कि इन पिछले वर्षों में हमने रूल्स को सिम्पलीफाई किया है और जो असिस्टेन्स दी जाती थी उस के रूल्स को भी सरल किया है। अलाटमेन्ट आफ लैंड के लिये पावर के लिये पानी के लिये, लोन देने के लिये एजेन्सियां कायम की हैं और हमने टैकनिशियन्स को सुविधाएं दिलाने की भी कोशिश की है।

माननीय सदस्यों को पता होगा कि राजस्थान भर की इण्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी का सर्वे कराकर एक महत्वपूर्ण साहित्य भी प्रकाशित कराया है हमने और आम लोगों के समक्ष, सभी लोगों के काम की चीज तो यह नहीं है पर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिये यह एक उपयोगी चीज होगी।

क्या-क्या उद्योग राजस्थान में लग सकते हैं इसका सर्वे कराकर भी हमने लोगों

(श्री हरिदेव जोशी)

के समक्ष जानकारी रखी है। इसकी उपयोगिता भी साबित हुई है और है भी यह काफी अच्छी कीमती चीज।

राजस्थान के स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज इन्स्टीट्यूट के द्वारा 15 जिलों का सर्वे भी हो चुका है और दूसरे जिलों का करवा रहे हैं।

इसी प्रकार से राजस्थान में रॉ-मटीरियल है उसकी उपयोगिता कहां कहां कैसी कैसी हो सकती है इसके लिये भी लोगों को अधिक से अधिक सलाह दी गई है।

मगर एक बात मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं और वह यह है कि जैसे करोली के बाबत एक माननीय सदस्य ने कहा, बूंदी के लिये कहा कि वहां काफी लाइम स्टोन हैं तब उनके यहां क्यों नहीं सीमेन्ट फैक्टरी लगती है?

शायद राजस्थान उन राज्यों में है जहां सबसे अधिक लाइम स्टोन है। आज हिन्दुस्तान में मद्रास के बाद राजस्थान ही वह प्रान्त है जहां सबसे अधिक सीमेन्ट पैदा होती है या तैयार किया जाता है।

दो तीन फैक्टरियों, जिनके लाइसेन्स स्वीकृत हो चुके हैं, उनके और कमीशन हो जाने के बाद तो, मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले चार पांच वर्षों में हिन्दुस्तान भर में सीमेन्ट पैदा करने वाला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। इतनी बड़ी सीमेन्ट की यहां पोटेंशियेलिटी है। पर राजस्थान सरकार स्वयं इस में इन्वेस्ट करके कोई कारखाना नहीं लगा रही है। इसलिये जब यह मांग की जाती है कि करोली में सीमेन्ट का कारखाना कायम किया जाना चाहिये या बूंदी में सीमेन्ट का कारखाना कायम किया जाना चाहिये अथवा दूसरी जगह। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपका तात्पर्य सरकार द्वारा लगाये जाने से नहीं है तो ठीक है, और वहीं लगने चाहिये इससे भी हमारी सहमति है। पर इस तरह की हमारे सामने कोई भी एप्लीकेशन पेन्डिंग में नहीं है जिसको कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हों, या असिस्टेन्स नहीं दे रहे हों, अथवा जिसके बारे में हमारी सहमति नहीं हो। तो अलबत्ता इसमें भेद करके चलना होगा कि सरकार लगावे या अन्य एन्टरप्रेन्योर लगावे। हमारा यह भी आग्रह नहीं है कि कोई कारखाना कहां लगावे। जो जहां चाहे लगा सकता है। यह उसकी अपनी सहूलियत पर निर्भर है।

हमने भारत सरकार के समक्ष जब मांग की कि किन किन स्थानों को आप इण्डस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया मानते हैं तो इस पर भारत सरकार का उत्तर था उस पर मेरा तो सब से पहला रिएक्शन था कि राजस्थान तो एज-ए होल सारा का सारा ही बैकवर्ड है। पूरे राजस्थान को ही इसके लिये स्वीकार किया जाना चाहिये और जो भी असिस्टेन्स दी जानी है वह सब जगह एकसा दी जानी चाहिये। मगर उनका जवाब यह हुआ कि अगर महाराष्ट्र में से बम्बई नगर को बाद कर दिया जावे अथवा तामिलनाडु प्रदेश में से मद्रास को बाद कर दिया जावे अथवा दूसरे प्रान्तों में से अमुक अमुक नगरों को बाद कर दिया जावे तो फिर सारे राजस्थान में और दूसरे स्टेटों में अधिक अन्तर नहीं रह जाता है। थोड़ा थोड़ा ही फरक रह जाता है। यह समझ कर भारत सरकार ने अपनी लोजिक के अनुसार 16 जिलों को

(श्री हरिदेव जोशी)

इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड स्वीकार करके उनको अपनी उस केटेगरी में लिया है।

श्री शंकरलाल : यह किस आधार पर किया गया,।

श्री हरिदेव जोशी : फिर इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड और जो नहीं हैं उनमें। केवल भारत सरकार रेट आफ इन्टरेस्ट के अन्दर एक परसेन्ट का फर्क करेगी जो लोन दिया जावेगा उसमें और जहां दूसरे जिलों में रिकवरी की मियाद सात साल की होती है वहां इसमें 9 साल रहेगी। केवल इन दो बातों का फर्क रहेगा।

श्री रामकिशन : बिजनेस के लिये ये दो फर्क भी बड़े महत्वपूर्ण हैं।

श्री हरिदेव जोशी : फिर एक चीज और समझनी है पोटेन्शियेलिटी स्माल स्केल बहुत ज्यादा है। 10 हजार से दस लाख तक के उद्योगों पर यह चीज इसमें नहीं आती और इस लिहाज से राजस्थान सरकार ने जो दस हजार तक लोन देने वाले हैं उनको और इन्टरेस्ट कम करके 7 और साढ़े सात परसेन्ट पर लोन देती है। भारत सरकार जो लोन देती है उससे कम इन्टरेस्ट पर लोन देती है। हमारी बजट लिमिट होती है इसलिए हमने यह कर दिया है अब लोन राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन से दिलाया जावे और जो डिफरेन्स आफ इन्टरेस्ट हो उसको राजस्थान सरकार पे कर दे। इस प्रकार अब बजट के लिमिटेशन नहीं है, पावर की कमी नहीं है, प्लाट्स की कमी नहीं है इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर ऐसा मैं कह सकता हूं। इसके लिए जयपुर को ले लीजिये पिछले महिनों के अन्दर, 6-7 महिनों को ले लीजिये, इन महीनों के अन्दर 150 नये उद्योग रजिस्टर्ड हुए हैं और उन सबको हमने प्लाट दिये हैं। इसी तरह से कोटा के अन्दर, पाली के अन्दर और दूसरे स्थानों के अन्दर किया है। मैं यह कहना चाहता था आज इन वर्षों के अन्दर हम यह कह सकते हैं कि उद्योगों के लिये जो आवश्यकता थी उन आवश्यकताओं की किसी हद तक पूर्ति की गई हैं। किन्तु जब हम उद्योगों की बात करते हैं, एक बात ध्यान में हमें रखना है, वह यह कि इन्ट्रोपोनीयोर अपनी च्वाइस चाहता है। उद्योग लगाना है तो उसे वह स्वयं चूज करता है। एक आदमी अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है, सबसे पहले अगर वह इम्पोर्ट करके कोई चीज लाकर रा मेटेरियल इम्पोर्ट कर लगाने की सोचता है, तो सबसे पहले वह बैंगलोर, बम्बई अथवा मद्रास में लगाने की कोशिश करेगा। वहां पर उसके लोड चार्जेज कम होंगे। उस एरियाज के अन्दर आने जाने में उसको असुविधा नहीं होती है। एक उदाहरण बताता हूं जिस समय वनस्पति उद्योग डीलाइसेन्ड था उस समय राजस्थान में काफी एप्लीकेशन्स आई... "

श्री रामचन्द्र आर्य : नोहर के लिये मैंने पूछा था।

श्री हरिदेव जोशी : सबका जवाब देऊंगा। जहां तक आज उनका सवाल है, जितने लोगों ने एप्लीकेशन्स दी, वे सारे के सारे उद्योग नहीं लगा रहे है। उन्होंने देख लिया कि केपेसिटी कन्टरी में कितनी है। जो पैसा लगाने वाला आदमी है वह इस चीज को देखता है कि किस उद्योग में किस

(श्री हरिदेव जोशी)

हद तक गुंजाइश है, किस हद तक उसके बढ़ने की केपेसिटी है। राजस्थान सरकार ने दूसरी जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनने चाहे बिजली के अन्दर सुविधा दी हो, और कोई सुविधाएं बढ़ाई हों, जमीन की कम कीमत लगाकर जमीन दी हो जो सुविधाएँ दी हों अथवा केपिटल में पारटीपेशन किया हो, उन सारी चीजों को हमने हमारे यहाँ भी लिया है और हमारा यह प्रयत्न है कि राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा इनवेस्टमेन्ट हो सके। इस दृष्टि से, माननीय सदस्यों ने जिन्होंने हमारे यहां उद्योग लगें यह मांग की है, उनसे मेरा निवेदन है······

श्री दौलतराम सारण : थोड़ी डिटेल भी बता दें। आपने यहां यह बताया है कि आपने ये ये सुविधाए उद्योगों के लिये दी हैं तो अब तक इन साधनों के रुप में कितना खर्चा राज्य सरकार ने वहन किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसका कोई अकाउन्ट फार नहीं होता। सेल्स टैक्स के अन्दर कमी की है, अब यह कितना होता है यह हाइपोथेटिकल प्रश्न है। परन्तु यह सभी निश्चित रूप से समझते हैं। जैसे डी. सी. एम. की बात है, यहां उस पर चर्चा होती रहती है कि राजस्थान सरकार ने डी. सी. एम. को कम रेट पर बिजली दी है। उसके साथ ऐसा क्यों किया गया है ? मैं आपसे कहूं, राजस्थान में डी. सी. एम. का कारखाना नहीं लगता तो आज जो एक्सटेन्शन उ सका हुआ है उसका हमारे यहां पर कोई आधार नहीं बनता। इस लिहाज से आज जितने भी उद्योगों को अपने यहां बढ़ाने के लिहाज से सोचने वाले राज्य हैं उन सारे के सारे में एक कम्पीटिशन हो गया है। आज हम कोई एक इन्सेन्टिज डिक्लेअर करते हैं, बम्बई में दूसरे दिन वही निकल जाता है कि महाराष्ट्र सरकार भी उद्योगों के लिये वही सुविधायें दे रही हैं। ठीक इसी प्रकार बैंगलोर, हैदराबाद और मद्रास के अन्दर हो रहा है। सेल्स टैक्स में कमी की घोषणा टैलीप्रिन्टर जैसे ही उनके पास पहुँचती है उसके दूसरे दिन सवेरे वही रियायत, इनसेन्टिव वे डिक्लेअर कर देते हैं, दूसरी स्टेट भी डिक्लेअर कर देती है······

श्री भैरोंसिह : मैसूर और महाराष्ट्र की सरकार तो विजिलेन्ट हैं। हम तो छः छः महीने नहीं जगते ····· हैं

श्री हरिदेव जोशी : नो डाऊट। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन सारी चीजों के बावजूद जो सुविधाएं हम दे सकते थे इन सारी सुविधाओं को हमने दिया है। आज एक बात यह भी है कि हमारी ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज हैं जैसा राजस्थान का इलाका है उसको हम सभी जानते हैं। हमारे यहां पर रॉ मैटेरियल की कमी है और उसके लिये मार्केट भी नहीं है। पहले तो बाहर से माल लाओ और जो पैदावार की है उसको बेचने के लिये भी बाहर जाओ। इस प्रकार की असुविधा के कारण राजस्थान में इन चीजों के बाबत असुविधा होती है। फिर भी मेरा निवेदन है कि हमने किसी भी एक क्षेत्र को

श्री बिरदाराम····· : आप उद्योगों को चलाना नहीं चाहते हैं। उनको पूरा कोटा नहीं मिलता है। राजस्थान में आप खोलना चाहते हैं तो पूरा कोटा दीजिये······

श्री हरिदेव जोशी : मेरा निवेदन यह है–···

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिये। आपने कन्सेशन डिक्लेअर किये हैं। इसके लिये जो रूल्स बनाये हैं उनको भी देखा है और जो घोषणाएं की हैं उनको भी देखा है। रॉ मेटेरियल की बात भी मालूम है। पानी सस्ता, बिजली सस्ती और प्लाट्स भी सस्ते देने का आपने डिक्लेरेशन कर रखा है। इसके बाद भी क्या कारण है कि इन्टरप्रेनियोर यहां नहीं आ रहे हैं। वे क्यों नहीं आते हैं इसका क्या कारण है ? इसकी जांच करने के लिये क्या कोई मशीनरी आपने इवेल्व की है कि किस कारण से इन्टरप्रेनियर नहीं आ रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा है। दो चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि पावर की कमी कुछ वर्षों पहले थी। ऐसा मैं समझता हूं कि अगर कोई अध्ययन की चीज है तो यह है कि जिस समय इनवेस्टमेन्ट का एक क्लाइमेंट सारे कन्ट्री में चल रहा था उस समय हमारे पास में पावर की कमी थी। दूसरी हमारी जोग्राफिकल डिफिकल्टी है। आज कोई भी इन्टरप्रेनियोर सब से पहले च्वाइस के रूप में बम्बई को चाहेगा। बम्बई के अन्दर भी वह नासिक को नहीं चाहेगा, पूना को नहीं चाहेगा। इसलिए जो डिफिकल्टी है वह यह है। दूसरा हमारे यहां पर मार्केट नहीं है जो इन चीजों को खरीद सके इसलिये च्वाइस कम होती है। तीसरी चीज मैं यह मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : बेसिक क्वेश्चन यह है कि मार्केट नहीं है। सदन के कई माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार से समय समय पर निवेदन किया है कि प्रोडक्शन कराने के पहले यहां पर उसका मार्केट है या नहीं ? इस स्थिति की जांच की जानी चाहिए परन्तु राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। यह सही है कि राजस्थान में मार्केट नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बार मैं अपनी बात को कह दूं। उसके बाद कोई बात रह जाती है तो उसको आप पूछ लें, कह दें।

सभापति महोदय, मैं यह समझता था कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में हम तैयार कर सकते थे इन्डस्ट्रीज के लिये, जो डिमान्ड हो सकती थी, उन इन्फास्ट्रक्चर को हमने, राज्य सरकार ने तैयार किया है और इसके लिये आज भी जो साधन हो सकते हैं उसको देने के लिये तैयार हैं। इसलिये यह कहना कि राज्य सरकार की ओर से सुविधायें नहीं हैं, गलत हैं। फिर भी माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे, उसके अनुसार हम अपनी ओर से और कोशिश करेंगे।

सभापति जी, कुछ माननीय सदस्यों ने सवाई माधोपुर में रिफाइनरी की बात को यहां पर उठाया है। आज एक प्रश्न था और उस समय मैंने इसको स्पष्ट भी किया था कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने एक और रिफाइनरी के लिये एक स्टडी टीम को भेजा था और उस स्टडी टीम ने रिपोर्ट को तैयार करके गवर्नमेंट आफ इन्डिया को दे दी है। इसमें यह कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट की यह मांग है, हमारी ओर से कोई मांग है, ऐसा नहीं है। जैसे ही अखबारों के जरिये हमको यह मालूम हुआ कि रिफाइनरी के लिये एक स्टडी टीम आ रही है। हमारे मुख्य मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर को एक

(श्री हरिदेवजोशी)

चिट्ठी लिखी कि राजस्थान इसके लिये बेस्ट सूटेड प्लेस है और राजस्थान के अन्दर भी सवाई माधोपुर इसके लिये उपयुक्त स्थान है। उसका जवाब यह मिला है कि जिस समय इस पर विचार किया जायेगा स्टडी टीम की रिपोर्ट पर तो राजस्थान के क्लेम पर भी विचार किया जायेगा। अखबारों के आधार पर हम कोई बात नहीं कह सकते हैं। हमारे पास में यह जवाब आया है कि जब फाइनल डिसीजन लेंगे उस समय राजस्थान के क्लेम को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसलिये मैंने निवेदन किया था आज सवेरे ही एक प्रश्न के उत्तर पर कि अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर यह नहीं कह सकते कि राजस्थान के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी ओर से चाहे पैट्रो केमीकल इन्डस्ट्रीज हो, चाहे डिफेन्स के सिलसिले की इन्डस्ट्रीज हो चाहे केमिकल इन्डस्ट्री हो-एक रिफाइनरी की बात नहीं है। 4-5 दूसरी इन्डस्ट्रीज के लिये हमने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को लिखा है। आवश्यकता पड़ने पर वहां जाते भी हैं। और इस सिलसिले में जो कुछ करना होता है वह करते भी हैं एक मा० सदस्य ने नई सूची मील लगाने की बात कही। अब कन्ट्री इस बेस पर आ गई है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसके एक्सपान्सन को और नये लाइसेन्स को देना बन्द कर दिया है। इसलिये हमारी मजबूरी है और इस मामले में कुछ किया जाना अब तक संभव नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट आफ इंडिया रीकन्सीडर नहीं करती है।

श्री मनोहर सिंह मेहता: बहुत अच्छा।

श्री भैरोंसिंह : स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है?

श्री हरिदेव जोशी : कुछ नहीं।

श्री भैरोंसिंह : भारत सरकार ने बेन कर दिया वह तो ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इस बात की आवश्यकता महसूस करती है क्योंकि राजस्थान में टैक्सटाइल इन्डस्ट्री और खुलनी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : सवाल यह है कि फन्डामेन्टली किस इन्डस्ट्री की केपेसीटी कितनी है यह देखने वाली बात है जैसे री-रोलिंग मिल्स की बात है गवर्नमेंट आँफ इंडिया ने बेन कर दिया और उसी प्रकार टैक्सटाइल मील को बेन कर दिया। इसी प्रकार 60 इन्डस्ट्रीज के लगभग हैं जो बेन में आती है। ये पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं कभी किसी को लाइसेन्स दे देते हैं तो कभी किसी को बेन कर देते हैं। यह जो पीरियड़ चल रहा है वह टैक्सटाइल के लिये बेन पीरियड है। इसके अन्दर अब एक्सपान्सन की सम्भावना नहीं है। मुझे दुःख है हमारे मा० सदस्य ने मांग की है कि टैक्सटाइल मील लगाई जाय इसकी मुझे सम्भावना नजर नहीं आती है। इसी प्रकार सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने–एक माननीय सदस्य ने टोंक में चमड़े के कारखाने की बात कही है। मुझे ऐसा लगता है मेरे मुंह से यह सुनना चाहते हैं कि टोंक में अब चमड़े का कारखाना खुल नहीं सकेगा क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने बार बार प्रश्न किया है और मैंने निश्चितरूप से कहा है कि हमारे एफट्स टोंक में चमड़े का कारखाना लगाने के हैं मैंने पिछली बार भी इसको स्पष्ट कर दिया था कि यह यूगोस्ला वेत किया के कोलोवरेशन से खोला जायगा किन्तु रुपये के डिवेल्यूएशन के बाद में वह कोलोवरेशन फेल होगया तब हमने वर्ल्ड टेन्डर इनवाइट

(श्री हरिदेव जोशी)

किये । अब फ्रान्स में एक जगह है मोरिस उसके साथ हमारा कोलोबरेशन फाइनल हो गया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब ?

श्री हरिदेव जोशी : आज से लगभग पांच दिन पहले जवाब दे चुके हैं इसलिए वह कोलोबरेशन फाइनल हो चुका है । अब एग्रीमेंट की लास्ट स्टेज पर और वह भी करीब करीब पूरा हो गया है–लॉ डिपार्टमेंट से वेट करा लिया गया है । दोनों पार्टीज के बीच में अब केवल दस्तखत करना बाकी रह गया हैं और वह भी केवल फारमिलिटि है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं । इसलिये जहां तक गवर्नमेंट की सीरियसनेस का सवाल है इसमें कोई कमी नहीं है लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर दूं जल्दबाजी में कोई काम किया गया तो कई ऐसे लेकूनाज रह जायेंगे जिससे दोनों पार्टीज के बीच में विवाद पैदा हो सकता है क्योंकि इसमें तीन कम्पनीज इन्वोल्व्ड हैं । हमने जो निगोशियेन्स किये है उसमें उनके टेक्निशियन्स आकर इसको लगायेंगे और लगाकर प्रोसेसिंग करेंगे और कुछ समय तक इसको चलायेंगे । और माल राजस्थान से मिला तो पूरे माल को एक्सपोर्ट करेंगे और उससे जो पैसा आयेगा वह उस कोलोबरेशन के लिए जो लोन लिया है उसके पेटे जमा होगा । इसलिए तीन पार्टीज के बीच में यह एग्रीमेंट हैं । एग्रीमेंट के बाद एक वर्ष तक वे सारी मशीनरी को चलायेंगे, मैं ऐसा समझता हूं ।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारा एग्रीमेंट इस तरह का है कि नवम्बर तक कारखाने का काम शुरू कर दिया जाय । अभी केवल वहां बोर्ड लगा है । वह बोर्ड साइट फार लेदर टेनेरी का है । वह तो साइट सिलेक्ट की है उससे ही माननीय सदस्य समझने लग जांय कि काम शुरू नहीं हो रहा है तो यह बात नहीं हैं । वह तो केवल साइट के लिए बोर्ड लगाया है और उसमें मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है । मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि केवल बोर्ड लगा कर कह दूं चमड़े का कारखाना लगेगा तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : हम तो स्वागत करते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, समय समाप्त हो रहा है । डिमान्ड पारित नहीं हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से कार्यवाही का समय मांगों के पारित होने तक बढ़ाया जाता है ।

एक मा० सदस्य : जल्दी करिये साहब ।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, दूसरी चीज अभी तक राजस्थान से लगभग 22-24 के करीब लेटर्स ऑफ इन्टेन्ट आये हैं । मेरा ऐसा ख्याल था......

(मा० सदस्य के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

मैंने बता दिया था यहां चाहते हैं तो दूसरी बात हैं रात को बता दूंगा ......

श्री मदनसिंह : रात को इनको तो बता दें नोहर वालों को बुलाकर नहीं बताते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य मैंने इनफोरमेशन मांगी है वह तब तक आ

(श्री हरिदेव जोशी)

जायगी तो आपको बता दूंगा सभापति महोदय, मेरा ख्याल है 72–73 में प्रोडक्शन शुरू हो जायगा ··

श्री गोकुल चन्द (खैरथल) : चमड़े के कारखाने के लिये टोंक ही क्यों उपयुक्त समझा गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : अब मैं यह कुछ नहीं कह सकता हूं·······

श्री जयनारायण सालोदिया : टोंक में स्कोप है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, इस तरह मंत्री महोदय रात को बतायेंगे तो···

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने गंगानगर में एक और शूगर मिल लगाने की बात कही। जो शूगर मिल आज चल रही है उसको समय पर शूगर केन नहीं पाता है। आज लगभग 120 दिन······

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर का क्षेत्र कितना लम्बा है वह माल पूरा सप्लाई नहीं कर सकते हैं। गन्ना इतना ज्यादा पैदा होता है–सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है ···

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, 120 दिन मिल चलाने के लिए साढ़े बारह लाख क्विन्टल शूगरकेन चाहिए जिसमें से साढ़े आठ लाख क्विन्टल ही गंगानगर को मिल पाती हैं और बाकी शूगरकेन आज भी पंजाब से खरीद कर लाते हैं और लगभग 120 दिन पूरा नहीं चल पाता हैं। उसमें मौसम का भी कारण हो सकता है, पानी का कारण हो सकता है, भावों की कमी का भी कारण हो सकता है। जैसे इस वर्ष भाव कम हो गये तो अगले साल उतने एरिया में लोग कल्टीवेट नहीं करेंगे। आज जो पोजीशन है वह यह है कि केवल दो तिहाई गन्ना मिल पाता है और एक तिहाई गन्ना राजस्थान से –

श्री रामचन्द्र आर्य : गन्ना कितना मिलता है यह आपको .

श्री हरिदेव जोशी : पहले माननीय सदस्य उत्तर तो हो जाने दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह उत्तर ही तो है और क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : एक माननीय सदस्य ने खादी और ग्रामोद्योग की चर्चा करते हुए सभापति महोदय यह कहा कि खादी के कपड़े के अन्दर मिल का सूत मिला दिया जाता है। उन्होंने इसको जनरेलाइज करके कहा, मैं उसको ठीक नहीं मानता हूं। जिस प्रकार से हर क्षेत्र के अन्दर कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गलत काम करते हैं वैसे ही खादी के क्षेत्र में भी यह कह कर मैं नहीं चल सकता कि वहां कोई आदमी गड़बड़ी नहीं करता होगा और मेरे सामने और सब के सामने ऐसे उदाहरण आये हैं कि खादी के कपड़े के अन्दर मिल का सूत पाया गया है लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह यह है कि फर्स्ट इनफार्मेशन के ऊपर जब कभी भी ऐसी सूचना आई है उसके ऊपर एक्शन लिया गया है और खादी कमिशन ने जो कि हाइएस्ट ओथारिटी है इसके लिए उनका पंजीकरण बन्द कर दिया

(श्री हरिदेव जोशी)

है और उनको एक प्रकार से काम करने से रोक दिया गया है और काम करने से रोक देते हैं तो लेबर ऊपर के इफैक्ट होता है इस लिए उसको ऐसा नहीं करके उनकी व्यवस्था को बदल करके करने की कोशिश की है।

मैं सभापति महोदय, आपकी मार्फत टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर और इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं डूंगरपुर भी उसके अंदर आ जाता है इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं जोकि शहरी क्षेत्र तो हैं किन्तु जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है उनके माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया खादी और ग्रामोद्योग के लिए विशेषरूप से खर्च करना पड़े तो राज्य सरकार उसमें करे। अभी पैटर्न ऑफ असिस्टेन्स है उसमें रिलेक्सेशन लेना पड़े तो लेने की कोशिश की जायेगी लेकिन राज्य सरकार स्वयं वहां पर काम नहीं कर सकती है। कोई न कोई एजेन्सी होनी चाहिए जो कि वहां पर काम शुरू करें। जैसे हमने एक बार कोशिश की कि धौलपुर के अन्दर जो दो तकुवे का चर्खा है अम्बर चर्खा जिससे एक आदमी को 8 घन्टे काम करने पर 2–2½ रुपया प्रतिदिन मिल सकता है इस प्रकार का जो चर्खा है उसको हमने वहां पर भेजा लेकिन धौलपुर में वह ठीक से नहीं चल सका, टोंक के अन्दर नहीं चल सका और उनको वापिस मंगवाना पड़ा। तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि बजाय इसके कि हम उसमें कोई दुर्गुण देखने की कोशिश करें राजस्थान की बेकारी को मिटाने के अन्दर खादी और ग्रामोद्योग बहुत बड़ा सहायक हो सकता है और मैंने तो परसों ही एक माननीय सदस्य को यह राय दी थी कि भारत सरकार ने जो डेफिसिट एरियाज हैं उनके अन्दर 2·3 करोड़ रुपया एक एक जिले के लिए दिया है उसमें ईयरमार्क किया जाना चाहिए ग्रामोद्योगों के लिए। जैसे हम मांग करते हैं कि इर्रीगेशन के लिए कुछ लाख रुपया दिया जाना चाहिए, रोड्स के लिए कुछ लाख रुपया दिया जाना चाहिए इसी तरह से इन 8–10 जिले में ग्रामोद्योगों के लिए भी कुछ लाख रुपया ईयरमार्क कर दिया जायेगा तो निश्चितरूप से उन जिलों में लोगों को मदद मिलेगी ....

श्री रामचन्द्र आर्य : 2 करोड़ का तो 1 ही करोड़ समझना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : तो मेरी मान्यता है कि जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों के अन्दर खादी और ग्रामोद्योग बढ़े, उनसे निवेदन है कि वे इससे दूर नहीं रहकर उसमें ज्यादा रुचि लें और काम करें।

एक माननीय सदस्य ने बड़े बड़े उद्योगों में पैसा बाकी होने की बात कही थी और उसमें जयपुर उद्योग में करोड़ों रुपया बाकी है, इस प्रकार की बात कही। तो मैं ऐसा समझकर चलता हूं कि करोड़ों रुपया यह समझ कर कि न जाने कितना बाकी है कह दिया गया होगा किन्तु जयपुर उद्योग के अन्दर केवल 6 लाख रुपया रायल्टी का बाकी है और वह केवल इसलिए बाकी है कि रेट ऑफ रायल्टी गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने बढ़ा दी है और वह बढ़ी हुई रायल्टी उन्होंने पे नहीं की। आज सारे के सारे सीमेन्ट इन्डस्ट्री के लोग हाईकोर्ट में गये और स्टे ले आये इसलिए बढ़ी हुई रेट आफ रायल्टी है

(श्री हरिदेव जोशी)

वही बाकी है, दूसरा कोई पैसा बाकी नहीं है। यह मैं उनकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता था....

श्री भैरोंसिंह : आपने अपने विभाग की बता दी दूसरे विभागों की भी तो बकाया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो मेरे विभाग से ही ताल्लुक रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उस समय यह कहा था कि आपके अलावा दूसरे विभागों की भी काफी बकाया है।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, नहीं।

एक माननीय सदस्य ने नोहर में कोई टेक्सटाइल मिल लगाने की बात कही और उसका पैसा राजस्थान सरकार ने दे दिया है। मेरी जानकारी में ऐसी चीज नहीं है और आज के रूल्स के अनुसार कोई भी पैसा नहीं दिया जा सकता...

श्री रामचन्द्र आर्य : एक थिरानी पार्टी ने पैसे लिये हैं आप पता लगा लें।

श्री हरिदेव जोशी : उसमें ऐसा सम्भव है नहीं। एक ही चीज की सम्भावना और हो सकती है तो वह यह है और उन्होंने कोई डिबेन्चर फलोट किया है और उसमें कोई शेयर गवर्नमेन्ट ने लिया हो और उसके बाद में कम्पनी ने फंक्शन नहीं किया हो तो वह मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि मेरे पास रेडीली इनफार्मेशन नहीं है इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यह जरूर निवेदन करता हूं कि और कोई भी पैसा बकाया होगा तो वह आज तक मेरी जानकारी में आ जानी चाहिए था क्योंकि पीरीयोडिकल रिपोर्ट आती है कि अमुक अमुक लोगों पर बकाया है। आपके हाउस की कमेटी इस प्रकार के इनवेस्टमेन्ट के ऊपर फैसला करती है और आइडल इन्वेस्टमेंट के ऊपर फैसला करती है। इसलिए मेरी जानकारी में तो यह है कि किसी भी हालत में पैसा बकाया नहीं होना चाहिए, दिया हुआ नहीं होना चाहिए। यदि होगा, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जावेगा।

मैं ऐसा समझता हूं कि इन शब्दों के साथ मैंने मोटेतौर पर सारे ही कटमोशन्स का जवाब दे दिया है इसलिए मेरे पास मैं किसी का जवाब देना बाकी नहीं रहा है....

श्री रामचन्द्र आर्य : खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के मजदूरों के बारे में था उसका जवाब नहीं आया।

श्री हरिदेव जोशी : वह लेबर विभाग से सम्बंधित है इसलिए सभापति महोदय, मैं यह समझकर कि मैंने सारे ही कटमोशन्स का जवाब दे दिया है और मुझे किसी को लिखित उत्तर नहीं भेजना है यह बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दौलतराम सारण : यह व्यवस्था है कि जो सदस्य नहीं बोल पाये उन सब को राज्य सरकार को लिखित उत्तर भेजना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : वह भेजेंगे।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि आपके प्रतिनिधि कई बार जापान गये हैं। जापान के अन्दर क्या चीज है कि हर व्यक्ति हर घर के अन्दर

(श्री मदनसिंह)

इतना उद्योग करता है तो क्या राज्य सरकार खुद अपने स्तर पर इतना औद्योगीकरण नहीं कर सकती....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो बहस में नहीं उठाया इसलिए मंत्री महोदय उसका जवाब नहीं दे सकते ।

श्री मदनसिंह : बिड़ला फैक्टरी एक एक औजार दस-दस हजार का बनाती है तो गवर्नमेन्ट इसको क्यों नहीं खरीदती है जिससे सेल्फ सफीशियेन्ट हो ।

श्री श्रवणलाल : मैं एक जानकारी चाहूंगा कि मन्त्री महोदय यह बतायें कि करौली के लिए सरकार के द्वारा वहां का सर्वेक्षण कराया था और उसमें ....

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य यहां नहीं थे और मैं जवाब दे चुका हूं ।

श्री सभापति : श्रम मन्त्री जी ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मन्त्री) : माननीय सभापति जी, श्रम और नियोजन विभाग के सम्बन्ध में 42 कटौती के प्रस्ताव पेश हुए हैं उसमें कुछ तो नीति सम्बन्ध हैं, कुछ व्यक्तिशः. कुछ फैक्ट्रियों से सम्बन्धित है और कुछ नियोजन से सम्बन्धित है । मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कुछ मुद्दे नीति सम्बन्धी उठाये और उन पर प्रकाश डाला है । यह बिल्कुल मानने वाली बात है कि मौजूदा समय के अनुसार हमारी श्रम नीति में परिवर्तन होना चाहिए और जिस प्रकार के श्रम कानून आज तक हमारे यहां पर बने हुए हैं और जिस नीति का हम आज तक प्रतिपालन करते आये हैं उस नीति में भी संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि श्रमिकों का शोषण बन्द होकर उनके साथ में सामाजिक न्याय हो सके, उनको पसीने की कमाई का उनको उपयुक्त धन मिल सके जिससे उनके रहन-सहन में निरन्तर सुधार होता हुआ चला जाय । इन्हीं चीजों को लेकर भारत सरकार ने राष्ट्रीय श्रमिक आयोग की स्थापना की थी । राष्ट्रीय श्रमिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । उसके अन्दर लेबर...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शार्क स्कन का कोट पहन कर आया करें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : के मामलों में सर्वसम्मति से निर्णय लिये हैं और यह आशा की जाती है उन सर्वसम्मत निर्णयों के आधार पर थोड़े ही दिनों में भारत सरकार इसके बारे में बिल पेश करेगी और जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जायगा ।

प्रोफेसर केदार ने यहां पर कई मामलों के ऊपर सवाल उठाये है जिसमें मान्यता प्राप्त यूनियन को सामूहिक सौदबाजी का अधिकार देने के बारे में, उनको किस प्रकार से मान्यता दी जाय इसके बारे में, न्यूनतम वेतन के बारे में, आदि आदि कई प्रश्न हैं । इनके लिए एक इन्डस्ट्रियल कमीशन की स्थापना के बारे में निर्णय किया जा चुका है, और उसी इन्डस्ट्रियल कमीशन को अधिकार होगा कि सर्टिफिकेशन के मामलों में जो कि उसके सामने आयें और किस यूनियन को मान्यता दी जाय इसके बारे में वह निर्णय करेगा, और यदि

Page No 154

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

आवश्यकता हुई तो उस कमीशन को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह बैलट के जरिये भी इस बात का फैसला कर सकता है। इस रिपोर्ट में कलेक्टिव बार्गेनिंग के सिद्धान्त को मान्यता देते हुए केवल मान्यता प्राप्त यूनियन्स को ही यह अधिकार दिया गया है कि वह सामूहिक सौदेबाजी के जरिये जो श्रमिकों के मामले हैं इन्डिविजुअल उनको छोड़कर, जो डिस्चार्जड व्यक्ति हैं उनके मामलों को छोड़कर, उन मामलों में जो सामूहिक मामले हैं उनके बारे में वह मान्यता-प्राप्त यूनियन सामूहिक सौदे-बाजी के जरिये बात कर सकती है और उसके ऊपर निर्णय लिया जा सकता है।

इसके साथ-साथ राज्य श्रमिक आयोग की सिफारिशों के अनुसार श्रम न्यायालयों को यह वेतन सम्बन्धी मामलों के बारे में पूर्ण अधिकार दिया गया है, और श्रम सम्बन्धी मामलों के उल्लंघन करने के मामलों में भी उन्हें सारे के सारे पावर्स दिये गये हैं।

जहां तक वेज-बोर्डस का ताल्लुक है अब तक यह नीति रही है कि सर्व-सम्मत जो वेजबोर्ड की सिफारिशें हैं उनको गवर्नमेंट मान्यता देता है और उसके पश्चात् यह पार्टीज के ऊपर छोड़ता है कि वे उसको मानें या न मानें। कई मौके ऐसे आये हैं कि जिनके ऊपर जो गवर्नमेंट के निर्णय हैं उनको मालिकान ने मानने से इन्कार कर दिया है। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई है कि यदि सर्व-सम्मत निर्णय हो बोर्ड के तो उनको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए और उसकी पाबन्दी नहीं करने पर या नहीं मानने पर सजा दी जानी चाहिए। यह मामला यद्यपि स्टेन्डिंग कमेटी, लेबर एडवाइजरी कमेटी के विचाराधीन है, लेकिन राजस्थान सरकार ने गत वर्ष ही यह महसूस किया इन्जीनियरिंग बोर्ड के मामले में तो राजस्थान सरकार ने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक एमेंडमेंट किया था माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि यदि सर्व सम्मत बोर्ड के निर्णयों की कोई पाबन्दी नहीं होती है या नहीं मानते हैं तो राज्य सरकार उसके ऊपर निर्णय लेकर हड़ताल या लाकआउट को बन्द करके-दोनों पार्टियों को मानने के लिए पाबन्द करेगी और जो नहीं मानते हैं उनको सजा दी जायगी। इसलिए हमने एक कदम आगे बढ़ाया है इस बारे में जिससे कि श्रमिकों के जो वेज बोर्ड के मामले हैं उनका जल्दी से जल्दी फैसला किया जा सके।

वास्तव में हमारे यहां इस देश में मल्टिप्लिसिटि आफ यूनियन्स एक बड़ी भारी समस्या है। हर इन्डस्ट्री में जहां पर बहुत ज्यादा यूनियन्स होती हैं वहां श्रमिकों को इससे बड़ा आघात पहुंचता है। उनके झगड़े तुरन्त निपटाये नहीं जा सकते। कई तो मालिक ऐसे होते हैं कि वे अपनी यूनियन्स खड़ी कर लेते हैं, कहीं आपस में यूनियन्स में झगड़ा पैदा कराकर, मजदूरों को आपस में लड़ाकर अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने यद्यपि पहले भी यह निश्चय किया हुआ है कि जो भी यूनियन हो वह इन्डस्ट्रियल एमेन्डमेन्ट एक्ट है उस एमेन्डमेन्ट के जरिये वह मान्यता-प्राप्त होनी चाहिये, उसके बारे में प्रावधान किया गया है, लेकिन जो नेशनल कमीशन है उसने भी इस प्रावधान को मन्जूर किया है और आगे जाकर श्रमनीति में यह भी रखा जायगा कि कौन-सी यूनियन को सामूहिक सौदे बाजी पर फैसला करने का अधिकार है,

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

किस यूनियन को मान्यता दी जाय और मल्टिप्लिसिटी आफ यूनियन्स उन यूनियन्स का महत्व खत्म हो जाने की वजह से जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है अपने आप खत्म हो जायगी यह रोग जो हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेन्ट में आ चुका है वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो जायगा।

हमने इस सम्बन्ध में पहले ही कदम उठाया था, और मैं समझता हूं उससे आगे भी हम शीघ्रता से उसको उठायेंगे।

मैं मानता हूं कि उद्योगों में जो ठेके की प्रथा चालू है वह उपयुक्त नहीं है। उसमें हमें बहुत पहले ही सुधार कर देना चाहिए था। राजस्थान में सीमेन्ट उद्योग का प्रश्न है जहां पर ठेकेदारी प्रथा पहले से ही चली आ रही है। हैदराबाद कान्फ्रेन्स ने इस बात को स्वीकार किया था कि सीमेन्ट उद्योग में ठेकेदारी प्रथा बन्द होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमारी श्रमनीति का अभी तक वालन्टरी बेसिस का आधार रहा है इस कारण से सरकार को कानून बनाना पड़ा और वह कान्ट्रेक्ट लेबर एबालिशन एक्ट भी सरकार बना चुकी है और इसको भारत सरकार ने 10-2-71 से ही लागू कर दिया है। हमने अपनी राज्य सरकार की तरफ से, शायद मैं समझता हूं यह सरकार पहली सरकार है कि जिसने इसके सम्बन्ध में नियम भी बना दिये हैं, और वह 20-3-71 को नियम बनाकर लागू कर दिये हैं, और इसलिए कान्ट्रेक्ट लेबर एबालिशन एक्ट के तहत अधिकारियों की नियुक्ति करने के पश्चात् उसके एबोलिशन की तरफ बिल्कुल ध्यान देंगे, और निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जहां पर कान्ट्रेक्ट लेबर एबालिशन करने की बात होगी तो उसको एबालिशन किया जायगा और जहां रेग्युलेट करने की बात होगी तो जिस तरह से रेग्युलेट करना है वह रेग्युलेट करेंगे, और उसके निर्धारण के लिए अधिकारी नियुक्त करके इसको राजस्थान में पूरी तरह से पाबन्द करेंगे।

माननीय प्रोफेसर ने नीड-बेस्ड वेजेज का भी प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं यह बहुत पुराना सिद्धांत है जिसको ट्रेड यूनियन वर्कर्स मानता हूं और सारा वेज स्ट्रक्चर है उसके फिक्सेशन नीड-बेस्ट वेज में प्रमुख स्थान है और उसके खिलाफ नहीं किया जाता है। इस सिद्धांत के बिना जो वेज-फिक्सेशन होता है वह गलत तरीके से होता है। इसलिए हमने यहां पर नीड बेस्ट वेज के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जितनी भी वेज बोर्ड्स की रिपोर्ट्स दी हैं वे इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए दी हैं, चाहे टेक्सटाइल को ले लें, चाहे सीमेंट को लेलें, चाहे इन्जीनियरिंग को ले लें, चाहे और उद्योग इलेक्ट्रिसिटी को लेलें, जो बोर्ड के जरिये मिनिमम वेजेज फिक्स्ड की हैं उनसे काफी श्रमिकों को फायदा हुआ है यहां तक कि 180, 190 और 170 तक फिक्स्ड की गई है कई उद्योगों का कास्ट आफ लिविंग के इन्डेक्स आधार पर भारत सरकार ने जो आधार रखा है उस पर फिक्स्ड किया है। उसको डियरनैस से लिंक्ड कर दिया गया है ताकि मंहगाई बढ़ने के साथ साथ डियरनैस एलाउन्स भी उसी प्रकार से बढ़ता रहे।

श्री भैरोंसिंह : सिवाय स्टेट अण्डर-टेकिंग के।

श्री दौलतराम सारण : और स्टेट एण्टरप्राइजेज में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभी में है जो स्टेट एण्टरप्राइजेज में है। यह बहुत दिनों से चल रहा था। जिन मजदूरों को सस्पेण्ड कर देते हैं। लेकिन हमने स्टेंडिंग आर्डर में यह प्रावधान किया है कि वह अगर 6 महीने सस्पेण्ड रहा है और बाद में उस पर आरोप साबित नहीं होता है तो उनको पूरी तनख्वाह दी जायेगी। इसका पालन हम उद्योगपतियों से भी कराना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह बताइये, जो मजदूर वर्षों काम करते हैं और उनको टेम्प्रेरी ट्रीट किया जाता है। फिर उनको निकाल दिया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमारे यहां 3 प्रकार की मजदूरों की श्रेणी। हैं परमानेण्ट, टेम्प्रेरी और कैजुअल। यह झगड़ा अब तक चला आ रहा था। टेम्प्रेरी के नाम पर उनको कैजुअल मानकर निकाल दिया जाता था। कई जगह से ऐसे झगड़े आते थे। 365 दिन से दो एक दिन कम रख कर उनको निकाल दिया जाता था। जहां जहां ऐसे केसेज आये हैं, वहां इन्सपेक्टरों ने फैसले किये हैं। केजुअल लेबर के बारे में अदालतों के भी फैसले हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : एग्रोइण्ड० कारपोरेशन ने 183 मजदूरों को निकाल दिया है। आपके गवर्नमेन्ट अण्डर टेकिंग में ऐसा हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कारपोरेशन बाद में बना। कारपोरेशन में उनसे हमने यह मंजूर करवा लिया। एक सवाल छोलिडेज के बारे में आया था। वह सलाह नहीं मानते हैं तो लेबर डिपार्टमेंट के जितने भी केसेज आते हैं, उनको कन्सीडर करते हैं। नोटिफिकेशन देते हैं। फिर भी नहीं मानते हैं तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : सवाल इसका नहीं है। एग्रीमेंट होने के बाद भी यह किया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : निवेदन से ही काम नहीं चलेगा जो अनएम्प्लायमेण्ट में चल रहे हैं, उनको आप क्या दे रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर वह नहीं मानते हैं तो लेबर डिपार्टमेन्ट प्रोसीक्यूशन करेगा। क्योंकि अगर वह नहीं मानते हैं तो लेबर डिपार्टमेण्ट में और शक्ति तो है नहीं, उनका प्रोसीक्यूशन किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : यह आप लेबर मिनिस्टर के नाते बता रहे हैं ? एग्रो-इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन है जो कि गवर्नमेण्ट की ज्वाइण्ट रिस्पोंसिबिलिटी में चलता है। वह अपने ही कारपोरेशन में अपने लेबर को नहीं दे सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि वह अवश्य ही होगा। जो कुछ करेंगे वह कानूनी कार्यवाही हो सकती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। जहां तक श्रम विभाग का संबंध है, हम उचित सलाह देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सलाह तो उचित ही देते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य और केशोरायपाटन से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, वह बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में जितने उद्योग खुले हुये हैं, जहां श्रमिक भरती किये गये हैं, उनमें यह ख्याल नहीं गया है कि वह राजस्थान के ही हों। बाहर से भी आये हैं। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तहत में ही यह भरती होती है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो प्राइवेट सेक्टर को भी आदेश हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने जनरल तौर पर आदेश निकाल रखे हैं। लेकिन उसके लिए कोई पाबन्दी नहीं लगाई है।

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब है कि सामान्य आदेश आप दिखाने के लिए दे रहे हैं, उनका पालन नहीं होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह मैं कह रहा हूं। यह सरकारी उद्योगों में चल रहा है। भारत सरकार के जो उद्योग यहां पर काम करते हैं, उसमें भी पालना नहीं हो रही है भारतीय श्रम सलाहकार मण्डल में भी यह सवाल उठाया गया है। वहां यह निर्णय लिया गया था कि जितनी अवेलेबिलिटी है, वहां उनको लोकल लेबर को ही एम्प्लाय किया जाना चाहिए। राणा प्रताप सागर में भी यह परिस्थिति पैदा हुई थी। मैंने यही सवाल उठाया था। तो यहां से एक अधिकारी नियुक्त हुआ था। तब यही माना गया था कि लोकल लेबर को ही एम्प्लाय करें। लेकिन एक गली निकाल ली गई है। जैसे जहां कहीं जरूरत होती है तो वहां जो केरल या महाराष्ट्र के आफीसर होते हैं। उनको वह सूचित कर देते हैं। वह आकर तीन महीने पहले ही जैसे कोटा है, चित्तौड़ हैं, वहां के एक्सचेंज में आकर अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। तो जो सूची आती तो उसमें उनका नाम भी होता है। इस तरह वह भी शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बाहर के लोगों को नियुक्तियां दी जाती हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस आधार पर आप अपने एम्प्लायमेण्ट एक्सचेंज को आदेश दे सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दिये हुये हैं। आदेश दिये हुये हैं फिर भी दर्ज किये जाते हैं इसके लिए कोई तरीका निकाला जा सकता है। यह तो बैंक डोरमैथड है। इस पर विचार करना पड़ेगा। दूसरे हमें भी विचार करना पड़ेगा कि प्राइवेट सैक्टर में कानून के जरिये हम यह कर दें। जो नियुक्तियां दी जायें वह एम्प्लायमेण्ट के जरिये से हों।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह दर्ज ही नहीं करते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यही तो रोग है। मैं सदन को, सभापति महोदय, आपकी मार्फत फिर यह निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में यदि सही मायने में लोगों को नौकरी···

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्राइवेट सैक्टर के अन्दर जिस प्रकार आपने पब्लिक अन्डर टेकिंग में व्यवस्था बनाई है सर्विस की वैसी ही रूल्स में अमेंडमेंट करके व्यवस्था की जाय या सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बैठकर बातचीत की जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि इस बारे में अब की बार जब एडवाइजरी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सलाहकार मण्डल की मीटिंग होगी, रीजनल कमेटी की, तो मैं समझता हूं कि इसमें विचार करके इसको करना चाहिए। मेरी खुद की राय बनती है कि इस चीज की रोकथाम करने के लिए हमें कानून के जरिये रेगुलेट करने के लिए कानूनी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ठीक तरह से पाबन्दी हो सके।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स में जो अपाइन्टमेंट हो रहे हैं, काफी अपाइन्टमेंट हो रहे हैं, उनमें एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को बायपास किया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां कहीं एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज को बायपास किया गया हो और उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है तो तनख्वाह रुकवाई है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मुश्किल है, आप तनख्वाह रुकवा देते हैं, लेकिन राजस्थान में अब एक नया सिस्टम इन्ट्रोड्यूज हो गया है, एक मिनिट, लगेगा लेकिन मैं बता दूं। आपने एक आर्डर निकाल दिया कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के बिना जिसको अपाइमेंन्ट मिलेगा, उसकी एक महीने की तनख्वाह रोक ली जायगी। अब किसी डिपार्टमेंट के अन्दर एक क्लर्क भर्ती हुआ तो उसकी एक महीने की तनख्वाह आप रोक सकते हैं लेकिन होता यह है कि दो आफिसर मिल जाते हैं, एक आफिसर ने तो अपाइन्टमेंट किया, दूसरा कहता है, इसको मेरे डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर कर दो। उसका ट्रान्सफर होता है, तो उसके साथ में लास्ट पे ड्रान का सर्टीफिकेट जाता है। उसमें एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज की पाबन्दी नहीं होती है। अब एक महीने की तनख्वाह चली गई या नहीं, लेकिन उसको नौकरी मिल जाती है। आप यह किसी डिपार्टमेंट में भी देख लें सब में है।

श्री रामकिशन : ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह नियुक्ति कुछ भी की जाती हो, एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के बिना की जाती है, तो नियुक्ति अवैध घोषित हो जाती है और आगे भी अवैध होती है, वह वैध नहीं की जा सकती है। वैसे बायपास करते हों, मेरे नोटिस में आये तो· · ·

श्री भैरोंसिंह सब में देख लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो उस पर ऐक्शन लिया जाकर अवैध किया जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप जनरल सरक्यूलर भेज कर मालूम कर लीजिये।

श्री श्रवणलाल : इस प्रकार के आप को केस दिये जायं तो क्या आप रिवर्ट करेंगे, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कार्यवाही की जा सकती है, उनको अवैध किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के बारे में जो मुद्दे आये, उनमें आमतौर पर यह कहा, साहब, ठीक तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, या कुछ मुद्दे व्यक्तिगतरूप के हैं। वह प्रश्न मेरे सामने आये तो उन पर प्रत्येक में जांच की जा सकती है।

खेतड़ी के उद्योग के बारे में, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य चले गये, जो जनरल बात कही है, जो भारत सरकार के उद्योग

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

है, उनमें जिस प्रकार के जो निर्णय लिये गये हैं, उनकी पाबन्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं जो लोकल लेबर हैं, उसको रखवाने का प्रयास किया जाय। हमने भारत सरकार को लिखा है, जितने उद्योग भारत सरकार की तरफ से कायम किये जायं, उनमें प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान का रहने वाला लेना चाहिये ताकि अधिकारी लोकल लेबर को एम्प्लायमेंट देने में मदद कर सकें।

मैं समझता हूं, करीब 2 जितने भी माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये ...

श्री केदारनाथ : पेन्शन स्कीम ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हमारे यहां पेन्शन स्कीम को लागू कर दिया गया है, मैं आपको यह सुना दूं, हमने ऑप्शन के लिये तारीख निकाल दी है, मार्च के महीने से तीन महीने के अन्दर अन्दर ऑप्शन देना होगा और जिन लोगों के ऊपर एम्प्लाइज इन्स्योरेन्स लागू है, उन पर फेमिली पेंशन बेनिफिट स्कीम लागू होगी उसकी डिटेल, थोड़ी देर तो जरूर लगेगी, मैं सदन को बताना चाहता हूं क्योंकि यह नई बात है।

एम्प्लाइज प्रोवीडेन्ट फण्ड एण्ड फेमिली-पेन्शन एक्ट 1952 के अन्तर्गत भारत सरकार ने कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना 1971 बनाई है, जो 1 मार्च, 1971 से प्रभावशील हो गई है। जिन कारखानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू हैं उनके लिये यह योजना भी लागू होगी। श्रमिक की पत्नी। पति तथा अल्प वयस्क लड़के एवं लड़कियां इससे लाभान्वित हो सकेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिये श्रमिक को 1-3-71 से तीन माह में अपना ऐच्छिक पत्र (आप्शन फार्म) प्रस्तुत करना होगा। श्रमिक 60 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने तक इस योजना में हिस्सा जमा करवा सकेगा। (श्रमिक तथा नियोजक द्वारा भविष्य निधि में जो रकम दी जाती है, उस का $1\frac{1}{6}$ प्रतिशत श्रमिक के वेतन में से तथा उतना ही नियोजक के अनुदान में से इस योजना के अंतर्गत जमा कर दिया जावेगा और उतना ही अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जावेगा) नियोजक चाहे वह स्वयं हो, अथवा ठेकेदार के द्वारा हो, अपना तथा श्रमिक का भाग पहले जमा करवायेगा और फिर श्रमिक के वेतन में से नियमानुसार कटौती कर सकेगा।

फेमिली पेन्शन निम्न दरों पर देय होगी। इस स्कीम के प्रभावपूर्ण हो जाने से श्रमिकों को भविष्य के प्रति आश्वस्त रहने का सुअवसर मिल सकेगा :—

1. जिन श्रमिकों का वेतन 200 रु० मासिक से कम है।	30 प्रतिशत लेकिन न्यूनतम 40 रुपये मासिक।
2. 200 रु० से 800 रु० तक मासिक वेतन पर।	15 प्रतिशत, अधिकतम 96 रुपये न्यूनतम 60 रु० मासिक।
3. 800 रु० मासिक से अधिक वेतन पर	12 प्रतिशत अधिकतम 150 रु० मासिक।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

यह इस प्रकार से कर्मचारी परिवार पेंशन योजना स्वीकार हो चुकी है और अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस मार्च से, पहली मार्च से तीन महीने के अन्दर आश्वासन श्रमिकों के देने पर इसको लागू कर देना चाहिए।

श्री केदारनाथ : मिनिमम वेजेज को रिवाइज कर दिया है लेकिन लागू नहीं हुए हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसका एक कारण है, माननीय सभापति महोदय, कुछ सरकारी पचड़ा है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, वहां से स्वीकृति आने के बाद हो सकेगा।

श्री रामकिशन : सरकारी पचड़ा आप कहें, आप जवाब दे रहे हैं, तो सरकार बोल रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : फाइनेन्स डिपार्टमेंट का पचड़ा कुछ अलग है।

श्री शंकरलाल : वह पचड़ा, आपके पास रहा है, आपका है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 77,81,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग पारित की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 91,72,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 96 औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,19,85,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5.38 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 22 अप्रेल, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Page No 161

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बिलासी नदी पर पुलिया का निर्माण

401. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील किशनगंज में गोबरचा गांव के पास बिलासी नदी पर अधूरी पुलिया पड़ी हुई है ? यदि हां, तो इसके अधूरा रहने का क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस स्थान से लोग आज भी पानी में होकर निकलते हैं वह अपने अनाज आदि की गाड़ियों को बड़ी परेशानी से निकालते हैं ?

(3) इस पुलिया के निर्माण में अब तक कुल कितनी रकम खर्च हुई है व कुल कितनी रकम स्वीकृत हुई थी ?

(4) क्या राज्य सरकार इस प्रकार के जनहित के काम को पूर्ण कराने की दृष्टि से कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है, पुलिया अपूर्ण होने के कारणों की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

चारागाह की भूमि

402. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) चूरू जिले के तहसील मुख्यालय के किन किन कस्बों में कितनी कितनी बीड़ भूमि छोड़ी हुई है और किस किस की निगरानी में है ? तहसीलवार अलग अलग बतलाया जाय।

(2) क्या इन बीड़ों में मिस मैनेजमेंट के संबंध में राज्य सरकार के पास कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो वे क्या क्या हैं और सरकार ने अब तक उन पर क्या क्या कार्यवाही की है ?

(3) सरकारी नियमों के अनुसार प्रति मवेशी कितनी चारागाह भूमि का होना आवश्यक है और क्या इस क्षेत्र में पशुओं के अनुपात से यह चारागाह भूमि अधिक नहीं है ? यदि हां, तो इस भूमि के सद्-उपयोग के बारे में सरकार के पास क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) चूरू बीड़ के मिस मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में श्री माधव शर्मा, श्री सोमदेव, श्री मेघराज पंवार सदस्य विधान सभा व श्री रावतराम सदस्य विधान सभा द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच परगना अधिकारी चूरू द्वारा कराई गई। जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है।

(3) नियमानुसार प्रति मवेशी आधा बीघा भूमि का होना आवश्यक है। चूरू जिले की किसी तहसील मुख्यालय पर चारागाह की भूमि पशुओं के अनुपात से अधिक नहीं है।

सूची

	नाम तहसील	भूमि एकड़ों में	निगरानी
1.	रतनगढ़	911	विडसंरक्षण समिति, रतनगढ़
2.	सरदारशहर	1273	गऊ शाला की निगरानी में
3.	डूंगरगढ़	3398	विडकमेटी की निगरानी में
4.	तारानगर	512	गऊ शाला की निगरानी में
5.	राजगढ़	420	गऊ शाला की या कुछ भाग तहसील की निगरानी में
6.	सुजानगढ़	588	गऊ शाला की निगरानी में
7.	चूरू	1999	गऊ शाला की निगरानी में

मोड़क-चेचट सड़क की मरम्मत

403. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मोड़क-चेचट रोड जिला कोटा की मरम्मत कब कब किन किन ठेकेदारों द्वारा कितने मील में कितनी लागत से की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि बाढ़ सहायता कोष से भी सड़क पर करीब एक लाख बीस हजार रुपये का खर्चा किया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन से मील पर व किस किस ठेकेदार द्वारा ?

(3) मोड़क से खेराबाद सड़क की मरम्मत कब की गई थीं और उस पर कितना रुपया खर्चा आया है ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। बाढ़ मद से एस० एस० कम्पनी ने कार्य किया जिस पर 29091) रुपये व्यय हुआ है।

(3) वर्ष 69-70 में 64,100) रुपया खर्च हुआ है।

सूची (अ)

तारांकित प्रश्न संख्या 45/सा० नि० मं०

मोड़क चेचट रोड़ पर वर्ष 1970/71 में ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य का विवरण:—

नाम ठेकेदार ए.एस.आई. कम्पनी मील संख्या 41 से 44 लागत 1,07,495-00

ग्राम गंगारड़ा में भूमि का आवंटन

404. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गंगारड़ा (जिला नागौर) में गत वर्ष जमीनें अलाट की गई ? यदि हां, तो जिनको अलाट की गई उनके नाम व जितने बीघा अलाट की गई का पूर्ण विवरण मय तारीख के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन्हें जमीनें अलाट की गई उन्हें अब तक कब्जा नहीं दिया गया ?

उत्तर

1. सूची संलग्न है।

2. यह सही नहीं है।

मौजा गंगारड़ा में निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 22-9-70 को भूमि आवंटित की

क्र.सं.	नाम अलाट	खसरा नं.	रकबा
1.	श्री लखाराम जगलीया	106	11)
2.	श्री चतरा राम जगलीया	106	11)
3.	श्री तुलछा राम जगलिया	106	11)
4.	श्री बक्सा राम जगलीया	106	11)
5.	श्री खेमा जगलीया	106	11)
6.	श्री संगलीया जगलीया	106	11)
7.	श्री नाथूराम भाट	106	11)
8.	श्री उगरा जगलिया	106	11)
9.	श्री दयाल भांबी	106	11)
10.	श्री हरीराम भांबी	106	11)
11.	श्री परभूराम भांबी	106	11)
12.	श्री पेमाराम भांबी	106	11)
13.	श्री नेना भांबी	106	11)
14.	श्री बक्सा भांबी	256	13)
15.	श्री हापू जगलीया	162	15)

Page No 164

1	2	3	4
16.	श्री भीमा जगलीया	162	15)
17.	श्री जोराराम गाडेत लवार	256	14)1
18.	श्री जसाराम भांबी	308	12॥)1
19.	श्री छेला नायक	162	10)
20.	श्री केसाराम नायक	162	10)
21.	श्री सीयाराम भांबी	142	10)
22.	श्री खेताराम भांबी	142) 148)	8)4 7॥)
23.	श्री मबूतराम भांबी	149)	13)2
24.	श्री शंकर भांबी	253) 162)	8॥)3 8)
25.	श्री नारायण मेघवाल	123	17)
26.	श्री शिवदयाल मेघवाल	125	15)
27.	श्री सागरमल मेघवाल	125	15)
28.	श्री रामनिवास मेघवाल	125	15)
29.	श्री भमरा मेघवाल	123	17)
30.	श्री पूना मेघवाल	312) 151)	13)
31.	श्री रामेश्वर मेघवाल	312) 151)	12॥)2

गृह निर्माण योजनाओं में संशोधन

405. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) 1 अप्रेल, सन् 1967 से लेकर अब तक राज्य के किस किस नगर विकास मण्डल द्वारा, राज्य सरकार से स्वीकृत गृह निर्माण योजनाओं में संशोधन कर बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के किन किन व्यक्तियों को भू-खण्डों का आवंटन किया है? कृपया नाम पते व पूरे विवरण सहित तालिका प्रस्तुत करें।

(ख) राज्य सरकार द्वारा इन भू-खण्डों की स्वीकृत दरें क्या थी और किन दरों पर यह भू-खण्ड आवंटित किये गये ? यदि दरें कम हैं तो क्यों ?

(श्री महेन्द्रसिंह)

(ग) इन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुए हैं ?

(स्थगित किया गया)

उनियारा में चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण

406. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा हर ग्राम में चारागाह कायम किये गये हैं ? यदि हां, तो कुल राज्य में ऐसा रकबा कितना है ? आंकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा, जिला टोंक के उनियारा कस्बे के लिए भी कोई प्रस्तावित चरागाह है ? यदि हां तो उसका रकबा कितना है ?

(3) क्या यह सही है कि इस चारागाह को तहसील द्वारा नगरपालिका उनियारा के सुपुर्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह सत्य है कि इस चारागाह पर अधिकतर नाजायज काश्त है, और तहसील द्वारा उनको बेदखल नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा कुल कितना रकबा है जिस पर अतिक्रमण है ?

(5) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा कई बार तहसील को लिखा गया है कि अतिक्रमण को बेदखल कर उस रकबे का कब्जा बोर्ड को दें ?

(6) इस रकबे पर किन किन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(7) क्या इनमें से अधिकतर व्यक्ति हैं जो प्रभावशाली हैं इसलिए इन्हें बेदखल नहीं किया जा रहा है ? यदि नहीं तो फिर इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) जिलेवार सूचना संलग्न की जा रही है।

(2) जी हां, कस्बा उनियारा के लिये मौजूदा रिकार्ड के मुताबिक 1074 बीघा 15 बिस्वा रकबा मंजूरशुदा चारागाह है।

(3) जी हां, नगर पालिका उनियारा को दिनांक 3-9-67 को ही इस रकबे को दे दिया है।

(4) यह सत्य नहीं है। केवल 126/1 रकबे पर नाजायज कब्जा हो रहा है जिस पर से तहसील उनियारा ने सम्वत् 2024 में सबको बेदखल कर दिया गया था किन्तु कब्जा दुबारा कर लिया गया है।

(5) यह सही नहीं है। गत एक वर्ष से नगर पालिका द्वारा इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(6) सूची संलग्न है।

(7) जी नहीं कानून की दृष्टि में सब समान हैं।

Page No 166

सूची विधान सभा प्रश्न सं० 36। रा० मं० द्वारा श्री दिग्विजयसिंह सदस्य विधान सभा के भाग एक की

क्र. सं.	नाम जिला	क्षेत्रफल	एकड़/हैक्टर
1	2	3	4
1.	अजमेर	1,56,262	एकड़
		11,649	हैक्टर
2.	अलवर	96,065	एकड़
3.	बांसवाड़ा	36,459	,,
4.	बाड़मेर	3,19,615	,,
5.	भरतपुर	86,848	,,
6.	भीलवाड़ा	1,12,078	हैक्टर
7.	बीकानेर	1,06,706	एकड़
8.	बूंदी	27,278	हैक्टर
9.	चित्तौड़	2,08,373	एकड़
10.	चूरू	45,023	हैक्टर
11.	डूंगरपुर	43,925	,,
12.	गंगानगर	22,332	एकड़
13.	जयपुर	2,73,486	,,
14.	जैसलमेर	1,11,432	,,
15.	जालौर	1,11,419	,,
16.	झालावाड़	1,37,265	,,
17.	झुंझुनूं	3,02,679	,,
18.	जोधपुर	2,15,695	,,
19.	कोटा	1,30,569	,,
20.	नागौर	2,04,936	,,
21.	पाली	1,49,792	,,
22	सवाई माधोपुर	85,343	हैक्टर
23.	सीकर	1,27,267	एकड़
24.	सिरोही	33,521	हैक्टर
25.	टोंक	68,592	,,
26.	उदयपुर	4,32,154	एकड़

सूची अतिक्रमणकारी चारागाह तहसील उनियारा

सं०	नाम आसामी	खसरा नम्बर	रकबा
1.	कल्याण रामदेवा	89।1	2)
2.	अजीमा पुत्र फैजमोहम्मद	181	1)
3.	मारथा खटीक	240।2	1।)2
4.	मालियान की ढाणी	,, ,,	5।)4
5.	नारायण माली	250।1	3॥)4
6.	छीतर माली	340	3)
7.	खुदाबक्स	486।1।1	2)
8.	माधो गुजर	504।1।1।1	1।)
9.	माधो गुजर	508।1	1।)
10.	फज्जू मिस्त्री	534	4।)
11.	कल्याण पारेख	622।1।1	2॥)1
12.	कजोड़ कुम्हार	622।1	5)2
13.	नारायण काछी	665।	5।)
14.	रामकंवार मीणा	719।1।1	1।)
15.	नाराण माणा	723।1।1	॥)
16.	मदन दरोगा	756	6॥)2
17.	नंदा पुत्र ऊंकार	812।1	3)2
18.	पोचू खटीक	1073।1	2॥)4

1	2	3	4
19.	नारायण माली	1024	1।)4
20.	सुज्या गुजर	1326 1331	9) 3)
21.	वफाती	1456।1	1।)4
22.	भूरा गुजर	1687	4।।)2
23.	रामगोपाल मीना	1860	1।।।)3
24.	सुखदेवा काछी	1949।1	2।।।)
25.	घासी माली	2017	5)3
26.	जगन्नाथ गुजर	2021	5।।)
27.	सोभागमल महाजन	2333।1	2।)1
28.	मोरपाल मीना	,,	1)
29.	सुखा मीना	2340।1	।।)3
30.	मेवा मीना	2342।1	11।)4
31.	खोजीसिंह	2365	3)
32.	फूल्या मीणा	2731	8)
33.	रामनिवास मीना	,,	2)
34.	अंबालाल मीना	2733	5)
35.	रामनिवास ढोली	2735।1	3)
36.	भैरू ब्राह्मण	2777	3।)1
		योग	126।)1

Page No 169

चूरू-रतनगढ़ सड़क की मरम्मत

407. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या सरकार के यह बात ध्यान में है कि चूरू-रतनगढ़ सड़क के कुछ हिस्से पर पीच नहीं डाला हुआ है और इस सड़क में बड़े बड़े खड्डे पड़कर यह यातायात के योग्य नहीं रह गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके सुधार के लिये क्या कोई कार्यक्रम बनाया है ? यदि हां, तो इसके कब तक ठीक हो जाने की संभावना है ?

(2) क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि इस सड़क की चौड़ाई इतनी कम रखी हुई है कि जिससे आमने सामने से होकर दो गाड़ियां निकल नहीं सकती और आये दिन इस सड़क पर इसकी बजह से एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां डामर कार्य प्रगति पर है, सड़क में खड्डे नहीं है। सड़क यातायात योग्य है।

(2) सड़क का गोला 10 फुट है। जहां 2 सड़क के वर्म खराब हैं, 2 गाड़ियों को गुजरने में कठिनाई होती है। एक्सीडेन्ट्स की इस विभाग को जानकारी नहीं है।

पी० आई० व पी० एस० आई० को विशेष वेतन

408. **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पुलिस विभाग में सब-इन्सपेक्टर व सर्किल आफिसर के क्या क्या ग्रेड हैं ? तथा उन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य क्या क्या सुविधाएं दी जाती है ?

(2) पी. एस. आई. व पी. आई. के क्या क्या ग्रेड हैं ? तथा उन्हें वेतन के अतिरिक्त क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(3) सब इन्सपेक्टर, सर्किल आफिसर पी. एस. आई. व पी. आई. के लिये न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित है ?

(4) क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथकीकरण के साथ साथ अभियोजन शाखा को भी कार्यपालिका से पृथक किया जावे ?

(5) क्या यह सही है कि सन् 53 में राज्य सरकार ने फौजदारी मुकद्मों को शीघ्र निपटारे हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ? अगर हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त समिति राणावत कमीशन तथा न्यू पे स्केल नियमों में भी पी. आई. व पी. एस. आई. को विशेष वेतन आदि देने के संकेत थे ? अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पुलिस विभाग में सब इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर के ग्रेड निम्नलिखित हैं:-

(क) सब इन्सपेक्टर्स: 160-8-200-10–240–15-360.

(ख) इन्सपेक्टर : 275–20–375–25–650.

(गृह मन्त्री)

(2) जिन अधिकारियों का पद स्थानापन संलग्न स्टेटमेंट में अंकित शाखाओं में है उन को इसी स्टेटमेन्ट में अंकित विशेष वेतन दिया जाता है किन्तु जिनका पोस्टिंग थानों अथवा सर्किल में है उनको कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता। थानों में लगे उप-निरीक्षकों को निर्धारित यात्रा भत्ता संलग्न स्टेटमेन्ट में बताई गई दरों पर अवश्य दिया जाता है जो यात्रा भत्ते के बजाए दिया जाता है।

पी. एस. आई, एवं पी. आई. के ग्रेड क्रमशः वो ही हैं जो सब इन्सपेक्टर एवं सर्किल इन्सपेक्टर के हैं किन्तु पी. एस. आई. जो ग्रेज्यूएट है उनको 50) रु० माहवार और जो नोन ग्रेज्यूएट हैं उनको 20) रु० माहवार विशेष वेतन मिलता है।

(3) उप निरीक्षकों एवं पी. एस. आई. की सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता क्रमशः बी. ए. एवं बी. ए. एल. एल. बी. है। सर्किल इन्सपेक्टर्स एवं पी. आई. के पद पर पदोन्नति हेतु सब इन्सपेक्टर्स एवं पी. एस. आइज़ को राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स 1966 के अनुसार क्वालीफाइंग टैस्ट एवं प्रमोशन केडर कोर्स पास करना पड़ता है और केवल पास होने वालों को ही पदोन्नति दी जाती है।

(4) यह मामला विचाराधीन है।

(5) ऐसे कोई प्रोसीडिंग इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं।

(6) राणावत वेतन अयोग गठित हुआ उससे पूर्व पी. आईज को 30) रु० एवं पी. एस. आईज को 20)रु० माहवार की दर से विशेष वेतन मिलता था। राणावत अयोग ने पी. आई. को 75)रु० माहवार एवं पी. एस आई. को 50) रु० माहवार विशेष वेतन दिये जाने की सिफारिश की थी जिसके अनुसार पी. एस. आईज के लिये 50 रु० माहवार विशेष वेतन दिये जाने की राज्य सरकार से स्वीकृति दे दी गई किन्तु पी. आईज के लिये विशेष वेतन मूल से स्वीकृत करने से रह गये अत: वित्त विभाग को यह विशेष वेतन स्वीकृत करने के लिये गृह विभाग द्वारा लिखा जा चुका है जो शीघ्र ही स्वीकृत कर दिये जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम हिन्डोली में रेगरों की बस्ती में सार्वजनिक नल

409. (52/स्वा. शा. म.) श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम हिन्डोली के रेगरों की बस्ती में सार्वजनिक नल नहीं लगाया गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि विधान सभा की याचिका समिति ने भी कोटा जल प्रदाय योजना को सार्वजनिक नल लगाने हेतु सिफारिश की थी ? यदि हां, तो दो वर्ष समाप्त हो जाने पर भी नल का कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया है ? और कब तक कनेक्शन लगा दिया जायगा ?

उत्तर

1—जी हां।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

(उत्तर)

2–याचिका समिति ने रेगरों के मोहल्लों में केवल पाइप लाइन लगाने हेतु सिफारिश की थी न कि सार्वजनिक नल लगाने हेतु। पाइप लाइन डाल दी गई है और उसमें पानी चालू है इस लाइन से चार निजी–कनेक्शन भी दिये जा चुके हैं। सार्वजनिक नल लगाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को आदेश दिये जा चुके हैं।

झुंझुनूं–उदयपुर रोड़ पर कार्य

410. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं से उदयपुर रोड़ पर मील 25 व 26 के पास दो मील का काम कब व किसको (ठेकेदार) दिया था ? व कब शुरू किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य समय पर पूर्ण कर दिया गया था ? यदि हां, तो कितने समय में ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क की हालत बनने के कुछ दिनों बाद ही खराब हो गई ? यदि हां, तो क्यों व सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 138/सा. नि. मं.

कार्य आदेश की दिनांक	नाम ठेकेदार	मील	कार्य प्रारंभ की दिनांक
26/5/69	श्री हनुमान प्रसाद	22,23 तथा 26	26/5/69
21/10/69	श्री श्रमिक ठेका सहकारी समिति झुंझुनूं	24–25	21/10/69
25/2/70	श्री हनुमान प्रसाद	Rewadling of remaining miles & B.T. of 20% + 52/4	24/11/70

ग्राम कसुम्बी में पानी की व्यवस्था

411. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जसवन्तगढ़ से कसुम्बी जिला नागौर में पाइप लाईन द्वारा पानी ले जाने की योजना सरकार ने स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कब और कितने रुपये की योजना है और उसमें क्या क्या कार्य किये जायेंगे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त योजना के लिए जन सहयोग की राशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कितनी कब और किसकी ओर से तथा किन शर्तों पर ? यदि कोई शर्तें हों, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस योजना पर किसी दानदाता का नाम भी अंकित होना है ? यदि हां, तो किसका और किन शर्तों पर ?

(4) उक्त योजना से ग्राम कसुम्बी में पानी कब तक मिलने लग जायगा ?

(5) पंचायत के साथ राज्य सरकार का कोई एग्रीमेन्ट हुआ हो, तो उसको प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. जी हां, दिनांक 8-12-70 को 1,07,600 रु० की किये जाने वाले कार्यों की सूची संलग्न है।

2. जी हां, 7,530/- रु० दिनांक 31-8-70 को श्री लादुराम तोसनीवाल निवासी जसवन्तगढ़ वालों से बिना किसी शर्त के जन सहयोग के रूप में। प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

3. जी नहीं प्रश्न ही नहीं उठता।

4. आवश्यक सामग्री एवं वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध होने पर वित्तीय वर्ष 72-73 के अन्त तक योजना से पानी दिये जाने की सम्भावना है।

5. कोई ऐग्रीमेन्ट नहीं हुआ प्रश्न ही नहीं उठता।

योजना में किये जाने वाले कार्यों की सूची

		लागत
1.	राइजिंग मैन	92,9000,5,000
2.	ग्राउन्ड लेवल मशीनरी टैंक क्षमता 8,000 गैलन का निर्माण	
3.	एच टाइप क्वार्टर का निर्माण	4,000
		1,01,900

गंभीर नदी पर पुल

412. **श्री रामकिशन** (बैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गंभीर नदी पर जिला भरतपुर में बनाया ब्रह्मबाद के बीच में पुल बनाने के लिये वहां की स्थानीय जनता ने काफी दिन से मांग की है ? इस पुल के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय होगी और यह कार्य कब तक आरंभ हो जायगा ?

उत्तर

जी हां। पुल निर्माण का विषय विचाराधीन है। इस पर 10 लाख रु० व्यय होगा।

पुलिस के व्यवहार की निन्दा

413. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डीडवाना ने निम्नलिखित दो मामलों में अपने निर्णयों द्वारा पुलिस कार्यवाही की खामियों का संकेत करते हुए पुलिस के व्यवहार की निन्दा की है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक अग्रेतर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

(1) क्रिमिनल केस नम्बर 110/67 (राज्य सरकार विरुद्ध सोहनलाल व अन्य) में दिनांक 17-10-1968 का निर्णय।

(2) सरकार विरुद्ध रघुनाथ व अन्य में जमानत मंजूर करने के संबंध में दिनांक 28-1-1971 का निर्णय।

उत्तर

1. जी हां। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की विगत क्र० सं० 2 व 3 के आगे अंकित है।

2. क्रिमिनल केस नं० 110/67 सरकार बनाम सोहनलाल आदि में दिनांक 17-10-70 को अदालत मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने जो निर्णय दिया था उसमें दोषी पाये जाने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही जारी है।

3. मु० नं० 5 धारा 452/147/148/323/307/325 भा क्र०सं० थाना डीडवाना में श्री रघुनाथ द्वारा प्रस्तुत जमानत की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके बारे में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(14-4-71)

कामाँ क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

253. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कामां-पहाड़ी, कामां-जरहड़ा और पहाड़ी-बीवां, पहाड़ी, नगर, कामां-कोसी पांचों सड़कों की हालत बहुत पहले से ही खराब चली आ रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कों पर जो कभी कभी पेविंग का काम कराया जाता है वह साथ साथ उखड़ता चला जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पांचों सड़कों की हालत दिन पर दिन खराब से खराब होती चली जा रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त सड़कों की अच्छे ढंग से मरम्मत कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि कामां बाईपास की हालत बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि डीग से कामां, जुरहड़ा, कामां-कोसी जाने वाली बसें कस्बे के बीच से गुजरती हैं ? क्या यह भी सही है कि कस्बे में कई मोड़ पड़ते हैं जिन पर अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं और ट्रैफिक सुगमता से पास नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार कामां में बाईपास निकाल कर इस असुविधा को दूर करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

परिशिष्ट 2

(अ० प्र० सं० 412 की सूची)

सूची (ब)

सन् 1967/68

क्र. सं.	तहसील का नाम	नाम सड़क	लम्बाई
1.	झालरापाटन	रीछवा मालता वाया रटलाई	2 मील (मैटल्ड)
2.	झालरापाटन	बकानी गोगरपुर रोड़	1 मील (,,)
3.	आनपुर	आनपुर–दारज–अरनिया रोड़	2 1/2(,,)
4.	झालरापाटन	पाटन सुनेल रोड़	6 फर्लांग
5.	रामगंज मण्डी	पीपलिया सुकेत रोड़	3 मील
		सन् 1968–69	
1.	झालरापाटन	कोटा झालावाड़ अकलेरा रोड़	2 मील
2.	आनपुर झालरापाटन	बारां, जानपुर, झालावाड़	1 मील 3 फर्लांग
3.	गंगधार पचपहाड़	गंगधार, चोमहला, सीतामउ रोड़ (इम्प्रूमेंट) गंगधार पच–पहाड़ रोड़	2 मील 5 फर्लांग
4.	झालरापाटन	मंडावर रुपारेल बकानी रोड़	1 मील 5 फर्लांग
		सन् 1970–71	
1.	आनपुर	आनपुर तारज अरनिया रोड़	1 1/2 मील (मैंटल्ड)
2.	झालरापाटन	रीछवा, मामला रटलाई	2 मील (,,)
3.	झालरापाटन	पाटन सुनेल रोड़	6 फर्लांग ,,
4.	आनपुर, झालरापाटन, गंगधार पचपहाड़	बारां आनपुर झालावाड़ गंगधार पचपहाड़ रोड़ व आगरा रोड़ ।	1 1/2 मील
5.	अकलेरा	बारां-सालपुरा-अकलेरा मनोहर थाना महरोज पुरा रोड़	3 फर्लांग
6.	रामगंज मण्डी	पीपलिया सुकेत रोड़	1 मील (मैंटल्ड)

Works costing below Rs. 1 Lac. Budget Estimates 1971-72 & Revised Estimate 1970-71

103 Capital outlay on Public Works (K) Original Works-Buildings-XVI-Misc. Depts. (ii) Social Welfare (Plan).

S. No. 1	Name of works 2
	Jhalawar District/Dn.
1.	M/R from Khanpur, to Aklera via Arnia.
2.	M/R from Aklera to Manoherthana to Maharajpura.
3.	M/R from Gangdhar to Pachpahar to Dag.
4.	Bridge over Piplia Nadi.
5.	M/R from Bakani to Gangapur.
6.	M/R from Jhalarapatan to Sunel.
7.	M/R from Richwa river to Bhalta via Ratlai upto Asalpur.
8.	C. D. Works on Sunel Salotia road on river Richer.
	Special Repairs Roads New Works 1971-72
9.	Soyat Pirawa road 20 mm P. M. C. & rematalling mile No. 4, 5, 6, 7.
10.	Pirawa Sunel road mile No. 5, 6, 7, 8, 15.
11.	S/R. to Choumehalla Sitamaou road Mile No. 2 to 5
12.	S/R to mile No. 15, 20, 21, 28, 34, 44, 45, 46, 42, 43, Piplia Bhawani Mandi road by providing ¾" P. M. G.
13.	S/R to mile No. 61, 62, 64, Pachapahar Dug road (B/T excluding cost of grit.)
	Special Repair Roads Works in Progress on 1-1-71. *Jhalawar Division.* *Jhalawar District.*
14.	S/R to Pirawa Soyat road mile No. 1 to 3 & (P. M. G. Mile No. 1 to 3).
15.	S/R to Sunel Pirawa road mile No. 1 to 4, 12, 13, 14.
16.	C. D. works on Pirawa Sunel road.
17.	S/R to Restoration of Shu Bridge.
18.	S/R to Pachpahar Dug. (i) Choumehalla road mile 61, 62, 63, 64, 70, 30, 42, 43, 44 (48 to 65) (ii) P. M. G. mile No. 72, 69, 29, 30.
19.	S/R to 20 mm P. M. G. approach road to Kalitalai Village.
20.	S/R renewal of approach road to Chawali Village.

परिशिष्ट 3

(अ.प्र.सं. 420 की सूची)

विधान सभा प्रश्न संख्या 163 अ. ता. द्वारा श्री हरजीराम बुरड़क विधायक

सूची भू-अभिलेख अमला जिला चूरू कर्मचारियान जिनके फिक्शेसन होने से बकाया हैं।

1. श्री रविदत्त पटवारी का सर्विस रिकार्ड महकमा एक्साइज, बीकानेर से प्राप्त न होने के कारण फिक्शेसन 1961 का बकाया हैं।

2. श्री तेजसिंह पटवारी का सर्विस रिकार्ड तहसील अनूपगढ़ जिला गंगानगर से पूर्ति होकर न आने की वजह से 1968 का फिक्शेसन बकाया है।

3. श्री जस्सूखां भू-अभिलेख निरीक्षक का फिक्शेसन उनकी ई० बी० क्रोस की मंजूरी अभाव में सन् 1966 का फिक्शेसन बकाया है जिसकी कार्यवाही चालू है।

4. जुगलकिशोर पटवारी का फिक्शेसन केस 1968 का बकाया है। जन्म तिथि की शुद्धि के लिए कागजात जारी हैं जो शीघ्र ही शुद्धि होने पर फिक्शेसन तय करा दिया जावेगा।

5. श्री जनकदास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फिक्शेसन 1966 का बाकी है। कार्यवाही चालू है। शीघ्र ही तय करा दिया जावेगा।

6. श्री सुखदेवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फिक्शेसन 1968 का बाकी है कार्यवाही चालू है जो शीघ्र तय करा दिया जावेगा।

7. श्री अमानसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फिक्शेसन 1956 से बाकी है, चूंकि उसकी सेवा पुस्तिका एक्साइज विभाग से मुकम्मिल होकर नहीं आई है जिसके तय कराने हेतु विशेष कार्यवाही जारी है।

8. सलावत हुसेन आर० आई० का फिक्शेसन केस 1968 का बकाया है जिसकी कार्यवाही जारी है शीघ्र ही तय करा दिया जावेगा।

9. श्री हीरासिंह आर० आई० का फिक्शेसन केस 1968 का बकाया है, जो अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है।

10. श्री सबलसिंह पटवारी को आर० आई० पद से प्रत्यावर्तित करने की वजह से पे-फिक्श न होने की वजह से सन 1966 व 1968 का, फिक्शेसन केस बाकी है, जिसकी कार्यवाही जिला स्तर पर जारी हैं, जो शीघ्र तय करदी जावेगी।

11. श्री थानेश्वरदत्त पटवारी को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया था, जिसको फिक्श कराने में देरी हुई। अब ट्रेजरी आफिस, चूरू में अप्रूवल हेतु भेजा हुआ है। अब शीघ्र तय करा दिया जावेगा।

12. श्री राज किशोर आर० आइ० का फिक्शेसन 1968 का बकाया है, उसका सर्विस रेकार्ड जिला भरतपुर से पूर्ण होकर नहीं आया है कार्यवाही जारी है।

13. श्री नवाब बग भू-अभिलेख निरीक्षक का फिक्शेसन केस 1968 का बकाया है, जिसकी जन्म तिथि का प्रमाणीकरण उक्त कर्मचारी द्वारा पेश न करने की वजह से बाकी है।

14. श्री मालूसिंह पटवारी का फिक्शेसन केस 1968 का बकाया है, शीघ्र तय हो जावेगा।

15. श्री मोहनलाल पटवारी का फिक्शेसन 1968 का शेष है। सर्विस रेकार्ड रा० मण्डल, अजमेर से तस्दीक होकर आने पर शीघ्र तय करा दिया जावेगा।

16. श्री गुलाब मोहम्मद ओ० के० का 1968 का फिक्शेसन बाकी है, सहकारी विभाग, से सर्विस फिक्शेसन तय होने की कार्यवाही जारी है।

सूची जिला नागौर

विधान सभा प्रश्न संख्या 193 अतारांकित द्वारा श्री हरजीराम बुरड़क विधायक

क्रम सं. नाम कर्मचारी	कब कब से	और क्यों
1–श्री धन्नालाल आं० के०	1-4-66 1-9-68	1-4-66 का आदेश तहसील, डेगाना से होकर न आने से 1-9-68 को इस तहसील में बकाया है।
2–श्री पुनाराम भू० अ० निरीक्षक	1-4-66 1-9-68	तहसील सोनमाल जिला जालोर से सेवा-मिलेख प्रमाणित होकर न आने से।
3–श्री हरीराम पटवारी	1-4-65 1-4-66 1-9-68	तहसील मेड़ता से 65-66 का फिक्शेसन होकर न आने 1-9-68 का बकाया है।
4–श्री गुलराज पटवारी	1-9-61 1-4-65 1-4-66 1-9-68	1-9-61 व 1-4-65 का तहसील नावां व नागौर से न आने से 1-9-68 का बकाया है।
5–श्री भैरूंसिंह सवार	1-9-68	नागौर ट्रेजरी में स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है। नम्बर 3536 दिनांक 24-12-70।
6–श्री लादूसिंह पटवारी	1-9-68	जिला कार्यालय से मार्ग दर्श होते ही किया जा सकेगा।
7–श्री कजोड़ीमल पटवारी	1-9-68	निलम्बित होने से
8–श्री हमीरसिंह पटवारी	1-9-68	निलम्बित होने से
9–श्री मोहनलाल भू० अ० निरीक्षक	1-4-66	सेवा अभिलेख जिला पाली से अभी तक प्राप्त नहीं होने से शेष है।
10–श्री रामकिशन भू० अ० निरीक्षक	1-9-68	सेवा अभिलेख विभागीय पदोन्नत समिति की बैठक मे राजस्व मंडल अजमेर को भेजी गई है।

1	2	3	4
11–	श्री कैलाशचन्द्र भू० अ० निरीक्षक	1-9-68	सेवा अभिलेख विभागीय पदोन्नत समिति की बैठक में राजस्व मंडल अजमेर को भेजी गई है।
12–	श्री ब्रजमोहन पुरी पटवारी	1-9-68	विभागीय जांच का फैसला न होने से।
13–	श्री मूलदान पटवारी	1-9-68	विभागीय जांच का फैसला न होने से।
14–	श्री मानिकचन्द पटवारी	1-9-68	विभागीय जांच का फैसला न होने से।
15–	श्री जगदीशप्रसाद पटवारी	1-9-68	तहसील परबतसर से 1-4-66 का स्तरीकरण नहीं होने से।
16–	श्री उम्मेदसिंह पटवारी	1-9-68	सेवा पुस्तिका अपूर्ण होने से।
17–	श्री खींवसिंह भू० अ० निरीक्षक	1-9-68	विभागीय जांच का फैसला नहीं होने से।
18–	श्री अमोलकचन्द पटवारी	1-9-68	विभागीय जांच का फैसला अब हुआ है, अब शीघ्र तैयार किया जावेगा।
19–	श्री आसूराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1-9-68	विकल्प पत्र नहीं भरे जाने से।
20–	श्री भंवरूखां पटवारी	1-4-66 1-9-68	नियतीकरण मामला तैयार कर ट्रेजरी आफिसर नागौर को भेज दिया गया है।
21–	श्री हनुमानसिंह पटवारी	1-9-68	सेवा अभिलेख प्राप्त नहीं होने से।
22–	श्री मोतीसिंह पटवारी	1-9-61 से 1-9-68	तक निलम्बित होने से।
23–	श्री नन्दलाल पटवारी	1-9-68	निलम्बित होने से।
24–	श्री पृथ्वीदान पटवारी	1-9-68	झूंझूनूं जिला से सेवा अभिलेख नहीं प्राप्त होने से।

Page No 180

1	2	3	4
25–	श्री कानाराम, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	1-9-61 1-9-68	से सर्विस बुक तहसील जायल से समय पर तक प्राप्त नहीं होने से।
26–	श्री गंगाराम पटवारी	1-9-68	निलम्बित होने के कारण।
27–	श्री सत्यनारायण पटवारी	1-9-68	निलम्बित होने के कारण।
28–	श्री असगरअलीखां ओ० के०	1-9-68	बन्दोबस्त विभाग जयपुर से सर्विस बुक नहीं आने से।
29–	श्री पृथ्वीसिंह भू० अ० निरीक्षक	1-9-61 1-9-68	से जिला चूरू से व उपनिवेशन विभाग तक जयपुर से पूर्व के फिक्शेसन नहीं होने से व सर्विस रेकार्ड प्राप्त नहीं होने से।
30–	श्री कानसिंह भू० अ० निरीक्षक	1-9-61 1-9-68	से सेवा अभिलेख पूर्ण नहीं होने से तक एवं विभागीय जांच पूर्ण न होने से बकाया रहे हैं।
31–	श्री चुन्नीलाल च० श्रेणी कर्मचारी	1-9-61 से 1-9-68 तक	विकल्प पत्र नहीं भरे जाने से।

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं. 261 की सूची)

Detail Statement of cross Drainage Works on Roads Not on the Maintained List of P. W. D. B & R (Fair Leather Roads) Jhalawar Division.

S.No.	Name of Roads	Culvert or Bridge No.	Location	Approx. Capital in Rs.
	Jhalawar Sub Division			
1.	Kanwas Khanpur road via Dhulet mile No. 1 to .8	—	0/2	4,500/-
2.		1½,	0/3	4,000/-
		—	1/8	4,000/-
		3/1	2/5	10,000/-
		—	2/6	2,000/-
		5/1	4/3	15,000/-
		5/2	4/5	16,000/-
		5/3	4/8	21,000/-
		6/1	5/5	8,000/-
		7/1	6/7	1,000/-
		8/1	7/3	15,000/-
		8/2	7/8	2,00,000/-
1	—do mile No. 9to 20	9|1	9miles	9,000/-
		11/1	11	7,000/-
		14/1	14	—
		15/1	15	4,000/-
2.	Suket Mashalpura road	—	Mandiware causeway	25,000/-
3.	Sangod Ante F.W. road. 15 mile	—	14/5	1,10,000/-

1	2	3	4	5
4.	Cart track from Deoli to Daj Village.	—	near village.	1,00,000/- 36,000/
5.	Cart track from Devli to Cartana village Hlw' road.	—	near Deoli village	30,000/-
6.	Cart track from Anwan to Alia Khera and khand Gaon Village.	—	Chholia chata.	40,000/-
	Sub Division Baran			
1.	Kota Sangod road.	—	—	1,17,700/-
2.	Mangrol Ramgarh road 7.	—	5	1,35,000/-
3.	Mangrol Ganohganj road.	—	—	32,200/-
4.	Ayana Gone sahganj road.	—	1/8	4,000/-
		—	2/5	56,000/-
		—	3/6	7,500/-
		—	3/3	18,500/-
		—	9/1	4,500/-
		—	10/8	3,100/-
		—	11/1	5,100/-
5.	Mangrol Siswali road.	—	1/7	2,000/-
6.	Anta Mangrol road.	—	3/6	4,10/-
		—	4/7	4,000/-
		—	8/1	12,000/-
7.	Anta Stewali road.	—	1/3	4,000/-
			4/7	2,500/-
8.	Anta Sangod road.	—	5	2,500/-
		—	5	7,10/-
		—	—	1,000/-
		—	—	87,400/-

1	2	3	4	5
9.	Kelwara to Relewan road	—	—	90,300/-
10.	Ganghot Khanpur road.	—	11/1	5,000/-
		—	11/6	5,000/-
		—	12/1	3,000/-
		—	12/4	3,000/-
		—	12/6	40,000/-
		—	12/7	2,00/-
		—	15	2,000/-
11.	Gaughat Bapawar road	—	13/8	4,000/-
		—	14/4	3,000/-
		—	16	4,000/-
		—	17/1	3,000/-
		—	17/5	4,000/-
		—	18/2	3,000/-
		—	22	26,000/-
			22	6,000/-
		—	6/8	5,000/-
		—	7/8	5,000/-
12.	Barna Nahargarh road.	—	8/3	15,000/-
		—	9/7	5,000/-
		—	10/5	5,000/-
		—	12/4	40,000/-
		—	13/1	2,00,000/-
		—	13/6	20,000/-
		—	21/2	75,000/-
		—	26/1	5,000/-
		—	26/1	20,000/-

AKLERA SUB DIVISION

1. Manoherthana Chhipa barod via Harnavada, road	—	26/8	38,000/-
	—	25/4	71,200/-
	—	24/6	12,000/-
	—	22/5	8,000/-
	—	22/1	8,000/-
	—	20/6	12,000/-
	—	20/4	26,000,/-
	—	19/4	82,000/-
	—	19/2	22,000/-
	—	18/7	48,000/-
	—	18/3	8,000/-
	—	17/5	42,000/-
	—	14/8	28,000/-
	—	14/5	60,000/-
	-	—	48,000/-
	—	13/8	—
	—	13/8	10,000/-
		13/4	10,000/-
	—	13/4	4,000/-
	—	—	4,000/-
	—	10/6	—
	—	—	5,000/-
	—	3/8	—
	—	3/5	2,000/-
	—	3/1	500/-
	—	—	500/-
	—	2/2	2,000/-
	-	2/2	2000/-
	—	1/5	2,500/-

शुद्धि पत्र

(बुधवार, दिनांक 21 अप्रेल, 1971)

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्धि	शुद्धि
9	अन्तिम से	14	बस्ता	बस्ती
11	,,	1	की	को
15	शीर्ष	1	कदियों	कैंटियों
15	अन्तिम से	4	,,	,,
22		1	ह	है
22	अन्तिम से	15	सलग्न	संलग्न
22	,,	6	करोड	करोड़
,,	,,	3	प्राविजन	प्रोविजन
28	,,	2	पलम	पलश
38	शीर्षक	1	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
41	अन्तिम से	4	रीड़ियां	रोड़ियां
48		11	प्रश्त	प्रश्न
51	अन्तिम से	16	(विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाजें)	dt —
54		5	सघ	संघ
62		2	वं	वर्ग
68		3	मण्डली	मण्डी
69		5	स्वास्थ्य.......	स्वास्थ्य विभाग
72	अन्तिम से	1	83 71	8-3-71
75		5	लबा	लबान
75	अन्तिम से	9	छापाबड़ोद	छीपाबड़ोद
80	,,	17	श्री हरिवल्लभ शर्मा	श्री हरवल्लभ शर्मा
81	,,	3	एस्टीमेट	एस्टीमेट

1	2		3	4
168	अन्तिम से	5	मे	के
169	,,	6	चिविंग	वीविंग
170		8	कर्मचारियों	कर्मचारियों
171		12	श्री रामसिंह	श्री रामसिंह
171	अन्तिम से	3	उद्यग	उद्योग
175		14	शनः शनैः	शनैः शनैः
187		11	+रुपया	—एक रुपया
188	अन्तिम से	5	योग	मांग
191		3	वेस्ड	बेस्ड
191	अन्तिम से	8	ये	dt—
195	,,	14	जसलमेर	जैसलमेर
198	,,	16	प्रोजेक्ट—	प्रोजेक्ट में
198	,,	8	नुकशान	नुक्सान
199	,,	6	आवश्यता	आवश्यकता
219	अन्तिम से	1	ने ा ोर	बनेगा और
219		8	फ्रेज	फेज
228	अन्तिम से	17	स्टेटुप्ररी	स्टेच्युटरी
233	,,		इन्ट्रेन्सिव	इन्टेन्सिव
235		12	उपलबफ	उपलब्ध
235		13	उपलबध	,,
240	अन्तिम से	8	हमने	हमारी
241	,,	13	डिपेण्डेस्ट	डिपेण्डेण्ट
258	,,	11	के	को
258	,,	12	के	—dt
259	,,	1	लो	को
259	,,	4	म दूरी	मजदूरी
259	अन्तिम से	4	न ें	नहीं

1	2		3	4
260	अन्तिम से	20	यह	कह
260	,,	8	हमों	हमने
261	,,	1	इरादा	dt—
263	,,	14	धोख बाजो	धोखाबाजी
263	,,	10	जायें	जायेंगे
267		2	जरूत	जरूरत
270	,,	8	फलेगा	फैलेगा
271	अन्तिम से	14	हमें	हम
290	,,	2	महिनों	महीनों
290	,,	13	इन्ट्रोपोनीयोर	इन्टरीप्रेन्योर
293	,,	9	इन्टरपोनियोर	,,
295	अन्तिम से	11	मील	मिल
295	,,	9	एक्सपान्सन	एक्सपान्शन
296	,,	4	यूगोस्ला वेत	यूगोस्लाविया
297	,,	2	कोलोबरेशन	कोलोबोरेशन
297	,,	12	फारमिलिटि	फारमिलिटि
305	,,	10	गबर्नमेन्ट	गवर्नमेन्ट
306	अन्तिम से	11	सोदबाजी	सौदेबाजी
307	,,	26	डिस्चार्जड	डिस्चार्ज्ड
308	,,	19	मल्टिपिलसिटि	मल्टिप्लिसिटी
311	,,	17	। हैं	हैं ।
351	परिशिष्ट (4)	4	Leather	Weather